शुक्रवार, 21 नवंबर 1980

30 कार्तिक, 1902 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 4, शुक्रवार, 21 नवम्बर, 1980/30 कार्तिक, 1902 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 61 से 64, 67 और 68	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	23—158
तारांकित प्रश्न संख्या : 65, 66 और 69 मे 80 अतारांकित प्रश्न संख्या : 601 से 800	
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	158—159
सभा पटल पर रखे गये पत्र	159—172
राज्य सभा से संदेश	172
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	172—187
देश में सूखे की स्थिति	
श्री नवल किशोर शर्मा	172
श्री आर० वी० स्वामीनाथन	172
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	179
श्री ए० टी० पाटिल	186
सभा का कार्य	187—197
एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक, 1980 पुर:स्थापित किये जाने की अनुमति का प्रस्ताव	197—198
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति 9वां प्रतिवेदन	198
विधेयक पुर:स्थापित	198—204
(1) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1980 (अनुच्छेद 102 और 191 का संशोधन)	
श्री बापूसाहिब परुलेकर	198

* किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(2) संविधान (संशोधन) विधयक, 1980 (द्वितीय अनुसूची का संशोधन)
श्री आर० के० महालगी 199

(3) बेरोजगारी सहायता (आयु सीमा से छूट तथा अन्य सुविधायें) विधेयक, 1980
श्रीमती गीता मुखर्जी 199

(4) छावनी (संशोधन) विधेयक, 1980 (धारा 15 आदि का संशोधन)
श्री वी० एन० गाडगिल 199

(5) नागरिकता (बंगलादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा अर्जन) विधेयक, 1980
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव 200

(6) मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 1980 (धारा 95 आदि का संशोधन)
श्री वी० एन० गाडगिल 200

(7) समाचार पत्र (कीमत तथा पृष्ठ) विधेयक, 1980
श्री वी० एन० गाडगिल 200

(8) विस्थापित व्यक्ति (ऋण समायोजन) (संशोधन) विधेयक, 1980 (धारा 31 का संशोधन)
श्री वी० एन० गाडगिल 201

(9) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1980 (अष्टम अनुसूची का संशोधन)
श्री भोगेन्द्र झा 201

(10) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1980 (अनुच्छेद 15 आदि का संशोधन)
श्री भोगेन्द्र झा 202

(11) इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय (मेरठ में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 1980
श्री रशीद मसूद 202

(12) मुम्बई उच्च न्यायालय (औरंगाबाद में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 1980
श्री उत्तम राठोड़ 202

(13) रोजगार विधेयक, 1980
श्री भोगेन्द्र झा 203

(14) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1980 (धारा 23 का संशोधन)
श्री उत्तम राठोड़ 203

(15) जाति-उपदर्शन उत्सादन विधेयक 1980
श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा 204

(16) उपनगरीय रेलवे या अन्य सार्वजनिक परिवहन व्ययों की प्रति-पूर्ति करने का (महानगर क्षेत्रों में) नियोजकों का दायित्व विधेयक, 1980
प्रो० मधु दंडवते 204

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1980 (अनुच्छेद 19 और 41 का संशोधन) 204—234
श्री वापूसाहिव परुलेकर 204
विचार करने का प्रस्ताव
श्री जेवियर अराक्कल 205
श्री आर० के० महालगी 208
श्री हरिकेश वहादुर 210
प्रो० पी० जे० कुरियन 212
श्री चित्त वसु 213
श्री रामावतार शास्त्री 217
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती 222
श्री तारिक अनवर 225
श्री सुन्दर सिंह 227
श्री गिरधारी लाल डोगरा 228
श्री शिवराज वी० पाटिल 229

लोक सभा

शुक्रवार, 21 नवम्बर, 1980/30 कार्तिक, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

निर्यातोन्मुख एककों के लिए शुल्क मुक्त आयात

461. श्री विजय कुमार यादव : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी निर्यातोन्मुख एककों के लिए चाहे वे देश के किसी भी भाग में स्थित हों, पूंजीगत वस्तुओं, कच्चे माल और पुर्जों का शुल्क मुक्त आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निर्णय से स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं के निर्माताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो उक्त निर्णय लिये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) निर्यातों के लिए गैर-परम्परागत मदों का विनिर्माण करने वाले उद्योगों तथा विशेष रूप से संलग्न विस्तृत सूची में दर्शाये गये उद्योगों के लिए शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों सम्बन्धी एक योजना लागू करने के लिए कार्यवाही की गई है । सम्बन्धित उत्पाद उन निर्यात नियन्त्रण कोटा सीमाओं के अधीन नहीं होने चाहिए जो इस उद्योग में विद्यमान एककों द्वारा

प्राप्त की जा सकती हैं। ऐसे सभी एककों को पूंजीगत माल, उपभोग योग्य काफी सामग्री तथा संघटकों के शुल्क मुक्त आयातों की सुविधा दी जाएगी। स्वदेशी रूप में खरीदी गई इन मदों पर कोई केन्द्रीय उत्पाद लेवी नहीं लगेगी। ऐसे एककों को वाणिज्य मंत्रालय में स्थापित होने वाले अंतःमन्त्रालय बोर्ड द्वारा क्लीयरेंस दी जाएगी तथा एक बार अनुमोदन प्रदान किये जाने के बाद इस एकक को साधारणतया 10 वर्षों की अवधि के लिये तथा उच्च डिग्री प्रौद्योगिकीय परिवर्तन वाले उत्पादों के मामले में 5 वर्षों की अवधि के लिये बांड में रखा जाएगा। इन एककों को न्यूनतम 20 प्रतिशत का मूल्यवर्धन देना होगा तथा इस प्रयोजन के लिये स्वदेशी रूप में खरीदे गये कच्चे माल को आयातों के रूप में माना जाएगा। लाइसेंस देने की क्रियाविधि आवेदन पत्रों की क्लीयरिंग के लिये समय सीमा के सम्बन्ध में एम० आर० टी० पी० के समान होगी। निर्यात दायित्व की अवधि के बाद बांड मुक्त होने पर शुल्क लगाये जा सकेंगे।

(ग) तथा (घ) शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों को रियायतें दी गई हैं ताकि वे कीमत निर्धारण, क्वालिटी, विशुद्धता आदि की दृष्टि से विदेशी मांग की कठोरताओं को पूरा करने में समर्थ हो सके। ये बुनियादी बातें पूंजीगत माल के आयातों सहित सभी आयातों को निर्धारित करते समय ध्यान में रखी जाएगी। इन सुविधाओं की अनुमति देने सम्बन्धी सरकार का यह निर्णय उन मुक्त व्यापार जोतों तथा इन बांड कारखानों की संकल्पना को विस्तृत करना है जो स्वदेशी पूंजीगत माल विनिर्माताओं को प्रभावित किये बिना पहले ही देश में कार्य कर रहे हैं। अतः ऐसा कोई कारण नहीं है कि सरकार द्वारा आरम्भ की गई विद्यमान योजना से स्वदेशी पूंजीगत माल विनिर्माताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अनुबन्ध

1. इंजीनियरी सामान

1.1 इंजीनियरी सामान (जिसमें मूल एवं अलौह धातुएं शामिल नहीं हैं)।

1.2 इलेक्ट्रानिक्स उत्पाद जिसमें इलेक्ट्रानिक्स साफ्टवेयर शामिल हैं।

2. रासायनिक पदार्थ प्लास्टिक तथा सम्बद्ध उत्पाद, अर्थात—

(क) अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन तथा विविध रसायन।

(ख) औषधियां तथा औषध मध्यवर्ती सामग्री, जिसमें अपरिष्कृत औषधियां भी शामिल हैं।

(ग) रंजक तथा रंजक मध्यवर्ती सामग्री।

(घ) प्रसाधन तथा आवास सामग्री (जिसमें साधित टेन्क शामिल नहीं है)।

(ङ) पेंट तथा सम्बद्ध उत्पाद।

(च) सेफ्टी मशीनें, आतिसाबजी, बिस्फोटक सामग्री तथा डिटोनेटर्स ।

(छ) मृतिका उत्पाद ।

(ज) कांच तथा कांच का सामान ।

(झ) काष्ठ उत्पाद तथा साधित काष्ठ ।

(ज) एस्बेस्टास, सीमेंट जिसमें लिक्र्स तथा सीमेंट उत्पाद शामिल हैं ।

(ट) रबड़ विनिर्मित वस्तुएं ।

(ठ) कागज, कागज उत्पादन तथा लेखन सामग्री ।

(ड) कीटनाशक दवाइयां तथा परिरक्षण सामग्री ।

(ढ) अगरबत्ती ।

2.2 यूलिनरी नेलिको रेजिन ।

2.3 रिफ्रेक्टरीज ।

2.4 प्लास्टिक तथा लियोलियम उत्पाद ।

3. फर्नीचर ।

4. चमड़ा तथा खेल-कूद का सामान

4. 1 तैयार चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तुएं जिसमें फुटवियर तथा पेंट शामिल हैं ।

4 2 खेल-कूद का सामान ।

5. खाद्य, कृषि तथा वन्य उत्पाद

5. 1 डिब्बा बंद तथा जमाये हुए समुद्री उत्पाद ।

5. 2 साधित खाद्य, खाद्य. फल, सब्जियां तथा अल्कोहल युक्त व हल्के पेय ।

5. 3 मांस तथा सम्बद्ध उत्पाद ।

5. 4 पेक की हुई चाय, अर्थात 1 कि०ग्रा० तक के आकार के उपभोक्ता पेकों में पेय की हुई चाय तथा इंस्टेंट चाय ।

5. 5 इंस्टेंट तथा पेक की हुई पिसी काफी ।

5. 6 विनिर्मित तम्बाकू ।

5. 7 तेल रहित चावल की भूसी तथा बिनौला खली, दाल, बीज, चर्बी तथा पशु खाद्य ।

5. 8 आम की गिरी का निस्सारण तथा आम की गिरी का तेल ।

6. वस्त्र

1. कालीन

2. सिले सिलाये परिधान, निटवियर, तैयार वस्तुएं।

3. रबड़ युक्त कवर तथा गुद्देदार कवर।

4. खादी।

5. प्राकृतिक रेशम फैब्रिक्स, परिधान तथा तैयार वस्तुएं।

6. होजरी।

7. हथकरघा फैब्रिक्स, तैयार वस्तुएं तथा परिधान।

7. विविध

1. हस्तशिल्प की वस्तुएं।

2. चांदी तथा सोने के आभूषण।

3. परिष्कृत अभ्रक।

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने मन्त्री जी द्वारा दी गयी स्टेटमेंट को पढ़ा है। इसमें जो नयी व्यवस्था की गई है, उसके बारे में कई तरह की सुविधाओं की चर्चा है। जहां तक मेरी जानकारी है, इस तरह की सुविधा शांताक्रुज और कांडला फ्री ट्रेड जोन में है। अब जो नयी व्यवस्था की गयी है उसके मुताबिक इसका विस्तार पूरे देश के अन्दर ऐसे तमाम यूनिटों के लिए किया जा रहा है। यह जो हंड्रेड परसेंट एक्सपोर्ट ओरियेन्टेशन का काम हो रहा है, अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ से यह सुविधा बड़े-बड़े पूंजीपतियों के लिए की जा रही है और इस तरह की सुविधाओं का निश्चित तौर पर बुरा असर केपिटल गुड्स मेन्युफेक्चरर्स पर पड़ेगा। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि देश के अन्दर इन दो जगहों के अतिरिक्त जिनका कि मैंने अभी जिक्र किया, इस हण्ड्रेड परसेंट एक्सपोर्ट ओरियेन्टेशन के यूनिट कहां-कहां हैं और उनकी संख्या क्या है ?

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, जहां तक माननीय सदस्य के इस निष्कर्ष की बात है कि नई योजना के परिणामस्वरूप, स्वदेशी उत्पादक और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादक उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, यह बात गलत है। वास्तव में, विद्यमान योजना के अन्तर्गत भी, बड़े घराने यदि वे अपने एकक मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित करना चाहें तो, उन्हें भी इन सभी सुविधाओं को प्राप्त करने का हक है क्योंकि यह तो केवल हमारे निर्यात प्रयासों को बढ़ावा देने के लिये है। इसलिए उन एककों को छूट दी जा रही है जो 100 प्रतिशत निर्यात-मूलक एकक हैं। बहुत से अन्य देशों ने भी ऐसा किया है और हम भी कर रहे हैं। चूंकि योजना की अभी-अभी घोषणा की गई है और कोई भी नया एकक स्थापित नहीं किया गया है। अर्थव्यवस्था पर इसका वास्तविक प्रभाव अभी देखना बाकी है। अत: माननीय सदस्य का निष्कर्ष असामयिक है।

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि जहां तक मुझको जानकारी है और खुद मन्त्री महोदय का बयान अखबारों में निकला है, उसके मुताबिक यह सुविधा शांताक्रुज और कांडला फ्री ट्रेड जोन में अभी भी लागू है। अब आप इसका एक्सटेंशन करना चाहते हैं। जो यूनिट पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं और जो सुविधाएं अभी तक आपने दे रखी हैं उसका हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, अर्थव्यवस्था पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा है। वास्तव में, निर्यात में वृद्धि हुई है। उदाहरणार्थ, कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र के सम्बन्ध में, इस वर्ष की प्रथम छमाही में ग्यारह करोड़ रुपये से भी अधिक का निर्यात हुआ है। यह लगभग पिछले पूरे वर्ष के बराबर है। अतः महोदय, यह देखा जा सकता है कि इन व्यापार क्षेत्रों में भी निर्यात बढ़ रहा है।

बिक्रीकर समाप्त किया जाना

*62. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वांचू आयोग द्वारा की गई इस टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए कि काले धन की वृद्धि के लिए और बराबर का एक काला बाजार बने रहने के लिए बिक्री कर मुख्यतः जिम्मेदार है, केन्द्रीय बिक्री कर सहित बिक्री कर समाप्त करने अथवा धीरे-धीरे हटाने के लिए और उसके स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाने के लिए इस वर्ष सितम्बर में नई दिल्ली में मुख्य मंत्रियों/राज्य वित्त मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विशिष्ट पदों पर चर्चा की गई; और

(ग) सम्मेलन का क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) देश में, विभिन्न वाणिज्य मंडलों, उद्योग तथा व्यापार संघों, आम जनता आदि की ओर से बिक्रीकर ढांचे से मूलभूत सुधार करने की एक व्यापक और चिरकालिक मांग बनी हुई है। वित्त आयोगों तथा विभिन्न समितियों ने, बिक्री कर प्रणाली की, विभिन्न पहलुओं से समीक्षा करके उस पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। विशेषतः अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति (झा समिति) ने इस मामले की समीक्षा की है और उस पर कुछ सिफारिशें की हैं। परन्तु बिक्री कर प्रणाली में कोई भी सुधार, राज्यों के परामर्श और सहयोग के साथ ही किया जा सकता है, अतः एतत्सम्बन्धी विभिन्न संवैधानिक, आर्थिक सांविधिक, प्रक्रियात्मक तथा प्रशासनिक पहलुओं पर विचार करने के लिए 16-17 सितम्बर, 1980 को, दिल्ली में मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(ख) तथा (ग) सम्मेलन ने निम्नलिखित विषयों पर विचार किया :—

(1) बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क;

(2) केन्द्रीय बिक्री कर;

(3) राज्य बिक्री कर; और

(4) चुंगी।

सम्मेलन ने निम्नलिखित संकल्प स्वीकार किया :—

(क) हाथी समिति द्वारा सूची-बद्ध जीवन रक्षक औषधियों और वनस्पति पर लगने वाले बिक्रीकर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जाए और राज्यों के वर्तमान तथा भावी तर्कसंगत राजस्व हितों की रक्षा के लिए तदर्थ उपयुक्त रीति निर्धारित की जाए;

(ख) (1) वस्तुओं की जिस सूची पर, बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने की योजना लागू करनी है उसमें वृद्धि करने और (2) घोषित वस्तुओं की सूची में वृद्धि करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए मुख्यमंत्रियों की एक नामिका तैयार की जाए;

(ग) विधि आयोग से निवेदन किया जाए कि वह राज्यों के विचारार्थ बिक्री कर का एक मसौदा नमूना उच्च प्राथमिकता के आधार पर तैयार करे;

(घ) केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह संविधान (49वां संशोधन) विधेयक के अनुरूप संविधान (संशोधन) विधेयक शीघ्र पेश करने हेतु विचार करे।

लेकिन, केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पं० बंगाल के मुख्य मंत्रियों ने संकल्प के (क) से (ग) भागों मे अपनी असहमति प्रकट की थी।

श्री माधव राव सिंधिया : महोदय, जैसा कि वान्चू समिति ने टिप्पणी की है, बिक्री कर हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त करने वाले काले धन रूपी केन्सर को बढ़ावा देने वालो एक प्रमुख कारण है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों के परामर्श से अन्ततः बिक्री-कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की नीति के प्रति वचनबद्ध है ? और यदि बात ऐसी ही है तो वे इस योजना को किस प्रकार लागू करना चाहते हैं, यदि कुछ राज्य ऐसा करने से इन्कार कर दें। अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क की मदों की सूची में जीवनरक्षक औषधियों और वनस्पति का जोडने पर भी केरल, तमिलनाडु पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा ने पहले ही सहमति प्रकट की है। क्या इससे कार्यान्वियन एकतरफा नहीं होगा ?

दूसरे, क्या इसी प्रकार का एक दूसरा सम्मेलन नहीं हुआ था जो कि 1979 में जनता पार्टी के शासन-काल में हुआ था जो कि ठोस परिणामों की प्राप्ति में बुरी तरह असफल रहा था ? क्या यह सच नहीं है ?

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, बिक्रीकर के स्थान पर पूर्णतया अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क प्रतिस्थापित करने का सरकार का इरादा नहीं है। बिक्री-कर तो राज्य में राजस्व का स्रोत है और आज राज्यों को इससे लगभग 3,000 करोड़ रुपया मिल रहा है। यह राजस्व का एक लचीला और विस्तार जन्य स्रोत है। हम जो कुछ करने का प्रयत्न कर रहे हैं उसमें व्यवसायी समाज को तंग न करना, टाल-मटोल और भ्रष्टाचार की रोकथाम सम्मिलित है और उसके लिए बिक्री-कर के बदले में अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क लगाये जाने वाली वस्तुओं की सूची में यथा-सम्भव वस्तुओं को सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे हैं। बिक्री-कर का सम्मेलन में हमने बताया था कि बिक्री-कर को पूर्णतया प्रतिस्थापित करने का सरकार का इरादा नहीं है। इसके

विपरीत, केवल वसूली को सरल बनाने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ही हम बिक्री-कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क लगाये जाने वाली वस्तुओं की सूची में बड़ी संख्या में अन्य मदों को सम्मिलित करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि जब बिक्री-कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क लगाये जाने वाली सूची में केन्द्रीय सरकार कुछ और मदों को सम्मिलित करेगी तो यह कर लगाने का उत्तरदायित्व लेगी, संसद के प्रति जवाबदेही होगी और अपनी आलोचना का जवाब देगी, धन एकत्र करेगी और इसे राज्यों को हस्तान्तरित करेगी। अतः इस मामले में राज्यों को कोई आशंका नहीं होनी चाहिए कि इस कारण से उनको कुछ आर्थिक हानि होगी।

जो दूसरी बात उन्होंने कही वह वान्चू समिति की सिफारिशों के बारे में है। वान्चू समिति ने बिक्री-कर के बारे में सरसरी तौर पर जिक्र किया है।

वान्चू समिति ने कहा है :

"उच्च दर पर कर लगाने से कर अपवंचन होता है तथा कालाधन पैदा होता है।"

और जैसा कि हम देख सकते हैं इस वर्ष के बजट में एक अच्छी शुरूआत की गई है कि आयकर अधिभार को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर कर दिया गया है। यदि अर्थ-व्यवस्था में सुधार होता है, राजस्व वसूल होता रहा, तो इसमें संदेह नहीं है कि भविष्य में भी यही पद्धति अपनायी जा सकती है। परन्तु यह पूर्णतः इस बात पर निर्भर करता है कि व्यवसायिक समुदाय का रवैया क्या है तथा अर्थ-व्यवस्था किस रूप में विकास करती।

तीसरी बात माननीय सदस्य ने बिक्री-कर सम्मेलन 1979 से ठोस परिणाम न प्राप्त किये जाने के संबन्ध में कही थी। ठीक है, सुधार के लिए सदा गुंजाइश रहती है। मनुष्य उम्मीद पर ही जिन्दा है। हमें उम्मीद है कि हम राज्यों को राजी कर पायेंगे। यह सत्य है कि इस समय कुछ राज्यों ने आपत्ति की है। परन्तु इससे केन्द्र को अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने से रोका नहीं जा सकता। यदि अधिकांश राज्य इससे सहमत हैं।

श्री माधव राव सिन्धिया : जैसाकि मन्त्री महोदय ने बताया राज्यों के बिक्री कर के स्थान पर उत्पाद शुल्क लगाये जाने के बारे में मुख्य आपत्ति यह है कि राज्य समझते हैं कि इससे वे अपने आय के मुख्य स्रोत को छोड़ रहे हैं। दूसरे शब्दों में वित्त मन्त्री ने बताया कि वे राजस्व प्राप्ति की गत्यात्मकता से नियन्त्रण खो बैठते हैं। सरकार उसके समाधान के रूप में बिक्री-कर के स्थान पर भारी मात्रा में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगा सकती है। परन्तु अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की दर बड़े-बड़े राज्यों के वित्त मन्त्रियों के उस संयुक्त निकाय द्वारा निर्धारित की जाये। जिसकी वार्षिक बैठकें हो सकती हैं। दूसरे शब्दों में, राज्यों का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क पर नियन्त्रण बना रहेगा तथा इस प्रकार वे अपनी पृथक शक्ति को एकीकृत शक्ति के पक्ष में नहीं छोड़ेंगे।

श्री आर० वेंकटरामन : माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया है। परन्तु हमने इस बारे में एक और सुझाव रखा है। मैंने सम्मेलन में मुख्य मन्त्रियों को आश्वासन दिया था कि मैं उत्पाद शुल्क तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क तथा 2:1 के अनुपात में बनाये रखने का प्रयास करूंगा। यदि मूल शुल्क 2 है तो अतिरिक्त शुल्क 1 होगा जिससे यह भय न रहे कि मूल

उत्पाद शुल्क बढ़ जायेगा तथा केन्द्रीय सरकार का हिस्सा बढ़ जायेगा तथा राज्य सरकारों का भाग घट जायेगा । मैंने यह प्रस्ताव रखा है तथा मैं समझता हूं और अधिकांश इससे सहमत है कि यदि मूल उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 2 से 1 के अनुपात में बनी रहती है तो राज्य को इस पर आपत्ति नहीं होगी ।

श्री विलास मुत्तेमवार : सरकारी अनुमानों के आधार पर इस देश में प्रचलित काले धन का आकार अनुमानतः क्या होगा और मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन के निर्णयों पर कब तक अमल होगा ?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं चाहता हूं कि कोई व्यक्ति मुझे काले धन का सही अनुमान बताये । देश में काले धन का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है । हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि काला धन देश की अर्थ-व्यवस्था को बिगाड़ रहा है । हमें उसके घातक प्रभाव को कम करने का यत्न करना चाहिए ।

श्री निरेन घोष : बिक्री कर लगाया जाना राज्य सरकारों के अधीन है न कि केन्द्र सरकार के । यदि यह बात है, तो क्या कुछ राज्यों की आपत्तियों को देखते हुए आप इस अधिकार को छीनने के लिए कैसे कार्यवाही कर सकते हैं ? और आपका कथन है कि आयकर अधिभार घटाया गया है ताकि काला धन न बढ़े । इसके द्वारा भारत के व्यवसायिकों को भारी लाभ दिया गया है तथा वे लोग ही भ्रष्टाचार और काले धन के स्रोत हैं। लगभग 30,000 करोड़ रुपये का काला धन सफेद धन के साथ-साथ प्रचलित है । मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि उन राज्यों के बारे में किसी भी बात पर आप कानून न बनायें जिनके बारे में राज्यों को अधिकार प्राप्त हैं तथा उन राज्यों को बिक्री कर चालू रखने का अधिकार बना रहना चाहिए, क्योंकि आप उनकी शक्तियों को छीनकर केन्द्र के हाथ में अधिक शक्तियां केन्द्रित कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया काले धन का पता लगाएं ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रारम्भ में ही सभा को और सभा के माध्यम से सभी विभिन्न राज्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार का राज्यों से राजस्व छीनने का कोई इरादा नहीं है । इसके विपरीत हम चाहते हैं कि राज्य योजना में अपने योगदान को बढ़ायें । और यदि उनके पास संसाधन नहीं होंगे तो योजना सीमित हो जायेगी । इसलिए यह मानना गलत है कि केन्द्र राजस्व स्रोतों को छीनना चाहता है । जैसा कि मैंने माननीय सदस्य को बताया कि हमारा प्रयत्न है कि और अधिक वस्तुओं को अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत लाया जाये तथा इससे राज्यों को राजस्व की कोई हानि नहीं होगी तथा इसका उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार और कदाचारों को रोकना है । राज्य सरकार अन्य सभी वस्तुओं पर बिक्री कर लगा सकेंगी, केवल उन्हीं वस्तुओं का छोड़कर, पर जिनके बारे में केन्द्र कानून बनाता है जो अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत आती हैं । इस सीमा तक उनके अधिकार सीमित या कम कर दिये जायेंगे । मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं राज्यों के बिक्री कर लगाने के अधिकार को छीना नहीं जायेगा ।

जहां तक अधिभार कम किए जाने सम्बन्धी दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, ऐसा बहुत सी समितियों की जिनमें वांचू समिति भी सम्मिलित है, की इस सिफारिश के अनुसार है कि भारी करों की दर से कर अपवंचन होता है और इसलिए यदि करों की दरें घटाई जाती हैं तो कर अपवंचन भी उतना ही कम हो जायेगा तथा उतना ही काला धन भी कम हो जायेगा ।

जहां तक तीसरी बात 30,000 करोड़ रुपए काले धन का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि मुझे कम से कम उसके लगभग 10 प्रतिशत का पता दें जिससे मैं उसे वहां जाकर प्राप्त कर लूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : काले धन पर नियंत्रण किये जाने की आवश्यकता पर कोई विवाद नहीं है। मंत्री महोदय मुझसे भी अच्छी तरह जानते हैं तथा कई अन्य प्रभावी कदम केन्द्रीय सरकार सरलता से उठा सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस कार्यवाही से केन्द्र तथा राज्यों के बीच विद्यमान सन्तुलन बिगड़ नहीं जायेगा तथा राज्य केन्द्र पर अधिक निर्भर हो जायेंगे तथा उनकी स्थिति भिखारी की सी हो जायेगी और वे केन्द्र की राजनीतिक इच्छा पर अधिक निर्भर हो जायेंगे जैसा कि आज हम देख रहे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं दस वर्ष तक तमिलनाडु में बिक्री कर का मंत्री रहा हूं तथा मैं केन्द्र में वित्त मंत्री 10 महीने से भी कम अवधि से हूं इसलिए मेरी सहानुभूति राज्यों के साथ अधिक है तथा मैं नहीं समझता कि मैं राज्यों के अधिकार छीनने जा रहा हूं। मैं केवल इतना ही कर सकता हूं कि कर वसूल करने, कर निर्धारण करने एवं व्यावसायिक समुदाय के लिये व्यापार आदि की सुविधा का मामला है। यह केवल उसी उद्देश्य से किया जाता है।

उसमें जो कुछ अनर्थकारी था, लोग उसका उससे भी अधिक गलत अर्थ लगा बैठे हैं। भगवान् के लिए इस बात को समझें कि यह केवल ऐसा एक प्रयास है जिससे केन्द्र तथा राज्य दोनों अधिकाधिक राजस्व एकत्र कर सकेंगे।

श्री छांगुर राम : इस विवरण-पत्र में लिखा है : विशेषत: अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति (झा समिति) ने इस मामले की समीक्षा की है और उस पर कुछ सिफ़ारिशें की हैं।" मैं जानना चाहता हूं कि झा समिति ने इस सम्बन्ध में क्या सिफ़ारशें की हैं। क्या 16-17 सितम्बर को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में झा समिति की सिफ़ारिशों पर विचार हुआ या नहीं; यदि नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ और अगर हुआ, तो किन-किन शिफारिशों पर हुआ ?

श्री आर० वेंकटरामन : वांचू समिति की चर्चा एक उत्तर के संदर्भ में की गई थी।

जहां तक झा समिति की सिफारिशों का सम्बन्ध है, उस ससिति ने न केवल आयकर के समूचे प्रश्न तथा विक्रय कर पर अपितु, उत्पाद, चुंगी आदि के प्रश्नों पर भी विचार किया। अब सरकार ने उन सिफारिशों की छानबीन कर ली है और कुछ कार्यवाही की जा चुकी है जो सिफारिशें कार्यान्वित हो चुकी हैं, उन्हें समय-समय पर सभा पटल पर रखा गया है।

सम्मेलन के सामने यह प्रश्न आया कि विक्रयकर को युक्तिसंगत कैसे बनाया जाये। इस बारे में जो सुझाव मैंने दिये और प्रधान मंत्री, जिन्होंने सम्मेलन का उद्घाटन किया, ने दिये, वह यह थे कि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने, भ्रष्टाचार रोकने और वसूलियों में वृद्धि करने के उद्देश्य से हम बिक्री कर के स्थान पर उसकी कुछ अधिक मदों के अतिरिक्त शुल्क उद्ग्रहण में अन्तरित कर सकते हैं जैसे कि अब चीनी, कपड़ा और तम्बाकू के मामले में किया गया है।

सम्मेलन ने निर्णय लिया कि जीवन-रक्षक दवाइयों और बनस्पति के मामले में विक्रय कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जाये।

इसके बाद समूचे प्रश्न को मुख्य मंत्रियों की एक समिति को सौंपा गया और हम राज्यों से विभिन्न मदों के बारे की गयी वास्तविक वसूलियों के बारे में सूचना एकत्र कर रहे हैं और आंकड़ों के एकत्र होने के बाद समिति की एक और बैठक होगी और इस बारे में निर्णय लिया जायेगा।

बोइंग विमान जम्मू हवाई अड्डे पर उतारने की क्षमता

*63. **श्री जी० एल० डोगरा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोइंग विमान उतारने के लिए जम्मू हवाई अड्डे जा धावन-पथ कब ठीक कर दिया जायेगा; और

(ख) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनका मंत्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) इसके 1982 के मध्य तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ख) आवश्यक प्राक्कलन (एस्टीमेट) तैयार किये जा रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल डोगरा : क्या प्राक्कलन विभाग तैयार कर रहा है अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन अधिकरण या ये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये जा रहे हैं।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : इसे विभाग तैयार करता है।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : अमृतसर के मामले में, अन्तर्राष्ट्रीय, विमान पत्तन प्राधिकरण, द्वारा तैयार किए गए प्राक्कलन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्राक्कलन से कम रकम के हैं। क्या आपने यह काम अन्तर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण को, जिसका आपने निर्माण किया है, इसलिए सौंपा है कि यह एक विशेषज्ञ प्राधिकरण है।

श्री अनन्त प्रशाद शर्मा : यह सच है कि मोटे अनुमान के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए प्राक्कलन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किये गये तैयार प्राक्कलन से कम है। लेकिन इस प्रश्न पर निर्णय किया जाना है कि क्या इस कार्य को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग करेगा अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण। सामान्यतः अब तक यह कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

श्री गिरधारीलाल डोगरा : मैं एक दूसरा प्रश्न पूछना चाहूंगा। यद्यपि यह काम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का ही है तो भी इस बिभाग के पास पहले ही बहुत कम है। आपका विभाग इस मामले में विशेषज्ञ विभाग नहीं है। इससे सड़क संगठन सामरिक महत्व का है। इसके लिये आपका पृथक विभाग है। जब आप पृथक प्राधिकरण हैं, तो आप इसे सरकार को क्यों नहीं भेजते ? आप एक नीहित स्वार्थ क्यों पैदा कर रहे हैं ? क्या आप लोगों के हितों और सुविधा की कीमत पर इसे किसी विभाग विशेष को सौंप रहे हैं तथा इसे निष्क्रय कर रहे हैं।

श्री अनंत प्रसाद शर्मा : यह बात सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने इस किस्म के काम के निष्पादन के लिये एक बुनियादी ढांचा विकसित किया है। वास्तव में हम इस किस्म का काम विदेशों में भी कर रहे हैं। लेकिन यह बात दूसरी है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग स्वयं यह काम करना चाहता है अथवा वह इसे अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण को सौंपना चाहता है,

क्योंकि जैसे कि मैंने कहा साधारणतः केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ही इस प्रकार का काम करता है।

श्री पी० नामग्याल : क्या मंत्री महोदय रन-वे का विस्तार करने में विलम्ब के कारण बतायेंगे ? हम यह काम पिछले पांच से दस सालों से करते आ रहे हैं।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : जम्मू में हवाई अड्डे के विकास तथा हवाई पट्टी मजबूत करने की कहानी पुरानी है और बात को संक्षेप से कहने के लिये ही हमने उत्तर दिया है कि प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं।

मैं विलम्ब की लम्बी कहानी को संक्षेप में कह रहा हूं।

मैंने अपने मूल उत्तर में कहा कि अंतिम प्राक्कलन अब तैयार किया जा रहा है और मेरे पूर्वाधिकारी श्री जे० वी० पटनायक ने उस सभा में इस वर्ष मार्च में इस बारे में आश्वासन दिया था। हम इस काम को जून, 1982 तक करने की आशा रखते हैं।

श्री धर्मदास शास्त्री : मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जम्मू एक टूरिस्ट सेन्टर है वहां सी. पी. डब्लू. डी. और इन्टरनेशनल एअरपोर्ट एथारिटी का झगड़ा जो है उसका फैसला हमारे मंत्री महोदय जोकि इतने डायनेमिक हैं, वे नहीं कर पाए तो उनकी डायनेमिज्म कैसे काम आयेगी ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं तो इस काम को बहुत जल्दी करना चाहता था लेकिन कुछ दिक्कतें हमारे सामने आई हैं जिनकी वजह से हमें एस्टीमेट को रिवाइज करना पड़ रहा है। जैसे ही रिवाइज्ड एस्टीमेट की सैंक्शन हमको मिल जायेगी, हम इस काम को जल्दी पूरा करेंगे।

छोटे तथा मध्यम वर्ग के समाचार पत्रों को बिक्री कर में राहत देने का प्रस्ताव

*64. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे तथा मध्यम वर्ग के समाचार पत्रों को बिक्री कर में राहत देने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि सं० 92 के अनुसार, समाचार-पत्रों पर बिक्री-कर लगाने का अधिकार, केवल केन्द्रीय सरकार को है। समाचार-पत्रों पर, कोई बिक्री कर नहीं लगाया जा रहा है। सम्भवतः माननीय सदस्य के मन में, लघु तथा मध्यम श्रेणी के समाचार-पत्रों द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले अखबारी कागज पर बिक्री-कर से राहत देने का प्रश्न है। किसी भी राज्य के अन्तर्गत होने वाले माल के क्रय-विक्रय, जिसमें अखबारी कागज का क्रय-विक्रय भी शामिल है, उस राज्य के कराधान का विषय है। तथापि लघु तथा मध्यम श्रेणी के समाचार-पत्रों की सहायता करने के दृष्टिकोण से, केन्द्रीय सरकार ने उपक्रम करके राज्य सरकारों से निवेदन किया है कि वे इस प्रकार के समाचार-पत्रों को, अखबारी कागज की बिक्री पर लगने वाले बिक्री-कर से छूट देने के सम्बन्ध में विचार करें। केन्द्रीय सरकार के इस निवेदन के अनुसरण में, कुछ राज्य सरकारों ने पहले ही राहत दे दी है अथवा राहत देने को राजी हो गयी हैं।

श्री अरविन्द नेताम : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न को ठीक ढंग से समझा है और इसके लिये मैं उनका धन्यवाद करता हूं। ये छोटे-छोटे समाचार पत्र देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं और राष्ट्र की अच्छी सेवा कर रहे हैं। मंत्री महोदय के इस मुख्य वक्तव्य को ध्यान में रखते हुये, क्या मैं जान सकता हूं कि कौन-कौन राज्य उन्हें यह राहत देने के लिए सहमत हुये हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय उन राज्य के नाम लें।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : राज्यों ने प्रधान मंत्री के पत्र पर छोटे और माध्यम दर्जे के समाचार-पत्रों को विक्रय कर से राहत देने के बारे में जो कार्यवाही की, वह इस प्रकार है :—

छोटे तथा मझले समाचार-पत्रों को बेचे जाने वाले अखबारी कागज पर विक्रय कर में छूट के लिये सहमति हो गया है। बिहार को 15 हजार तक की परिचालन सूची वाले छोटे समाचार-पत्रों और 15 से 50 हजार तक की परिचालन सूची वाले मध्यम दर्जे के समाचार-पत्रों को अखवारी कागज में बिक्री कर की छूट देने के लिये पहले ही सहमत हो गया है। उत्तर प्रदेश में छोटे तथा मध्यम दर्जे से अखबारों को विक्रय कर से पहले ही छूट दी जा चुकी है। राजस्थान पहले ही सभी श्रेणी के समाचार-पत्रों के अखबारी कागज की खरीद और बिक्री में बिक्री कर की छूट देने के लिए सहमत हो गया है। उड़ीसा में 7 अक्तूबर, 1980 से अखबारी कागज से विक्रय कर हटाया जा चुका है। मध्य प्रदेश में 15 हजार से कम परिचालन सूची वाले छोटे समाचर पत्रों और 15 से 50 हजार तक की परिचालन सूची वाले मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों को अखबारी कागज में बिक्री कर की राहत देने के लिए छूट दी जा चुकी है। आंध्र प्रदेश में इसका कोई उत्पादन नहीं होता। अतः उन्हें युक्त किया गया है। पंजाब महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा और मेघालय केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर विचार कर रहे हैं।

श्री अरविन्द नेताम : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या किसी राज्य सरकार ने इसे बिलकुल अस्वीकार कर दिया है और क्या केन्द्रीय सरकार शेष राज्यों को पुनः स्मरण पत्र भेजेंगे ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : हमें किसी भी राज्य से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिसके अनुसार कोई राज्य हमारी योजना से सहमत न हुआ हो। शेष राज्यों की प्रतिक्रिया की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब कि हम उनके उत्तर प्राप्त होंगे, हम उन्हें तुरन्त सभा के सामने रखेंगे।

प्रो० पी० जे० कुरियन : अखबारी कागज पर कर राहत देने का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है विशेषकर छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार-पत्रों के लिए क्योंकि ये पत्र पिछले कई वर्षों से बराबर सेवा करते आ रहे हैं। चूंकि कुछ राज्य इस राहत को देने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या इस प्रकार इन राज्यों को कर छूट देने से होने वाली क्षति को दूर करने हेतु मुआवजा देने के लिये तैयार है क्योंकि सभी राज्यों की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं हो सकती इसलिए कि वे इस राहत को दे सकें।

क्या मन्त्री महोदय इस कर राहत के कारण राज्य सरकारों को जो हानि हुई है, उसकी क्षतिपूर्ति करने को तैयार हैं ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : जहां तक इसका सम्बन्ध है, हमें किसी भी राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार की अन्यमनस्कता या अनिच्छा का पता नहीं चला है। उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल ठीक हैं और वे सभी हमारे इस निवेदन को मानने के इच्छुक हैं कि छोटे एवं मध्यम वर्ग के समाचार पत्रों को यह राहत दी जाए।

प्रो पी० जे० कुरियन : मेरा प्रश्न यह नहीं है। मेरा प्रश्न है कि क्या उस हानि की क्षतिपूर्ति करेंगे, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे तैयार हैं या नहीं हैं।

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता है। हमने तो अपनी सिफारिश भेजी हैं और बहुत से राज्यों ने उसे मान भी लिया है। कुछ राज्यों का कहना है कि वे इसका अध्ययन कर रहे हैं। किसी भी राज्य ने अभी इन्कार नहीं किया है। यह प्रश्न तभी पैदा होगा जब राज्य इससे इन्कार करेंगे।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष जी, छोटे तथा मध्यम वर्गीय समाचार पत्रों को क्या सरकार अपनी तरफ से विज्ञापन देने के सम्बन्ध में सोच रहा है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इसमें नहीं उठता है।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : यह राहत देने के बारे में हैं।

अध्यक्ष महोदय : विज्ञापन की बात नहीं है, राहत की बात है।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : राहत विज्ञापन देकर भी हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : इन्डायरेक्ट तरीके से।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : यह प्रश्न इस प्रश्न के दायरे से बाहर है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आवश्यक वस्तुओं की कमी

*67. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गत 6 महीनों से संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो खाड़ी के द्वीप समूह में आवश्यक वस्तुओं की नियमित सप्लाई हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ आवश्यक वस्तुओं के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उन वस्तुओं के नाम क्या हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गत छः महीनों के दौरान संघ राज्य क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की कोई भारी कमी नहीं रही है। तथापि, अगस्त तथा सितम्बर 1980 के दौरान चीनी, कामन साल्ट और खाद्य तेलों जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं की कमी महसूस की गई थी।

(ख) अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति मुख्य भू-भाग और इन द्वीप समूहों के बीच नियमित जहाजी सेवा पर निर्भर करती है, जिसमें अगस्त और सितम्बर, 1980 के दौरान व्यवधान पड़ा था। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह प्रशासन पुराने जहाजों को बदलकर और उनकी संख्या भू-भाग और संघ शासित क्षेत्र के बीच जहाजी सेवा में सुधार लाने की योजना बना रहा है।

(ग) अंडमान व निकोबार द्वीप समूह प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार को सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनोरंजन भक्त : मन्त्री महोदय हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं क्योंकि जब वे रक्षा मन्त्रालय में मन्त्री थे तो उस समय उन्होंने इन द्वीप समूहों की यात्रा की थी और उस द्वीप समूह में बहुत से विकास कार्य कराने का प्रयत्न किया। परन्तु यह कहते हुए मुझे बड़ा खेद है कि उन्होंने अपना उत्तर ऐसे टाल-मटोल वाले ढंग से दिया। जैसा कि आप जानते हैं अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, इण्डोनेशिया और बरमा सीमाओं के निकट, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इन क्षेत्रों के लिये आवश्यक वस्तुएं कलकत्ता या मद्रास से आती हैं। इसके बाद फिर इन्हें विभिन्न द्वीप-समूहों में वितरित किया जाता है। गत छः मास में बहुत सी अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई बिल्कुल बन्द थी और यह बात निरन्तर भारत सरकार को बताई जाती रही। स्वयं मैंने भी सम्बद्ध मन्त्रियों को पत्र लिखे हैं दुर्भाग्य से कुछ भी नहीं किया गया है। उस विचार से मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या वह देश के उस भाग में कम से कम छः मास तक के लिये आवश्यक वस्तुओं का आरक्षक भण्डार तैयार करने पर विचार करेंगे, जिससे कि यदि जलयान सेवाओं में व्यवधान पड़ता है या कोई अन्य कठिनाई उपस्थित होती है तो लोगों को इस प्रकार के कष्ट न उठाने पड़ें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय जो कुछ सूचना मैंने सदन में दी है वह हमें अण्डमान-निकोबार द्वीप-समूह प्रशासन ने दी है। परन्तु मैं माननीय सदस्य की बात मानने को तैयार हूं और मैं तो यहां तक मानने को तैयार हूं कि माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना से कहीं अधिक सही हो सकती है और इसलिए मैं फिर से स्थिति की जांच करूंगा और समूह में आरक्षक भण्डार तैयार करने के उनके सुझाव का स्वागत है तथा उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रश्न को समझा है। मेरा द्वितीय पूरक प्रश्न यह है कि कलकत्ता या मद्रास से आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति में हमें जब-तब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ये ही वे दो मरण स्थल हैं जहां से हम अपनी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि तमिलनाडु सरकार ने मीठे तेल अर्थात मूंगफली के तेल पर पाबन्दी लगा दी। हमने एक बार फिर मामला भारत सरकार के यहां उठाया और बड़ी मुश्किल से दो-तीन मास बाद ही हमें कुछ सप्लाई मिल सकी। अब फिर पश्चिम-बंगाल सरकार ने सूजी, मैदा और अन्य वस्तुओं पर पाबन्दी लगा दी है और इसलिए ये वस्तुएं हमें नहीं मिल रही हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह मामले को राज्य सरकार के साथ उठाएं जिससे कि इन पाबन्दियों की वजह से हमारी सप्लाई में बाधा का व्यवधान न खड़ा हो सके।

श्री विद्याचरण शुक्ल : सुझाव नोट कर लिया गया है।

प्रो० मधु दण्डवते : पांचवीं लोक सभा की प्राक्कलन समिति के जांच-परिणामों के आधार पर मैं मन्त्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। उस समिति का सदस्य होने के नाते मुझे उस भूमि को देखने का अवसर प्राप्त हुआ था और हमने पाया था—हम सभी इस बात पर एकमत थे—कि उस द्वीप-समूह-विशेष में समग्र व्यापार पर केवल एक व्यापारिक पार्टी एकाधिकार जमाए हुई थी

जिसके परिणाम स्वरूप आम जनता में वहां बड़ा आक्रोष था। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे वहां कई सहकारी समितियों की स्थापना को प्रोत्साहन देंगे जिससे कि आवश्यक वस्तुओं और अन्य वस्तुओं, जिनकी जरूरत पड़ती है, का वितरण उचित कीमतों पर हो सके और कोई एक पार्टी समग्र व्यापार पर एकाधिकार जमाकर न बैठ जाए। पार्टी से मेरा मतलब किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, यह हमारी एक निश्चित नीति है कि वितरण प्रणाली का विकास केवल सहकारी समितियों और राज्य सिविल सप्लाई निगमों द्वारा ही किया जाए और जिन क्षेत्रों में उचित दर की दुकानें निजी व्यक्तियों द्वारा चलाई जा रही हैं उनको भी अधिकाधिक रूप में सहकारी समितियों द्वारा अपने हाथ ले जाना चाहिये। अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में भी ऐसा होना चाहिए और कहीं अधिक तत्परता से होना चाहिए और इसलिए हम इसे आवश्यक रूप में द्वीप समूह प्रशासन को भेजेंगे जिससे कि वे शीघ्रातिशीघ्र इसे पूरा कर सके। यह तो मैं नहीं जानता कि इस पार्टी का जन विवरण प्रणाली से कुछ लेना देना है या नहीं। प्रेस रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ हुई है और मैं उसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जैसा कि मैं दूसरे सदन में बता चुका हूं, जहां तक जन वितरण प्रणाली का सम्बन्ध है, निजी तत्व को हम इसमें से बाहर कर देना चाहते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि आवश्यक वस्तुओं का थोक व्यापार जैसा कि इसे निजी बनिया दूकानों द्वारा चलाया जा रहा है या अन्य थोक विक्रेताओं के कारोबार को सरकार अपने हाथ में ले रही है। आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। सरकार का केवल यही इरादा है कि देशभर में उचित दर की दुकानों द्वारा जिन आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाता है, उनकों वे सभी आवश्यक वस्तुएं राज्य नागरिक पूर्ति निगमों से मिलनी चाहियें। अर्थात कि जन-वितरण-प्रणाली अपनी सम्पूर्ण सप्लाई के लिए राज्य नागरिक पूर्ति निगमों पर निर्भर करे, न कि निजी थोक-व्यापारियों पर और जहां निजी-थोक विक्रेता आवश्यक वस्तुओं में व्यापार कर सकता है तथा निजी या थोक-विक्रेताओं की बनिया-दूकानों का जन वितरण प्रणाली से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिये और उन्हें अपनी सप्लाई अधिकांश राज्यों में स्थापित किये गये राज्य अधिकरणों से प्राप्त करनी चाहिए।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

*68. **श्री सूर्य नारायण सिंह**
प्रो० रूप चन्द पाल } क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति रोकने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो गत 6 मास में मूल्यों में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मूल्यों में वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं और मूल्य वृद्धि रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये जाने हैं ?

नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(क) गत छः महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं और आम खपत की वस्तुओं के मूल्यों में मिश्रित रुख रहा है :

(ख) अप्रैल, 1980 और अक्तूबर, 1980 के महीनों में चुनी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक अनुबंध में दिये गये हैं।

(ग) सामान्य स्फीतिकारी स्थिति के अलावा, कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, उत्पादन में आई कमी, 1979 के व्यापक सूखे, पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हुई वृद्धि, बिजली की सप्लाई में कमी, संचलन संबंधी बाधा और मौसमजन्य कारणों की वजह से कही जा सकती है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों और उनकी उपलभ्यता पर निरन्तर नजर रखी जा रही है। सरकारी नीति में मुख्य बल विभिन्न आवश्यक वस्तुओं, विशेष तौर पर उन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने पर दिया जा रहा है जो कम मात्रा में उपलब्ध हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करके उसे भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थायी अंग बनाया जा रहा है। तेल वर्ष 1979-80 के दौरान, राज्यों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बिक्री के लिए 3.55 लाख मीटरी टन आयातित तेलों की मात्रा उठाई गई, जबकि पिछले तेल वर्ष के दौरान यह मात्रा 93,000 मीटरी टन थी। ऋण नीति अभी प्रतिबन्धात्मक ही चल रही है। आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को नियमित किया जा रहा है प्रतिबंधित किया गया है। कम मात्रा में उपलब्ध कुछ आवश्यक वस्तुओं का आयात किया जा रहा है।

संघ सरकार, राज्य सरकारों पर इस बात के लिए समय-समय पर जोर देती रही है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा उसके तहत जारी किये गये आदेशों और चोर-बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाये रखना अधिनियम, 1980 के उपबंधों को सख्ती से लागू करें। आवश्यकता पड़ने पर सरकार स्थिति के अनुरूप और प्रतिकारी कदम उठाने में नहीं झिझकेगी।

थोक मूल्यों के सूचकांक

(आधार : 1970-71=1000)

वस्तुएं	सूचकांक	
	अप्रैल, 1980	अक्तूबर 1980
1	2	3
चावल	195.5	206.7
गेहूं	159.0	173.6
ज्वार	167.7	187.9
बाजरा	187.6	177.9
जौं	189.6	212.1
मक्का	192.8	182.5
रागी	152.6	192.3

1	2	3
चना	240.2	415.6
अरहर	223.2	273.6
मूंग	319.1	297.4
मसूर	255.1	431.0
उड़द	226.8	243.4
आलू	155.3	233.8
प्याज	166.4	182.7
दूध	170.6	185.7
अण्डे	122.2	150.9
मछली	262.6	282.2
गोश्त	305.6	297.1
लाल मिर्चें	103.1	109.3
चाय	243.6	215.0
कॉफी	126.7	129.2
कोयला	335.5	335.5
कोक	278.7	278.7
मिट्टी का तेल	272.8	272.8
बिस्कुट	183.3	196.4
डबल रोटी	170.6	186.3
चीनी	215.4	251.0
खांडसारी	320.2	473.4
गुड़	332.4	585.9
वनस्पति	206.8	203.5
मूंगफली का तेल	202.3	210 4
सरसों का तेल	217.0	264.7
नारियल का तेल	196.3	232.2
जिंजली का तेल	247.1	220.6
करंडी का तेल	196.3	222.1
बिनौले का तेल	184.9	190.2
सूती धागा	242.2	226.4
सूती कपड़ा (मिल का)	203.0	209.0
खादी कपड़ा	179.2	179.2
कागज़	240.7	232.5
जूते	251.1	253.7

1	2	3
टायर	227.3	259.0
ट्यूबें	250.0	272.2
रबड़ और प्लास्टिक के जूते	158.4	158.4
सोडा राख	296.8	378.0
साबुन	220.4	227.6
कृत्रिम अपमार्जक	254.2	274.2
टूथ पाउडर	222.2	222.2
टूथ पेस्ट	171.8	152.6
दियासलाइयां	133.6	133.6
सीमेंट	233.4	231.7
शुष्क सैल	188.6	188.6
बिजली के बल्ब	198.1	203.2
रेजर ब्लैड	119.9	119.9
नमक	243.5	224.1
औषधि तथा दवाइयां	135.7	135.2

श्री सूर्य नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो भी उत्तर दिए गए हैं सरकार की तरफ से, वे बहुत ही असन्तोषजनक हैं। बताया गया है कि मूल्य वृद्धि की मिश्रित प्रवृत्ति देखी गई है जबकि डाटा जो उपस्थित किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि इस बीच में मुख्य प्रवृत्ति कीमतों के बढ़ने की रही है और कीमतों की बृद्धि के सिलसिले में जो कारण बताए गए हैं, वे भी वही कारण हैं जो पिछले दिनों बताए जाते रहे हैं और घिसी-पीटी बातें ही वे हैं। जन वितरण प्रणाली की चर्चा बड़े जोरों से की जा रही है लेकिन जन वितरण प्रणाली का जो दायरा है, जन वितरण प्रणाली के तहत जो दुकानें चलती हैं, उनमें उपभोक्ताओं को सारा सामान उपलब्ध नहीं कराया जाता है। नतीजा यह है कि वे नाममात्र की दुकानें हैं और उनसे कुछ खास राहत उपभोक्ताओं को नहीं मिलती है। इसके अलावा वे जो दुकानें हैं वे सिर्फ शहरों तक ही सीमित हैं और देहातों में उनका फैलाव, उनका प्रसार नहीं हुआ है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बात के लिए तैयार है और क्या उसके पास कोई योजना है कि न सिर्फ शहरों के अन्दर बल्कि देहातों में भी इस जन वितरण प्रणाली के तहत दुकानों पर जाल बिछाया जाए और दूसरी बात यह है कि उपभोक्ता के जितने सामान हैं, अधिकाधिक संख्या में उनको उपलब्ध कराया जाए ताकि गरीब लोगों को राहत मिल सके। इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष जी, कौन-कौन वस्तुएं जन वितरण प्रणाली के अनुसार वितरित की जावें यह तो राज्य प्रशासन ही तय करता है। दक्षिण भारत में कई राज्यों में इमली को भी जन वितरण प्रणाली के अनुसार दिया जाता है, जिसकी आवश्यकता दूसरे राज्यों में नहीं होती है। इसी तरह से अलग-अलग राज्यों ने अपने-अपने यहां आवश्यक वस्तुओं की सूची निर्धारित की

है और उसके अन्तर्गत चीजें देती रहती हैं। उसमें यदि हमारी सहायता वे चाहते हैं तो तत्कालिक सहायता पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं।

दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि इस जन वितरण प्रणाली का जाल बिछाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। करीब 2.66 लाख दुकानें इस तरह की हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर 25 तारीख को डिस्कशन आ रहा है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जितनी दुकानें चल रही थीं, इस साल 1980 में 31 हजार और दुकानें हम ने जोड़ी हैं। इस तरह से हर साल दुकानें जोड़ते-जोड़ते छठी पंचवर्षीय योजना के सम्पूर्ण होने तक हम चाहते हैं कि इन दुकानों की संख्या कम से कम 3.5 लाख तक पहुंच जाए और दो हजार उपभोक्ताओं का कम से कम एक यूनिट रहे और उसके अन्तर्गत एक फेयर प्राइस शाप वहां पर मौजूद रहे, जिससे उन लोगों को सुविधा मिल सके ।

श्री सूर्य नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मूल्य वृद्धि का एक कारण तो यह बताया गया है कि पैदावार में कमी हुई है और दूसरे कारण और बताए गए हैं लेकिन मैं समझता हूं कि यह बात सरकार भी जानती है कि जब तक पैदावार पर इफेक्टिव कन्ट्रोल नहीं होगा, तब तक मूल्य वृद्धि को रोकना सम्भव नहीं है और पैदावार पर कन्ट्रोल हिन्दुस्तान के इजारेदारों का है। क्या सरकार इस दिशा में सोच रही है कि उपभोक्ता सामान पैदा करने वाली इन्डस्ट्रीज खासतौर से शूगर, ड्रग आदि को नेशनेलाइज किया जाए। सरकार की इस बारे में क्या नीति है।

दूसरी बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन पर होलसेलर्स का कन्ट्रोल है और जब तक होलसेलर्स पर इफैक्टिव नियन्त्रण नहीं होगा, तब तक डिस्ट्रीब्यूशन को सही तरीके से नहीं चलाया जा सकता। इसलिए इफैक्टिव मेजर नहीं होगा कि होलसेल ट्रेड नेशनेलाइज किया जाए। क्या सरकार इस दिशा में सोच रही है कि होलसेल ट्रेड नेशनेलाइज किया जाए ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में पहले ही कह चुका हूं कि जहां तक कि उपभोक्ता सामग्री का सवाल है, हम लोग उसे लेवी के रूप में लेते है जहां उसकी आवश्यकता हो। शक्कर, धान और दूसरे खाद्यान्न को लेवी के रूप में लेते हैं। उनको लेकर, स्टाक में रखकर अपने ही चेनल के द्वारा वितरण का इन्तजाम करते है। अगर इसमें राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता प्रतीत हुई तो उसके बारे में भी सोचेंगे लेकिन अभी आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है।

जहां तक थोक व्यापार का प्रश्न है कि उसके बारे में क्या किया जाए। इसके बारे में मैंने पहले ही उत्तर दिया कि जहां तक सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के होल सेल ट्रेड का सम्बन्ध है, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का हम राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं और हमने खुलासा भी किया था कि यदि हम सार्वजनिक वितरण व्यवस्था से सम्बन्धित होलसेल का राष्ट्रीयकरण करते हैं तो स्टेट की जो सिविल सप्लाईज कारपोरेशन और/अथवा सहकारी समितियां हैं, उनको हम कमोडिटीज दे रहे हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि प्राइवेट ट्रेडर्स या होलसेलर्स आवश्यक वस्तुओं में व्यापार नहीं कर सकेंगे। जो होलसेल और रिटेल में व्यापार चलता आया है वह तो चलेगा लेकिन जहां तक सार्वजनिक वितरण

प्रो० रूपचन्द पाल : भारत की जनता अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि के कारण पिस रही है तथा मन्त्री महोदय का वक्तव्य भी गम्भीर नहीं है। इससे मालूम होता है कि मन्त्री महोदय ने इस प्रश्न को उतनी गम्भीरता से नहीं लिया है जितनी गम्भीरता से सरकार को लेना चाहिए था। क्या यह सच नहीं है कि केन्द्रीय सरकार अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? क्या यह सच नहीं है कि गत जून बजट की मुद्रा स्फीति प्रवृत्ति का लाभ उठाकर बेईमान व्यापारी जमाखोर तथा चोर-बाजारी करने वाले लोगों ने आवश्यक वस्तुओं का भारी भंडार छिपा लिया है और अभी भी छिपा रहे हैं और इस तरह से बाजार में कृत्रिम अभाव पैदा करके देश के भारी संख्या में लोगों को परेशानी में डाल रहे हैं। क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंक वस्तुओं के लिए ऋण दे रहे हैं और इस प्रकार से जमाखोर इन अभाव वाली वस्तुओं का भारी भंडार बना रहे हैं? यदि ऐसा है तो सरकार जमाखोरों तथा चोरबाजारी करने वालों को वस्तुओं के लिए ऋण देना बन्द करने के लिए क्या करने जा रही है? क्या यह भी सच नहीं है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऐसे ऋणों के देने, और जून के बजट के कारण तथा सरकार की आर्थिक नीति के कारण यह सरकार इस अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मुझे खेद है यदि माननीय सदस्य की यह धारणा है कि सरकार की ओर से स्थिति की गम्भीरता को समझते हुए उत्तर नहीं दिया गया है तो ऐसी बात नहीं और मुझे विश्वास है कि वे माननीय सदस्य के उत्तर से बिल्कुल सन्तुष्ट हैं, जिन्होंने प्रश्न पूछा था···

अध्यक्ष महोदय : यह इस क्षेत्र में नहीं आना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम प्रश्न काल के दौरान नीतिवर वाद-विवाद नहीं कर सकते। परन्तु मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य में कुछ तथ्यपूर्ण बातें हैं। इसलिए हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है।

श्री रामविलास पासवान : यह मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में कहा कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : आज अखबार में निकला है कि दिल्ली के सुगर बाजार में जो फ्री लेवी सुगर प्रत्येक राशन कार्ड पर 6 रुपये 10 पैसे के हिसाब से दो किलों मिलती थी, उसे खत्म कर दिया गया है। अब 10 रुपये की दर से मिलेगी। क्या सरकार इस प्रकार से अपनी ओर से दाम बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रही है और इसके लिए क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि यह जो खबर निकली है यह नान कन्ट्रोल शुगर के बारे में है। जो लेवी शुगर है··· (व्यवधान)

आप मेरा उत्तर सुन लीजिए। जो शक्कर हम बेचते हैं वह सारी लेवी शुगर है। उसकी कीमत निर्धारित करके सुपर बाजार द्वारा या उचित मूल्य की दुकानों द्वारा बेचा जाता है। दूसरी शुगर फ्री सेल शुगर जो कि पहले प्रत्येक राशन कार्ड पर 2 किलो दी जाती थी। अब दिल्ली प्रसाशन ने इसको बदलकर फ्री सेल शुगर इस प्रकार कर दी है कि जो जिस भांति बेचना चाहे बेच सकते हैं। इस तरह

की खबर मैंने भी पढ़ी है। मुझे तो सुपर बाजार के बारे में कोई सूचना नहीं है। यदि इस बारे में आप विवरण चाहते हैं तो अलग से इसका प्रश्न टेबल कर दीजिए मैं पूरा विवरण बताऊंगा।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, यह इससे सम्बन्धित प्रश्न है, रिलेटेड क्वश्चन है, इसका जवाब आना चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हो सकता है ये*** भी बोलते हों।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जायेगा।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के सुपर बाजार पर सरकार का नियन्त्रण है। वहां पर शक्कर का मूल्य 6 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति किलो कर दिया गया है। सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। आप सुपर बाजार में देखिए, 6 रुपए में लाइन लगा करती थी, 10 रुपए लेकर गर्दन काटेंगे ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : क्वश्चन आवर में व्यवस्था नहीं होती।

श्री हरीश कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि*** बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह निकाल दिया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह केवल लेवी मुक्त चीनी का ही प्रश्न नहीं है जिस पर प्रत्येक ने उस समाचार के आधार पर चर्चा की है जो प्रकाशित है। मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि उन्होंने पहले ही उस लेवी चीनी के मूल्य में राशन की दुकानों से मिलने वाली चीनी के नियन्त्रित मूल्य में 1 दिसम्बर से 65 पैसे की वृद्धि करने का फैसला कर लिया है जिसका अर्थ यह हुआ कि यह 3.50 रु० प्रति किलो के हिसाब से बेची जायेगी। उसी प्रकार से कागज का मूल्य बढ़ेगा। उन्होंने विभिन्न वस्तुओं का सूचकांक दिया है और मुझे मालूम हुआ है कि कागज के लिए दिए गए। आंकड़ों से प्रतीत होता है कि पिछले छः माह से सूचकांक गिर गया है। इसके गिरते ही उन्होंने 500 रु० प्रति टन की दर से कागज का मूल्य बढ़ाने का फैसला कर लिया है। लेवी मुक्त चीनी के मामले में वे यही बात कर रहे हैं फिर सूचकांकों से मालूम होता है कि दवाइयों के मूल्य 135.7 से घटकर 133.2 हो गए हैं। एकदम उन्होंने 14 दवाइयों और 'फार्मुलेशन' के मूल्यों में वृद्धि करने का फैसला किया। इसलिए मैं यह प्रश्न पूछता हूं और आप कृपया टालमटोल न करें। यह कैसी बात है कि सरकार ने स्वयं ही मूल्यों को कम करने की कोशिश करने के बजाय चीनी, राशन की वस्तुओं, कागज, दवाइयों तथा रसायनों जैसी बहुत-सी आवश्यक वस्तुओं के भाव बढ़ा दिए हैं। सरकार ने इन सभी वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए हैं। यह मेरा प्रश्न है और उन्हें इसका जवाब देना चाहिए कि मूल्य नियन्त्रण किए जाने के प्रयास की नीति के साथ यह कैसे संगत है जिसके बारे नें सरकार दावा करती है कि वह ऐसा करने का प्रयास कर रही है।

***अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

दूसरे उन्होंने विवरण में कहा है कि ऋण नीति पर प्रतिबन्ध लगाया जाना जारी है। मैं यह बात जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि एक निश्चित अवधि में प्रति वर्ष यदि आप इसकी तुलना वार्षिक दृष्टि से करते हैं तो जो ऋण, विशेष रूप से बैंक ऋण निजी वाणिज्यिक क्षेत्र को दिया जा रहा है हर समय बढ़ रहा है और क्या यह मूल्य वृद्धि में सहायक कारण नहीं है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां तक नियन्त्रित मूल्यों का प्रश्न है आदानों की लागत में वृद्धि के कारण कुछ मूल्य वृद्धि अनिवार्य हो जाती है जैसे गन्ने में या चावल में। जब उर्वरकों की लागत बढ़ गई तो कृषि मूल्य आयोग ने सिफारिश की जिसमें अनेक वस्तुओं के समर्थन मूल्य में वृद्धि का सुझाव दिया गया। तत्पश्चात हमने सारे मामले पर विचार किया और उसके बाद हमने तय किया कि वह मूल्य जो उस मूल्य के अलावा है जो उत्पादकों को पिछले वर्ष और उस वर्ष से पूर्व दिया गया था··· (व्यवधान) आदानों के मूल्य में वृद्धि होने के कारण हमारे लिए विभिन्न वस्तुओं के मूल्य बढ़ाना जरूरी हो जाता है जहां मूल्यों पर नियन्त्रण हो जाता है। उसी स्तर पर मूल्यों को बनाये रखने का दूसरा तरीका राज सहायता की राशि को बढ़ाना है। अतः विभिन्न आवश्यक वस्तुओं पर राज सहायता की राशि पहले ही इतनी ज्यादा है कि यदि हम मूल्य बढ़ाते रहे तथा विभिन्न वितरण एजेंसियों को मिलाते रहे और आदानों के मूल्य में वृद्धि और उन वस्तुओं के निर्गम मूल्य को नहीं बढ़ाते जो राज्य सरकारों तथा विभिन्न अन्य वितरण एजेन्सियों को जारी की जाती है तो बजट सम्बन्धी घाटा इस समय से भी अधिक निराशाजनक व हानिकारक हो जाएगा। इसलिए बजट सम्बन्धी घाटे को समुचित सीमाओं के भीतर रखने के लिए अब हम सन्तुलन बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि कुछ मूल्य वृद्धि लागू हो ताकि विभिन्न वस्तुओं के आदानों की लागत सही रूप से मेल खा सके। इस सीमा के अन्तर्गत हम कार्य कर रहे हैं।

जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है बैंक ऋणों के बारे में हमारी नीति प्रतिबन्धात्मक रही है। ब्याज की सबसे अधिकांश राशि, अर्थात् 18 प्रतिशत की जा रही है और रिजर्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय ने बैंकों को प्रतिबन्धात्मक सप्लाई करने तथा अधिकतम सम्भव सीमा तक कम ऋण देने के अनुदेश दिए हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह मेरा प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न है कि क्या यह सच नहीं है कि निजी वाणिज्य क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण प्रतिवर्ष बढ़ते जा रहे हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्रीमान, हम जानकारी एकत्र करेंगे और इसे सभा पटल पर रखेंगे।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : क्या सरकार को जानकारी है कि पिछली काम चलाऊ सरकार के प्रधान मन्त्री पर तत्कालीन सरकार दल के अध्यक्ष श्री राजनारायण ने कुछ आरोप लगाए हैं जिनके अनुसार उनकी मिली भगत के कारण आज आवश्यक उपभोग की वस्तुओं में शक्कर के दाम बढ़े हैं और शक्कर की उपलब्धि कम हुई है? मैं जानना चाहता हूं कि राज नारायण जी जैसे जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा लगाए गए आरोपों की क्या सरकार जांच कराएगी और उन पर आवश्यक कार्रवाई करेगी?

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्री राजनारायण जी द्वारा लगाये हुए आरोप काफी साफ आरोप हैं और वह तो स्वयं सिद्ध लगते हैं, इसलिए उनकी जांच कराने की आवश्यकता नहीं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राज्य व्यापार निगम द्वारा उत्पादन और विपणन हेतु विदेशों के साथ सहयोग

*65. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा उत्पादन और विपणन हेतु विदेशों की पार्टियों के साथ सहयोग किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इससे क्या लाभ होंगे और सहयोग सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव की मुख्य बातें ये हैं : विदेशी सहयोग की व्यवस्था केवल वहीं की जाएगी जहां पर निर्यात हेतु उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी और जानकारी का आयात अपेक्षित होगा और जहां पर वापस खरीद व्यवस्थाएं सम्भव होंगी।

(ग) लाभ ये हैं :

—अन्तर्राष्ट्रीय बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन की क्वालिटी को उन्नत करना।

—एक स्वस्थ और बढ़िया निर्यात आधार तैयार करना।

—ऐसे उत्पादन उद्यमों से बाहर आने वाले उत्पादन का विपणन सुनिश्चित करना।

—उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का संवर्धन करना तथा अतिरिक्त विदेशी मुद्रा प्राप्त करना।

विदेशी सहयोगों से सम्बन्धित सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बाहर राज्य व्यापार निगम को किसी प्रकार के सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं किये गए हैं।

खनन पट्टेदारी की अवधि का पुनरीक्षण

*66. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसा कोई सुझाव दिया गया है कि खनन पट्टेदारी की मंजूरी 10 वर्ष की अपेक्षा 20 से 30 वर्ष के भीतर होनी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 की धारा 8 में प्रावधान है कि खनन पट्टे की अवधि कोयला, लौह अयस्क या वाक्साइट के प्रसंग में 30 वर्ष से अधिक, तथा अन्य खनिजों के प्रसंग में 20 वर्ष से अधिक नहीं होगी। सरकार को सुझाव दिया है कि न्यूनतम अवधि का भी सांविधिक प्रावधान कर दिया जाए। मामले पर विचार किया जा रहा है।

चाय का निर्यात

*69. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष चाय का निर्यात बढ़ रहा है;

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की अनुमानित वृद्धि कितनी है; और

(ग) किस देश को हमारी चाय की अधिकतम मात्रा निर्यात की जाती है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) अप्रैल से सितम्बर 1980 की अवधि में भारत द्वारा अनन्तिम रूप से 175.37 करोड़ रु० मूल्य की 92.36 मि० कि० ग्रा० चाय का निर्यात होने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 151.97 करोड़ रु० मूल्य की 89.16 मि० कि० ग्रा० चाय निर्यात हुई थी, इस प्रकार मूल्य में 23.40 करोड़ रु० और मात्रा में 2.30 मि० कि० ग्रा० की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई।

(ग) ब्रिटेन को।

पारादीप (उड़ीसा) में पत्तन आधारित इस्पात सन्यन्त्र

*70. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही**
श्री शिव कुमार सिंह } : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पारादीप पत्तन पर एक पत्तन आधारित इस्पात संयंत्र की स्थापना के बारे में निश्चित रूप से कोई निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना का ब्यौरा क्या है (जिसमें उस पर अनुमानित लागत और उसके पूरा होने की सम्भावित: अवधि का उल्लेख भी हो) ;

(ग) क्या पारादीप पर उक्त इस्पात संयंत्र की स्थापना करने को राजी हुई विदेशी फर्म के साथ तत्सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर हो गए हैं, और

(घ) यदि नहीं, तो उस पर कब हस्ताक्षर किए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) पारादीप में एक नया इस्पात कारखाना लगाने के लिए सिद्धान्त रूप में निर्णय ले लिया गया है बशर्ते कि मूल्य, वित्तीय सहायता की मात्रा तथा शर्तों, कार्यान्वयन की शर्तों और उत्पादित माल को खरीदने के बारे में विदेशी पार्टियों के साथ सन्तोषजनक समझौते हो जायं। प्रस्तावित संयंत्र की वार्षिक क्षमता 30 लाख टन होगी जिसका विकास लगभग दो समान चरणों में किया जायेगा। कारखाने का आगे और विस्तार करने के लिए गुंजाइश रखी जाएगी। प्राप्त हुई पेशकशों के आधार पर प्रस्तावित कारखाना लगाने के बारे में पक्का निर्णय ले लिए जाने के पश्चात् कारखाने के प्रथम चरण, जिसके बारे में इस समय बातचीत करने का विचार है, के पूरा होने में लगभग 48 महीने लगने की सम्भावना है। जहां तक कारखाने की लागत का प्रश्न है इस बारे में इस समय कुछ बताना समयपूर्व होगा क्योंकि विदेशी तकनीकी और वित्तीय सहायता की शर्तों के बारे में बातचीत की जानी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सम्बन्धित पार्टियों के साथ होने वाली प्रस्तावित बातचीत के परिणाम पर निर्भर है।

एयर इण्डिया की उपयुक्त क्षमता

*71. क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया प्रत्याशित यात्रियों की अपेक्षा अधिक क्षमता होने के कारण कठिनाई का सामना कर रहा है ;

(ख) क्या पर्याप्त मॉनीटरिंग की कमी और तकनीकी कर्मचारियों के अभाव में यह उचित रख-रखाव में भी कठिनाई अनुभव कर रहा है; और

(ग) उपरोक्त दोनों स्थितियों से निपटने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं।

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी नहीं। परन्तु, अंतरराष्ट्रीय विमानन उद्योग में लगभग 12% की प्रत्याशित यातायात वृद्धि को विश्व मार्किट में मंदी के कारण कार्यरूप नहीं मिल पाया है। वस्तुतः वास्तविक यातायात वृद्धि लगभग 4% रही है। तथापि, 1979-80 के दौरान एयर इंडिया का भार अनुपात (लोडफैक्टर) उसी अवधि के दौरान आई०ए०ओ०टी०ए० कैरियर्स के औसतन 57.9% की तुलना में 59.5% था।

(ख) यद्यपि तकनीकी कर्मचारियों के एयर इंडिया से बाहर चले जाने के कारण कार्य में कुछ असुविधा हुई, तथापि इंजीनियरी सुविधाओं की व्यवस्था तथा कार्य की निगरानी (मॉनीटरिंग) का काम पर्याप्त रूप से चलता रहा है।

(ग) तकनीकी कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए एयर इंडिया ने 1979 में 77 ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी भर्ती किए तथा 50 और ऐसे ट्रेनी भर्ती करने की कार्यवाही चल रही है। इसके अलावा, मार्किट की परिस्थितियों पर विचार करते हुए, एयर इंडिया ने निर्णय किया है कि उन तीन बोइंग 747 विमानों के लिए आदेश न दिया जाए जिनके लिए 1982 में डिलीवरी के लिए आशय-पत्र जारी किए गए थे।

आवश्यक वस्तुओं का वितरण

*72. **श्री दौलत राम सारण**
श्री लक्ष्मण मलिक } : क्या **नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के बढ़ते हुए मूल्यों और आवश्यक वस्तुओं की कमी को देखते हुए जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं की सूची बनाई है;

(ख) यदि हां, तो सूची में शामिल वस्तुएं कौन-कौन-सी हैं; और

(ग) क्या इन वस्तुओं के वितरण के लिए कोई व्यवस्था की गई और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इन्हें किस तारीख से लागू किया जाएगा ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) इस देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दो दशकों से भी अधिक समय से विद्यमान है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केंद्रों के माध्यम से आमतौर पर गेहूं और चावल जैसे अनाज, लेवी चीनी, कंट्रोल के कपड़े, मिट्टी के तेल और साफ़्ट कोक का वितरण किया जा रहा है। जुलाई, 1979 से नहाने का साबुन, चाय काफी दियासलाइयां और कापियां जैसी अतिरिक्त वस्तुएं इस प्रणाली के अन्तर्गत लाई गई हैं। देश में खाद्य तेलों की आम कमी को देखते हुए वर्ष 1977 से पामोलीन, आर०बी० डी० ताड़ का तेल और रेपसीड तेल का आयात करके इन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचा जा रहा है।

इन वस्तुओं की खरीद और आपूर्ति की व्यवस्था केंद्रीय सरकार की विभिन्न एजेन्सियों द्वारा की गई है और इनकी बिक्री राज्य सरकारें अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कर रही हैं। भारतीय खाद्य निगम अनाज और लेवी-चीनी की वसूली तथा आपूर्ति के लिए जिम्मेदार हैं, और राज्य व्यापार निगम आयातित खाद्य तेलों, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ कंट्रोल के कपड़े तथा चाय, कॉफी बोर्ड कॉफी और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग दियासलाइयों की व्यवस्था करने का कार्य कर रहा है। नहाने के साबुन की आपूर्ति करने की व्यवस्था "इण्डियन सोप एण्ड टायलेटरीज मेकर्स एसोसियेशन" के साथ की गयी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों को मिट्टी के तेल और कोल इण्डिया लि० को साफ़्ट कोक की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इस्पात संयंत्रों में कोककर कोयले की कमी

*73. **श्री डी०एम० पुत्ते गौडा**
श्री के० लकप्पा } : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में इस्पात संयंत्रों को कोककर कोयले की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन इस्पात संयंत्रों के नाम क्या हैं जिन पर इस कमी का प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) कोककर कोयले की कमी के कारण सभी (6) सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों नामतः भिलाई, राउरकेला, बोकारो, दुर्गापुर, इस्को तथा टिस्को पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) कोककर कोयले की मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) कोककर कोयले की अधिकाधिक सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कोयला सप्लाई करने वाले अभिकरणों और रेलवे से निकट तथा सतत् संपर्क रखा जा रहा है। कोयले की उपलब्धि की स्थिति के बारे में अन्तःमंत्रालय परामर्श के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर निरन्तर निगरानी भी रखी जा रही है। औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं की मंत्रिमंडल की समिति नियमित रूप से स्थिति

की समीक्षा करती है ताकि स्थिति में सुधार करने के लिए अधिक प्रभावी समन्वित ढंग से आवश्यक उपाय किए जा सकें।

(2) इस्पात कारखानों की रक्षित कोयला खानों में अधिकाधिक उत्पादन करने के लिए उपाय किए गए हैं।

(3) कोककर कोयले की देशीय आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए वर्ष 1678-79 में 12 लाख टन कोककर कोयले का आयात किया गया। 5 लाख टन कोयले की आपूर्ति के लिए वर्ष 1979-80 में आर्डर दिए गए थे और यह कोयला आना शुरू हो गया है। अतिरिक्त 10 लाख टन कोयले की आपूर्ति के लिए सेल से टेंडर प्राप्त कर लिए हैं।

तम्बाकू, काफी तथा चाय अदि का यूरोपीय आर्थिक समुदाय की जी० एस० पी० योजना में सम्मिलित किया जाना

*74. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने युरोपीय आर्थिक समुदाय से तम्बाकू, कॉफी, चाय तथा पशु-चारे को सामान्य वरीयता पद्धति योजना में सम्मिलित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके आगे और क्या प्रगति हुई है ?

वाणज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई० ई० सी०) की जी० एस० पी० योजना में तम्बाकू, कॉफी, चाय तथा पशु चारे की वर्तमान स्थिति तथा इन उत्पादों के जी० एस० पी० व्यवहार के सुधार के लिए भारत द्वारा की गई कार्यवाहियों और उनके परिणाम निम्नलिखित हैं :—

अनिर्मित तम्बाकू यूरोपीय आर्थिक समुदाय की जी० एस० पी० योजना में शामिल है। किन्तु टैरिफ में कमी सीमित है और टैरिफ कोटा के अध्यधीन है। टैरिफ में और कमी करके तथा कोटे को बढ़ाकर सुधार करने के प्रश्न पर विशेषकर फ्लू क्योर्ड विर्जीनिया तम्बाकू के बारे में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ कुछ समय पूर्व बातचीत की गई थी और इसमें कुछ सुधार हुए हैं। हाल ही में हुआ सुधार, न्यूनतम विशिष्ट शुल्क में कमी से संबंधित है, जो 1-1-1980 से लेखे की 15 यूरोपीय इकाइयों से कम होकर लेखे की 13 यूरोपीय इकाई हो गया है। सुधार करने के लिए और प्रयास जारी हैं।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय की जी० एस० पी० योजना में 'कॉफी' पहले ही शामिल कर ली गई है। किन्तु अनरोस्टेड अनडिकेफीन्ड काफी के बारे में जिसमें भारत का निर्यात हित है, जी० एस० पी० का लाभ अल्पतम विकसित देशों तक ही सीमित है। भारत का यूरोपीय आर्थिक समुदाय को दोनों परम मित्र राष्ट्र के आधार पर तथा जी० एस० पी० के अन्तर्गत काफी पर टैरिफ में कमी करने का अनुरोध किया था। 1 जनवरी, 1977 से अनरोस्टेड अनडिकेफीन्ड काफी पर से परममित्र राष्ट्र टैरिफ 7 प्र०श० से कम करके 5 प्रतिशत कर दी गई थी।

बल्कि चाय परम मित्र राष्ट्र आधार पर निःशुल्क है। खुदरा पैकों में बेची जाने वाली चाय शुल्क मुक्त व्यवहार के साथ जी० एस० पी० योजना में पहले ही शामिल कर ली गई है।

परम मित्र राष्ट्र आधार पर भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली खली, जो कि मुख्य पशु चारा है, निःशुल्क है। पशु चारे की कुछ अन्य मदें, जिनमें भारत के कुछ निर्यात हैं, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की जी० एस० पी० योजना में शामिल है।

जाली प्रमाण पत्रों के गिरोह में भारतीय वस्त्र निर्यातकर्ताओं का हाथ

*75. श्री राजनाथ सोनकरशास्त्री
श्री ठांकुर राय } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि कुछ भारतीय वस्त्र निर्यातकर्ताओं का जाली प्रमाण-पत्रों के गिरोह में कथित हाथ है;

(ख) यदि हां तो 'क्या उक्त गिरोह में जिस भारतीय निर्यातकर्ताओं का हाथ है उनका पता लगा लिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके काम करने का तरीका क्या है;

(ग) इस कारण से विदेशी मुद्रा के अर्जन में कितनी हानि हुई है;

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) प्रारंभिक जांच के आधार पर यह प्रकाश में आया है कि कतिपय कोटा देशों में आयात के समय प्रस्तुत किये गए कुछ निर्यात प्रमाणपत्र संदिग्ध प्रमाणिकता वाले हैं।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

(ग) ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इस कारण से विदेशी मुद्रा की कोई हानि अन्तर्ग्रस्त है।

(घ) आयातक देशों से निर्यात प्रमाणपत्रों की समीक्षा करने के मामले में समुचित सतर्कता बरतने के लिए अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, निर्यात प्रमाणपत्रों के कोटा देशों द्वारा रखे जा रहे आयात आंकड़ों के साथ निर्यात प्रमाणपत्रों के मासिक समाधान की एक प्रणाली लागू की जा रही है। इससे आशा है कि संदिग्ध प्रमाणिकता वाले कम से कम निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएंगे।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को बोनस

*76. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें उत्पादकता पर आधारित बोनस योजना के अन्तर्गत बोनस नहीं मिलेगा; और

(ख) उपरोक्त कर्मचारियों को, उन कर्मचारियों के समान स्तर पर लाने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है जिन्हें इस योजना के अन्तर्गत बोनस मिलेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) अब तक कुल लगभग 32 लाख केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों में से लगभग 22 लाख नियमित कर्मचारियों को उत्पादकता पर आधारित बोनस की सुविधा दी जा चुकी है।

(ख) उत्पादकता पर आधारित बोनस उत्पादन करने वाले संगठनों अथवा मुख्यतः वाणिज्यिक प्रकार के संगठनों में उत्पादकता को प्रोत्साहन देने के लिए ही दिया गया है। फिलहाल सभी

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उत्पादकता पर आधारित बोनस देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

*77. **श्री ज्योतिर्मय बसु**
श्री मुकुन्द मण्डल } : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना के लिए यदि कोई कदम उठाये गये हैं अथवा उठाए जा रहे हैं तो वे क्या हैं;

(ख) अब तक उठाये गये कदमों के व्यावहारिक और आर्थिक दृष्टि से क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कौन-कौन-सी वस्तुएं वितरित की जा रही हैं;

(घ) प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह उपरोक्त वस्तुएं कितनी मात्रा में सप्लाई की जाती हैं; और

(ङ) क्या सरकार अब तक हुई प्रगति से सन्तुष्ट है ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) से (ग) और (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(घ) : विभिन्न राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित तन्त्रालयों के परामर्श से समय-समय पर पुनरीक्षा की गई है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कदम उठायें और इसके लिए वे खुदरा बिक्री केंद्रों की संख्या बढ़ाकर इसके अंतर्गत अधिक क्षेत्र लाएं, ताकि दूरस्थ तथा दुर्गम इलाकों तथा उग क्षेत्रों, जहां समाज के कमजोर वर्ग रहते हैं, के लोगों को वस्तुएं आसानी से मिल सकें। जनवरी, 1980 से अक्तूबर, 1980 के बीच देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 31,000 अतिरिक्त खुदरा बिक्री-केंद्र खोले गये हैं। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे नागरिक पूर्ति निगमों अथवा सहकारी उपभोक्ता/विपणन संघों जैसी एजेन्सियों को, केंद्र द्वारा आबंटित की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं को उठाने तथा उन्हें खुदरा बिक्री केंद्रों को सप्लाई करने के लिए नामित करें। केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण पर निगरानी रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर जनता के प्रतिनिधियों की समितियां गठित करें। केंद्रीय सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और उनके वितरण की समय-समय पर पुनरीक्षा की जा रही है और जहां आवश्यक होता है सुधार लाने के लिए उपाय किये जाते हैं।

इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं तथा चावल जैसे अनाजों, लेवी-चीनी आयातित खाद्य तेलों, मिट्टी के तेल, कंट्रोल के कपड़े, कापियों, दियासलाइयों, चाय और कॉफी की बिक्री करने की सिफारिश की गई है।

विजयनगर इस्पात संयंत्र

*78. श्री आर०वाई० धोरपाडे
श्री जनार्दन पुजारी } : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित विजयनगर इस्पात संयंत्र लौह-अयस्क खान पर लगाया जाता है;

(ख) क्या चूने के पत्थर, डोलोमाइट तथा मैंगनीज अयस्क की आवश्यकताओं को कर्नाटक राज्य द्वारा अपने ही राज्य में स्थित नजदीकी स्रोतों से पूरा किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन लाभों के कारण यह परियोजना एकीकृत इस्पात संयंत्र लगाने की और अच्छी स्थिति में है ;

(घ) क्या दक्षिण क्षेत्र में उत्पादों के वितरण को ध्यान में रखते हुए विजयनगर संयंत्र को किसी दक्षिण राज्य में लगाना और अधिक उपयुक्त होगा;

(ङ) क्या संयंत्र को वहां लगाने से राष्ट्रीय तथा सामरिक दोनों दृष्टियों से विकेन्द्रीकरण का प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा; और

(च) क्या लागत में वृद्धि को देखते हुए मेकन से अक्तूबर से तीन महीने के अन्दर विजयनगर इस्पात संयंत्र की संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) यद्यपि विजयनगर इस्पात कारखाना ऐसे स्थल पर है जो लौह-अयस्क और चूना-पत्थर तथा डोलोमाइट जैसे कच्चे माल की खानों के समीप है तथापि इस कारखाने को कोककर कोयला, जो लौह-अयस्क के बाद दूसरा महत्वपूर्ण आदान है, पहुंचाने की दूरी को देखते हुए यह लाभ प्रायः समाप्त हो जाएगा।

(घ) और (ङ) जबकि प्रस्तावित स्थल दक्षिणी क्षेत्रों में तैयार माल के मितव्ययी वितरण में सहायक होगा अथवा विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त के अनुरूप होगा तथापि तकनीकी-आर्थिक संबंधी कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर संयंत्र के लिए उचित स्थल के बारे में निर्णय लेते समय विचार करना होगा।

(च) कोककर कोयले का उपयोग कम से कम करने और तैयार उत्पादों की कम से ढुलाई करने के लिए मेकन से कहा गया है कि यह वैकल्पिक प्रौद्योगिकी तथा प्राडक्ट-मिक्स का अध्ययन करें। मेकन से यह भी कहा गया है कि वह कारखाने की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अद्यतन करे और इसमें देश के अन्य कारखानों में लगाई जा रही मुख्य कठिनाइयों के आकार की इकाई शामिल की जाय। सेल को आशा है कि मेकन अन्तरिम रिपोर्ट 3 महीनों में तथा अन्तिम रिपोर्ट 6 महीनों में प्रस्तुत कर देगी।

कालीकट हवाई अड्डे का निर्माण

*79. श्री इ० के० इम्बीची बावा
श्री के० कुन्हम्बु } : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट हवाई अड्डे का निर्माण कार्य इस बीच आरम्भ कर दिया गया है ; और

(ख) कालीकट के हवाई अड्डे की वर्तमान स्थिति क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं; अभी नहीं ।

(ग) ऐच. एस-748 विमानों के लिए उपयुक्त करीपुर हवाई अड्डे का विकास करने के लिए 2.52 करोड़ रुपए की राशि का प्राक्कलन (एस्टीमेट) तैयार किया गया था । परन्तु करीपुर में अब ऐसा हवाई अड्डा बनाने का निर्णय किया गया है जो बोइंग-737 विमानों के लिए उपयुक्त हो और उसके लिए प्राक्कलनों का पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

भारत अमरीका व्यापार सम्बन्ध

*80. **श्री एन० के० शेजवलकर**
श्री चन्द्रजीत यादव } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाशिंटन से सरकार को बताया गया है कि वे बहु-पार्श्वीय व्यापार कर्ताओं के समझौतों के लागू होने को मान्यता नहीं देंगे;

(ख) क्या इससे भारत-अमरीका व्यापार सम्बन्धों को गंभीर ठेस पहुंची है और इससे उस देश को किये जाने वाले हमारे निर्यात पर दुस्प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह प्रश्न अमरीका सरकार के साथ उठाया है ताकि उपरोक्त निर्णय के परिणामस्वरूप उस देश को किये जाने वाले भारतीय निर्यात पर कुप्रभाव न पड़े और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) बहुपक्षीय व्यापार के टोकियो दौर में किये गए एक करार अर्थात उपदानों एवं प्रतिकारी उपायों संबंधी करार के बारे में संयुक्त राज्य सरकार ने भारत के सामने अप्रयोज्य खण्ड का उल्लेख किया है । इस कार्य-वाही के परिणामस्वरूप, संयुक्त राज्य सरकार भारत से आयातित रियायती दरों पर शुल्क' योग्य उत्पादों जैसा कि उपर्युक्त करार के अन्तर्गत अपेक्षित है, पर प्रतिकारी शुल्कों को लगाने से पहले घरेलू उद्योग को होने वाली माल की क्षति की जांच नहीं करेगी । जब संयुक्त राज्य अमरीका ने कार्यवाही शुरू की थी तब कतिपय वस्त्र उत्पादों, जिनका वार्षिक निर्यात क्षेत्र काफी व्यापक था, पर की जाने वाली प्रतिकारी शुल्क कार्यवाहियां हो रही थीं और ऐसा लगा मानो संयुक्त राज्य की कार्य-वाही से भारतीय निर्यातों को भारी धक्का पहुंचेगा । तथापि संयुक्त राज्य सरकार ने बाद में उपदान न मिलने पर वस्त्रों पर प्रतिकारी शुल्क कार्यवाहियों को समाप्त कर दिया । इस समय संयुक्त राज्य की कार्यवाही भारत से केवल औद्योगिक फास्टनर्स के उन निर्यातों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही है जिन पर किसी प्रकार की क्षति का विचार किए बिना प्रतिकारी शुल्क लगाया गया है । बिना क्षति को प्रमाणित किए अन्य शुल्क योग्य उत्पादों पर संभावित प्रतिकारी शुल्कों को लगाने की संभावना से उत्पन्न अनिश्चित व्यापार वातावरण से भारत के निर्यातों पर आम प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

भारत सरकार ने इस मामले को हल करने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार से

द्विपक्षीय विचार विमर्श किया लेकिन कोई भी पारस्परिक स्वीकार्य समाधान नहीं मिल सका। अतः भारत ने गाट परिषद के समक्ष शिकायत रखी है जो शिकायत की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए एक पैनल स्थापित करने के लिए 10 नवम्बर, 1980 को सहमत हो गई है।

समुद्री उत्पादों के लिए इन्स्यूलेटिड परिरुद्ध पेटियां

601. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन प्राधिकरण 50 प्रतिशत राजसहायता पर नौका मालिकों को इन्स्यूलेटिड (परिबद्ध) पेटियां सप्लाई करने की कोई योजना बना रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने का है जिसमें नौका मालिक का नाम, नौका का पंजीकरण संख्या और उक्त योजना के अन्तर्गत उसे सप्लाई की गई पेटियों की संख्या तथा उसको पेटियों की सप्लाई के लिए दी गई राजसहायता की राशि दर्शाई गई हो; और

(ग) पेटियां सप्लाई करने की योजना आरम्भ होने के तत्काल बाद की गई खरीद की तुलना में इस समय प्रति पेटी का मूल्य क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, क्योंकि विवरण काफी बड़ा होगा और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें विभिन्न विकास गतिविधियों की जानकारी दी जाती है, हर वर्ष सभा पटल पर रखी जाती है।

(ग) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने 1978 में योजना के आरम्भ से इन डिब्बों की खरीद 485 रु० प्रति डिब्बे जिसमें कर शामिल नहीं है के हिसाब से की थी तथा वह कीमत आज तक अपरिवर्तित रही है।

भारत-नेपाल सीमा पर पर्यटन स्थलों का विकास

602. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री विद्यापति के जन्म स्थान तथा अन्य स्थानों के विकास के बारे में दिनांक 8 अगस्त, 1980 के अतरांकित प्रश्न संख्या 7422 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालना, गिरिजास्थान आदि स्थल भारत-नेपाल सीमा पर हैं और यात्री एक यात्रा में भारत में और नेपाल में इन दो द्वारों की यात्रा करते हैं;

(ख) क्या अहिल्या स्थान, गौतमकुंड, बिसफी, बाली राजगढ़ जैसे अन्य केन्द्र ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय महत्व के स्थान हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन स्थानों का पर्यटक स्थलों के रूप में विकास करने का विचार है और क्या राज्य सरकार को ऐसा करने की सलाह दी गई है;

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : (क) से (ग) यह सच है कि प्रश्न में जिन स्थानों का उल्लेख किया गया है, वे ऐतिहासिक महत्व के हैं। स्वदेशी पर्यटन और तीर्थयात्री ही प्रधानरूप से इन स्थानों की यात्रा करते हैं।

पर्यटक अभिरुचि के स्थानों के विकास के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच दायित्वों के मोटे तौर पर किए गए विभाजन के अनुसार, ऐसे स्थानों का विकास राज्य सरकार के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। माननीय सदस्य का सुझाव उचित कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को भिजवा दिया जाएगा।

एच० एस० सी० एल० से बोकारो इस्पात संयंत्र में लिए गये श्रमिक

603. **श्री मोहम्मद इस्माईल :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र में एच० एस० सी० एल० से कितने कुशल तथा अकुशल श्रमिक लिए गये थे;

(ख) उनमें से अभी तक कितने अस्थायी अथवा नैमित्तक श्रमिक हैं; और

(ग) क्या नैमित्तक श्रमिकों को नियमित रिक्त स्थानों में खपाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं क्योंकि वे स्थायी किस्म के काम को कर रहे हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड द्वारा फालतू घोषित किए गए कामगारों में से 155 कुशल कामगार बोकारो इस्पात द्वारा स्थायी तौर पर भर्ती कर लिए गये है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एयर इंडिया के कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाया जाना

604. **श्री एस० एम० कृष्णा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाने के बारे में सरकार ने कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए है; यदि हां, तो क्या;

(ख) क्या यह सच है कि एयर इंडिया बम्बई के विभिन्न विभागों, जैसे ग्राउंड सर्विसिज, इंजीनियरी आदि में निदेशक के पदधारी अधिकारियों को 58 वर्ष की आयु से अधिक आयु तक सेवा में रहने की अनुमति दी गई है या दी जा रही है, यदि हां, तो ऐसे सभी मामलों का ब्यौरा क्या है, इन अधिकारियों के पद क्या है, प्रत्येक मामले में सेवा अवधि कितनी बढ़ाई गई हैं, उनकी अर्हतायें क्या हैं और उन्होंने मूलतः किस पद पर एयरलाइन में सेवा आरम्भ की थी;

(ग) क्या यह इस तथ्य के कारण है कि जिन अगले अधिकारियों की पदोन्नति होनी है वे इस योग्य नहीं हुए हैं या कोई अन्य कारण है; और

(घ) ऐसी घांधलियों को रोकने के लिए, क्या कदम उठाने का विचार है जिनसे वे अधिकारी निरुत्साहित होते हैं जिनकी पदोन्नति होनी है तथा जो पद संभालने के लिए उतने ही सक्षम और योग्यता प्राप्त हैं और जिन धांधलियों से नियोक्ता-कर्मचारी संबंध खराब होते हैं जिससे अन्यतोगत्वा संबंधित विभाग की कार्यक्षमता कम हो जाती है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां। एयर इंडिया के कर्मचारियों की सेवावधि बढ़ाने का कार्य सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा जारी किये गए मार्गदर्शी सिद्धांतों द्वारा शासित होता है। इसके अलावा, कारपोरेशन के किसी कर्मचारी की सेवावधि को "एयर इंडिया कर्मचारी सेवा विनियम" के अंतर्गत प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रबंध निदेशक द्वारा अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने के बाद एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है परन्तु यह अवधि कुल मिलकर दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ख) हाल ही में एक व्यक्ति श्री वी० ए० हरेरकर, निदेशक, की सेवावधि को सरकार के अनुमोदन से नियंत्रक अर्थात 21' 0-2500 रुपए के ग्रेड में दो वर्ष के लिए बढ़ाया गया था क्योंकि अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने की तारीख को वह इस पद पर तैनात थे। उन्हें निदेशक (इन्जीनियरी) के पद पर लागू 2500-3000 रुपए का ग्रेड देने की अनुमति नहीं दी गयी थी। श्री हरेरकर इलैक्ट्रकल मकेनिकल इंजीनियरी में ग्रेजुएट हैं और उनके पास एयरक्राफ्ट मेटिनेंस इंजीनियर्स लाइसेंस भी है तथा वह एयर इंडिया में 1946 में आए थे। श्री हरेरकर अब एयर इंडिया की सेवा से अन्तिम रूप से रिटायर हो गए हैं।

निदेशक (ग्राउंडसर्विसज) की सेवावधि को बढ़ाने का प्रश्न फिलहाल विचाराधीन है।

(ग) और (घ) सेवावधि को बढ़ाने की अनुमति ऐसे विशिष्ट मामलों में, जहां वह बिलकुल अनिवार्य और पूर्ण रूप से न्यायोचित हों तथा सरकारी अनुदेशों एवं एयर इंडिया के विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित निम्नलिखित कसौटियों को पूरा करने के बाद ही प्रदान की जाती है :—

(1) रिटायर होने वाला कर्मचारी विशिष्ट रूप से योग्य हो; और

(2) अन्य कर्मचारी उनके कार्य को संभाल पाने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं हुए हों।

यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसी सेवावधि बढ़ाना कारपोरेशन के हित में है। ऐसी सेवावधि बढ़ाते समय यह भी देखी जाती है कि पदोन्नति पाने के पात्र अगले अधिकारी पर इसका अनुचित रूप से प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो। लाइसेंस-प्राप्त वर्गों, विशेषकर के विमानचालकों तथा एयरक्राफ्ट मेंटिनेंस इंजीनियरों के काफी संख्या में एयर इंडिया से बाहर चले जाने की दृष्टि में रखते हुए, इन वर्गों में कर्मचारियों की कमी तथा तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए योग्य व्यक्तियों के मामलों में व्यक्तिगत रूप से सेवावधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान करना आवश्यक हो गया है। यह अनुमति प्रबंध निदेशक द्वारा एक जांच समिति की, जिसमें वरिष्ठ व उप-प्रबंध निदेशक सम्मिलित होते हैं, सिफारिशों के आधार पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद प्रदान की जाती है।

भारत सरकार के साथ संयुक्त उद्यम लगाने के लिए सहयोग चाहने वाले देश

605. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत छः महीनों के दौरान भारत सरकार से संयुक्त उद्यम स्थापित करने का सहयोग मांगा है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : गत छः महीनों के दौरान निम्न-लिखित देशों ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए भारत सरकार से सहयोग मांगा है :

(1) उर्वरक सम्बन्धी संयुक्त उद्यम परियोजना पर **नौरू सरकार** के साथ विचार हो रहा है।

(2) जून, 1980 में **संयुक्त अरब अमीरात सरकार** ने भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रिकों तथा अन्य विदेशियों के इलाज के लिए एक अस्पताल कम्पलैस स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। कम्पलैस का वित्त पोषण संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा किया जाएगा।

(3) **सऊदी अरब** के सहयोग से एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है।

(4) **लाइबेरिया, गिनी, नाईजीरिया, अपर वोल्टा, घाना, सेनेगल तथा आइवरी तट** से भी संयुक्त उद्यम के लिये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(5) जहां तक पूर्व यूरोपीय देशों का सम्बन्ध है संयुक्त उद्यम के प्रश्न पर विभिन्न बैठकों में विचार-विमर्स तथा चर्चा की गई हालांकि ऐसे उद्यम स्थापित करने के बारे में अभी तक कोई पक्का निर्णय नहीं लिया गया है।

तथापि, अभी तक सरकार की ओर से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

कुर्ग जिले में काफी उत्पादकों को सहायता

606. **श्री एस० बी० शिदनाल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुर्ग जिले में लघु काफी उत्पादकों को सहायता प्रदान करने का क्या विशेष उपाय किये जाने का विचार है;

(ख) क्या यह सच है कि पर्याप्त वित्तीय सहायता न मिल पाने के कारण देश में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करने वाले इस जिले को काफी के दामों को ठीक बनाये रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) छोटे उत्पादकों के लिए विशेष रूप से नयी योजनाएं शुरू की जाना हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) कुर्ग जिले में लघु कॉफी उपजकर्ताओं को कॉफी बोर्ड द्वारा विस्तारण, ऋण, अनुसंधान और विपणन सहायता के रूप में सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। वैज्ञानिक काफी खेती के लिए तकनीकी सहायता और सलाह देने तथा उन्नत किस्म की कॉफी के बीज सप्लाई करने के लिए कुर्ग जिले के कॉफी उपजाने वाले गांवों में 15 विस्तार केन्द्र, एक कॉफी प्रदर्शन फार्म और एक कॉफी क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इसके साथ-साथ एक चलता-फिरता भूमि परीक्षण तथा नाशिकीट निगरानी दस्ते की भी व्यवस्था है। लघु उपजकर्ताओं को कॉफी बोर्ड से विभिन्न विकास ऋण योजनाओं के अन्तर्गत और साथ ही अन्य वाणिज्यक तथा सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा ब्याज की रियायती दरों पर पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाती है। 81 कॉफी एकत्र करने के डिपो तथा एक कॉफी संसाधन कार्यशाला लघु उपजकर्ताओं

की सेवा करते हैं और विपणन सहायता प्रदान करते हैं। उपरोक्त कार्यक्रमों के फलस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में लघु उपजकर्ता क्षेत्र में उत्पादन क्षमता में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

(ख) जी नहीं। कुर्ग जिले के लघु कॉफी उपजकर्ताओं को कॉफी बोर्ड वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जा रही है। 1979-80 के दौरान कॉफी के लघु उपजकर्ता की 620 लाख रु० का ऋण सहायता तथा 10.5 लाख रु० का उपदान दिया गया।

(ग) कॉफी के लघु उपजकर्ताओं के लिए काफी बोर्ड के माध्य से ऋण और उपदान की निम्न-लिखित योजनाएं पहले से ही उपलब्ध हैं;

1. फसल ऋण।
2. गहन खेती ऋण।
3. कॉफी के अन्तर्गत्त क्षेत्र के विस्तार के लिये ऋण तथा उपदान।
4. पुराने तथा अलाभकारी कॉफी के पौधों के पुनर्रोपण के लिये ऋण तथा उपदान।
5. खलियानों, गलान कुओं, स्टोर गृहों, लुग्दी एककों आदि के निर्माण के लिये विशेष प्रयोजन ऋण।
6. विभिन्न कृषि उपकरणों को खरीदने के लिये किराया खरीद योजना के अन्तर्गत ऋण।
7. ब्याज उपदान योजना।
8. विस्तार उपदान योजना।

रबड़ विनिर्माताओं और लघु टायर विनिर्माताओं के साथ चर्चा

607. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर भारत रबड़ विनिर्माता संघ और अखिल भारतीय लघु टायर विनिर्माता संगठन के प्रतिनिधि उनसे मिले थे;

(ख) यदि हां, तो उनसे किस तरह की चर्चा हुई; और

(ग) किये गये निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) उत्तर भारत रबड़ विनिर्माता संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने 14 नवम्बर, 1980 को वाणिज्य राज्यमंत्री से भेंट की और प्राकृतिक रबड़ के आयात से सम्बन्धित एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। उसमें उठाये गये प्रमुख मुद्दे निम्न प्रकार थे :

(1) रबड़ के निरन्तर आयात की आवश्यकता;

(2) रबड़ की अधिकतम कीमत का निर्धारण;

(3) राज्य व्यापार निगम के रबड़ के आयात सम्बन्धी कार्यचालकों के बारे में शिकायतें;

(4) रबड़ के आयातों का विसरणीकरण;

(5) रबड़ उपकर वसूली से रबड़ के आयात को आर्थिक सहायता देना;

(6) रबड़ बोर्ड पर, रबड़ उपभोक्ता उद्योग को उचित प्रतिनिधित्व देना।

उठाए गए मुद्दों पर पहले ही सरकार ध्यान दे रही है।

किरिबुरु लौह-अयस्क खानों के कर्मचारियों के लिए श्रेणी-II क्वार्टरों का निर्माण

608. **श्री हरिहर सोरण** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किरिबुरु लौह अयस्क खानों के कर्मचारियों के लिए श्रेणी-II के 200 क्वार्टरों के निर्माण हेतु लौह-अयस्क उपकर राज सहायता से निधि मंजूर की गई हैं;

(ख) क्या यह भी निर्णय किया गया था कि उपरोक्त मकानों का निर्माण किरिबुरु हिलटाप पर किया जाएगा जोकि उड़ीसा में स्थित है, और

(ग) यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य को तेज करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) सरकार ने किरिबुरु लौह-अयस्क खानों के कर्मचारियों के लिए टाइप-II के 200 क्वार्टर बनाने हेतु आयरन और माइन्स सेस फन्ड (लौह-अयस्क खान शुल्क कोष) से 10,23,700 रुपये की सहायता देने की पेशकश की है, कुल अनुमानित लागत 72.7 लाख रुपये है। प्रस्तावित सहायता में से बोकारों इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों को अब तक 1,07, 000 रुपये मिले हैं। अभी प्रबन्धक समूची आवास-योजना के लिए धन की व्यवस्था तथा निर्माण के तरीके के बारे में विचार कर रहे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में आय कर चोरी के मामलों का पता चलना

609. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान जिले-वार आय-कर चोरी के कितने मामलों का पता चला;

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी राशि शामिल है; और

(ग) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति अथवा फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना के आंकड़े राज्य-वार नहीं रखे जाते हैं। राजस्थान में आयकर आयुक्त, जयपुर तथा जोधपुर के अधिकार क्षेत्रों से सम्बन्धित सूचना निम्नानुसार है :

वित्तीय वर्ष	आय छिपा लिए जाने के कारण जारी किए गए अर्थदण्ड सम्बन्धी आदेशों की संख्या	आय छिपा लिए जाने के कारण लगाई गई अर्थ-दण्ड की रकम (हजार रुपयों में)
1977-78	484	3,370
1978-79	794	4,225
1979-80	1,518	1,991

प्रत्येक मामले में जिला-वार सूचना एकत्रित करने और उसका संकलन करने में पर्याप्त समय तथा श्रम लगेगा। यदि माननीय सदस्य किसी मामले विशेष के सम्बन्ध में विशिष्ट सूचना चाहते हों तो ऐसी सूचना उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी।

इस्पात संयंत्रों के उत्पादन में कमी

610. **श्री उसर मुखर्जी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली की कम सप्लाई किए जाने के कारण वर्ष 1979-80 में इस्पात संयंत्रों के उत्पादन में कितनी कमी हुई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : यह बताना कठिन है कि केवल बिजली की कमी के कारण उत्पादन में कितनी हानि हुई है। फिर भी सैल के कारखानों को दामोदर घाटी निगम से मिलने वाली बिजली की कमी के कारण वर्ष 1979-80 में विक्रेय इस्पात के उत्पादन में हुई हानि के सांकेतिक आंकड़े संकलित करने का प्रयास किया गया है। आंकड़े इस प्रकार हैं :

संयंत्र	हजार टन
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	353
बोकारो इस्पात कारखाना	348
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	117
सेल के सर्वतोन्मुखी इस्पात कारखानों का जोड़	818
मिश्र इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर (इस्पात पिण्ड के रूप में)	22

तमिलनाडु में छोटे किसानों के कृषि ऋण बकायों को बट्टे खाते में डालने के लिए केन्द्रीय सहायता

611. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु की सरकार की ओर से तमिलनाडु में छोटे किसानों के कृषि ऋण बकायों को बट्टे खाते में डालने हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो यह अनुरोध किस प्रकार प्राप्त हुआ है और उसका ब्यौरा क्या है तथा उस अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हां।

(ख) तमिलनाडु सरकार ने छोटे तथा सीमान्तिक किसानों को दिए गए तकाबी और सहकारी ऋणों को बट्टे-खाते डालने का प्रस्ताव किया था और उसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी थी। राज्य सरकार को स्पष्ट कर दिया गया है कि सहकारी ऋणों को बट्टे-खाते डालने की किसी भी योजना को उसे अपनी निधियों से कार्यान्वित करना होगा और इस प्रयोजन के लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा सकती। यह स्पष्टीकरण, इस तथ्य को ध्यान में रखकर दिया गया कि

सामान्य अथवा बड़े पैमाने पर ऋणों को बट्टे खाते डाले जाने से वित्तीय संस्था वापसी-अदायगी तथा इन संस्थाओं द्वारा कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋणों को वाप क्षेत्र को ऋण देने के चक्र से सम्बन्धित वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

दिल्ली में चीनी की उपलब्धता के बारे में किए गए प्रचार एवं

612. **श्री सूरज भान** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा

(क) इस बात का प्रचार करने पर कितनी राशि खर्च की गई कि दिल्ली के गत संकट के दौरान चीनी निर्बाध रूप से उपलब्ध थी;

(ख) प्रचार के विभिन्न माध्यम क्या थे और उन पर पृथक-पृथक रूप की गई; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती : (क) प्रशासन द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार, जनता को लेवी-युक्त लिए खोले गए बिक्री केन्द्र कहां-कहां स्थित हैं यह बताने के लिए समाचार-पत्रों में प्रकाशित करने पर अब तक 5,70,000 रु० की राशि व्यय की गई।

(ग) इन सार्वजनिक सूचनाओं ने संघशासित क्षेत्र के निवासियों को सूचना दी कि लेवी-युक्त चीनी की बिक्री के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा कहां-कहां गये हैं तथा चीनी का मूल्य क्या है और उसकी कितनी मात्रा दी जा रही है। यह के मौसम में संघशासित क्षेत्र के निवासियों को चीनी जैसी दुर्लभ वस्तु उपयोगी सिद्ध हुई है।

उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क निदेशालय में 'की पंचिंग आपरेट स्थाई किया जाना

613. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क निदेशालय में कितने 'की पंचिंग टाईप परीक्षा पास कर ली है;

(ख) क्या यह सच है कि उनको स्थायी किये जाने की एक शर्त करनी है; और

(ग) टाइप परीक्षा पास कर लेने वाले आपरेटरों को स्थायी करने जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संवाई सिंह सिसोदिया) : (क)

(ख) जी, हां।

(ग) जब कभी स्थायी पद उपलब्ध होंगे, तब पात्र उम्मीदवारों उनके मामलों पर विचार किया जायेगा।

हल्दी और अदरक पर निर्यात शुल्क

614. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दी और अदरक पर लगाये गये निर्यात शुल्क के कारण उत्पादकों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार का इन पर से निर्यात शुल्क को हटाने तथा उनके उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) हल्दी को 14 नवम्बर, 1980 से उस पर उद्ग्रहणीय समस्त निर्यात-शुल्क से, छूट दी गई है। और अदरक, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं में नहीं आता है; इसलिए इस पर निर्यात शुल्क नहीं लगता है।

डालर की तुलना में रुपए के मूल्य में वृद्धि

615. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से भारतीय निर्यातकर्ताओं ने सरकार को यह कहा है कि सरकार अमेरिकी डालर में लगातार गिरावट और डालर की तुलना में रुपये के मूल्य में बनावटी वृद्धि से उन्हें बचाने के लिए कोई तरीका निकाले ;

(ख) क्या यह सच है कि जब से रुपए के मूल्यांकन के लिए सितम्बर, 1975 'वास्केट' पद्धति अपनाई गई थी, तब से अमेरिकी डालर की तुलना में रुपए के मूल्य में 15.32 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है;

(ग) क्या अमेरिकी डालर की तुलना में रुपए के मूल्य में वृद्धि से भारतीय निर्यातकर्ताओं को हानि हुई है क्योंकि अमेरिकी डालर निर्यात-बीजक बनाने के लिए मुख्य मुद्रा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इन सभी तथ्यों पर विचार करके इस बारे में उपयुक्त उपाय करने का विचार कर रही है;

वित्त मंत्री (श्री वेंकटरामन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। संयुक्त राज्य अमेरिका के डालर के मुकाबले में रुपए के मूल्य में 7-8-1980 की स्थिति के अनुसार 15.32 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई थी। 10-11-1980 को, जबकि रुपया-स्टर्लिंग विनिमय दर में अन्तिम संशोधन किया गया था, यह वृद्धि 14.38 प्रतिशत तक की थी।

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका के डालर के मुकाबले में भारतीय रुपए के मूल्य की वृद्धि, ऐसे भारतीय निर्यातकों के अहित में रहेगी जोकि अपने निर्यात के बीजकों को संयुक्त राज्य अमेरिका के डालरों में व्यक्त करते हैं, किन्तु इसी के साथ वे आयातक, जिनके आयात सम्बन्धी बीजक संयुक्त राज्य अमेरिका के डालरों में आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के डालर के मुकाबले में भारतीय रुपए के मूल्य में हुई वृद्धि से लाभान्वित होंगे। अस्थायी विनिमय दरों की व्यवस्था के होते हुए मुद्राओं के

मूल्य में अल्पावधिक घटबढ़ हो जाना सामान्य-सी बात है। जबकि हाल के महीनों में रुपए के मुकाबले में डालर मुद्रा के मूल्य में कमी हुई है, साथ ही इसके मूल्य में कई दूसरी मुद्राओं के मूल्य के मुकाबले में भी कमी हुई है। इस प्रकार की स्थिति में, मुद्रा विनिमय की दरों की घटबढ़ का हमारे देश के विदेशी व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव का ठीक-ठीक जायजा ले सकना कठिन है। फिर भी इस मामले पर बराबर ध्यान रखा जा रहा है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक 1974 से एक मुद्रा विनिमय घटबढ़ जोखिम सुरक्षा योजना चला रहा है, जिसके अन्तर्गत आस्थगित अदायगी की शर्त के आधार पर इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात के लिए किए गए संविदाओं के सम्बन्ध में मुद्रा विनिमय दरों में होने वाली घटबढ़ के प्रति संरक्षण दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक प्राधिकृत व्यापारियों को उनके द्वारा निर्यातकों के साथ मौके की प्रचलित दरों पर, निश्चित बट्टे की व्यवस्था सहित दस वर्ष तक प्रवर्तमान रहने वाले चार मुख्य मुद्राओं अर्थात् पौण्ड स्टर्लिंग, संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर, ड्यूशमार्क तथा जापानी येन मुद्राओं के वायदा विनिमय संविदाओं के आधार पर संरक्षण प्रदान करता था। यह योजना केवल सम्भरक ऋणों के मामले में ही लागू थी।

निर्यात ऋण तथा गारन्टी निगम लिमिटेड ने, भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से दो योजनाएं अर्थात् विनिमय घटबढ़ जोखिम (संविदा) सुरक्षा योजना तैयार की है। ये योजनाएं 4 अगस्त, 1980 से लागू हो गई हैं और उसी तारीख से भारतीय रिजर्व बैंक की योजना वापस ले ली गई है। निर्यात ऋण तथा गारण्टी निगम की योजनायें विस्तृत और व्यापक हैं क्योंकि उनके अन्तर्गत पेशकश की तारीख से संविदा दिए जाने के बाद 15 वर्ष तक की अवधि तक विनिमय सम्बन्धी घटबढ़ की जोखिम से सुरक्षा मिलती है। निर्यात-ऋण तथा गारण्टी निगम की योजनाओं के अन्तर्गत छह मुद्राओं अर्थात् पौण्ड स्टर्लिंग, संयुक्त राज्य अमेरिका के डालर, ड्यूशमार्क, जापानी येन, स्विटजरलैण्ड के फ्रांक और फ्रांस के फ्रांक के सम्बन्ध में सुरक्षा प्राप्त होती है। अन्य परिवर्तनीय मुद्राओं के सम्बन्ध में निगम के स्वविवेक पर सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था भी योजना में की गई है।

इण्डियन एयरलाइन्स और नागर विमानन महानिदेशालय के बीच सम्बन्ध

616. **श्री वापूसाहिब परुलेकर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स और नागर विमानन महानिदेशालय के बीच सम्बन्ध बहुत खराब हो गए हैं;

(ख) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26-8-80 के बम्बई से प्रकाशित 'इंडियन एक्सप्रैस' में 'क्रैशिज: आई० ए०, डी० जी० सी०, ए० टाइज अन्डर स्ट्रेन' शीर्षक से छपे लेख की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) ऊपर (क) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एयर इण्डिया की उड़ानों के दौरान दिखाई गई फिल्में

617. **आचार्य भगवान देव :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया की उड़ानों के दौरान गत तीन वर्षों में कितनी भारतीय तथा कितनी विदेशी फिल्में दिखाई गई हैं; और

(ख) एयर इण्डिया की उड़ानों में भविष्य में अधिकाधिक भारतीय फिल्में दिखाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किए जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) एयर इंडिया द्वारा पिछले तीन वर्षों में अपनी उड़ानों पर केवल 72 अंग्रेजी फिल्में प्रदर्शित की गयी थीं।

(ख) एयर इंडिया ने भविष्य में प्रदर्शन के लिए 10 भारतीय फिल्में चुनी है। कांट्रेक्ट को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद एक हिन्दी फिल्म प्रति उड़ान प्रतिमास प्रदर्शित की जाएगी।

दिल्ली में सुपर बाजारों का कार्यकरण

618. **श्री भीखूराम जैन :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) दिल्ली में सुपर बाजार की कितनी शाखायें हैं और सुपर बाजार के शेयरधारियों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी बिक्री हुई है और उक्त अवधि में कितना लाभ हुआ है; और

(ग) गोल-माल को रोकने, पुराने स्टाक का निपटान करने और लाभ की यात्रा को बढ़ाने के लिए क्या कदम-उठाये गये हैं और सुपर बाजार की कार्यक्षमता में वृद्धि तथा इसके विस्तार के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बृज मोहन महन्ती) : (क) सुपर बाजार, दिल्ली की इस समय दिल्ली/नई दिल्ली के विभिन्न भागों में 61 (इकसठ) शाखाएं कार्य कर रही हैं। इस स्टोर के अब भारत सरकार के अलावा 18,543 हिस्सेदार हैं।

(ख) सुपर बाजार, दिल्ली की गत तीन वर्षों की बिक्री और लाभ की मात्रा नीचे दी गयी है :—

(1) बिक्री (लाख रुपये में)

1977-78	1978-79	1979-80
1083.26	997.61	1252.91

(2) लाभ (लाख रुपये में)

1977-78	1978-79	1979-80
6.10	2.35	16.10

(उपर्युक्त आंकड़े अनन्तिम हैं और इनकी लेखा परीक्षा होनी है)

(ग) उठाईगीरी को रोकने के लिए सुपर बाजार, दिल्ली में सन् 1977 से एक नई प्रबन्ध सूचना प्रणाली शुरू की जा चुकी हैं। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1979-80 में माल की उठाईगीरी। ½% से भी कम हो गई है। 90% से अधिक पुराना और धीरे-धीरे बिकने वाला माल बेचा जा चुका है। सुपर बाजार, दिल्ली में 1-7-1980 से एक नई प्रोत्साहन योजना भी शुरू की गई है, जिसके अन्तर्गत सुपर बाजार के कर्मचारियों को बिक्री में होने वाली हर 3% की वृद्धि के लिए 1% अधिक वेतन मिलेगा, किन्तु इसकी अधिकतम सीमा 20% होगी। सुपर बाजार में काफी परिवर्तन किया गया है। काउंटरों पर वस्तुओं की किस्मों में काफी अधिक वृद्धि की गई है। नई किस्मों की वस्तुओं की बिक्री शुरू करने के प्रयोजन से प्रदर्शनी एवं बिक्री का आयोजन करने के लिए एक अलग हाल की व्यवस्था की गयी है। इन सभी उपायों के परिणामस्वरूप, सुपर बाजार की बिक्री में क्या पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्ष 1980-81 में 1.8 करोड़ रु० से अधिक की बिक्री होने की संभावना है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य व्यापार निगम, मद्रास में आरक्षण आदेश

619. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम, मद्रास में किसी भी समिति द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण आदेश के पालन के सम्बन्ध में मौके पर कोई अध्ययन नहीं किया गया;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के सम्बन्ध में भारत सरकार के आदेशों का भी पालन नहीं किया गया और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ग) यदि उनका पालन किया गया हो, तो संवर्ग-वार इन आदेशों को जारी करने की तारीखों का विवरण क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) केन्द्रीकृत और विकेन्द्रीकृत दोनों प्रकार के संवर्गों हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण कोटे राज्य व्यापार निगम के प्रधान कार्यालय और शाखा कार्यालयों द्वारा सरकारी निदेशों के अनुसार निश्चित किये जाते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति और पदोन्नति के सम्बन्ध में सभी संवर्गों के मामलों में आरक्षण आदेशों का पालन 1970 में जारी किये गये सरकारी निदेशों के अनुसार किया जा रहा है।

(ग) जब से सरकारी निदेश जारी हुए हैं तब से 64 प्रबन्धक और 96 कर्मचारी स्तर के पदों पर नियुक्ति की जा चुकी हैं।

दिल्ली में वसूल किया गया बिक्री कर तथा केन्द्रीय बिक्री कर

620. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दिल्ली बिक्री कर अधिनियम तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत

पृथक्-पृथक्, 31-3-78, 31-3-79 तथा 31-3-80 को कितने रजिस्टर्ड डीलर थे;

(ख) दिल्ली बिक्री कर अधिनियम तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पृथक्-पृथक् 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान इन डीलरों की बिक्री कितनी थी; और

(ग) इन दो वर्षों से प्रत्येक वर्ष में इन डीलरों से दिल्ली बिक्री कर तथा केन्द्रीय कर को पृथक्-पृथक् कितनी राशि वसूल की गयी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) :

(क) पंजीकृत व्यापारियों की निम्नलिखित के अनुसार संख्या

निम्नलिखित की स्थिति के अनुसार	दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत
31-3-78	58697	51930
31-3-79	61305	55279
31-3-80	66084	59305

(ख) व्यापारियों की कुल बिक्री का चालू रिकार्ड दिल्ली प्रशासन द्वारा नहीं रखा जा रहा है।

(ग) निम्नलिखित के अनुसार वसूल की गई बिक्री कर की राशि :—

वर्ष	दिल्ली विक्रय के अधिनियम 1975	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956
1978-79	62.70 करोड़ रुपये	43.79 करोड़ रुपये
1979-70	72.80 करोड़ रुपये	51.89 करोड़ रुपये

उपभोक्ता वस्तुओं की खुदरा कीमतें

621. **श्री ए० टी० पाटिल :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31 दिसम्बर, 1979 और 30 जून, 1980 की तुलना में 31 अक्तूबर, 1980 को बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में (1) चावल (2) गेहूं (3) दाल (4) मीठे तेल (5) मिट्टी के तेल (6) गुड़ (7) चीनी (8) चाय (9) काफी (10) साबुन (11) दूध पेस्ट (12) कपड़ा और (13) सब्जियों जैसी उपभोक्ता वस्तुओं की औसत खुदरा कीमतें क्या थीं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : सूचना अनुबंध में दी गई है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1376/80]

मौसम विज्ञान उपकरणों का निर्माण

622. **श्री आर० के० महालगी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मौसम-विज्ञान शाला मौसम विज्ञान उपकरणों के मामले में देश की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हैं;

(ख) यदि हां तो क्या वह देश की मांग पूरा करने के अतिरिक्त विदेशों को भी उनकी सप्लाई कर सकती है तथा किस हद तक;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शाला को मौसम विज्ञान सम्बन्धी उपकरणों के निर्माण का कार्य सौंपेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां। देश में मौसम प्रयोग में लाए जा रहे अधिकांश मौसम उपकरणों का निर्माण भारत मौसम विज्ञान की वर्कशॉपों में किया जाता है।

(ख) भारत मौसम विज्ञान विभाग की वर्कशॉपों की निर्माण सूची में सम्मिलित मौसम उपकरणों को विदेशों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी सप्लाई किया जा सकता है। कुछेक पड़ोसी देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति विश्व मौसम संगठन द्वारा प्रयोजित स्वैच्छिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत की गयी है और ये उपकरण संतोजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

(ग) जी हां, जब कभी भी मांग आयेगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बड़े औद्योगिक घरानों के वरिष्ठ अधिकारियों को विदेशी मुद्रा दिया जाना

623. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय अथवा भारतीय रिजर्व बैंक ने स्विट्जरलैंड, अमरीका तथा अन्य देशों में किसी पाठ्यक्रम में भाग लेने के नाम पर सैर-सपाटे के लिए विदेश जाने वाले कई औद्योगिक घराने के वरिष्ठ अधिकारियों को विदेशी मुद्रा देने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ख) क्या विदेशों में ठहरने के लिए विदेशी मुद्रा उनके साथ जाने वाले उनके परिवारों को भी उपलब्ध कराई जाती है; और

(ग) वर्ष 1979 से वर्ष 1980 (31-10-1980 तक] के दौरान, प्रथम 5 बड़े औद्योगिक घरानों के उन अधिकारियों की जो विदेश यात्रा पर गए, इन प्रयोजनों के लिए शिक्षा-शुल्क सहित कुल कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई गई ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बारोत] : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने हार्वर्ड और ऐसे ही सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जाने वाले प्रबन्धकीय पाठ्यक्रमों में भाग लेने के प्रयोजन से विख्यात कम्पनियों के उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त और उच्च प्रबन्धकीय पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों के लिए विदेशी मुद्रा देने वाले मापदण्ड निर्धारित कर रखे हैं। ऐसी विदेशी मुद्रा केवल यह सुनिश्चित कर लेने के बाद ही दी जाती है कि सम्बन्धित व्यक्ति ने विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर लिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पाठ्यक्रमों के ब्यौरे के अभाव में ठीक-ठीक जानकारी देना सम्भव नहीं है।

कोरापुट उड़ीसा में एल्यूमिना/एल्यूमिनियम परियोजना

624. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कोरापुट जिले में एल्यूमिना/एल्मिनियम परियोजना की स्थापना के बारे में औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो एल्यूमिना और एल्यूमिनियम संयंत्रों संबंधी संक्षिप्त नोट क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इसी वर्ष में संयंत्रों के निर्माण का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) उड़ीसा में 1242.4 करोड़ रुपए की लागत पर (167.5 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा व्यय सहित) एक एल्यूमिना व एल्यूमिनियम कम्पलैक्स स्थापित करने के लिए सरकार ने 1 नवम्बर, 1980 को मंजूरी दे दी है। एल्यूमिना संयंत्र की क्षमता 8,00,0000 टन वार्षिक होगी और इसे दामनजोड़ी में लगाने का प्रस्ताव है। 8,00,000 टन वार्षिक एल्यूमिना के कुल उत्पादन में से लगभग 3,75,000 टन निर्यात करने का और शेष एल्युमिना का प्रद्रावक में ही एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है।

2,18,000 टन वार्षिक धातु उत्पादन क्षमता का एल्यूमिनियम प्रद्रावक तालचेर में स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रद्रावक के लिए समुचित क्षमता का एक गृहीत बिजली घर होगा।

संयंत्र के निर्माण का कार्य, परियोजना को चलाने के लिए कम्पनी के गठन, परामर्शकों की नियुक्ति और अन्य औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद, शुरू किया जाएगा, जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

वनस्पति कारखाने

625. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1980 को कार्यरत, प्रत्येक राज्य तथा संघ क्षेत्र के वनस्पति कारखानों के नाम तथा पते क्या क्या हैं ;

(ख) उपरोक्त कारखानों/मिलों का निम्न-जानकारी वार ब्योरा क्या है तथा ये कारखाने मिल कौन कौन से हैं तथा कहां कहां स्थित हैं—(एक) कार्यरत (दो) रुग्ण और (तीन) निर्माणाधीन; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन रुग्ण मिलों/कारखानों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का है जो 31 मार्च, 1979 से बन्द पड़े हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। (**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1377/80**)

(ग) रुग्ण औद्योगिक यूनिटों को हाथ में लेना प्रत्येक मामले से सम्बन्धित परिस्थितियों पर

निर्भर करता है और यह कार्य उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के तहत नियमित होता है।

बैंक आफ इंडिया, वाराणसी द्वारा बुनकरों को वित्तीय सहायता देना

626. **श्री जैनुल बशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी बाजार, वाराणसी में बैंक आफ इंडिया की शाखा मुख्यत: इस बैंक से बुनकरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए खोली गई थी;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कितने बुनकरों को अलग-अलग वित्तीय सहायता दी गई थी और इसकी राशि क्या है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान व्यापार, उद्योग आदि जैसे अन्य क्षेत्रों को अलग-अलग कितनी सहायता दी गई थी और ऐसी सहायता कितने व्यक्तियों को दी गई थी; और

(घ) क्या बुनकरों के नाम पर वित्तीय सहायता पाने वाले व्यक्ति वस्तुत: बुनाई के व्यवसाय में लगे हुए हैं; इसका पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है और यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) समग्र कारोबार की संभावनाओं जैसे जमा के लिए प्राप्त होने वाली रकमों तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण को ध्यान में रखते हुए बैंक आफ इण्डिया की बड़ी बाजार साखा 1975 में खोली गयी थी।

(ख) इण्डिया की बड़ी बाजार शाखा में उत्तरप्रदेश रेशम बुनकर सहकारी संगठन (यू० पी० सिल्क वीवर्स कोआपरेटिव एसोशियन) लिमटेड के माध्यम से, जो उत्तरप्रदेश के अलग-अलग बुनकरों तथा बुनकर सहकारी समितियों का शीर्ष संगठन है, लगभग 5770 बुनकरों की सहायता की है। इस संगठन का मुख्य कार्यकलाप सदस्यों द्वारा उत्पादित बनारसी रेशमी साड़ियों, पोशाक-वस्त्रों आदि की बिक्री की व्यवस्था करना है। बैंक ने इस वर्ष 1975 के दौरान कार्यचालन पूंजी के लिए इस संगठन को 6 लाख रुपये की नकद ऋण सीमा मंजूर की थी।

(ग) पिछले तीन वर्षों में इस शाखा द्वारा प्राथमिकता प्राप्त विभिन्न क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों तथा अन्य वाणिज्यिक अग्रिमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(रकम लाख रुपए में)

	31 दिसम्बर, 1977		31 दिसम्बर 1978		31 दिसम्बर 1979	
	खाते	रकम	खाते	रकम	खाते	रकम
लघु उद्योग	23	7.21	28	8.54	32	11.38
कृषि	1	0.05	1	0.06	1	0.06
अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	38	2.38	48	3.10	37	3.54
कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	62	9.64	77	11.70	70	14.97
अन्य वाणिज्यिक अग्रिम	12	1.89	23	1.91	32	1.32
जोड़	74	11.53	100	13.61	102	16.29

(घ) इस मामले में औपचारिक रूह से कोई जांच नहीं की गई है। परन्तु बैंक ने क्षेत्र निरीक्षकों के दौरान यह देखा है कि इस संगठन के सदस्य बुनकर अथवा इससे संबंधित सहकारी समितियां वास्तव में बुनने के कार्यकलाप में लगी हुई हैं।

वनस्पति घी बनाने के लिये लाइसेंस का न दिया जाना

627. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण राज्यों के आवेदकों को वनस्पति घी बनाने के लिए लाइसेंस मंजूर नहीं किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस समय देश में वनस्पति घी उपभोग तथा सप्लाई संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) हाल के वर्षों में वनस्पति का उत्पादन-देश में उसकी मांग के अनुरूप हुआ है। भूतपूर्व नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग द्वारा 1977 में गठित किए गए अन्तरमंत्रालयी अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1980-81 के लिए वनस्पति की अनुमानित मांग 7.17 लाख मी० टन है अप्रैल से सितम्बर, 1980 के बीच 3.56 लाख मी० टन उत्पादन हुआ है, जो ऊपर बताई गई मांग के अनुरूप है।

भारत-पाक और भारत-नैपाल सीमाओं पर चीनी की तस्करी

628. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को अभी तक इस बात की जानकारी है कि भारत-पाक और भारत-नैपाल सीमाओं पर चीनी की तस्करी की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों से यह पता नहीं चलता है कि भारत-पाकिस्तान और भारत-नैपाल सीमाओं के साथ-साथ चीनी की बड़े पैमाने पर किसी प्रकार की तस्करी हो रही है।

(ख) चीनी की तस्करी के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए, इन सीमाओं पर स्थित सीमाशुल्क अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है।

खाद्यानों का निर्यात

629. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार 1981 से खाद्यानों का बड़े पैमाने पर निर्यात करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार विशेषत: देश में अनाज रक्षित भंडार को दृष्टि में रखते हुए किस आधार पर यह योजना आरम्भ करने का विचार कर रही है;

(ग) सरकार की उपरोक्त योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न के किन-किन मदों के शामिल किये जाने की संभावना है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार का विचार धान के बदले तेल लेने का है और यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ ऐसे वस्तु-विनमय सौदे किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) : 1981-82 के के लिए निर्यात लक्ष्य अभी विनिश्चित नहीं किए गए हैं।

(घ) ऐसी कोई प्रस्थापना इस समय विचाराधीन नहीं है।

कच्चे तेल के बदले चावल के निर्यात के बारे में भारत-सोवियत वार्ता

630. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस को चावल का निर्यात करने तथा उसके बदले उस देश से कच्चा तेल लेने के संबंध में अक्तूबर 1980 में भारत सोवियत वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो वार्ता के क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) सोवियत संघ को चावल का निर्यात करने और उसके बदले उस देश से कच्चा तेल लेने के संबंध में अक्तूबर, 1980 में सोवियत पक्ष के साथ कोई सरकारी वार्ता नहीं हुई।

भारत सरकार और सोवियत संघ सरकार के बीच 19 जून, 1980 को हुए करार के अधीन भारत को, सोवियत संघ से आयात किये जाने वाले कच्चे तेल और डीजल तेल के बदले उसे 5 लाख मी० टन चावल सप्लाई करना होगा।

बताया जाता है कि इस करार के अनुसरण में सम्बन्धित सोवियत एवं भारतीय एजेन्सियों ने विचार-विमर्श किया और किसी भी पक्ष से सम्बन्धित उत्पादों की सप्लाई के लिये समझौता किया।

विधि आयोग की बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन करने की सिफारिश

631. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने जीवन बीमा पालसीधारी के बाद जीवित रहने वाले माता, पिता पत्नी और बच्चों को, यदि नामित किया जाए, पालिसी की राशि के लाभ के हकदार बनाने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त शिफारिश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालत में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

बिहार के धनबाद जिले में पंचायतों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से वित्तीय सहायता न मिलना

632. **श्री ए०के० राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के धनबाद जिले के चोस, चन्दनक्यारी और गोबिन्दपुर खण्ड में जिन पंचायतों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से वित्तीय सहायता से वंचित रखा गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अन्त्योदय कार्यक्रम में कुछ मामलों में जिला अधिकारियों की सिफारिश के बावजूद सहायता नहीं दी गई; यदि हां तो ब्यौरेवार तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सहायता न देने के लिए बैंक से 15 किलोमीटर की दूरी की कसौटी को आधार बनाया गया था;

(घ) क्या सरकार ने बजट सत्र में यह रुकावट करने के बारे में आश्वासन दिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) बैंकों द्वारा ये आंकड़े ग्रामवार/पंचायतवार इकट्ठे नहीं किए जाते। धनबाद जिले के कथित तीन खंडों अर्थात चौस, चन्दनक्यारी तथा गोविन्दपुर में कार्य कर रहीं बैंक की शाखाओं ने अपनी कर्मचारी क्षमता के आधार पर 5 से 15 गांव को अंगीकृत किया है। राज्य सरकार ने यह अनुरोध किया है कि अंगीकरण पंचायतवार आधार पर किया जाए। इस पर विचार कर पाना उस समय तक संभव नहीं होगा जब तक कि जिले के निर्धारित केन्द्रों में नई शाखाएं कार्य करना प्रारंभ न कर दें।

(ख) अंत्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत, एक विशेष अभियान के दौरान, जुलाई, 1980 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक की शाखा ने चन्दनक्यारी जिले के जिला विकासअधिकारी/जिला सूचना केन्द्र की मार्फत 240 आवेदन पत्र प्राप्त किए। इनमें से 85 आवेदन-पत्रों पर ऋण देने के लिए विचार किया गया और शेष आवेदन-पत्रों को स्थानीय प्राधिकारियों को वापिस भेज दिया गया क्योंकि वे अंगीकृत ग्रामों से संबंधित नहीं थे। जिला अधिकारियों को स्थिति से अवगत करा दिया गया था।

(ग) से (ङ) बैंकों से 10 मील की परिधि को कमान क्षेत्र के रूप में मानने का निर्देश, भारतीय रिजर्व बैंक ने केवल एक मार्गदर्शन के रूप में दिया था ताकि बैंक ऐसे ऋण देने से बच सकें जिनका विधायन और पर्यवेक्षण कठिन और निष्प्रभावी हो। यह सीमा कठोर नहीं है। बैंक अपनी शाखाओं के कमान क्षेत्र का विस्तार, स्थान विशेष की भौगोलिक स्थिति, संचार के साधनों, कर्मचारीवृद के ढांचे को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं जिससे कि ऋण का पर्यवेक्षण प्रभावी रूप से हो सके। यह बात बैंकों को समझा दी गई है तथा सरकार के इस विचार की व्याख्या विभिन्न मंचों से भी की गई है। जून, 1980 में भारतीय रिजर्व बैंक ने फिर से सभी वाणिज्यिक बैंकों को यह स्थिति स्पष्ट की है।

एल्युमिनियम एक्सट्रजन प्रेसों के लिए आयात करने सम्बन्धी आवेदन

633. **श्री डूंगर सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्युमिनियम एक्सट्रजन प्रेसों के आयात सम्बन्धी कुछ आवेदन लम्बे समय से सरकार के पास विचाराधीन हैं;

(ख) क्या सी० जी० आयातों को 90 दिन के भीतर-भीतर स्वीकृति देना भी सरकार की नीति है; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ग) : एल्युमिनियम एक्सट्रूजन प्रैस के आयात के लिये क्लियरेंस की वजह से कोई भी आवेदन-पत्र लंबित नहीं है। तथापि, इस किस्म की प्रैस के आयात के लिये तीन आवेदन-पत्रों के मामलों में, जो औद्योगिक विकास विभाग में पूंजीगत माल समिति द्वारा क्लियर कर दिये गये थे, आयात लाइसेंस जारी नहीं किये जा सके क्योंकि सम्बन्धित आवेदकों द्वारा वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से अभी विदेशी मुद्रा ऋण प्राप्त करना बाकी है।

(ख) जी हां।

विदेशी आर्थिक सहायता

634. **श्री निरेन घोष** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान कुल कितनी राशि की विदेशी आर्थिक सहायता उपलब्ध है;

(ख) उपलब्ध सहायता का राष्ट्र-वार ब्योरा क्या है; और

(ग) भारत द्वारा ब्याज आदि तथा मूलधन की अदायगी के रूप में कुल कितनी राशि अदा की जायेगी;

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) तथा (ख) 1980-81 में प्राप्त होने वाली संभावित विदेशी आर्थिक सहायता की कुल राशि अनुमानित बजट प्राप्तियों के रूप में 2276.15 करोड़ रुपए है अनुमानित प्राप्तियों का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ऋण-शोधन के रूप में भारत सरकार द्वारा 1980-81 में जो रकम दी जानी है, उसका ब्योरा इस प्रकार है :—

1	ब्याज की अदायगी	252.56 करोड़ रुपए
2	मूलधन की वापसी अदायगी	483.93 करोड़ रुपए

विवरण

1980-81 में प्राप्त होने वाली संभावित विदेशी आर्थिक सहायता अनुमानित बजट प्राप्तियों की राशि का विवरण।

करोड़ रुपए

देश/संस्था	राशि
क. देश	
1. आस्ट्रिया	4.09
2. बैल्जियम	5.80
3. कनाडा	17.94

1	2
4. डेनमार्क	11.18
5. फ्रांस	37.81
6. जर्मन संघीय गणराज्य	146.44
7. जापान	95.34
8. नीदरलैंड	93.07
9. नार्वे	15.89
10. स्वीडन	46.53
11. स्विट्जलैंड	13.21
12. यूनाइटेड किंगडम	197.02
13. संयुक्त राज्य अमेरिका	75.21
14. चेकोस्लोवाकिया	2.00
15. सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	45.00
16. इराक	84.88
17 ईरान	104·74
18 कुवैत निधि	10.31
19 सऊदी अरब निधि	26.66
ख. संस्थाएं पुनर्निर्माण	
20. अन्तर्राष्ट्रीय तथा विकास बैंक	119.35
21. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	467.78
22. आई. एफ. ए. डी.	6.41
23. यूरोपीय आर्थिक समुदाय	87.72
24. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ट्रस्ट निधि	540.00
25. तेल तथा पेट्रोलियम निर्यातक देश निधि	2.40
26. यू० एन० एफ० पी० ए०	12.59
27. संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि	6.04
28. विश्व स्वास्थ्य संगठन	0.71
29. फोर्ड निधि	0.03
जोड़	2276.14

बिजली की कमी के कारण बोकारो इस्पात संयंत्र को हुई हानि

635. **श्री छांगुर राम** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजली की कमी के कारण बोकारो इस्पात संयंत्र को बिक्री योग्य इस्पात के अपने उत्पादन में 60-70 प्रतिशत की कटौती करनी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1980 से लेकर बिजली की कमी के कारण बोकारो इस्पात संयंत्र को कितनी हानि हुई है;

(ग) संयंत्र में लगाई गई पूंजी पर प्रत्याशित वित्तीय लाभ, आय और रोजगार तथा देश में इस्पात की उपलब्धता पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी : (क) और (ख) यह कहना ठीक न होगा कि बोकारो इस्पात कारखाने को कभी हाल में केवल बिजली की कमी के कारण विक्रेय इस्पात के उत्पादन में 60 से 70 प्रतिशत की कमी करनी पड़ी। बोकारो जैसे सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने में अकेले बिजली के कारण उत्पादन में हुई हानि को अलग करना संभव नहीं है क्योंकि कोयले और बिजली आदि की कमी के कारण कारखाने के परिचालन पर परस्पर/सम्मिलित रूप से प्रभाव पड़ता है। बोकारो में विक्रेय इस्पात के उत्पादन में कमी मुख्यत: कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति और बिजली की आपूर्ति पर प्रतिबन्धों के कारण हुई है। फिर भी, दामोदर घाटी निगम से जनवरी, 1980 से अक्तूबर 1980 तक बिजली की कमी के कारण हुई उत्पादन की हानि के सांकेतिक आंकड़े का अनुमान लगाया गया है जो इस प्रकार हैं—

इकाई : हजार टन

जनवरी, 1980 से अक्तूबर, 1980 तक विक्रेय उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य	1219
वास्तविक उत्पादन	580
दामोदर घाटी निगम से मिलने वाली बिजली की आपूर्ति में कमी होने के कारण उत्पादन में अनुमानित कमी	376
निर्धारित लक्ष्य का प्रतिशत	31

(ग) और (घ) बिजली की कमी के कारण लगभग 30 करोड़ रुपए की हानि हुई है जो पूंजी निवेश पर लाभ रूप में 2.3 प्रतिशत बैठती है। रोजगार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि इस अवधि में श्रमिकों की जबरी छुट्टी नहीं की गई। जनवरी, 1980 से अक्तूबर, 1980 की अवधि में बोकारों में विक्रेय इस्पात की उपलब्धि में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में लगभग 6.4 लाख टन की कमी हुई। स्थिति में सुधार करने के लिए वफर इम्पोर्ट के अन्तर्गत 6,92,000 टन इस्पात का आयात करने के अलावा बैक-टू-बैक केनेलाइज्ड स्कीम के अन्तर्गत वास्तविक उपयोक्ताओं को भी प्रतिबन्धित मदों का सीधा आयात करने तथा खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन कुछ श्रेणियों का आयात करने की भी अनुमति दी गई है। मंशा यह है कि इस सभी प्रकार के आपात से देशीय उत्पादन में कमी को दूर किया जा सके। इस प्रकार चालू वर्ष में इस्पात की समग्र उपलब्धि लगभग उतनी ही रहेगी जितनी गत वर्ष थी। बोकारो इस्पात कारखाने में बिजली की स्थिति में सुधार करने के लिए किए गए/किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) दामोदर घाटी निगम से मिलने वाली बिजली की आपूर्ति पर लगे प्रतिबन्धों के प्रभाव को कम करने के लिए अन्तर्संयंत्र विद्युत उत्पादन में वृद्धि करना,

(2) बिजली की उपलब्धि की स्थिति की विभिन्न स्तरों पर निगरानी रखना। बिजली और कोककर कोयले की अधिकाधिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आदान सामग्री सप्लाई करने वाले अभिकरणों के साथ निकट तथा सतत सम्पर्क रखा जाता है।

(3) दीर्घकालिक उपाय के रूप में बोकारो इस्पात कारखाने में 60-60 मेगावाट के तीन तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाकर इसकी बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा रही है। आशा है इसकी पहली इकाई वर्ष 1982 की प्रथम तिमाही में चालू हो जाएगी।

निर्यात नीति का बदल जाना

*636. **श्री चित्त महाटा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान निर्यात नीति को बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) निर्यात नीति प्रत्येक वित्तीय वर्ष अप्रैल-मार्च के लिए घोषित की जाती है। वर्तमान निर्यात नीति में कोई बड़ा आशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि पृथक-पृथक वस्तुओं की निर्यात नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और घरेलू उपलब्धता और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए जहां कहीं भी आवश्यक हो परिवर्तन किये जाते हैं।

थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि

637. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर आंके जाने वाले मूल्य 18.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष अथवा उसके लगभग की दर से बढ़ रहे हैं ;

(ख) मार्च, 1977 से जुलाई, 1979 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई; और

(ग) सरकार का विचार मुद्रास्फीति की इस ऊंची दर को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) मुद्रास्फीति की वार्षिक दर, जैसी कि वह थोक मूल्य सूचकांक से मापी गई है, चालू वित्तीय वर्ष में 26.6.1980 को समाप्त हुए सप्ताह से 23.0 प्रतिशत से घटकर 1.11.1980 को समाप्त हुए सप्ताह में 16.7 प्रतिशत हो गई है जिसका नवीनतम सूचक अंक उपलब्ध है।

(ख) मार्च 1977 से जुलाई 1979 तक की अवधि के दौरान कीमतों में हुई वृद्धि 15.7 प्रतिशत बैठती है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि की दर जो जुलाई 1980 में 4.1

प्रतिशत थी, घटकर अगस्त में 1 प्रतिशत, सितम्बर में 1.7 प्रतिशत और अक्तूबर में 0.6 प्रतिशत रह गई है। वस्तुतः 25.10.1980 और 1-11-1980 को समाप्त हुए दो उत्तरोत्तर सप्ताहों में सूचकांक से तेजी से क्रमशः 1.2 प्रतिशत और 1.7 प्रतिशत की कमी हुई है। यह प्रवृत्ति आगामी महीनों के लिये शुभ लक्षण है। ऐसा सरकार द्वारा किये गये विभिन्न मुद्रास्फीति निरोधक उपाय करने के फलस्वरूप हुआ है। तथापि कीमतों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और उभरती हुई प्रवृत्तियों को देखते हुए जब भी आवश्यकता होगी अधिक उपाय किये जायेंगे।

कृषि क्षेत्र को दिये गये ऋणों की प्रस्तावित माफी

638. **श्री जगपाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने ऋणों की, विशेषतः कृषि क्षेत्र को दिये गये सहकारी ऋणों को माफ किये जाने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रश्नगत ऋणों की राशि सहित उनका ब्यौरा क्या है और राज्य सरकारों के प्रस्ताव के संबंध में सरकार ने यदि कोई निर्णय लिया है, तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार ने छोटे किसानों पर बकाया 16 करोड़ रुपये के तकाबी ऋणों, तथा 42 करोड़ रुपये के सहकारी ऋणों (मूलधन और ब्याज) को बट्टे खाते डालने के निर्णय की घोषणा की थी। महाराष्ट्र सरकार 30 जून, 1979 की स्थिति के अनुसार छोटे किसानों पर बकाया मूलधन और ब्याज की राशि को संबंधित वित्तीय संस्थाओं को अदा करने का विचार कर रही है और इसके लिए उनके बजट में 49 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। केरल सरकार ने उन किसानों द्वारा लिये गये सभी ऋणों पर से जिनके पास पहली अप्रैल, 1976 को दो हैक्टेयर से कम भूमि की ब्याज समाप्त करने तथा ऋण संस्थाओं को इससे होने वाली हानि को पूरा करने के निर्णय की घोषणा की है। उड़ीसा सरकार भयंकर सूखे से ग्रस्त क्षेत्रों के किसानों को ऋण राहत देने पर विचार कर रही है और इस कार्य के लिए उसने केन्द्र से 22.50 करोड़ रुपये के अनुदान की मांग की है।

केन्द्र सरकार का यह मत है कि सामान्य रूप से या बड़े पैमाने पर ऋणों को बट्टे खाते डालने का किसानों द्वारा वित्तीय संस्थाओं को ऋण की वापसी अदायगी के वातावरण, वित्तीय संस्थाओं की सुचारुता तथा उनके कृषि क्षेत्र को फिर से ऋण देने के चक्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान समय में, प्रतिकूल मौसम से प्रभावित किसानों को राहत देने के संबंध में मौजूदा प्रक्रिया में अत्यावधि ऋणों के दीर्घावधि ऋणों में परिवर्तन तथा उचितमामलों में ऋणों को बट्टे खाते डाल देने तक की व्यवस्था है। किसानों को मदद देने में, हानि की मात्रा तथा किसानों की बकाया अदा करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं प्रक्रियाओं को काम में लाया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार द्वारा, इस प्रयोजन के लिए किसी भी राज्य को, कोई केन्द्रीय अनुदान नहीं दिया जा सकता।

एयर इण्डिया के यातायात में कमी के कारण हानि

639. **श्री रशीद मसूद**
श्री राजेश कुमार सिंह
प्रो० अजीत कुमार मेहता
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा

} क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान एयर इंडिया के यातायात में कमी के कारण सरकार को भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो यदि एयर इंडिया को पिछले वर्ष इस कारण कोई हानि हुई थी तो उसकी तुलना में यह कितनी न्यूनाधिक है :

(ग) इसके मुख्य क्या कारण हैं और सरकार ने क्या कदम उठाये हैं जिनसे हानि कम से कम हो; और

(घ) इसकी आय को कम करने के लिए ईंधन मूल्यों में वृद्धि कहां तक जिम्मेदार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) एयर इण्डिया के राजस्व में वर्ष 1979-80 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में कोई गिरावट नहीं हुई है। वर्ष 1979-80 में, यातायात-राजस्व 1978-79 में 328.92 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 375.40 करोड़ रुपए हो गया जबकि कुल राजस्व 1978-79 में 354.68 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 1979-80 में 402.06 करोड़ रुपए हो गया। इसके बावजूद भी, कारपोरेशन को पिछले वर्ष 34.09 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ की तुलना में 15.09 करोड़ रुपए की शुद्ध हानि हुई।

(ग) और (घ) 1979-80 के दौरान एयर इण्डिया को हुई हानि के मुख्य कारण निम्न प्रकार है :

(1) 1979-80 के दौरान ईंधन के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि जिनके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में 65.93 करोड़ रुपए का अधिक भार पड़ा।

(2) लन्दन में हड़ताल; तथा

(3) बी-747 विमान परियोजना के ऋणों पर ब्याज में वृद्धि।

इनके अतिरिक्त, मूल्यों में सामान्य वृद्धि तथा मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्ति के कारण, वेतन तथा भत्तों के व्यय, कर्मचारी व्यय, विमान बीमे व भोजन सेवाओं में भी, जिनमें होटल आवास तथा केबिन कार्मिक सुविधाएं भी सम्मिलित हैं, काफी वृद्धि हुई।

हानि को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं :

(1) **राजस्व**

और अधिक यातायात संभावनाओं एवं अधिक अच्छी आमदनी वाली मार्किटों के लिए विमान सेवाओं की संख्या में वृद्धि; ऐसे मार्गों पर बी-707 विमान के बजाय बी-747 विमान सेवाएं चालू करना जहां और अधिक क्षमता की आवश्यकता है और जो उस क्षमता को बनाये रख सकते हैं।

(2) **व्यय**

कुछ अलाभकारी कार्यालयों को बन्द करना;

विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या का पुनरीक्षण करना;

ईंधन की खपत में यथासंभव कमी करना;

पूंजीगत व्यय को यथासंभव आस्थगित करने की दृष्टि से उसका पुनरीक्षण करना;

टेलीफोन, समयोपरि भत्ते, परिवहन आदि जैसी मदों पर होने वाले व्यय में कटौती करना ।

हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी लिमिटेड (एच० एस० सी० एल०) तथा केन्द्रमुख में छंटनी

640. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धक बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों की यह कहकर छंटनी कर रहे हैं कि वे फालतू हैं;

(ख) क्या सरकार को यह मालूम है कि केन्द्रमुख में भी 239 मजदूरों को छंटनी का नोटिस दे दिया गया है जिसमें से 100 मजदूर तो कुशल तथा उच्च स्तर के कुशल कारीगर हैं, और

(ग) यदि हां, तो इन मजदूरों को समीपवर्ती सूपा परियोजना तथा उसके द्वारा चलाई जा रही अन्य परियोजनाओं में रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) (क) : हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड मुख्य रूप से निर्माण कम्पनी है । जैसे ही किसी विशेष स्थल पर कार्य समाप्त हो जाता है वहां लगाए गए श्रमिक फालतू हो जाते हैं और यदि उन्हें किसी अन्य स्थलों पर अन्तरित/खपाया न जा सके तो उनकी छंटनी करनी पड़ती है ।

(ख) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को केन्द्रमुख परियोजना में दिए गए कार्य के पूर्ण हो जाने पर कम्पनी के 429 विभागीय कर्मचारी फालतू हो गए थे । इनमें से 239 श्रमिकों की 24.9.1980 को छंटनी कर दी गई थी । छंटनी किये गए उपर्युक्त श्रमिकों में कुशल तथा अत्यन्त कुशल श्रेणियों के 100 श्रमि शामिल नहीं थे । लेकिन इनमें 32 कुशल तथा एक अत्यन्त कुशल श्रमिक शामिल थे ।

(ग) इस समय हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० की सूपा स्थित इकाई सहित अन्य किसी भी इकाई में श्रमिकों की आवश्यकता नहीं है । लेकिन यदि भविष्य में श्रमिकों को भर्ती करने की आवश्यकता पड़ी तो हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड छंटनी किए गए कर्मचारियों को ही प्राथमिकता देगी । यहां यह भी बता दिया जाए कि छंटनी किए गए श्रमिकों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने स्थानीय रोजगार केन्द्रों को इन श्रमिकों की सूची भेजी है तथा यह सूची उस क्षेत्र में स्थित सरकारी क्षेत्र के अन्य सभी उपक्रमों को भी परिचालित की गई है ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

641. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी 1 सितम्बर, 1980 से मंहगाई भत्ते की एक और किस्त के हकदार हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का निर्णय क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एस० सिसोदिया) : (क) अगस्त, 1980 के अंत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का 12 महीने का औसत 376 पर पहुंचने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1.9.85 से मंहगाई भत्ते की एक और किस्त विचार करने योग्य हो गयी है।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

राशन की दुकानों में कार्डधारी को चीनी, चावल और गेहूं न मिलना

642. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि राजधानी में राशन/लोक वितरण प्रणाली बड़े संकट में आ गई है और अधिकतर कार्डधारियों को राशन की दुकानों से चीनी चावल, गेंहू आदि नहीं मिलता है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) (क) : दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली में उचित दर की दुकानों के माध्यम से दी जाने वाली वस्तुओं की सप्लाई में कोई कमी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी ऋण-ग्रस्तता

643. **श्री राम लाल राही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत की कुल ऋण-ग्रस्तता कितनी है और इसमें जनवरी, 1980 में किस हद तक वृद्धि हुई है; और

(ख) भारत को सबसे अधिक राशि किस देश को देनी है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) (क) : 30 सितम्बर, 1980 को भारत की कुल विदेशी देनदारी 13, 193.54 करोड़ रुपए थी। जनवरी, 1980 में इस देनदारी में 47.19 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका।

उत्तर प्रदेश के लैन्सडाऊन में सोने के निक्षेप मिलने का संकेत

644. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के गढ़वाल में लैन्सडाऊन में सोने के निक्षेप होने के संकेत मिले हैं ;

(ख) क्या इस संबन्ध में व्यापक खोज की गई; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) (क) जी हां।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश सरकार के भूतत्व और खनन निदेशालय, जिन्हें 1979-80 में अपने प्रारंभिक सर्वेक्षण के दौरान पौड़ी और गढ़वाल जिले के लैन्सडाऊन वन प्रभाग और कालागढ़ क्षेत्र की नाला तलहटी में सोना होने के संकेत मिले थे, ने उक्त क्षेत्र में मानचित्रण, सर्वेक्षण और नमूनों द्वारा खोज का काम शुरू कर दिया है इस समय विस्तृत खोज का सवाल नहीं उठता और यह काम प्रारम्भिक खोज के परिणाम ज्ञात होने के बाद ही किया जाएगा।

लौह अयस्क की पतनों की ढुलाई न किए जाने के कारण हानि

645. **श्री राम विलास पासवान** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैगनों की कम सप्लाई के कारण पतनों को लौह अयस्क की ढुलाई न हो सकने के कारण वर्ष 1980 के पहले चार महीनों में और उसके बाद (अब तक) सरकार को कितनी हानि होने का अनुमान है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में निर्यात की वचनबद्धता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम को कोई हानि नहीं हुई है और वह अप्रैल-अक्तूबर 1980 के लिए निर्धारित 8.60 मिलियन मे० टन के अपने निर्यात लक्ष्य से आगे निकलने में समर्थ हो गया है।

(ग) रेलवे वैगनों की उपलब्धता को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगस्त 1980 के बाद से रेलवे वैगनों की पूर्ति में कुछ सुधार हुआ है। स्थिति पर प्रति दिन के आधार पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक मूल्य वृद्धि

646. **श्रीमती गीता मुखर्जी**
श्री जो०एम०बनातवाला } : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष जून से प्रत्येक मास के हर सप्ताह के अन्त में मूल्य सूचकांक में प्रतिशत वृद्धि का सप्ताह-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) मूल्यों में इस वृद्धि के क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) गत पांच महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में मिश्रित रुख रहा है, क्योंकि कुछ आवश्यक वस्तुओं के सूचकांकों में वृद्धि हुई है। कुछ के सूचकांक स्थिर रहे हैं और कुछ के सूचकांकों में गिरावट आई है।

(ख) वस्तु समूहों के थोक मूल्य सूचकांकों में साप्ताहिक उतार-चढ़ाव का प्रतिशत अनुबन्ध में दिया गया है। (**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1378/80**)

(ग) सामान्य स्फीतिकारी स्थिति के अलावा, कुछ वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि, कुछ आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में आई कमी, 1979 के व्यापक सूखे, पेट्रोलियम-उत्पादों के मूल्यों में हुई वृद्धि, समर्थन/वसूली मूल्यों में हुई वृद्धि, बिजली की सप्लाई में आई कमी, संचलन सम्बन्धी बाधा और मौसमजन्य कारणों की वजह से कही जा सकती है।

1980 के दौरान निर्यात की गई चीनी की मात्रा

647. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980 के दौरान चीनी का कोई निर्यात किया गया; और

(ख) यदि हां, तो किन देशों को चीनी का निर्यात किया गया और कितने मूल्य पर उसका निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) 1980 के दौरान चीनी के देशवार निर्यात और मूल्य, जिस पर निर्यात किया गया, निम्नलिखित हैं :

देश	मात्रा (मे० टन)	मूल्य : पौंड स्टर्लिंग प्रति मे० टन
1. ब्रिटेन	24,440	211.146 सी० आई० एफ० एफ० ओ० यू० के० पोर्ट
2. श्रीलंका	20	357.50 एफ० ओ० बी०
3. नेपाल	1,500	389.50 एक्स० एस० टी० पी० गोदाम
4. सूडान	11,550	230.20 एफ० ओ० बी० एस०
5. मिश्र	11,550	230.20 एफ० ओ० बी० एस०
6. डी० पी०आर० के०	5,250	233.00 एफ० ओ० बी० एस०
7. बंगला देश	10,000	235.00 एफ० ओ० बी० एस०

विदेशी मुद्रा के नकली क्रय-विक्रय में ओरियेंटल बैंक आफ कामर्स का हाथ

648. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स थापर्स, नई दिल्ली द्वारा विदेशी मुद्रा के नकली क्रय-विक्रय सम्बन्धी जालसाजी में ओरियेंटल बैंक आफ कामर्स का हाथ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस विदेशी मुद्रा की राशि 45 करोड़ रुपयों से अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स ने क्रय-विक्रय का ऐसा कोई सौदा नहीं किया है जिसमें थापर्स की ओर से किसी प्रकार की विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त हो। तथापि, इस बैंक से सम्बद्ध

विदेशी मुद्रा के लेने-देने सम्बन्धी एक मामले की, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है। इस स्थिति में, एतत्सम्बन्धी और जानकारी देना जनहित में नहीं होगा।

विदेशों में तैनात एयर इण्डिया के कर्मचारियों पर भारी व्यय

649. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया ने अपने 2190 कर्मचारियों को विदेशों में रखने के लिए 1979-80 में अपने वेतन बिलों का आधा अर्थात् 25 करोड़ रुपए खर्च किए जबकि देश में 13160 कर्मचारियों के रख-रखाव पर केवल 27 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए; और

(ख) यदि हां, तो विदेशों में 2190 कर्मचारियों की फौज रखना कहां तक तर्कसंगत है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) वर्ष 1979-80 के दौरान विदेशों में नियुक्त 2,190 कर्मचारियों तथा भारत में नियुक्त 13,160 कर्मचारियों का वेतन बिल क्रमश: 23.89 करोड़ रुपए तथा 26.94 करोड़ रुपए था।

(ख) एयर इंडिया के विदेशों में 40 ऑन-लाइन तथा 61 ऑफ-लाइन कार्यालय हैं। विदेशों में 2,190 कर्मचारियों में से 1,538 कर्मचारी यातायात तथा विक्रय विभागों में कार्य करते हैं। कारपोरेशन अपने यातायात राजस्व का 75% भाग विदेशों से अर्जित करता है और विदेश स्थित कार्यालयों में नियुक्त कर्मचारियों का औसत वेतन भारत में नियुक्त कर्मचारियों के वेतन से लगभग पांच गुना बनता है। परन्तु विदेशों में प्रति कर्मचारी अधिक खर्चे को दृष्टि में रखते हुए, एयर इंडिया द्वारा, जहां कहीं सम्भव हो सकता है, यान्त्रिकीकरण करने तथा अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने के सभी प्रयत्न किए जाते हैं। कर्मचारियों की वर्तमान संख्या प्रत्येक स्टेशन की मानव-शक्ति सम्बन्धी विस्तृत जांच करने के बाद है, यद्यपि जहां कहीं सम्भव होता है, कार्य-क्षमता को प्रभावित किए बिना कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने के लगातार प्रयत्न किए जाते हैं।

राष्ट्रीय नागरिक पूर्ति निगम की स्थापना करना

650. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की सरकारी नीति देखते हुए राज्यों को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु एक राष्ट्रीय नागरिक पूर्ति निगम की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राज्यीय विमान सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव

651. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्यीय विमान सेवा आरम्भ करने के बारे में विभिन्न राज्यों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) क्या यात्रियों की संख्या में वृद्धि और राज्य में अधिक सुविधाओं की आवश्यकता को देखते हुए, मध्य प्रदेश सरकार ने इस तरह की विमान सेवा आरम्भ करने के बारे में लगभग दो वर्ष पहले एक प्रस्ताव भेजा था; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) फीडर सेवाओं/तीसरी वायु सेवाओं के परिचालन के लिए मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की फीडर सेवाओं/तीसरी विमान सेवाओं के परिचालन के सामान्य प्रश्न पर, जिस पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है, कोई अन्तिम निर्णय ले लिए जाने के बाद जांच की जाएगी ।

भारत तथा रूमानिया के बीच व्यापार

652. **श्री हीरालाल आर० परमार**
श्री केशवराव पारधी } : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा रूमानिया ने एक करार के अधीन आपसी व्यापार में 10 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा का ब्यौरा क्या है और यह करार कब लागू हो जाएगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) हालांकि व्यापार बढ़ाने के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया, तथापि दोनों पक्ष अपने विपक्षीय व्यापार के विस्तार और विविधीकरण के अपने प्रयासों को जारी रखने पर सहमत हुए जिससे कि 1981-85 की अवधि के दौरान व्यापार आदान-प्रदान की मात्रा को दुगुना किया जा सके ।

रुग्ण एककों को दिए परन्तु वसूल न किए जा सके बैंक ऋण

653. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुग्ण एककों को दिए गए भारी राशि के बैंक ऋण वसूल नहीं किए जा सके हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे एककों को भारत के औद्योगिक विकास बैंक, जीवन बीमा निगम तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया जैसे वित्तीय संस्थानों द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है और 1 जून, 1980 तक इन एककों की ओर ऋण के रूप में कितनी राशि बकाया थी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बारोट) : (क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा उन रुग्ण औद्योगिक एककों को, जिनको बैंक ऋण सीमा एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की है, दी जाने वाली वित्तीय सहायता के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक तिमाही आधार पर सूचना एकत्र करता है । भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध बिल्कुल हाल की सूचना के अनुसार, 30 जून, 1979 की स्थिति के मुताबिक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की ऋण सीमाओं वाले उन 345 एककों को, जिन्हें रुग्ण एकक माना गया है दिए गए अग्रिमों की राशि

1101.72 करोड़ रुपये थी। रुग्ण एककों को उनकी युक्ति संगत आवश्यकताओं के आधार पर अग्रिम किए जाते हैं और वे बैंक वित्त के सम्बन्ध में सहमत शर्तों के अनुसार वसूली योग्य होते हैं।

(ख) सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा रुग्ण एककों को दी गयी वित्तीय सहायता की बकाया राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये)

सरकारी वित्तीय संस्थाओ का नाम	रुग्ण एककों को दी गयी वित्तीय सहायता
1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (30 जून, 1980 की स्थिति के अनुसार)	63.30
2. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (30 जून, 1980 की स्थिति के अनुसार)	135.27
3. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (30 जून, 1980 की स्थिति के अनुसार)	44.26
4. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम (30 जून, 1980 की स्थिति के अनुसार)	60.92
5. भारतीय जीवन बीमा निगम (30 जून, 1980 की स्थिति के अनुसार)	5.74
6. भारतीय यूनिट ट्रस्ट (30 जून, 1980 की स्थिति के अनुसार)	यह रुग्ण एककों को कोई ऋण नहीं देता।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की प्रगति

654. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान योजना आयोग ने इस इस्पात संयंत्र के प्रति क्या रुचि दिखाई हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना से सम्बन्धित विभिन्न अवस्थापना कार्य तथा निर्माण-पूर्व कार्य संयंत्र-स्थल पर चल रहे हैं। संयंत्र, बस्ती तथा आफ-साइट सुविधाओं के लिए अपेक्षित 26,600 एकड़ भूमि में से 14308.39 एकड़ भूमि सितम्बर, 1980 के अन्त तक प्राप्त कर ली गई थी। स्थल को समतल करने का कार्य चल रहा है तथा 31-10-1980 तक लगभग 80 लाख घनमीटर से अधिक मिट्टी का काम पूरा हो गया था। कारखाने को दूसरे भागों से मिलाने वाली सड़कों, निर्माण कार्य के लिए पानी और बिजली पहुंचाने की व्यवस्था, स्थल-कार्यालयों, स्टोरेज शेड, निर्माण-प्रयोगशाला आदि से सम्बन्धित कार्य चल रहे हैं। राज्य-सरकार विस्थापित परिवारों को फिर से बसाने के लिए तेजी से कार्यवाही कर रही है।

रेलवे ने इस्पात कारखानों के लिए साइडिंग तैयार करने का कार्य आरम्भ कर दिया है। 30-9-1980 तक परियोजना पर कुल 35.55 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके थे।

कारखाने के लिए पहले तैयार किए गए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में संशोधन किया जा रहा है। संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का रूसी भाग प्राप्त हो गया है। आशा है कि सम्पूर्ण संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नवम्बर, 1980 के अन्त तक प्राप्त हो जाएगा।

(ख) 1980-81 की वार्षिक योजना में विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के लिए 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

सामान्य बीमा निगम के कर्मचारियों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का लागू होना

655. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय इस बात पर जोर देता है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 सामान्य बीमा निगम पर लागू नहीं होता है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) तथा (ख) साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतनमान तथा अन्य सेवा शर्तें साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर बनाई गई सांविधिक स्कीमों द्वारा निर्धारित की जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए, जहां तक सांविधिक स्कीमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों का सम्बन्ध है, उनमें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को साधारण बीमा उद्योग पर लागू होने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

महंगाई भत्ते को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में समाहित करना

656. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूल्य सूचकांक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जिससे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, तृतीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, उनके वेतन में समाहित किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों के समस्त मंहगाई भत्ते को उनके वेतन में सम्मिलित करने के पश्चात् मंहगाई भत्ते की घोषणा करने का है, यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तीसरे वेतन आयोग ने वेतन के साथ मंहगाई भत्ते के विषय के सम्बन्ध में कोई विशेष सिफारिश नहीं की थी। उसने केवल इतनी ही शिफारिश की थी कि क्या मंहगाई भत्ते के एक भाग को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए वेतन के रूप में माना जाना चाहिए, इस प्रश्न पर सरकार द्वारा विभिन्न विचारों को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया जाता रहना चाहिए।

(ख) 30-9-77 से, अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोगता मूल्य सूचकांक के औसत सूचकांक स्तर 272 तक जो मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है, उसे पेंशन सम्बन्धी लाभों के प्रयोजन के लिए वेतन के साथ विलय माना गया है राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्श दायी तन्त्र) के कर्मचारी पक्ष ने 12 मास के औसत सूचकांक स्तर 344 तक स्वीकृत मंहगाई भत्ते को सभी प्रयोजनों के लिए वेतन के साथ विलय करने की मांग की है। इस मांग को राष्ट्रीय परिषद की एक समिति को भेज दिया गया है।

बिहार में पटसन की खरीद

657. **श्री जमीलुर्रहमान** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम ने बिहार में पटसन खरीदने के लिए कोई केन्द्र खोला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1979-80 में तथा वर्ष 1980-81 में अब तक बिहार में पटसन खरीदने के लिए भारतीय पटसन निगम ने कुल कितनी धनराशि का अग्रिम ऋण दिया और कितनी धनराशि खर्च की ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय पटसन निगम के केन्द्रों की एक सूची विवरण-1 में दी गई है।

(ग) जानकारी, विवरण-2 में दी गई है।

विवरण 1

जिला	केन्द्र	उपकेन्द्र
(1) पुर्णिया जिला	किशनगंज	
	फोरबेसगंज	
	रानीगंज	
	गुलाबबाग	
	अरारिया कर्ट	
	गरबनाइली	
(2) टिहार जिला	सालमारी	दुर्गागंज
(3) पूर्व चम्पारन जिला	चाकिया	मधुवन
		हरसिद्धि
		साहेबगंज
(4) प० चम्पारन जिला		बेट्टिहा
(5) सहरसा जिला	मुलीगेलू	जादिया
	त्रिवेणीगंज	छत्तापुर
	बिहारी गंज	पुरेनी
	सुपाल	गोलपारा
		थुमा
(6) मधुबनी जिला	झनझनपुर	

विवरण-2

वर्ष	पेशगी राशि	खर्च की गई राशि
	(लाख रु० में)	
1979-80	873.55	871.49
1980-81 (11-11-80 तक)	329.92	280.00 (अनुमानित)

फ्रांस के सहयोग से उड़ीसा में एल्यूमिनियम कम्पलेक्स की स्थापना

658. **श्री के० प्रधानी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में फ्रांस के सहयोग से उड़ीसा में एक एल्यूमिनियम कम्पलेक्स स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) क्या इस परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने में सुविधा होगी ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) स्थानीय लोग यदि परियोजना की विभिन्न नौकरियों के लिए निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करते होंगे तो इस सम्बन्ध में सरकारी निर्देशों और मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार वे भी परियोजना में रोजगार के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे।

राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट

659. **श्री एस० एम० कृष्णा**
श्री जी० एस० बनातवाला } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य सरकार ने 30 सितम्बर, 1980 को समाप्त होने वाली दूसरी तिमाही में अनुमानत: सीमा से अधिक कितनी राशि के ओवर ड्राफ्ट किए हैं;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि ओवरड्राफ्टों में उक्त वृद्धि से देश में मुद्रास्फीति की स्थिति और अधिक खराब होगी;

(ग) क्या सरकार रिजर्व बैंक को ऐसा निर्देश देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि वह उन राज्यों के मामले में और आगे अदायगी करना बन्द करदे जिन्होंने अपनी सीमाओं का अत्यधिक अतिक्रमण किया है; और यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(घ) ओवरड्राफ्टों की अनुमत्त सीमाओं को लागू करने के लिए सरकार का विचार अन्य क्या उपाय लागू करने का है; और

(ङ) क्या सरकार ओवरड्राफ्टों की वर्तमान योजना का पुनरीक्षण करना जरूरी समझती है, और यदि हां, तो ऐसे किसी पुनरीक्षण का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राजमंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) 30 सितम्बर, 1980 की स्थिति के अनुसार राज्यों के ओवरड्राफ्ट इस प्रकार हैं :—

	करोड़ रुपये
मध्य प्रदेश	7.61
राजस्थान	23.34
पश्चिमी बंगाल	59.44

(ख) सरकार को पता है कि ओवरड्राफ्टों के बढ़ने से मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होगी।

(ग) और (घ) राज्यों के ओवरड्राफ्टों का विनियमन करने विषयक स्कीम के अनुसार, जो भारतीय रिजर्व बैंक और योजना आयोग के परामर्श से लागू की गयी, रुपयों से अपने व्यय की गति का प्राप्तियों के साथ समायोजन करने और 7 कार्य दिवसों से अधिक समय के लिए रिजर्व बैंक के साथ अपने खातों में ओवरड्राफ्टों को टालने की आशा की जाती है। राज्यों के ओवरड्राफ्ट अपनी प्रतिदिन की नकद स्थिति को दर्शाते हैं और उनका परिमाण दिन प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है। ओवरड्राफ्ट या तो राज्यों के बजट में संरचनात्मक असन्तुलन के कारण होते हैं या राज्यों के नकद प्रोवाह में अस्थायी असमानता के कारण होते हैं। सरकार उन राज्यों के साथ लगातार बातचीत करती रही हैं जिन्होंने बजट में संरचनात्मक असन्तुलन की स्थिति को ठीक करने के लिए ओवरड्राफ्ट ले रखे ह।

(ङ) फिलहाल राज्यों के ओवरड्राफ्टों का विनियमन करने की विद्यमान स्कीम में संशोधन करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

दिल्ली और देश के अन्य भागों के बीच बोइंग सेवा

660. **श्री तैयब हुसैन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा बोइंग सेवा आरम्भ करने के लिए क्या मानदंड है; और

(ख) दिल्ली से देश के अन्य भागों तक इस समय कितनी बोइंग सेवायें चल रही हैं और गत: छ: महीनों में उनके यात्रियों की संख्या क्या थी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) दो शहरों के बीच एक बोइंग सेवा का परिचालन करने के लिए आवश्यक कसौटियां निम्नलिखित हैं —

—यात्री यातायात की मात्रा।

—विमान क्षेत्र की उपयुक्तता।

—विमानों की उपलब्धता।

—दो स्थानों के बीच दूरी।

—अन्य विचार जैसे परिवहन के वैकल्पिक साधनों की उपलब्धता।

(ख) इंडियन एयरलाइंस इस समय दिल्ली से देश के अन्य भागों के लिए 16 बी-737 सेवाओं का परिचालन कर रही है। पिछले छ: महीनों के दौरान प्रत्येक सेवा की लाग की दर संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

पिछले छः महीनों के दौरान दिल्ली क्षेत्र से परिचालित की गयी बी-737 सेमाओं का विवरण ।

क्रम सं०	सेवा संख्या	मार्ग	मासिक सीट अनुपात% (बी-737) 1980					
			मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर
1.	407-408	दिल्ली—आगरा—खजुराहो—वाराणसी	43.4	31.4	51.3	63.7	48.4	61.3
2.	409-410	दिल्ली— लखनऊ—पटना—रांची—कलकत्ता	37.6	63.0	55.8	46.8	47.9	55.6
3.	413-414	दिल्ली—काठमांडू	41.0	34.7	37.1	50.9	39.4	65.5
4.	423-424	दिल्ली—अमृतसर—श्रीनगर	72.4	71.3	70.9	68.1	45.2	72.4
5.	425-426	दिल्ली—श्रीनगर	63.8	71.6	37.8	67.1	59.1	88.4
6.	429-430	श्रीनगर—लेह (सप्ताह में तीन बार)	78.2	66.6	72.1	69.7	37.9	32.3
7.	431-432	दिल्ली—लाहौर (सप्ताह में दो बार)	30.6	29.6	32.0	36.4	37.7	34.5
8.	437-438	दिल्ली—श्रीनगर (सप्ताह में चार बार)	63.2	70.8	46.5	83.8	—	—
9.	439-440	दिल्ली—नागपुर—मद्रास	77.3	73.1	65.1	—	—	—
10.	441-442	दिल्ली—करांची (सप्ताह में दो बार)	38.3	28.4	32.3	25.7	19.0	19.9
11.	451-452	दिल्ली—कावुल (सप्ताह में दो बार)	24.8	23.3	21.2	29.1	28.1	23.7
12.	461-462	दिल्ली—अहमदाबाद—बम्बई	79.5	66.5	55.2	42.0	43.3	52.2
13.	463-464	दिल्ली—बम्बई	—	—	—	73.4	75.3	77.1
14.	489-490	दिल्ली—लखनऊ—पटना	—	—	—	20.0	30.2	33.0
15.	491-492	दिल्ली—जयपुर—उदयपुर—औरंगबाद—बम्बई	54.4	54.5	42.9	57.9	55.6	65.5
16.	493-494	दिल्ली—जयपुर—अहमदाबाद—बम्बई	—	15.1	26.7	50.2	67.2	76.2

रबड़ बोर्ड की नई वृक्षारोपण योजना के कार्यान्वयन में बिलंब

661. **श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रबड़ बोर्ड की नई वृक्षारोपण योजना के कार्यान्वयन में क्या बिलम्ब है जबकि यह योजना एक वर्ष से अधिक समय से भारत सरकार के पास पड़ी है;

(ख) जबकि हाल ही में रबड़ की उत्पादन-लागत बहुत अधिक बढ़ गई है तो क्या कारण है कि भारत सरकार रबड़ का निम्नतम मूल्य बढ़ाने के लिए कार्यवाही नहीं कर रही है; और

(ग) क्या सरकार रबड़ की खेती करने वाले छोटे किसानों के लिए छिड़काव संबंधी, राज सहायता, जो पिछली, सरकार द्वारा बन्द कर दी गई थी, पुनः आरम्भ करने के लिए कोई कदम उठा रही है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) अप्रैल, 1980 में रबड़ बोर्ड से प्राप्त रबड़ बागान विकास योजना पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(ख) रबड़ की उत्पादन लागत की समीक्षा करने के पश्चात् रबड़ की न्यूनतम कीमत को जो अगस्त 1977 में 655 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित की गई थी, 18 अप्रैल, 1979 से बढ़ाकर रबड़ के आर० एम० ए-1 ग्रेड के लिए 825 रु० प्रति क्विन्टल कर दिया गया तथा अन्य ग्रेडों के लिए कीमतें भिन्न-भिन्न रखी गई थीं। तब से औसत कीमतें इससे काफी ऊपर रही हैं।

(ग) छिड़काव सम्बन्धी उपदान को पुनः आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सर्प-चर्म के निर्यात पर प्रतिबन्ध

662. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्प चर्म के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है; यदि हां तो कब से और किन कारणों से; और

(ख) प्रतिबन्ध लगाए जाने से पूर्व गत तीन वर्षों के सम्बन्ध में सर्प चर्म के निर्यात एवं उसके मूल्य आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खां) : (क) जी हां, कृषि मंत्रालय की सिफारिश पर सर्प चर्म के निर्यात पर पारिस्थितिक कारणों से 18 दिसम्बर, 1975 से रोक लगा दी गई थी।

(ख) 1975-76 से 1978-79 के दौरान सर्प चर्म के निर्यातों की मात्रा तथा उनका मूल्य दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

सर्प चर्म के निर्यात आंकड़े

(मात्रा : हजार अददों में)
(मूल्य लाख रु० में)

वर्ष	कोबरा के अलावा सर्प चर्म			
	बिना साफ की हुई		कमाई हुई	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1975-76	—	—	999	151.97
1976-77	—	—	3076	364.76
1977-78	I	4.13	26	122.06
1978-79	—	—	—	—

स्रोत : भारत के विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े ।

टिप्पणी : आंकड़े अनन्तिम हैं और इनमें परिवर्तन हो सकता है । वर्ष 1977-78 की मात्रा की इकाई मे० टनों में है ।

विभेदक ब्याज-दर योजना के अधीन राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण

663. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को वरीयता प्राप्त क्षेत्र की योजनाओं अथवा बीस-सूत्री कार्यक्रम अथवा "विभेदक ब्याज-दर योजना" के अधीन दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ उनके अदान-प्रदान के बारे में कोई निदेश-पद जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीयकृत बैंक ने "विभेदक ब्याज-दर योजना" के अधीन कृषकों तथा अन्य ऋण लेने वालों के वित्तपोषण के लिये विभिन्न राज्य सरकारों को कितनी राशि के ऋण दिये हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि एक राष्ट्रीकृत बैंक को यह आदेश दिये गये थे कि वह एक पुल निर्माण निगम के लिए जो कि वाणिज्य बैंक के कार्यक्षेत्र से बाहर पड़ता था राज्य सरकारों की गतिविधियों के लिए वित्तपोषण करें ; और

(घ) यदि हां, तो सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) : भारतीय रिर्जब बैंक ने अक्तूबर, 1980 में राज्य सरकारों को उन निर्धारित क्षेत्रों के बारे में सलाह दी है जिनमें राज्यों द्वारा प्रोत्साहित किए जाने की कार्यवाही से बैंकों को, 20-सूत्री कार्यक्रम तथा विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वालों सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उत्तरोत्तर अधिक ऋण देने में सहायता मिलेगी ।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए राज्य निर्माण द्वारा तैयार की गयी विशिष्ट तथा वाणिज्यक दृष्टि से सक्षम योजनाओं के सम्बन्ध में विभेदी ब्याज दर

योजना के अन्तर्गत बैंकों को इन निगमों के माध्यम से अग्रिम देने की अनुमति है। इस प्रकार दिए गए ऋण के सम्बन्ध में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। दिसम्बर, 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋणों की कुल बकाया राशि 141 करोड़ रुपए थी जिसमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभ प्राप्त कर्त्ताओं को दिए गए ऋणों का अंश 61 करोड़ रुपए (43.4 प्रतिशत) था।

(ग) और (घ) मई, 1979 में आवास वित्त के संबंध में बैंकों के नाम मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए जाने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ छोटे पुलों को 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक की लागत के लिए जो अर्थक्षम समझे गए थे, उत्तर प्रदेश राज्य पुल निगम लिमिटेड के वित्तपोषण के लिए वाणिज्यिक बैंकों के कतिपय ऋण प्रस्तावों को प्राधिकृत किया था। परन्तु उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों के जारी किए जाने के साथ बैंकों को परामर्श दिया गया है कि आधारभूत सुविधाओं (पुलों सहित) के निर्माण के सम्बन्ध में होने वाले व्यय का वित्तपोषण युक्ति युक्त तरीके से सरकारी संसाधनों से किया जाना चाहिए और वाणिज्यिक बैंकों को इस प्रकार की परियोजनाओं का वित्त-पोषण नहीं करना चाहिए ।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आर्थिक अन्तर को कम करने के उपाय

664. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण और शहरी जन संख्या की पृथक-पृथक प्रतिशतता कितनी है;

(ख) इन क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय और राज्य बजट का कितने-कितने प्रतिशत भाग प्रदान किया जा रहा है;

(ग) इन दोनों क्षेत्रों की पृथक-पृथक प्रति व्यक्ति आय कितनी है;

(घ) इनमें अन्तर होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) जनसंख्या के अनुपात में राष्ट्रीय/सरकारी बजट का बराबर-बराबर आबंटन कर इन क्षेत्रों के बीच आर्थिक अन्तर को कम करने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) (क) : वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार देश की 80 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में और 20 प्रतिशत जनता शहरी क्षेत्रों में रहती है ?

(ख) केन्द्रीय और राज्य बजटों में व्यय के जो आंकड़े दिए गए हैं उनका ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के व्यय के अनुसार अलग से वर्गीकरण करना वश की बात नहीं है। इसलिए उसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का अलग-अलग हिस्सा बताना सभव नहीं है।

(ग) केन्द्रीय सांख्यिकीक संगठन, जो देश की राष्ट्रीय और प्रतिव्यक्ति आय का अनुमान लगाने के लिए सरकारी अभिकरण है, ग्रामीण और शहरी प्रति व्यक्ति आय को अलग-अलग संकलित नहीं करता।

(घ) और (ङ) : वर्तमान आय में कमी, क्षेत्रीय और अन्य विषमताएं सरकार के लिए लगातार चिन्ता का विषय बनी हुई है। 1951 में आयोजना युग के आरम्भ से लगातार देश के एकीकृत विकास की नीति पर ही बल दिया जाता रहा है। कृषि, सिंचाई ग्रामीण और लघु उद्योगों तथा

ग्रामीण परिवहन के विकास पर जोर दिया जाता रहा है 1980-85 की पंचवर्षीय आयोजना के ढांचे में यह स्वीकार किया गया है कि 'अधिकतम निर्धनता ग्रामीण क्षेत्रों में ही पाई जाती है,' और समस्या का समाधान तीव्रगति से ग्रामीण विकास करने से ही होगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए वे आयोजना के ढांचे में बताए गये हैं केंद्र और राज्यों की बजट संबंधी नीतियों का निर्माण, और संसाधनों का क्षेत्रीय आवंटन पंचवर्षीय आयोजनाओं में दी गई प्राथमिकताओं और उनमें शामिल किए गए कार्यक्रमों के अनुसार ही होता है।

मध्य प्रदेश और राजस्थान में अफीम की खेती करने वालों को दिये गए पट्टों की संख्या

665. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान में अफीम के दिए गए पट्टों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या झबुओं जिले की पेटलावाड तहसील के खेती करने वालों को पट्टे न दिये जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) वर्ष 1979-80 के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान में अफीम की काश्त के लिए जारी किए गए पट्टों (लाइसेंसों) की संख्या क्रमशः 71,689 और 55,760 थी।

(ख) और (ग) एक शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच करने पर यह पता चला है कि जिन काश्तकारों को लाइसेंस नहीं दिए गए थे, वे या तो नये काश्तकार थे अथवा वे काश्तकार थे, जिन्हें, फसल वर्ष 1979-80 के दौरान औसत पैदावार कम देने के कारण, लाइसेंस-विहीन कर दिया गया था। लाइसेंस जारी करने विषयक सिद्धांतों के अनुसार इन वर्गों के काश्तकार लाइसेंस पाने के पात्र नहीं हैं।

बिहार में पारसनाथ, सूर्यकुण्ड, राष्ट्रीय उद्यान आदि का विकास

666. **श्री रोतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या पर्यटन और नागर विमान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पर्यटन और विमानन क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से कम पूंजी निवेश किया गया है जिसके फलस्वरूप उस राज्य में पारसनाथ (गिरिडीह), सूर्य कुण्ड (बड़कथ-हजारी बाग), राष्ट्रीय उद्यान (हजारी बाग) तिलैया बांध (हजारी बाग) कजरप्पा (गोता) आदि जैसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों को देखने के लिए कम पर्यटक आते हैं;

(ख) क्या वहां विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकों के लिए होटलों, रेस्तराओं आदि की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा अर्जित करने की दृष्टि से इन स्थलों को पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकसित करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा): (क) केन्द्रीय सेक्टर में पर्यटन का विकास-कार्य और इसलिए पर्यटक सुविधाओं में पूंजी-निवेश राज्य वार आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि विदेशी पर्यटकों और साथ ही देश के अन्य भागों से स्वदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करने में अभिरूचि के विभिन्न स्थानों की सम्भाव्यता पर किया जाता है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा समय-समय पर किए गए विदेशी पर्यटकों सम्बन्धी सर्वेक्षणों से यह पता चला है कि विदेशी पर्यटक प्रश्न में उल्लिखित केन्द्रों की यात्रा नहीं करते। विदेशी पर्यटकों द्वारा बिहार में जिन केन्द्रों की यात्रा की जाती है, वे ये हैं—बोध गया, राजगीर और नालन्दा के बौद्ध केन्द्र तथा पटना। इसीलिए केन्द्रीय सेक्टर में पर्यटक सुविधाओं का विकास इन्हीं केन्द्रों पर किया गया है। तथापि, पिछली योजना अवधियों में केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने डी० वी० सी० क्षेत्र में विश्राम-गृहों के निर्माण पर और डी० वी० सी० क्षेत्र तथा साथ ही पालामाऊ नेशनल पार्क में परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु पूंजी-निवेश किया था।

पटना पहले से ही दिल्ली, कलकत्ता और काठमांडु के साथ वायु-मार्ग से जुड़ा हुआ है और वायु सेवाए पटना के रास्ते से विदेशी पर्यटकों की वर्तमान आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करती हैं।

(ख) और (ग) विदेशी पर्यटकों को स्वीकार्य स्तरों की सुविधाएं पारसनाथ (गिरडीह), सूर्यकुण्ड, आदि पर उपलब्ध नहीं हैं। चूंकि प्रश्न में उल्लिखित स्थान प्रधानत: स्थानीय/स्वदेशी पर्यटकों को ही आकर्षित करते हैं, इसलिए पर्यटक अभिरूचि के स्थानों के विकास के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच मोटे तौर पर विभाजित दायित्वों के अनुसार इन स्थानों का विकास राज्य सरकार के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित लोगों को बैंकों द्वारा ऋण/सहायता

667. **श्री पी० एम० सईद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों से कहा गया है कि हाल के साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित लोगों को ऋण और अन्य पुनर्वास सहायता दी जाये;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बैंक द्वारा दिए गए ऋणों एवं सहायता का ब्योरा क्या है;

(ग) प्रभावित हुए कितने लोगों ने बैंकों से ऋण और सहायता की मांग की है;

(घ) अब तक कितने लोगों को ऐसी सहायता दी गई हैं; और

(ङ) ऋणों की अदायगी के लिए क्या शर्तें लगाई जाती हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (ङ) दंगों तथा अन्य साम्प्रदायिक गड़बड़ी के पीड़ितों की मदद तथा पुनर्वास के लिए बैंक एक सीमित भूमिका ही निभा सकते हैं। ऐसे पीड़ितों से प्राप्त होने वाले सभी अर्थक्षम प्रस्तावों का वित्तपोषण बैंकों द्वारा वर्तमान नियमों के अधीन ही सामान्य रूप से किया जाता है। ऐसे मौजूदा ऋणकर्ताओं के मामले में, जिनकी ऋण की वापसी अदायगी की क्षमता वस्तुत: प्रभावित हुई हो, बैंक उनके सावधि ऋणों का पुनर्निधारण कर देती हैं तथा अल्पावधि ऋणों को दीर्घावधि ऋणों में बदल देते हैं।

हाल ही में, ऐसे कुछ अत्यान्तिक मामलों में, जहां यह महसूस किया गया कि समस्या का आकार बहुत बड़ा था, बैंकों को, ऐसे पीड़ितों को उन्हीं शर्तों पर मदद देने की सलाह दी गई जो बाढ़, सूखा आदि दैवी विपत्तियों से प्रभावित व्यक्तियों पर लागू होती हैं। ऐसी सहायता में (ऋणों के पुनर्निर्धारण तथा परिवर्तन के अतिरिक्त) उपभोक्ताओं समेत नए ऋण प्रदान करना, फैक्टरी की इमारतों, शेडों तथा मशीनरी की मरम्मत तथा नवीकरण के लिए ऋण तथा मार्जिन राशि, प्रतिभूतियों में छूट आदि शामिल हैं।

सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे पीड़ितों को दी गई सहायता के बारे में अलग से कोई आंकड़े इकट्ठे नहीं किए जाते अतः मदद पाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक बैंक द्वारा दी गयी सहायता आदि की सूचना देना सम्भव नहीं है।

जैसाकि बताया जा चुका है ऐसे पीड़ितों को ये ऋण प्रदान करते समय इन्हें मार्जिन मनी, प्रतिभूति आदि के मामले में रियायतें दी जाती हैं। बैंकों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे ऋणों पर ब्याज की दर के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अधीन रहते हुए रियायती व्यवहार अपनाएं। वापसी अदायगी की अवधि का निर्धारण करते समय ऋणकर्ता की वापसी अदायगी की क्षमता को ध्यान में रखा जाता है।

दबोही वुनाई मिल में आग लग जाने के कारणों के सम्बन्ध में जांच

668. **श्री निहाल सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री आग लग जाने से रुई की गांठों के नष्ट हो जाने के बारे में 4 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3112 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दबोही वुनाई मिल में आग लग जाने के कारणों के सम्बन्ध में इस बीच जांच कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) आग लगने के बाद, जब स्थानीय पुलिस पटना स्थल पर पहुंची, तुरन्त तैयार किए गए पंचनामे से आग लगने के सही कारण का पता नहीं लग सका। स्थानीय पुलिस ने उसी दिन मामला दर्ज कर लिया था परन्तु जांच अधिकारी की अन्तिम रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

मूल्य सूचकांक में वृद्धि

669. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71 को आधार वर्ष मान कर सभी वस्तुओं के लिए थोक मूल्य के मासिक सूचकांक में 11.5 प्वाइंट की वृद्धि हुई है और पिछले महीने के 244.6 की तुलना में जुलाई 1980 के लिए 256.1 था;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या अगस्त और सितम्बर, 1980 में भी सूचकांक में वृद्धि हुई थी;

(घ) क्या मूल्य वृद्धि रोकने सम्बन्धी सरकार के सभी प्रयासों के अब तक कोई अच्छे परिणाम नहीं निकले;

(ङ) इसके मुख्य कारण क्या हैं और सरकार मूल्यों में इस वृद्धि को अब तक रोक पाएगी; और

(च) क्या बड़े पैमाने पर तस्करी और जमाखोरी भी इस समय वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ग) विवरण अनन्तिम आंकड़ों पर आधारित हैं। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक (1970-71=100) जो जून 1980 में 247.1 था बढ़कर जुलाई 1980 में 257.3 हो गया, अर्थात् उसमें 1979 की इसी अवधि के 9.3 प्रतिशत अंक की वृद्धि की तुलना में 10.2 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई। अगस्त और सितम्बर का सूचकांक क्रमश: 259.8 और 262.4 था।

(ख), (घ), (ङ) और (च) चालू वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति की मासिक दर कम हो गई है और यह जुलाई के 4.1 प्रतिशत से घटकर अगस्त में 1 प्रतिशत, सितम्बर में 1.7 प्रतिशत और अक्तूबर 1980 में 0.6 प्रतिशत हो गई है। 25-10-1980 और 1-11-1980 को समाप्त हुए दो उत्तरोत्तर सप्ताहों के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में तेजी से क्रमश: 1.2 प्रतिशत और 1.7 प्रतिशत की कमी हुई है। ऐसा मुख्यत: वर्तमान सरकार द्वारा किए गए विभिन्न मुद्रा-स्फीति निरोधक उपायों के कारण हुआ है।

इतनी तीव्र वृद्धि 1979-80 में शुरू हुई मुद्रा-स्फीति कारी लहर के जारी रहने और भयंकर सूखे की स्थिति की वजह से मौसमी दबावों के कारण हुई। कीमतों की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में लगातार वृद्धि होना भी इसके लिए उत्तरदायी थे। प्रशासित कीमतों में वृद्धि कारी परिवर्तनों के कारण लागत में वृद्धि होना और अर्थ-व्यवस्था में नकदी और नकदी जैसी परिसम्पत्ति का अतिरेक होना भी इतने ही महत्वपूर्ण कारण हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ संवेदन-शील वस्तुओं की तस्करी और जमाखोरी से भी कीमतों की स्थिति पर और गम्भीर प्रभाव पड़ा है।

मुद्रास्फीति निरोधक नीति के अनुसार अधिक उत्पादन, क्षमता के अधिक अच्छे उपयोग और आधारभूत क्षेत्रों के कुशल संचालन द्वारा पूर्ति में वृद्धि करने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है और इसे अर्थ-व्यवस्था का स्थायी अंग बनाया जा रहा है। इसके साथ ही मुद्रा उपलब्धि और बैंक-ऋण के विस्तार में कमी करने के लिए प्रयत्न किए गए हैं। यह आशा की जाती है कि इन उपायों द्वारा कीमतों पर उचित सीमा तक काबू किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती का क्षेत्र

670. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में अफीम की खेती का क्षेत्र कम किया जा रहा है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि की गई है;

(ग) 1970-71 से 1979-80 के दौरान मध्यप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती का कितना-कितना क्षेत्र था; और

(घ) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इस वर्ष अफीम की खेती का कितना क्षेत्र है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिह सिसोदिया) : (क) और (ख) भारतीय अफीम की विश्व मांग में कमी आ जाने और परिणामत: अफीम का बड़ा स्टाक जमा हो जाने के कारण पोस्त का काश्तकार रकबा, पोश्त उगाने वाले तीनों परम्परागत क्षेत्रों मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कम कर दिया गया है।

(ग) वर्ष 1970-71 से 1979-80 तक की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पोस्त की खेती हेतु लाइसेंस शुदा रकबे और उस रकबे की बाबत, जिससे वस्तुत: फसल ली गई, एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(घ) चालू फसल वर्ष 1980-81 के दौरान पोस्त की खेती हेतु लाइसेंस शुदा रकबा मध्यप्रदेश में लगभग 16,660 हैक्टेयर और उत्तर प्रदेश में लगभग 9,411 हेक्टेयर है।

विवरण

क्रम सं०	फसल वर्ष	मध्य प्रदेश राज्य (रकबा हैक्टेयर में) लाइसेंसशुदा रकवा	जिससे फसल ली गई	उत्तर प्रदेश राज्य (रकबा हैक्टेयर में) लाइसेंसशुदा रकबा	जिससे फसल ली गई
1	2	3	4	5	6
1.	1970-71	18,389,89	18,020,03	9,468,11	8,635,88
2.	1971-72	21,771.26	21,153.71	11,607.74	10,905.32
3.	1972.73	18,264.40	17,385.85	10,085.85	9,126.13
4.	1973-74	23,057.75	22,364.82	14,504.38	13,812.12
5.	1974-75	19,249.96	18,799.61	13,097.55	12,257 73
6.	1975-76	22,037.00	11,274.00	15,685.'0	14,502.00
7.	1976-77	25,572.00	24,406.30	17,135.00	16,574.61
8·	1977-78	28,396.05	27,675.30	20,036.59	18,679.14
9.	1978-79	23,902.90	23,287.17	1[illegible],069.47	14,402.18
10.	1979-80	16,818.86	13,053.86	11,746.75	10,969.77

ऊर्जा संसाधनों के विकास के लिए विश्व बैंक एजेंसियों को प्रस्ताव भेजा जाना

671. **श्री चित्त बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने ऊर्जा के संसाधनों के विकास हेतु धन देने के लिए हाल ही में नई एजेंसियां स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने विद्युत प्रजनन के लिए विचार हेतु इस एजेंसी को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में एजेंसी की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) जी, नहीं। एक ऐसी एजेंसी की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ख) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

राज्य सरकारों द्वारा किसानों के ऋणों को माफ करना

671. **श्री के० टो० कोसलराम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1980 में राष्ट्रीय विकास परिषद की हाल ही में हुई बैठक में वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों द्वारा किसानों को दिए गए ऋणों को माफ करने की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को होने वाली क्षयि की पूर्ति करने का है; और

(ग) किन-किन राज्य सरकारों ने ऋण की कितनी-कितनी राशि माफ की है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद की पिछली बैठक में, वित्त मंत्री ने कहा कि यद्यपि कृषि और सहकारिता ऋणों को एकदम से बट्टे खाते डालने की केवल निधियों को पुनः ऋण में देने की प्रक्रिया पर ही नहीं, अपितु सहकारी संस्थानों के भावी विकास पर भी गम्भीर प्रतिक्रिया होती है, कुछ राज्यों में ऐसी परिस्थितियां मौजूद हो सकती है, जिनमें राज्यों के लिए कुछ कार्रवाई करना आवश्यक हो जाय। सम्बद्ध राज्य इस विषय में सबसे ठीक निर्णय कर सकता है। वित्त मंत्री ने राज्यों से अनुरोध किया कि वे ऐसा करते समय पूर्ण सावधानी बरतें तथा यह देखें कि संस्थानों के सम्बन्ध में, लोगों के इस विश्वास में कमी न आने पाये कि ये ऋण संस्थान हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इस प्रयोजन के लिए कोई केन्द्रीय अनुदान प्रदान करने का कोई विचार नहीं है।

(ग) तमिलनाडु सरकार ने छोटे किसानों पर बकाया 16 करोड़ रु० के तकाबी ऋण तथा 42 करोड़ रुपए के सहकारी ऋण के मूलधन एवं ब्याज को बट्टे खाते डालने के अपने निश्चय की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने, 30-6-79 की स्थिति के अनुसार, सम्बद्ध वित्तीय संस्थानों को छोटे किसानों के प्राप्य मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रस्ताव किया है तथा इस प्रयोजन के लिए 49 करोड़ रुपए की बजट-व्यवस्था की है। केरल सरकार ने उन किसानों के, जिनके पास 1-4-76 से

पूर्व 2 हैक्टेयर से कम भूमि थी सभी ऋणों पर ब्याज को माफ कर देने और इस कारण ऋण संस्थाओं के होने वाली हानि को पूर्ण कर देने के निर्णय की घोषणा की है। उड़ीसा सरकार ने भयंकर रूप से सूखा पीड़ित क्षेत्रों के किसानों को ऋण सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है तथा इस प्रयोजन के लिए 22.50 करोड़ रुपये के केन्दीय अनुदान की मांग की है।

पर्यटन के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय नीति

673. **श्री अशोक गहलोत**
श्री चिरंजी लाल शर्मा } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में पर्यटन के संवर्धन के लिए किसी राष्ट्रीय नीति का अनुसरण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) पर्यटन के बारे में एक राष्ट्रीय नीति बनाने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

जीवन रक्षक औषधियों तथा वनस्पति तेल पर बिक्री कर

974. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1980 में दिल्ली में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में जीवन रक्षक औषधियों और वनस्पति तेल पर से बिक्री कर हटाने और उसके स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने के बारे में निर्णय किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ राज्यों ने इसका विरोध किया था; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और उन्होंने किस आधार पर इसका विरोध किया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) (१) बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने; (2) केन्द्रीय बिक्री-कर; (3) राज्य बिक्री कर और (4) चुंगी से सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए 16 और 17 सितम्बर 1980 को दिल्ली में मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन के समापन-अधिवेशन में एक संकल्प स्वीकार किया गया था। संकल्प में समाहित एक मद इस आशय की थी कि हाथी समिति द्वारा सूचीबद्ध जीवन रक्षक औषधियों और वनस्पति पर बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जाए।

(ख) जी, हां।

(ग) केरल तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि उनका विचार था कि इससे उनके राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और कर लगाने की राज्य सरकारों की शक्तियों पर प्रतिबन्ध लगेगा। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल सरकार ने इस आधार पर अपनी असहमति व्यक्त की थी कि राज्य सरकार ने, भारत संघ के विरुद्ध एक मुकदमा दायर किया

हुआ है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, 1957 को चुनौती दी गयी है और यह मामला अभी उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है।

बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता में 'एयर-इण्डिया' के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

675. **श्री के० ए० राजन :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता में 'एयर-इंडिया' के कर्मचारी कुछ दिनों से हड़ताल पर हैं;

(ख) क्या इसी बीच 'एयर-इंडिया एम्लाईज गिल्ड' की मान्यता समाप्त कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) एयर इंडिया कर्मचारियों का एक वर्ग हड़ताल पर है जो 20% बोनस की मांग कर रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) एयर इंडिया ने 26 अक्तूबर, 1980 से एयर इंडिया एम्प्लाईज गिल्ड की मान्यता को समाप्त कर दिया है क्योंकि गिल्ड से बम्बई विमान क्षेत्र पर नए टर्मीनल भवन में ग्राउंड सपोर्ट डिपार्टमेंट में 3 सितम्बर, 1980 से गैर कानूनी हड़ताल कर दी और फिर दोबारा 24 अक्तूबर, 1980 से हड़ताल का कोई नोटिस दिए बिना, जैसाकि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत अपेक्षित है, अनिश्चितकालीन गैर-कानूनी हड़ताल कर दी।

एयर इंडिया द्वारा विदेशी पर्यटकों को रियायत दिया जाना

676. **श्री के० पी० सिंह देव :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के लिए वरदान सिद्ध होने वाले पर्यटन उद्योग में कमी होती जा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि एयर इंडिया विदेशी पर्यटकों को टैरिफ में 20 से 40 प्रतिशत तक रियायत देता रहा है और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने में यह रियायत कहां तक सहायक सिद्ध हुई है; और

(ग) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया है कि क्या पर्यटकों की संख्या में आने वाली कमी को जन सम्पर्क बढ़ाकर और विदेशों में प्रचार करके रोका जा सकता है और यदि हां, तो इस दिशा में कार्य करने की कोई योजना बनाई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं। निरपेक्ष रूप से आंकड़ों को देखें तो गत वर्षों के दौरान पर्यटक आगमन में क्रमिक वृद्धि होती गयी है, जैसा कि पिछले पांच वर्षों के निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट होता है :—

1975	465,275
1976	533,951
1977	640,422
1978	747,995
1979	764,781

(क) और (ख) : एयर इंडिया विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आई० ए० टी० ए० द्वारा निर्धारित विविध रियायती किरायों पर पर्यटक यातायात को वहन करता है और सामान्य किरायों के मुकाबिले इन किरायों में 25 प्रतिशत से 55 प्रतिशत के बीच की रियायत दी जाती है। देश की ओर पर्यटक यातायात के प्रवाह को बढ़ाने में जिन कारणों से सहायता मिली है, उनमें ये रियायती किराये भी एक कारण हैं। देश की ओर पर्यटक यातायात के प्रवाह को बढ़ाने में जो अन्य प्रमुख कारण रहा है, वह पर्यटन विभाग द्वारा अपने विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों के माध्यम से प्रारंभ की गयी मार्केटिंग नीति है। इस नीति में व्यापक विज्ञापन तथा जन-सम्पर्क, सम्मेलनों/कार्यशालाओं और भारत-संध्याओं का आयोजन, मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना, संवर्धनात्मक फिल्मों की स्क्रीनिंग, आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पर्यटक यातायात के अंत: प्रवाह को बढ़ाने में सहायता करने हेतु भारत को विदेशों में एक प्रमुख पर्यटक गन्तव्य के रूप में संवर्धित करने की दृष्टि से, इस विभाग का विदेशी यात्रा अभिकर्त्ताओं और यात्रा प्रचालकों, यात्रा लेखकों तथा प्रचारकों, टी० वी० और फिल्म यूनिटों को आमंत्रित करने का भी एक कार्यक्रम है।

स्थानों को पूरक सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव

677. **श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन स्थानों के लिए इंडियन एयरलाइन्स सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं उनके लिए पूरक सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) तीसरी वायु सेवाओं/फीडर विमान सेवाओं के परिचालन के सामान्य प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। तथापि, सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में फीडर सेवाओं के परिचालन का सिद्धान्त रूप में अनुमोदन कर दिया है। जहां तक अन्य स्थानों का संबंध है, निर्णय अभी लिया जाना है।

छिपाई हुई आवश्यक वस्तुओं का पता लगाने के बारे में राज्य सरकारों का अभियान

678. **श्री एन० ई० होरो** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छिपाई हुई आवश्यक वस्तुओं का पता लगाने के बारे में राज्य सरकारों के उग्र अभियान का ब्यौरा क्या है; और

(ख) किन-किन राज्यों में यह अभियान इस वर्ष के आरम्भ में शुरू किया गया था और कितनी मात्रा में आवश्यक वस्तुओं का पता लगाया गया तथा जमाखोरी, काला बाजारी तथा मुनाफाखोरी के आरोपों पर कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री श्री बृजमोहन महन्ती : (क) तथा (ख) सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाये रखना अधिनियम, 1980 के लिए प्रवर्तन तथा कार्यान्वयन अभिकरण हैं, ने जमाखोरी और चोर बाजारी जैसी असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत जारी किये गए मूल्य प्रदर्शन आदेश भण्डारण नियंत्रण आदेशों और मूल्य नियंत्रण आदेश के उपबंधों और अन्य नियामक उपायों को लागू करने के लिए जोरदार अभियान शुरू किए हैं।

उपर्युक्त उपायों के सख्ती से लागू किये जाने के परिणामस्वरूप, 12,418 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और जनवरी से जुलाई, 1980 की अवधि के दौरान खाद्यान्न (73,880 क्विन्टल), खाद्य तेल तथा वनस्पति (47,593 क्विंटल, 16832 टिन तथा 51,271 लीटर), चीनी (40,399 क्विंटल), मिट्टी का तेल (7,60,297 लीटर और 6 ड्रम), डीजल (7,78,497 लीटर और 5 ड्रम), पेट्रोल (3,938 लीटर), सीमेंट (59,987 बोरियां और 6473.5 क्विंटल) जैसी तथा और बहुत सी दूसरी आवश्यक वस्तुएं पकड़ी गयीं। अब तक चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाये रखना अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 246 व्यक्तियों को नजरबन्द करने के आदेश दिये जा चुके हैं। उनसे जमाखोरी के माल को निकलवाने के कार्य को तेज करने के लिए समय-समय पर कहा जाता रहा है।

एशियाई देशों को भारत से पूंजी का निर्यात

679. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशिया के किन-किन देशों को भारत से वित्त का निर्यात किया गया है और वहां, देश-वार कितनी-कितनी धनराशि निवेश की गई है; और

(ख) किन-किन वित्तीय संस्थाओं अथवा कम्पनियों ने वहां पूंजी-निवेश किया है ?

वित्त मंत्री श्री आर० वेंकटरामन : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और जैसे ही वह उपलब्ध हो जाएगी उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

श्रीनगर-लेह मार्ग पर हवाई जहाज के किराये में कमी

680. **श्री पी० नामग्याल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीनगर और लेह के बीच इंडियन एयरलाइंस के हवाई जहाजों का किराया, देश के अन्य भागों में उतनी ही दूरी के मार्गों के लिए निर्धारित किराए से बहुत अधिक है;

(ख) श्रीनगर और लेह तथा श्रीनगर और दिल्ली के बीच हवाई दूरी कितनी है और कितने घंटे उड़ान करनी पड़ती है;

(ग) क्या सरकार लद्दाख की जनता द्वारा श्रीनगर-लेह मार्ग पर हवाई जहाज का किराया घटाने या उसमें रियायत देने के लिए की गई मांग पर विचार कर रही है, जैसे कि पूर्वी सैक्टर के कुछ हवाई मार्गों पर किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) : जी, हां । किराया अपेक्षाकृत अधिक है ।

(ख) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :—

	हवाई दूरी मीलों में	उड़ान समय
श्रीनगर/दिल्ली	419	1 घंटा 10 मिनट
श्रीनगर/लेह	168	40 मिनट

(ग) और (घ) इन्डियन एयरलान्इस से श्रीनगर/लेह/श्रीनगर सैक्टरों पर एक परिक्रामक रियायती किराया 1 मई, 1980 से पहले ही चालू कर दिया है । परिक्रामक यात्रा पर यह रियायती छूट 25% है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रस्तावित "थर्ड एयरलाईन सर्विस" के मार्ग

681. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पूर्वोत्तर क्षेत्र में "थर्ड एयरलाईन सर्विस" आरम्भ करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित "थर्ड एयरलाईन सर्विस" किन-किन मार्गों पर चलेगी; और

(ग) क्या नई एयरलाइन सेवा की नौकरियों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के बेरोजगार वणिज्यिक विमान चालकों को प्राथमिकता दी जाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अन्नत प्रसाद शर्मा) : (क) सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में फीडर सेवाओं के परिचालन का सिद्धान्त रूप में अनुमोदन कर दिया है ।

(ख) मार्गतंत्र की रूप रेखा (रूट पेटर्न) तैयार की जा रही है ।

(ग) उन पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे अपेक्षित योग्यताओं, का अनुभव आदि को पूरा करते हों ।

केरल में यूनिट ट्रस्ट जैसा ही एक संस्थान खोलना

682. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने उत्पादनशील उपायों के लिए खाड़ी के देशों से धन प्राप्त करने के उद्देश्य से यूनिट ट्रस्ट जैसे संस्थान स्थापित करने हेतु राज्य सरकार की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय दिया है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

भारत-सिंगापुर व्यापार

683. **श्री आर० प्रभु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-सिंगापुर व्यापार को बढ़ाने तथा उसका विविधीकरण करने के बारे में इस वर्ष सितम्बर में नई दिल्ली में बातचीत की गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) इस पर सहमति हुई कि व्यापार बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच व्यापार प्रतिनिधि-मण्डलों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया जाए।

हुबली में हवाई अड्डे का निर्माण

684. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान योजना अवधि के दौरान कौन-कौन से नए हवाई अड्डों का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा;

(ख) क्या हुबली में हवाई अड्डे का निर्माण किया जाना है अथवा उसे सदा के लिए त्याग दिया जाना है; और

(ग) यदि उसका निर्माण किया जाना है तो कब ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) कालिकट और पोर्ट-ब्लेयर में नए हवाई अड्डों के निर्माण पर 1980-85 की पंचवर्षीय योजना में विचार किए जाने की संभावना है।

(ख) और (ग) फिलहाल हुबली में हवाई अड्डा बनाने की कोई योजना नहीं है। इस परियोजना पर तीसरी वायु सेवा के संदर्भ में विचार किए जाने की संभावना है जो इस समय सरकार के विचाराधीन है।

अन्तर्राष्ट्रीय भाव पर चीनी का आयात

685. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी के आयात के लिए भारत सरकार ने दूसरे देशों से लेन-देन किस महीने में किया और उस समय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का भाव क्या था : और

(ख) कितनी मात्रा में चीनी खरीदी गई और जो भारत कब पहुंची और थोक विक्रेताओं अथवा आम लोगों को यह किस दर पर उपलब्ध की गई ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) अप्रैल, 1980 में उस समय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित सर्वोत्तम उपलब्ध कीमत पर 2,00,000 मी०टन—10 प्र०श० चीनी के आयात के लिए एक संविदा की गई थी।

(ख) जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर, 1980 के दौरान एक क्रमबद्ध ढंग से कुल (1,80,245) मी० टन की मात्रा पहुंची।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित चीनी की रिलीज राज्य अभिकरणों, बल्क उपभोक्ताओं तथा साधित खाद्य पदार्थों के निर्यातकों को खाद्य विभाग द्वारा नियत निम्नलिखित दरों पर खाद्य विभाग द्वारा जारी किये गए आवंटन आदेशों के आधार पर की गई :—

550 रु० प्रति क्विंटल खुले सागर पर (हाई सीज)

560 रु० प्रति क्विंटल घाट पर

580 रु० प्रति क्विंटल बन्दरगाह स्थलों पर राज्य व्यापार निगम के गोदामों से निकलते समय।

हवाई पट्टी

686. **श्री भीखा भाई** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में कितनी हवाई पट्टियां निर्मित की गई हैं ;

(ख) उन जिलों के नाम क्या हैं जहां कोई हवाई पट्टी निर्मित नहीं की गई है ;

(ग) इस बारे में यदि किसी राज्य सरकार या जन-प्रतिनिधि ने कोई मांग की है तो वह क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि एक आदिवासी जिले डूंगरपुर में एक भी हवाई पट्टी का निर्माण नहीं किया गया है; और

(ङ) क्या हवाई पट्टी निर्मित करने की बहुत समय से चली आ रही मांग पर मंत्रालय विचार कर रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) सारे देश में 373 हवाई अड्डे हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) केन्द्रीय सरकार के हवाई अड्डे (सिविल) (4 अंतरर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों सहित)	89
(2) रक्षा मंत्रालय के हवाई अड्डे	126
(3) राज्य सरकारों के हवाइ अड्डे	135
(4) लाइसेंस शुदा निजी हवाई अड्डे	23
कुल :	373

उनमें से कुछ जिला मुख्यालयों के नगरों में हो सकते हैं। सभी जिला मुख्यालयों को विमान सेवा से जोड़ने की कोई नीति नहीं है। अभी किसी भी राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक संगठन ने प्रत्येक जिला मुख्यालय में हवाई अड्डा बनाने की कोई मांग नहीं की है।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, नहीं। न ही इंडियन एयरलाइन्स और न किसी निजी परिचालक ने ही डूंगरपुर के लिए कोई विमान सेवा परिचालित करने की किसी योजना का संकेत किया है।

कम्पनियों में ईक्विटी शेयर रखने वाले सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थान

687. **श्री धर्मवीर सिन्हा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न श्रेणियों की इन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनमें सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के, जिनमें राज्य सरकार के संस्थान भी शामिल हैं, 25 प्रतिशत से अधिक ईक्विटी शेयर हैं; 50 प्रतिशत से अधिक वरीयता शेयर हैं; और 75 प्रतिशत से अधिक ऋणपत्र हैं;

(ख) एकाधिकार गृहों की उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके अधिकतम शेयर सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के पास हैं जिनमें राज्य सरकार और उनकी ऐजेन्सियां भी शामिल हैं;

(ग) क्या उपरोक्त (क) तथा (ख) वर्ग में आने वाली कम्पनियों में सरकारी क्षेत्र के सानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर मनोनीत व्यक्ति हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : सरकार के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, 31 निसम्बर, 1977 की स्थिति के अनुसार एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (एम० आर० टी० पी०) की धारा 26 के अधीन पंजीकृत उन कम्पनियों के नाम विवरण-1 में दिए गए हैं जिनकी चुकता पूंजी के 25 प्रतिशत और उससे अधिक सामान्य शेयर (तरजीही शेयरों समेत) सरकारी वित्तीय संस्थाओं अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के पास थे।

(ख) 31 दिसम्बर 1977 की स्थिति के अनुसार एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अधीन पंजीकृत उन कम्पनियों के नाम विवरण-2 में दिए गए हैं जिनकी चुकता पूंजी के 40 प्रतिशत और अधिक सामान्य शेयर (तरजीही शेयरों समेत) सरकारी वित्तीय संस्था के पास थे।

(ग) सरकारी वित्तीय संस्थाएं, सहायता प्राप्त उन प्रतिष्ठानों के निदेशक मंडल में अपने प्रतिनिधियों को नामित करने के अधिकार का प्रयोग करती है जिनके लिए उन्होंने पर्याप्त वित्तीय सहायता मंजूर की है और/अथवा जिनकी शेयर पूंजी में उनका निवेश अधिक मात्रा में है और/अथवा ऋणों को शाम्या पूंजी में रूपान्तरित करने की शर्त तय की गई है। प्रतिनिधियों की संख्या के बारे में निर्णय करते समय संस्थाएं अपनी वित्तीय अन्तर्ग्रस्तता तथा कम्पनी के कार्य परिचालन को ध्यान में रखती हैं।

विवरण-1

31 दिसम्बर, 1977 की स्थिति के अनुसार, एकाधिकार अवरोधक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत (जून, 1978 की स्थिति के अनुसार उन कंपनियों के नाम जिनकी चुकता पूंजी के 25 प्रतिशत अथवा अधिक सामान्य शेयर तरजीही शेयर समेत) सरकारी वित्तीय संस्थाओं के पास हैं।

ए० सी० सी० ग्रुप

1. ए० सी० सी० वीकर्स बावकोक लि०

अशोक लेलैंड ग्रुप

2. अशोक लेलैंड लि०

बजाज ग्रुप

3. बजाज इलैक्ट्रीकल्स लि०

वांगुर ग्रुप

4. फोर्ट ग्लास्टर इन्डस्ट्रीज लि०
5. श्री दिग्विजय सीमेंट कम्पनी लि०
6. वैस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लि०

भिवण्डी वाला ग्रुप

7. भोपाल सुगर स्इण्डट्रीज लि०

वर्ड हिलगर्स ग्रुप

8. टीटागढ़ पेपर मिल्स लि०

विरला ग्रुप

9. बेली जूट कम्पनी लि०
10. हिन्दुस्तान मोटर्स लि०
11. केशोराम इन्डस्ट्रीज एण्ड काटन मिल्स लि०
12. मैसूर सीमेंट लि०
13. नेशनल इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज लि०
14. ओरियंट पेपर मिल्स लि०

बम्बई सबअरबन ग्रुप

15. बम्बई सबअरबन इलैक्ट्रीसिटी

डनलप ग्रुप

16. डनलप इन्डिया लि०

एसकार्ट ग्रुप

17. एसकार्ट लि०

गोयनका ग्रुप

18. एंग्लो इन्डिया जूट मिल्स कम्पनी लि०

आई०सी०आई० ग्रुप

19. अलकाली एण्ड कैमिकल कार्पोरेशन लि०

जे०के० सिंघानिया ग्रुप

20. जे०के० इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लि०
21. स्ट्रा प्रोडक्ट्रस लि०

कमानी ग्रुप

22. कमानी इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन लि०

किर्लोस्कर ग्रुप

23. किर्लोस्कर इलैक्ट्रिक कम्पनी लि०
24. किर्लोस्कर न्यूमैटिक्स कम्पनी लि०

लारसेन एन्ड एब्रो ग्रुप

25. हिन्दुस्तान ब्राउन बिवेरी लि०

महीन्द्रा एन्ड महीन्द्रा ग्रुप

26. इन्टरनेशनल ट्रैक्टर कम्पनी आफ इंडिया लि०
27. महन्द्र एण्ड महीन्द्रा लि०

मोदी ग्रुप

28. मोदी स्पीनिंग एण्ड बीविंग मिल्स कं० लि०

बी०आर० नायडू ग्रुप

29. मद्रास एल्यूमिनियम कम्पनी लि०

पैरी ग्रुप

30. कावेरी शुगर एण्ड कैमिकल्स लि०
31. डीकन शुगर एण्ड आबकारी कम्पनी लि०

रौनक सिंह ग्रुप

32. भारत गियर्स लि०

शा बेलेश ग्रुप

33. शा लीना

श्री राम ग्रुप

34. जय इन्जीयनियरिंग वर्क्स लि०
35. श्री राम बियरिंग्स लि०

श्रीयंस प्रसाद जैन ग्रुप

36. प्लास्टिक रेसिरां एण्ड कैमिकल्स लि०

सौमालिया ग्रुप

37. सौमालिया आरगेनिक्स (इंडिया) लि०

टाटा ग्रुप

38. अहमदाबाद एडवांस मिल्स लि०
39. आन्ध्र वैली पावर सप्लाई कम्पनी लि०
40. स्वदेशी मिल्स कम्पनी लि०
41. टाटा हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर सप्लाई कम्पनी लि०
42. टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०
43. वोल्टास लि०

थापर ग्रुप

44. यूनाइटेड कोलियरीज लि०

थियागराजा ग्रुप

45. श्री सिवाकामी मिल्स लि०

बालचन्द ग्रुप

46. कूपर इन्जीनियरिंग लि०
47. प्रीमियर आटोमोबाईल्स लि०

अन्य बड़े एकल उपक्रम

48. अहमदाबाद इलैक्ट्रिसिटी कम्पनी लि०
49 इंडियन सामेंन्ट्स लि०
50. इंडियन केबल कम्पनी लि०
51. मैंगलौर कैमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लि०

प्रमुख उपक्रम

52. सैन्ट्रल पल्प मिल्स लि०
53, एन्फील्ड इण्डिया लि०
54. फिट टाईप नट्स एण्ड बोल्टस लि०

विवरण-2

31 दिसम्बर 1977 की स्थिति के अनुसार, एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत (जून,1978 की स्थिति के अनुसार) उन कम्पनियों के नाम जिनकी चुकता पूंजी के 40 प्रतिशत अथवा अधिक सामान्य शेयर (तरजीही शेयर समेत) सरकारी वित्तीय संस्थाओं के पास हैं।

बौम्बे सबअरबन ग्रुप

1. बौम्बे सबअरबन इलैक्ट्रीसिटी

कमानी ग्रुप

2. कमानी इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन लि०

किर्लोस्कर ग्रुप

3. किर्लोस्कर न्यूमैटिक्स कम्पनी लि०

प्रमुख एकल उपक्रम

4. सैन्ट्रल पल्प मिल्स लि०

भारत और जिम्बाबवे के बीच विमान सेवा

688. **श्री ए०ए० रहीम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया द्वारा भारत और जिम्बाबवे के बीच विमान सेवा आरम्भ की जा रही है ताकि इस नये स्वतन्त्र हुए देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ बनाया जा सके;

(क) क्या इसके लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) मामला विचाराधीन है।

(ख) जी, हां।

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला कि जिम्बाबवे में बसे भारतीय समुदाय के लोगों की संख्या लगभग 15,000 है। भारतीय समुदाय के लोगों की बड़ी संख्या तथा जिम्बाबवे से भारत के लिए पर्यटक यातायात को प्रोत्साहित करने की संभावना को भी ध्यान में रखते हुए, सर्वेक्षण दल ने बम्बई तथा सेल्सबरी के बीच एक साप्ताहिक सेवा की सिफारिश की है।

जयपुर-चित्तौड़ और उदयपुर-चित्तौड़ विमान सेवा

689. **प्रो० निर्मलाकुमारी शक्तावत** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में ऐतिहासिक नगर चित्तौड़गढ़ में प्राचीन संस्कृति के मूल्यवान स्मारक विद्यमान है ;

(ख) इस क्षेत्र का पर्यटन की दृष्टि से विकास करने के विचार से सरकार की योजना का स्वरूप क्या है ; और

(ग) क्या विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जयपुर-चित्तौड़ और उदयपुर-चित्तौड़ विमान सेवा आरम्भ करने की कोई योजना है ?

पर्यटन और नागर विमान मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत चित्तौड़गढ़ में पर्यटक सुविधाओं का विकास करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

गुजरात की कच्चे लोहे की मांग

690. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात की कच्चे लोहे (पिग आयरन) की वार्षिक मांग कितनी है और वह कितनी पूरी की जाती है,

(ख) इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) इस वर्ष 30 अक्तूबर, 1980 तक कितनी मात्रा में कच्चे लोहे का आबंटन किया है और गत दो वर्षों की तुलना में यह कितना कम था, और

(घ) नये उद्योगों के परिणामस्वरूप कच्चे लोहे की मांग में कितनी वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) कच्चे लोहे की मांग का राज्यवार अनुमान नहीं लगाया गया है। कच्चे लोहे का राज्यवार आबंटन करने की भी कोई व्यवस्था नहीं है।

(ग) संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा लोहे तथा इस्पात सामग्री के वितरण के लिए जारी किए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कच्चे लोहे का वितरण अब 1976-77 से 1978-79 के तीन वर्षों में की गई औसतन खरीद के आधार पर किया जा रहा है। इस आधार पर गुजरात की सभी

इकाइयों की कुल खरीद लगभग 11,000 टन प्रतिमास बैठती है। इसकी तुलना में अप्रैल से अक्तूबर, 1981 में सप्लाई 66,500 टन प्रतिमास बैठती है। इस प्रकार इसकी मांग की पूर्ति 86.4 प्रतिशत की गई है जबकि राष्ट्रीय औसत 84 प्रतिशत के लगभग बैठती है।

(घ) सम्भवत: माननीय सदस्य का संकेत राज्य-वार मांग निकालने में नए उद्योगों को दी जाने वाली रियायत से है। जैसा कि प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के सम्बन्ध में ऊपर दिए गए उत्तर में बताया गया है। राज्य-वार मांग का अनुमान नहीं लगाया गया है अत: नए उद्योगों को रियायत देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पीतल के मुरादाबादी बर्तनों का निर्यात

691. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने मूल्य के पीतल के मुरादाबादी बर्तनों का निर्यात किया गया;

(ख) अमरीका, सोवियत रूस तथा अरब देशों को किए गए निर्यातों का अलग-अलग मूल्य कितना है; और

(ग) क्या अरब देशों को किए गए निर्यात में कम मूल्य के अलावा अधिक मूल्य के अथवा अधिक मूल्य के बीजक बनाने के मामलों का भी पता लगाया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) निर्यातों के क्षेत्र-वार आंकड़े नहीं रखे जाते।

1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान भारत से निर्यात की गई धातु की कलात्मक वस्तुओं के मूल्य निम्नोक्त प्रकार हैं :

1978-79	51.67 करोड़ रु०
1979-80	44.88 करोड़ रु० (अनन्तिम)
1980-81 (अप्रैल-जून, 1980)	8.36 करोड़ रु० (अनन्तिम)

(ख) चूंकि क्षेत्र-वार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते, अत: एक क्षेत्र से विश्व के विभिन्न भागों को किए गए निर्यातों के आंकड़े सप्लाई करना सम्भव नहीं है।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कमी को पूरा करने के लिए अधिक चीनी का आयात

692. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमी को पूरा करने के लिए दो लाख टन चीनी का आयात किया गया है;

(ख) क्या आयातित मात्रा कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार अधिक चीनी का आयात करने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी हां। देश में चीनी का स्टाक बढ़ाने के लिए लगभग 2 लाख मे० टन चीनी का आयात करने के लिए अप्रैल, 1980 में एक संविदा की गई। 180,245 मे० टन की कुल मात्रा देश में आ चुकी है।

(ग) फिलहाल और चीनी आयात करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कच्चे काजुओं को एकत्र करने के लिए नाइजीरिया में संयुक्त उद्यम

693. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे काजू एकत्र करने के लिए नाइजीरिया में एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) कच्चे काजू एकत्र करने के लिए नाईजीरिया में एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार को अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पेड़ पौधों का निर्यात

694: **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पेड़ पौधों के निर्यात पर रोक लगाने का निर्णय किया है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी नहीं।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि वर्षवार निम्नोक्त प्रकार है :

पुष्पोत्पादन परियोजनाओं के निर्यात

वर्ष	मूल्य (लाख रु० में)
1974-75	11.20
1975-76	18.24
1976-77	24.28
1977-78	75.49
1978-79	80.06

इस्पात संयंत्रों में मजूरी सम्बन्धी करार का लागू किया जाना

695. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात संयंत्रों में अन्तिम मजूरी सम्बन्धी करार कहां तक लागू किया गया है;

(ख) यदि करार को पूरी तरह लागू नहीं किया गया तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विभिन्न इस्पात संयंत्रों में उपर्युक्त करार की क्रियान्वित का ब्यौरा क्या है; और

(घ) करार से उत्पन्न विभिन्न असंगतियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ग) न्यूनतम मजदूरी, संशोधित मजदूरी ढांचे, महंगाई भत्ते, वेतन नियत करने, भत्तों की अदायगी, जीवन बीमा योजना, अतिरिक्त छुट्टी लाभ, परिवहन सहायता, सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी आदि के बारे में समझौता ज्ञापन सभी इस्पात संयंत्रों में क्रियान्वित कर दिया गया है।

(ख) अदा न की गई मजदूरी, इस्पात कामगार सहायता तथा पुनर्वास ट्रस्ट, लगातार चलने वाले तथा स्थायी किस्म के कामों के लिए ठेका-प्रथा समाप्त करने के लिए संयुक्त प्रशासन प्रणाली सम्बन्धी समझौते की कुछ बातें कानूनी, प्रशासनिक तथा प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ कठिनाइयों के कारण अभी तक लागू नहीं की जा सकी हैं। मकान बनाने जैसी कुछ अन्य सिफारिशें उद्योग के वार्षिक वित्तीय परिव्यय को देखते हुए क्रियान्वित की जा रही हैं। इस बारे में तथा अन्य विषयों पर, जिनको अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है, राष्ट्रीय और संयंत्र-स्तरों पर द्विपक्षीय आधार पर बातचीत की जाती है।

(घ) इस्पात उद्योग की राष्ट्रीय संयुक्त समिति ने समझौते से उत्पन्न होने वाली सभी असंगतियों के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है जिसमें कामगारों के चार प्रतिनिधि और इस्पात सन्यन्त्रों के मुख्य कार्मिक प्रवन्धक/कार्मिक प्रबन्धक शामिल हैं। इस समिति ने बहुत सी असंगतियां दूर कर दी हैं और शेष असंगतियों के बारे में बातचीत करने के लिए 27-11-1980 को इस समिति की बैठक बुलाई गई है।

नष्ट होने वाली वस्तुओं के समक्ष दिए गए बैंक ऋण

696. **श्री दौलत राम सारण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के समक्ष दिए जाने वाले बैंक ऋणों को न्यूनतम लाभांश, ब्याज की न्यूनतम दर तथा ऋण के स्तर निश्चित करके, चयनकृत ऋण-नियन्त्रण पद्धति द्वारा प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रिजर्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित मामलों में उक्त चयनीकृत ऋण नियन्त्रण से छूट दे दी गई है; और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन किन वस्तुओं को शीघ्र नष्ट होने वाला समझा जाता है तथा किस-किस आधार पर; और

(घ) उक्त चयनीकृत ऋण नियन्त्रण योजना कब शुरू हो गई थी तथा इसको लागू करने का प्रयोजन क्या था और इससे क्या परिणाम प्राप्त हुए?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री भगतभाई बारोत) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक कतिपय अत्यन्त महत्वपूर्ण अथवा कमी वाली वस्तुओं (जिनका जल्दी खराब होने वाली होना आवश्यक नहीं है) की जमाखोरी के लिए, बैंक वित्त के उपयोग को निरुत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1956 से, इस प्रकार की वस्तुओं पर चयनात्मक आधार पर ऋण सम्बन्धी नियन्त्रण रखता रहा है। इस समय, इस योजना के अन्तर्गत आने वाली वस्तुएं ये हैं : (1) खाद्यान्न और दालें (2) रुई और कपास (3) तेलहन और उनके तेल (अर्थात् मूंगफली, तोरिया/सरसों, आरंडी, तीसो और बिनौला), वनस्पति (4) चीनी, गुड और खांडसारी (5) सूती कपड़े, सूती व मनुष्य-निर्मित रेशों और धागों समेत सूती कपड़े और मनुष्य-निर्मित रेशों से तैयार हुए कपड़े। सामान्य भाषा में, इसमें से किन्हीं भी वस्तुओं को 'नष्ट होने वाली' (पैरीशेबल) अर्थात् बहुत जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हिदायत जारी करके इस योजना से छूट दी जाती है। अन्य मामलों में जहां किसी वस्तु को इस योजना से मुक्त रखने की मांग की जाती है, मामलों के गुणावगुणों के आधार पर निर्णय किया जाता है। चयनात्मक आधार पर ऋण नियन्त्रण करने का उद्देश्य यह है कि जिन क्षेत्रों में ऋण पर नियन्त्रण रखना वांछनीय है उनमें कतिपय कड़ी शर्तें निर्धारित करके तथा कतिपय तरजीह प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण में वृद्धि करने के लिए रियायती शर्तों का निर्धारण करके ऋण देने की व्यवस्था का विनियमन किया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले इन नियन्त्रों से वांछित दिशा में ऋण प्रदान करने तथा बैंक ऋण की सहायता को सट्टेबाजी के तौर पर स्टाकों की जमाखोरी को रोकने में सहायता मिली है।

'एयरलाइन्स ग्रेट टू स्किप दिल्ली'

697. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 24 अक्तूबर, 1980 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' नई दिल्ली अंक में 'एयर-लाइन्स ग्रेट टू स्किप दिल्ली' शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) स्थिति का सामना करने और मामलों को ठीक-ठाक करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) क्या सरकार चारों अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर यात्रियों की निकासी में विलम्ब सम्बन्धी समस्या के प्रति जागरूक है। ऐसी समस्याएं एक साथ कई विमानों के आगमन/प्रस्थान की दशा में बड़े अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर भी प्राय: होती रहती हैं। सरकार निकासी की प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान करने के तरीकों की लगातार जांच कर रही है। इस दशा में बिल्कुल हाल ही का प्रयत्न 1 नवम्बर, 1980 से हवाई अड्डों पर पी० ओ० ई० (प्रोटेक्टर्स ऑफ एमीग्रेंट्स) जांचों का समाप्त किया जाना है।

'टी इन्डस्ट्रीज वोज माऊंटिंग' शीर्षक से समाचार

698. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 5 अक्तूबर, 1980 के 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' में 'टी इंडस्ट्रीज वोज माऊंटिंग' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) चाय उद्योग को सम्भावित बर्बादी से बचाने और निर्यात में गिरावट को रोकने के लिए उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) सरकार द्वारा चाय उद्योग की स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है। निर्यातों में किसी प्रकार की गिरावट नहीं आई; 1980-81 के पहले छः महीनों के दौरान चाय का निर्यात अनन्तिम रूप से 92.36 मि० कि० ग्रा० होने का अनुमान है जिसका मूल्य 175.37 करोड़ रु० है जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि में 151.97 करोड़ रु० मूल्य की 89.16 मि० कि० ग्रा० चाय निर्यात की गई थी इस अवधि की इकाई मूल्य वसूली भी 1.94 रु० प्रति कि० ग्रा० अधिक रही।

हालांकि, घरेलू मांग में गिरावट की वजह से नीलामी कीमतों में गिरावट आई, फिर भी अब स्थिति में सुधार आ गया है।

सरकार, चाय के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करती रही है। सरकार ने चाय विपणन संबंधी टण्डन समिति की अधिकांश सिफारिशें पहले ही स्वीकार कर ली हैं और इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है। चाय सम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रीय करार करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। भारत अन्तर्राष्ट्रीय चाय संवर्धन एसोसिएशन के क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है जिसने विभिन्न आयातक देशों में व्यापक संवर्धन अभियान शुरू किए गए हैं।

दिल्ली में एक नया हवाई अड्डा (एयर टर्मिनल)

699. **श्री जो० वाई० कृष्णन :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली में एक नये हवाई अड्डे (एयर टर्मिनल) के निर्माण के लिए कुछ राशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी और क्या अन्य अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए भी कुछ राशि मंजूर की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) सरकार ने दिल्ली विमान क्षेत्र पर 63.95 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक नये अन्तर्राष्ट्रीय पैसेंजर तथा कार्गो

टर्मिनल कॉम्प्लैक्स के निर्माण की मंजूरी दे दी है। सरकार ने बम्बई विमान क्षेत्र पर 22.49 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नये अन्तर्राष्ट्रीय पैसेंजर टर्मिनल कॉम्प्लैक्स के दूसरे मॉड्यूल के निर्माण की भी मंजूरी दे दी है। जहां तक मद्रास तथा कलकत्ता विमान क्षेत्रों का संबंध है, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का 1980-81 के दौरान वर्तमान टर्मिनल भवन में अंतरिम रूपांतरण करने तथा अन्य पूंजीगत निर्माण-कार्यों (कैपिटल वर्क्स) पर क्रमश: 3.04 करोड़ रुपए तथा 1.95 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा राज्य के क्योंझार जिले में पर्यटन-स्थल

700. **श्री हरिहर सोरन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य के क्योंझार जिले में कितने पर्यटन स्थल हैं तथा उनके क्या नाम हैं;

(ख) क्या सरकार का पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्योंझार गढ़ में पर्यटक केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त केन्द्र खोलने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) उड़ीसा के क्योंझार ज़िले में पर्यटक स्थलों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग, भारत सरकार, द्वारा कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, क्योंझार जिले में जिन पर्यटन स्थलों की स्वदेशी पर्यटकों द्वारा यात्रा की जाती है, वे ये हैं :—क्योंझार, खंडाधार, संघागारा, बड़ाधागारा, सीता-बिनजी आदि। इन स्थानों के स्थानीय महत्व के कारण इन केन्द्रों का विकास राज्य सरकार के कार्य-क्रम के अन्तर्गत आता है।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूहों के लिए "थर्ड लेवल" विमान सेवा

701. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पूर्वोत्तर "थर्ड लेवल" विमान सेवा आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सेवा कब आरम्भ की जायेगी और उससे किन-किन स्थानों को जोड़ा जाएगा;

(ग) क्या भारत सरकार को इस सम्बन्ध में किसी स्रोत से अभ्यावेदन मिले हैं कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों के लिए भी, जो हमारे देश के दूरस्थ क्षेत्रों में से एक हैं, वही 'थर्ड लेवल" विमान सेवाएं उपलब्ध की जाये; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में फीडर सेवाओं के परिचालन का सिद्धान्त रूप में अनुमोदन कर दिया है। मार्गतन्त्र

के स्वरूप (रुट पैटर्न) तथा अन्य सम्बद्ध ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप प्रदान किया जाना है। इसके 26-1-81 से प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

(ग) और (घ) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में विभिन्न द्वीपों को विमान सेवा से जोड़ने के लिए अंडमान तथा निकोबार प्रशासन से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और उसकी जांच की जा रही है।

मूल्यों में वृद्धि

702. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हाल के महीनों में आवश्यक/गैर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर हो रही वृद्धि का मूल्यांकन किया है, यदि हां, तो गत 6 महीनों में थोक और खुदरा बाजार में कितने प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुई और इसकी तुलना में गत वर्ष के आंकड़े क्या हैं; और

(ख) मूल्यों में भारी वृद्धि को देखते हुए सरकार ने निकट भविष्य में मूल्य वृद्धि रोकने के लिए क्या आर्थिक उपाय किए हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं के सूचक अंकों को अलग-अलग संकलित नहीं किया जाता। मार्च, 1980 से सितम्बर, 1980 तक स्थूल समूहों के थोक मूल्य सूचकांक (1970-71 = 100) और अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960 = 20 ') में हुई मासिक घटबढ़ का एक विवरण संग्लन है। (**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० - 1379/80**)

(ख) सरकार ने कीमतों में कमी लाने के लिए मुद्रास्फीति-निरोधक अनेक उपाय अपनाए हैं। वर्तमान सरकार द्वारा अपनाए गए मुद्रास्फीति-निरोधक उपायों में से कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिए गए है :

1. चोर-बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु पूर्ति अनुरक्षण अध्यादेश, को पुनर्वैधता प्रदान की गई है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे जमाखोरों, चोरबाजारियों और अन्य समाज-विरोधी तत्वों से निपटाने के लिए वर्तमान अधिनियमों को कारगर ढंग से लागू करें ?

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुनः सुदृढ़ बनाया जा रहा है और उसमें सुधार किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अर्थव्यवस्था का स्थायी अंग बनाने का निर्णय किया गया है। राज्यों में ग्रामीण और अलग-अलग पड़े हुए क्षेत्रों में खुदरा बिक्री की दुकानें तेजी से खोलने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।

3. चीनी की उपलब्धता, कीमतों, स्टाक और उसकी आवाजाही की दैनिक आधार पर खबर रखी जा रही है और खाद्य विभाग में इसके लिए विशेष कक्ष खोला गया है। थोक व्यापारियों द्वारा रखे जा सकने वाले चीनी के स्टाक के लिए अनुमत अधिकतम सीमा को कम कर दिया गया है और चीनी वर्ष 1979-80 के लिए 2 लाख मैट्रिक टन चीनी के आयात

की व्यवस्था की गई थी। 1980-81 के मौसम में गन्ने की समयपूर्व पैराई पर उत्पाद शुल्क विषयक छूट दी गई थी और खण्डसारी पर मिलने वाली उत्पाद शुल्क की रियायत वापस ले ली गई थी। चीनी मिलों के साथ किये गये एक अनौपचारिक समझौते के अनुसार गैर-लेवी चीनी का वितरण भी निश्चित कीमत पर किया गया था। चीनी के चालू मौसम के लिए राज्य सरकारों से इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए कहा गया है कि खांडसारी एकक पहली जनवरी, 1981 से पूर्व अपना कार्य आरम्भ न करें ताकि गन्ना चीनी कारखानों से अन्यत्र न जाए। गुड़ के वायदा व्यापार पर मार्च, 1980 से रोक लगा दी गई है। गुड़ और खाण्डसारी के लिए बैंक-अग्रिमों के मार्जिन को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा और बढ़ा दिया गया था।

4. तेल वर्ष 1979-80 के दौरान 10 लाख मैट्रिक टन से भी अधिक खाद्य तेलों का आयात किया गया, जिसमें से 3 लाख मैट्रिक टन से भी अधिक तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवा दिया गया है।

5. अगस्त, 1980 में प्रमुख टुथपेस्टों, टायलेट साबुनों के निर्माओं को, एक निश्चित अवधि में इन वस्तुओं की कीमतों में कमी करने के लिए कहा गया था।

6. पहले नौ आवश्यक वस्तुओं अर्थात चावल, गेहूं, वनास्पती, खाद्य तेल, चीनी, डीजल, मिट्टी का तेल, सौफ्ट कोक और नमक की कीमतों की खबर रखने से लिए केन्द्र में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।

7. अर्थव्यवस्था में नकदी की अत्यधिक उपलब्धि पर रोक लगाने की दृष्टि से मुद्रा और ऋण नीति को कड़े प्रतिबन्धात्मक रूप में जारी रखा गया है।

सरकारी रबर बागान में श्रम संघों से प्राप्त ज्ञापन

703. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में रबर बोर्ड के स्वामित्व वाले सरकारी रबर बागान श्रम संघों से ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं और सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है;

(ख) क्या सरकार उन बागानों को अंडमान तथा निकोबार वन विभाग और बागान निगम को सौंपने की योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो यह कब किया जाएगा और उन बागानों में पहले से ही काम कर रहे कर्मचारियों को क्या संरक्षण दिया जाएगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कच्चल रबड़ बागान परियोजना की श्रमिक यूनियन ने हाल ही में परियोजना के प्रभारी अधिकारी को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें मजदूरी में वृद्धि रबड़ टैपरों तथा फैक्टरी कामगारों के लिए अधिक भत्ता तथा त्यौहारों के लिए अग्रिमराशि आदि की मात्रा में वृद्धि की मांगे की गई हैं।

परियोजना प्राधिकारियों ने त्यौहारों के लिए अग्रिम की राशि में पहले ही वृद्धि कर दी है। अन्य मांगों पर वार्ताएं चल रही है।

(ख) जी हां।

(ग) कार्यभार सौंपने की वास्तविक तारीख अभी तक निश्चित नहीं की गई है। इन बागानों में पहले से काम कर रहे कर्मचारियों को संरक्षण देने के प्रश्न पर इसके गुणा व गुण के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।

मद्रास और पोर्ट ब्लेयर के बीच उड़ान के प्रचार पर व्यय

704. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स का 1 अक्तूबर, 1980 से मद्रास से पोर्ट ब्लेयर के लिए अपनी बोइंग विमान सेवा आरम्भ करने का विचार था और उसका बहुत प्रचार किया गया था; यदि हां, तो उक्त उड़ान का प्रचार करने पर किये गये कुल व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) इतनी भारी राशि का व्यय करने के बाद उड़ान रद्द करने के कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स निकट भविष्य में उड़ान आरम्भ करेगी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी हां, इंडियन एयरलाइंस ने प्रस्तावित सेवा के प्रचार पर 1,03,000 रुपए का कुल व्यय किया।

(ख) प्रस्तावित बोइंग 737 सेवा पर अग्रिम बुकिंग दोनों दिशाओं में 10 से 12 यात्रियों के बीच थी जबकि इसकी क्षमता 126 यात्रियों की थी। कम बुकिंग को ध्यान में रखते हुए, इण्डियन एयरलाइन्स ने इसे रद्द करने का निर्णय किया।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स मद्रास-पोर्ट ब्लेयर सैक्टर पर यातायात पर लगातार निगरानी रख रही है। वर्तमान यातायात की मांग इस मार्ग पर बी-737 सेवा के परिचालन के औचित्य को सिद्ध नहीं करती। जब कभी भी इस सैक्टर पर यातायात से सुधार हो जाएगा और एक बोइंग 737 सेवा का परिचालन वाणिज्यक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जाएगा, इंडियन एयरलाइन्स ऐसी सेवा का परिचालन करने पर विचार करेगी।

भीलवाड़ा (राजस्थान) में अभ्रक तैयार करने का कारखाना

705. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय अभ्रक व्यापार निगम अभ्रक के निर्यात हेतु अभ्रक तैयार करने के लिए भीलवाड़ा (राजस्थान) में एक कारखाना स्थापित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब और इसका उत्पादन लक्ष्य क्या है; और

(ग) आगामी तीन वर्षों के लिए इसमें उत्पादन के क्या लक्ष्य रखे गए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) इस सम्बन्ध में भारतीय अभ्रक व्यापार निगम द्वारा एक प्रस्थापना तैयार की जा रही है ।

(ख) तथा (ग) प्रस्तावित कारखाने का उत्पादन लक्ष्य इस योजना को अन्तिम रूप देने के बाद ही बताया जा सकता है ।

व्यापार घाटा

706. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 1980) में आयात में 30 प्रतिशत की वृद्धि के कारण व्यापार घाटा 988 करोड़ रुपए हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं और इस अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1. नवीनतम अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् अप्रैल-जून, 1980 की प्रथम तिमाही के दौरान भारत के विदेश व्यापार का घाटा 1240.61 करोड़ रु० हो गया; निर्यात 1565.05 करोड़ रु० के मूल्य के हुए और आयात 2805.66 करोड़ रु० मूल्य के हुए । पिछली अवधि की उसी तिमाही के अनन्तिम आंकड़ों की तुलना में इस तिमाही के दौरान आयात 63 प्रतिशत अधिक हुए ।

2. आयातों में असाधारण वृद्धि होने का मुख्य कारण पैट्रोल, तेल, स्नहकों तथा सम्बद्ध उत्पादों की विश्व कीमतों में वृद्धि होना है । सरकार ने हाल ही में निर्यातों को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं । इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. 'लाइसेंस क्षमता' तथा 'प्रत्युता' के प्रयोजन के लिए निर्यात हेतु उत्पादन को अलग रखना ।
2. उस मामले में निर्यात की गई वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति देना जहां उस वस्तु का रूपान्तरण किया जाना है और किसी औद्योगिक एकाई को उसके विनिर्माण के लिए लाइसेंस दिया गया है ।
3. ऐसे निर्यात उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी आयातों के बारे में अनुकूल व्यवहार करना जिसमें रायल्टी का एक मुश्त भुगतान अन्तर्ग्रस्त हो ।
4. सभी शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख इकाइयों को मुक्त व्यापार जोन जैसा ही व्यवहार प्रदान करना ।

5. निर्यात के लिए उत्पादन बढ़ाने के प्रयोजन के लिए उद्योगों की विस्तृत सूची में स्वतः विस्तार करने की अनुमति देना।

6. महानगरीय शहरों में नए औद्योगिक उपक्रमों पर लगाए गए प्रतिबन्धों में ऐसे एककों को जो निर्यात के लिए उत्पादन कर रहे हैं, चयनात्मक आधार पर छूट देना।

3. इसके अलावा वाणिज्य मंत्रालय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निर्यात बढ़ाने की सम्भाव्यताओं का भी पता लगा रहा है। आशा है कि दि एक्सिम बैंक, जिसकी स्थापना शीघ्र ही की जाएगी, निर्यात वित्त व्यवस्था का विस्तार करेगा। शुल्क वापसी के संवितरण में विलम्ब के मामलों को कम करने तथा क्रियाविधियों का सरलीकरण करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

रायचूर स्थित हट्टी स्वर्ण खानों में कैल्शियम टंगस्टन और टिन के निपेक्ष

707. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायचूर स्थित हट्टी स्वर्ण खानों में कैल्शियम टंगस्टन तथा टिन के भारी निक्षेप पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें निकालने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है;

(ग) क्या वहां एक लाभप्रद कैल्शियम टंगस्टन परियोजना स्थापित करने के कोई प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैसर्स हट्टी गोल्ड माइन्स लिमिटेड ने औसतन 0.15% वुल्फ्रेम (टंगस्टन) वाले यथा-स्थल 57.000 टन शीलाइट अयस्क की पुष्टि की है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने रायचूर जिले (कर्नाटक) के हट्टी क्षेत्र में 0.01 से 0.02% शीलाइट (कैल्शियम टंगस्टन) वाले 1.6 मिलियन टन भंडार का अनुमान लगाया है। इंगलैंड भेजे गए शीलाइट के एक नमूने में टिन होने का पता चला है। टिन निक्षेपों की मात्रा का अभी कोई अनुमान नहीं लगाया गया है क्योंकि इसका अध्ययन प्रारम्भिक अवस्था में है।

(ख) से (घ) भारतीय खान ब्यूरो ने शीलाइट सान्द्रों के उत्पादन के लिए प्रायोगिक संयंत्र परिष्करण अध्ययन किए थे। ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत साध्यता रिपोर्ट पर हट्टी गोल्ड माइन्स कं० लिमिटेड विचार कर रही है। नमूनों को प्रायोगिक संयंत्र अध्ययन के लिए इंगलैंड भेजने का भी उक्त कंपनी का प्रस्ताव है ताकि शीलाइट सान्द्रों की अधिकतम प्राप्ति के लिए उनकी भी राय ली जा सके। प्रायोगिक संयंत्र अध्ययनों के परिणाम ज्ञात हो जाने और साध्यता रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद ही प्रोजैक्ट की स्थापना के बारे में कोई निर्णय लिया जा सकता है।

कोयले के अभाव के कारण राउरकेला इस्पात संयन्त्र में उत्पादन में कमी

708. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि कोयले की कमी के कारण राउरकेला इस्पात संयन्त्र के उत्पादन में काफी कमी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस्पात सन्यन्त्र की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) इस्पात संयंत्रों की मांगों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

1. सरकार ने सेल से कहा है कि अपने सभी कारखानों (राउरकेला इस्पात कारखाना भी शामिल है) को अधिकाधिक कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कोयला सप्लाई करने वाले अभिकरणों तथा रेलवे के साथ निकट तथा सतत् सम्पर्क बनाए रखे।

2. इस्पात विभाग द्वारा अन्त: मंत्रालय/अन्त: विभागीय बैठकें बुलाई जाती हैं।

3. सरकार ने 5 लाख टन कोककर कोयला आयात करने की भी स्वीकृति दे दी है जिससे इस संयंत्र के लिए कोककर कोयले की उपलब्धि पर कुछ अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, और

4. सरकार ने सेल को 10 लाख टन अतिरिक्त कोककर कोयला आयात करने की स्वीकृति दे दी है।

सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क निदेशालय में 'की पंचिंग आपरेटर्स' की पदोन्नति

709. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) सीमाशुल्क तथा उत्पादन शुल्क निदेशालय में ऐसे कितने 'की पंचिंग' आपरेटर हैं, जिन्होंने प्रवर श्रेणी लिपिक की विभागीय परीक्षा पास कर ली है;

(ख) उनमें से कितनों को वास्तव में प्रवर श्रेणी लिपिक के रूप में नियुक्त किया गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को प्रवर श्रेणी लिपिक के रूप में नियुक्त करने के लिए प्रवर श्रेणी लिपिकों के पर्याप्त पद बनाने का है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संवाई सिंह सिसोदिया) : (क) वर्तमान में, शीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के सांख्यिकी तथा आसूचना निदेशालय में ऐसे 85 'की पंचिंग आपरेटर' हैं, जिन्होंने उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(ख) इन 85 व्यक्तियों में से किसी की भी अभी तक पदोन्नति नहीं किया गया है क्योंकि उन्होंने उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्रदायी सेवा पूरी नहीं की है, जबकि, 1974 से पूर्व नियुक्त 'की पंच आपरेटरों' को और उनके बाद नियुक्त 17 'की पंच आपरेटरों' को उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में पदोन्नत किया गया है। इस समय, इस निदेशालय में उच्च श्रेणी लिपिक के ग्रेड में कोई और रिक्त पद नहीं है।

(ग) उच्च श्रेणी लिपिकों के पदों का सृजन काम के भार और संयत प्रतिमानों के सन्दर्भ में

किया जाता है, न कि निम्नतर ग्रेडों से पात्र पदोन्नतियां करने के लिए। उच्च श्रेणी लिपिक के ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र विद्यमान 'की पंच आपरेटरों' के मामलों पर, ऐसी पदोन्नति हेतु विचार यथासमय तब किया जाएगा जब सभी उच्च श्रेणी लिपिक के ग्रेड में रिक्त स्थान पद उपलब्ध होंगे।

भूतपूर्व सैनिकों को स्व: नियोजन के लिए दी गई राशि

710. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के प्रत्येक जिले में और दरभंगा एवं मधुबनी में प्रत्येक खंड में भूतपूर्व सैनिकों को स्व: नियोजन के लिए कुल कितनी राशि दी गई और किन शर्तों पर दी गई; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी भूतपूर्व सैनिकों को स्व: नियोजन उपलब्ध हो क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) आंकड़ें सूचित करने की वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत' आत्म नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में अलग से सूचना इकट्ठी करने की व्यवस्था नहीं है। दिसम्बर, 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार बिहार राज्य में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा व्यावसायिकों तथा आत्म-नियोजित व्यक्तियों को 39161 ऋणकर्ता खातों में दिए गए कुल अग्रिमों की राशि 5.37 करोड़ रुपए थी। परन्तु जिलावार आकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार के ऋणकर्ताओं को दिए जाने वाले अग्रिम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम के अंश होते हैं और यह तरजीही तथा सुलभ शर्तों पर पात्र होते हैं। बैंकों ने भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं के पुनर्वास के लिए नवीकृत योजनाएं भी शुरू की हैं जिनके अन्तर्गत भारतीय तेल निगम (इण्डियन आयल कारपोरेशन) ने पैट्रोलियम उखादों के वितरण के लिए उन्हें एजेंसियां दी हैं।

मध्य प्रदेश में सोया-दुग्ध संयन्त्रों के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता

711. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के एक दल ने मध्य प्रदेश में चार सोया-दुग्ध संयंत्रों की स्थापना के बारे में, हाल ही में भारत का दौरा किया था और मध्य प्रदेश सरकार से बातचीत की थी, जैसाकि 16 अक्टूबर, 1980 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र कहां-कहां लगेंगे, प्रत्येक संयंत्र का वार्षिक उत्पादन क्या होगा, इन संयंत्रों के कब तक लग जाने तथा काम करना आरम्भ कर दिए जाने की आशा है और उन पर कितनी राशि खर्च होने की सम्भावना है; तथा इसका कितना भाग यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा दिया जाएगा; और

(ग) ये संयंत्र किस सीमा तक राज्य की दुग्ध सम्बन्धी आवश्यकता को पार कर पाएंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के एक दल ने मध्य प्रदेश में तेल के चार निकर्षण यन्त्रों की स्थापना के लिए सोयाबीन विकास परियोजना का मूल्यांकन करने के लिए प्रारम्भिक बीतचीत की थी।

(ख) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के सोयाबीन उगाने वाले क्षेत्रों अर्थात् देवास, शाहजहांपुर, इटारसी ओर सिहोर में इन संयंत्रों के लिए स्थलों का सुझाव दिया गया है। इन सुविधाओं के लिए इष्टतम स्थल का निश्चय करने के लिए और अधिक अध्ययन किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में 200 मेट्रिक टन दैनिक क्षमता वाले चार संयंत्रों की परिकल्पना है। आशा है कि परियोजना अनुमोदन के दिनांक से पांच वर्ष के अन्दर पूरी हो जाएगी। परियोजना की लागत 2700 लाख रुपए बताई गई है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा सहायता के लिए कोई वचन अभी तक नहीं दिए गए।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता क्योंकि परियोजना तेल निकर्षण से सम्बन्धित है दूध से नहीं।

कसेटों के चोरी-छिपे लाए ले जाने के कारण राजस्व की हानि

712. **श्री आर० वाई० घोरपडे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कसेटों तथा रिकार्डों के चोरी छिपे लाये-लेजाने के कारण सरकार को उत्पादन शुल्क तथा बिक्री कर के रूप में भारी राजस्व की हानि हो रही है;

(ख) क्या इसका कारण कानून में त्रुटि होना अथवा इसको उपेक्षापूर्ण ढंग से लागू करना है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकारी अधिकारियों की सांठ-गांठ होने का पता चला है; और

(घ) राजकोष को उक्त हानि से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राय मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जाएगी।

किसी राज्य के अन्तर्गत होने वाली माल की बिक्री पर कर लगाना संविधान के अनुसार राज्य सरकार का विषय है। केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत होने वाली माल की अन्तर्राज्जीय बिक्रियों पर लगने वाले केन्द्रीय बिक्री कर का प्रशासन भी कानून के द्वारा राज्यों को सौंपा गया है, जिसे वे एकत्रित करके अपने पास रखते हैं। इसलिए प्रश्न में मांगी गई बिक्री कर से सम्बन्धित सूचना केन्द्रीय सरकार के पास नहीं हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राजस्थान में किसानों को दिए गए ऋण

713. **आचार्य भगवान देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राजस्थान में किसानों को दिए गए ऋण वहां की जनसंख्या के अनुपात में और अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वर्ष 1979-80 के दौरान राजस्थान के किसानों को और अन्य राज्य के किसानों को दिए गए ऋण की अलग-अलग धनराशि क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान उन्हें कितनी राशि का ऋण दिए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (ग) किसी राज्य में किसानों को दिए जाने वाले ऋणों की पर्याप्तता अथवा अन्य बातों का अनुमान केवल जनसंख्या के सिद्धान्त के अनुसार ही नहीं लगाया जा सकता। वातावरण तथा आधारभूत सुविधाओं में विद्यमान विविधताओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के मामलों में अन्तर्राज्यीय तुलना करना उपयुक्त नहीं होता। इसके अलावा, आंकड़े केवल खातों की संख्या के बारे में उपलब्ध हैं वित्तपोषित किसानों की संख्या के बारे में नहीं। फिर भी, दिसम्बर, 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा राजस्थान में दिए गए कृषि अग्रिमों तथा उत्तरी क्षेत्र के अन्य राज्यों की तुलनात्मक स्थिति और अखिल भारतीय आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं :

राज्य/क्षेत्र	खातों की संख्या (लाख में)	बकाया रकम (करोड़ रुपए)	रकम प्रति खाता (रुपए)
हरियाणा	1.73	120.84	6972
हिमाचल प्रदेश	0.71	10.30	1456
जम्मू और कश्मीर	0.52	7.55	1455
पंजाब	1.99	157.73	7924
राजस्थान	1.94	106.82	5504
उत्तरी क्षेत्र	9.04	445.61	6325
अखिल भारतीय	79.04	2585·95	3268

वाणिज्यिक बैंक राज्यवार कृषि वित्त प्रदान नहीं करते। किसी राज्य में दिए जाने वाले बैंक-अग्रिम कई बातों जैसे ऋण की आवश्यक मात्रा, ऋण उपयोग की क्षमता, सम्बन्धित क्षेत्र में सहकारी समितियों जैसी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं की सापेक्षिक सामर्थ्य अथवा कमजोरी, आधारभूत सुविधाओं की मौजूदगी, वसूलियों आदि पर आधारित होते हैं।

गाजियाबाद में पाकिस्तान को चोरी से भेजी जाने वाली चीनी का पकड़ा जाना

714. **श्री सतीश अग्रवाल**
श्री एन० के० शेजवलकर } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान को चोरी छिपे भेजी जाने वाली 300 टन चीनी गाजियाबाद में पकड़े जाने से इस धन्धे में लगे एक गिरोह का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ग) सरकार के अनुसार इस तरह प्रतिवर्ष कितनी चीनी पाकिस्तान भेजी जाती है और इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(घ) क्या इस तरह की तस्कर गतिविधियों के कारण देश में उत्पन्न अभाव से भी चीनी के मूल्यों में बहुत वृद्धि हुई है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

चासनाला कोयला खान से बर्नपुर इस्पात संयन्त्र के लिए कोकिंग कोल की उपलब्धता

715. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चासनाला कोयला खान की रक्षित खान से बर्नपुर इस्पात संयंत्र को कोकिंग कोल उपलब्ध कराने के कार्यक्रय में बाधा पड़ी थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) वर्ष 1979-80 में 270,00 ? टन कोककर कोयले के उत्पादन की योजना की तुलना में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की चासनवाला कोयला खान से वास्तव में 173,000 टन कोयला निकाला गया। लेकिन अप्रैल सितम्बर, 1980 की अवधि में अगस्त और सितम्बर में भारी वर्षा होने तथा कोयला संस्तर में आग लगने के कारण कोयले के उत्पादन में कुछ कमी रही। इस अवधि में 170,000 टन कोयला निकालने की योजना थी परन्तु ऊपर बताए गए कारणों से कोयले का वास्तविक उत्पादन 124,000 टन रहा।

यूरोपीय सांझा बाजार के साथ भारत के सहयोग

716. **श्री विलास गुत्तेमवार** : क्या व णिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय सांझा बाजार के साथ भारत के सहयोग के बारे में गत दिसम्बर में ब्रुसेल्स में भारतीय राजदूत द्वारा की गई वार्ता से अब तक इस मामले में क्या प्रगति हुई हैं; और

(ख) यूरोपीय साझा बाजार के साथ ऐसे सहयोग के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) भारत तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच नया वाणिज्यक और आकर्षक सहयोग करार संपन्न करने के लिए वार्ताएं काफी अग्रवर्ती स्थिति में हैं और इन्हें इस वर्ष के समाप्त होने के पूर्व अन्तिम रूप दिया जा सकता है।

(ख) मुख्य उद्देश्य भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय के व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धों को और उसका विविधीकरण करना है जिसमें, उद्योग, विज्ञान तथा विकास तथा तीसरे देश की परियोजनाओं में संयुक्त उद्यमों के क्षेत्रों में सहयोग देना भी शामिल है।

जीवन बीमा निगम के संबंध में इरासेझियान समिति का प्रतिवेदन

717. **श्री विजयकुमार यादव**
श्री के० एम० मधुकर
श्री के० टी० कोसलराम } : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जीवन बीमा निगम के सम्बन्ध में इरासेझियान समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारशें क्या हैं; और

(ग) यदि उन पर कोई निर्णय कर लिया गया है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत): (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों तथा सिफारशों की प्रतियों की सभा-पटल पर रखने के लिए शीघ्र उपाय किये जा रहे हैं।

(ग) रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है।

फीडर लाइन सेवाओं के लिए विमान

718. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में फीडर लाइन सेवाओं के लिए उपयुक्त विमान के बारे में ब्रगांजा समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार का निर्णय क्या हैं ?

पर्यटन और विमान मात्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समिति द्वारा पेश की गई रिपोर्ट की सरकर जांच कर रही है।

बिहार को खाद्यान्न, चीनी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का आबंटन

719. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु खाद्यान्न चीनी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्धों में गत चार महीनों के लिए बिहार का कोटा तथा आबंटन क्या थे और राज्य द्वारा उन आबंटनों को प्रतिमास किस-किस तारीख को उठाया गया;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्र द्वारा इन वस्तुओं की सप्लाई न किये जाने अथवा कम मात्रा में सप्लाई किये जाने के विहार के अधिकतर जिलों में गत चार महीनों में राशन की दुकानों में गेहूं और चीनी के कोटे को प्रति मास प्रति एकक 1 किलो से घटाकर 250 ग्राम कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सप्लाई की दृष्टि से विहार को इन वस्तुओं का पूरा कोटा देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है और कब तक ?

नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) बिहार को गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल, लेवी चीनी, सीमेंट, साफ्ट कोक और खाद्य तेलों का आबंटन तथा आपूर्ति करने संबन्धी सूचना विवरण में संलग्न है।

(ख) और (ग) : विहार राज्य सरकार से सूचना मंगाई गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार को जुलाई, 80 से अक्तूबर, 80 तक चावल और गेहूं का आबंटन (हजार मीटरी टन में)

	चावल	गेहूं पी० डी०	मिल	योग
जुलाई	65.0	60.0	45.0	170.0
अगस्त	85.0	30.0	21.73	136.73
सितम्बर	85.0	30.0	21.73	136.73
अक्तूबर	85.0	20.0	20.0	125.0

जून, 80 से सितम्बर, 80 तक और गेहूं की सप्लाई उठाई गई मात्रा (हजार मीटरी टन में)

	चावल	गेहूं	योग
जून	3.1	100.1	103.2
जुलाई	9.7	85.4	93.1
अगस्त	8.6	58.5	67.1
सितम्बर	16.4	46.3	62.7

मिट्टी का तेल (आंकड़े मीटरी टन में)

माह	आबंटन	बिक्री
जुलाई, 80	20,800	19726
अगस्त, 80	20300	16896
सितम्बर, 80	21200	19958 (अनन्तिम)
अक्तूबर,80	18090	9809 (15 वां)

लेवी चीनी

महीना	आबंटित मात्रा	भारतीय खाद्य निगम द्वारा फैक्ट्रियों से उठाई गई मात्रा	भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकारों को दी गई मात्रा
जुलाई, 80	26945.1	30587.5	26399
अगस्त, 80	26945.1	23176.4	29847
सितम्बर, 80	26940.5	27691.1	24505
अक्तूबर, 80	26941.2	20874.4	28770.2

सीमेंट

चालू तथा पिछली तिमाही के दौरान बिहार को सीमेन्ट की आबंटित तथा प्रेषित की गई मात्रा इस प्रकार है :—

अवधि	आबंटन (मीटरी टनों में)	प्रेषण
तिमाही 3/80 जुलाई से सितम्बर 80 तिमाही 4/80	2,35,700	1,94,917

अक्तूबर से दिसम्बर 80	2,32,700 (अनुपातत: प्रतिमास 77,567)	76,053 अनन्तिम (अक्तूबर 80 मास में)

साफ्ट कोक

बिहार के लिए 60,000 मी० टन प्रति मास साफ्ट कोक के कार्यक्रम में से अप्रैल-सितम्बर 1980 की अवधि के दौरान वास्तविक ढुलाई 55000 मि० टन प्रति माह रही है जो कि गति वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुई ढुलाई से लगभग 9000 मी० टन में प्रति मास अधिक थी। चूंकि अधिकांश साफ्ट कोक की सड़क द्वारा ढुलाई की जाती है और पिड हैड पर साफ्ट कोक के पर्याप्त भण्डार (2,25,000 मी० टन) है, अत: बिहार की मांग में किसी भी वृद्धि को पूरी तरह पूरा किया जा सकता है।

खाद्य तेल

(मी० टन में)

तेल वर्ष 1979-80 (नवम्बर, 1979 से अक्तूबर 1980) के दौरान आबंटित तथा उठाई गई मात्रा

आर० बी० डी० ताड़ का तेल		रेपसीड आयल (परिष्कृत)	
आबंटन	उठाई गई मात्रा	आबंटन	उठाई गई मात्रा
6100	3251	2500	1357

बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप आर्थिक नीति में परिवर्तन

720. **श्री विजय कुमार यादव**
श्री रशीद मसूद
श्री अरविन्द नेताम
श्री हरिनाथ मिश्र } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनवरी, 1980 से अब तक महीने वार आवश्यक वस्तुओं के मूल्य तथा मुद्रास्फीति में कितनी वृद्धि हुई;

(ख) इन दो आर्थिक बुराइयों पर काबू पाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ग) क्या समस्या के समाधान के लिए सरकार का विचार अपनी आर्थिक नीति में परिवर्तन करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क), (ख) और (ग) अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960 = 100) के अनुसार मापी गई मुद्रास्फीति और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में जनवरी 1980 से लेकर हुई वृद्धि की सूचना प्रत्येक मास के अनुसार संलग्न विवरण में दी गई है।

सरकार ने मुद्रास्फीति निरोधक कई एक उपाय किए हैं जिनमें से कुछ ये हैं :— (1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना (2) आयात द्वारा आन्तरिक पूर्ति में वृद्धि करना (3) मुद्रा

उपलब्धि की अनुचित वृद्धि पर रोक लगाना (4) असामाजिक क्रियाकलापों जैसे कि जमाखोरी और चोर-बाजारी पर अंकुश लगाना और (5) उत्पाद में वृद्धि करना। कीमतों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जब भी आवश्यक समझा जाएगा मुद्रास्फीति निरोधक अन्य उपयुक्त उपाय भी किए जाएंगे।

विवरण

अवधि	अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1950=100)	पिछले महीनों की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
दिसम्बर, 1979	374	—0.8
जनवरी, 1980	371	—0.8
फरवरी, 1980	369	—0.5
मार्च, 1980	373	+1.1
अप्रैल, 1980	375	+0·5
मई, 1970	382	+1.9
जून, 1980	386	+2.0
जुलाई, 1980	394	+2.1
अगस्त, 1980	397	+0.8
सितम्बर, 1980	402	+1.3

निर्यात उत्पादन बढ़ाने के लिए लाइसेंस देने सम्बन्धी बाधाओं को दूर करना

721. **श्री माधवराय सिंधिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात उत्पादन बढ़ाने के प्रयोजन में सरकार ने हाल ही में उक्त उत्पादन तथा प्रौद्योगिकी के आयात के लाइसेन्स देने सम्बन्धी बाधाओं को दूर करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में स्पष्ट रूप से क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) इस मामले में बड़े-बड़े उद्योग गृहों के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित निर्णय किए हैं :—

1. निर्यात के लिए उत्पादन

(1) निर्यात के लिए अधिक मात्रा में उत्पादन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से निर्यात उत्पादन किसी भी औद्योगिक उपक्रम के लिए लाइसेन्स शुदा क्षमता से बाहर होना चाहिए। इसके निर्धारण करने का अर्थ यह होगा कि क्या किसी औद्योगिक यूनिट का उत्पादन लाइसेन्स शुदा क्षमता से अधिक हो गया है अथवा अन्यथा, इसके निर्यात को स्वतः छोड़ दिया जायेगा। जब तक उद्योग (विकास तथा

विनियमन) अधिनियम में कोई अधिकार देने वाली व्यवस्था की जाती है, तब तक के लिए इस सम्बन्ध में कार्यकारी आदेश जारी किये जा सकते हैं।

(2) किसी उपक्रम की प्रभुता के प्रश्न पर विचार करने के लिए किसी उपक्रम के उत्पादन का हिसाब लगाते समय उसके निर्यातों को अलग रखा जा सकता है क्योंकि किसी औद्योगिक इकाई की प्रभुता केवल घरेलू बाजार में उसकी बिक्रियों के आधार निर्धारित की जायेगी।

2. **स्वत: विस्तार के लिए सुविधा**

औद्योगिक इकाइयों के स्वत: विस्तार की अनुमति देते समय जिसमें एस० आर० टी० पी० के अंतर्गत 'प्रभुता' ग्रहण करने वाली इकाइयां भी शामिल हैं, उनके पिछले निर्यात निष्पादन पर अनुकूल रूप में विचार किया जाएगा।

3. **उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम में नई वस्तु, की परिभाषा**

निर्यात वचन बद्धताएं सम्पन्न करने में किसी यूनिट के औद्योगिक लाइसेन्स में संचालन की लोचनीयता की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए कोई ऐसा औद्योगिक उपक्रम, जिसे सामान्य वर्णन के अन्तर्गत एक उत्पाद के लिए लाइसेन्स दिया गया है, उसे निर्यात के लिए उस उत्पाद के उत्पादन की अनुमति दी जायेगी जो केवल रूपान्तरण है और इस प्रकार लाइसेंसिंग औपचारिकताओं की आवश्यकता को समाप्त किया जा सकता है।

4. **प्रौद्योगिकी**

इस बात की आवश्यकता है कि निर्यात उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी को लगातार अद्यतन किया जाता रहे ताकि हमारे निर्यात क्वालिटी, डिजाइन तथा निष्पादन के अन्तर्राष्ट्रीय भावकों को पूरा कर सकें। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रौद्योगिकी के आयातों के लिए उदार नीतियां तथा क्रिया विधियां हों। अत: उन प्रौद्योगिकी आयातों के आवेदन पत्रों पर जिनमें केवल रायल्टी का एकमुश्त भुगतान अंतर्गस्त है, अधिक उदारता से विचार किया जायेगा। अनुमेय रायल्टी की दरें भी घरेलू बिक्रियों की तुलना में निर्यात बिक्रियों के लिए अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर पर निर्धारित की जा सकती हैं। ऐसी सुविधाओं से उन औद्योगिक इकाइयों की प्रौद्योगिकी सम्बन्धी रुचियों का विस्तार होगा जो निर्यात उत्पादन कर रही हैं। ऐसी आयातों की अनुमति देने वाली विद्यमान क्रिया विधियों को और अधिक विकेन्द्रीकृत एवं सरल तथा कारगर बनाया जायेगा।

भारत तथा कुवैत के बीच व्यापारिक सम्बन्ध

722. **श्री माधवराय सिंधिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत के अमीर ने, हाल ही में अपनी भारत यात्रा के दौरान भारत तथा कुवैत के बीच आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई बार वार्ता की थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त वार्ता के क्या परिणाम निकले और इनके फलस्वरूप वर्ष 1980-81 के दौरान उक्त आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धों के बारे में क्या संभावनायें उत्पन्न हुई हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) कुवैत के महामहिम अमीर की भारत यात्रा के दौरान भारत और कुवैत के बीच आर्थिक और व्यापार सम्बन्धों को और आगे सुधारने के लिए कुछ विचार विमर्श हुआ। कुवैत के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री और हमारे वाणिज्य मंत्री ने भारत और कुवैत के बीच व्यापार से संबंधित व्यापक विषयों के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया और दोनों देशों के बीच व्यापार में उत्तरोत्तर विकास पर संतोष व्यक्त किया। इसके साथ-साथ, दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच औद्योगिक और वाणिज्यिक सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए और आगे प्रयास करने की आवश्यकता के बारे में भी सहमति व्यक्त की। इस संदर्भ में, दोनों मंत्री मैट्रो-रासायनिक पदार्थों, उर्वरकों, पावर, सीमेन्ट, कागज तथा कागज की लुगदी जैसे क्षेत्रों कुवैती में वित्तीय सहयोग से भारत में संयुक्त उद्यम परियोजनाएं स्थापित करने की संभाव्यताओं पर विचार करने के लिए सहमत हुए। इस पर सहमति हुई कि इस संबंध में संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए कुवैत से एक उच्च शक्ति सम्पन्न तकनीकी दल भारत आ सकता है।

2. दोनों मंत्री, दोनों देशों के व्यापारियों और उद्योगपतियों के बीच जानकारी अन्तराल को और कम करने लिए सहमत हुए और इसके लिए इस बात पर सहमति हुई कि कुवैत में व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा सकता है और दोनों देशों के बीच व्यापारिक दौरों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कुवैत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री केन्द्रीय उद्योग राज्य मंत्री से भी मिले और कुवैत के औद्योगिक विकास में भारत की भागीदारी, भारत में कुवैती निवेश और तीसरे देशों में संयुक्त उद्यमों की संभाव्यताओं पर विचार विमर्श किया।

3. कुवैत के वित्त मंत्री हमारे विदेश मंत्री से भी मिले और विचार विमर्श के दौरान दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की।

4. हमारी प्रधान मंत्री तथा कुवैत के महामहिम अमीर के बीच वार्ताओं के समापक दौर में अन्य बातों में दोनों देशों के बीच व्यापार के और आगे विस्तार के लिए प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान तथा प्रदर्शनियां लगाने सहित विभिन्न कदम उठाने की आवश्यकता पर सहमति हुई। दोनों पक्ष निवेश आधार पर तथा आपसी लाभ के लिए भारत के विकास तथा औद्योगिकीकरण में कुवैत की भागीदारी का अध्ययन करने के लिए सहमत हुए।

भारतीय वस्त्रों के आयात पर अमरीका द्वारा लगाए गए प्रतितुलन शुल्क का समाप्त किया जाना

723. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार इस वर्ष जुलाई में भारतीय वस्त्रों के आयात पर लगाये गये प्रतितुलन शुल्क को समाप्त करने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो नये करार का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे भारतीय वस्त्रों के निर्यात में कितनी वृद्धि होने की संभावना है।

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) : 26 जून, 1980 को अमरीकी वाणिज्य विभाग ने यह प्रारम्भिक निर्णय लिया कि कतिपय वस्त्रों तथा वस्त्र

मिल उत्पादों पर भारत सरकार का निर्यात नकद छूट कार्यक्रम एक उपदान बन गया और वे उपदान राशियां निम्नलिखित हैं :

(1) सूती तैयार कपड़े	5%
(2) पुरुषों के परिधान	7.5%
(3) सभी ऊनी मदें, ऊनी यार्न को छोड़कर	7.5%
(4) सूती फैब्रिक्स	10%
(5) यार्न, ग्रैंड व कार्डेज को छोड़कर मानव निर्मित रेशों से निर्मित सभी मदें	15%
(6) अन्य सूती मदें	2.5%

इन उपदानों को पूरा करने के लिए इन मदों के आयातों पर उपरोक्त दरों पर अनन्तिम प्रतिकारी शुल्क लगाए गए। ये शुल्क बाण्डों। प्रतिभूतियों के रूप में एकत्र करने के आदेश दिए गए।

अन्तिम निर्णय लेने के लिए, अमरीकी वाणिज्य विभाग ने वस्त्रों के लिए भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली नकद मुआवजा सहायता की जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस योजना का मुख्य प्रयोजन उन परोक्ष करों पर छूट देता है जो अन्यथा भारतीय वस्त्र निर्यातकों को लौटाये नहीं जाते। इस प्रकार छूट व्यवस्था को प्रतिकारी शुल्क लगाये जाने के प्रयोजनार्थ उपदानों तथा प्रतिकारी उपायों संबंधी गाट करार के अन्तर्गत उपदान रूप में नहीं माना जाता और 24 सितम्बर, 1980 को अमरीकी वाणिज्य विभाग ने इस संबंध में यह अन्तिम निश्चय किया कि भारत सरकार वस्त्रों अथवा वस्त्र मिल उत्पादों पर निर्यात उपदान प्रदान नहीं करती। तदनुसार, उन्होंने अपने पहले के वे आदेश रद्द कर दिये हैं जिनके अन्तर्गत भारत से इन मदों के आयातों पर अनन्तिम प्रतिकारी शुल्क लगाने का प्राधिकार दिया गया था।

(ग) यदि प्रतिकारी शुल्क लगा दिये जाते तो संयुक्त राज्य अमरीका को वस्त्रों के भारतीय निर्यातों में गतिरोध आता। दरअसल, अनन्तिम शुल्क जारी रहने की अवधि के दौरान अमरीकी क्रेताओं द्वारा अनेक निर्यातकों से अन्तिम निर्णय होने तक माल का लदान स्थगित करने के लिए कहा गया था। इससे संयुक्त राज्य अमरीका में वस्त्र व्यापार में एक अनिश्चितता का वातावरण बन गया था। चूंकि अब संयुक्त राज्य अमरीका के प्रतिकारी शुल्कों को हटा दिया है अतः हमारे निर्यातों में कोई मुख्य रुकावट आने की आशंका समाप्त हो गई है।

भारत स्विस संयुक्त आयोग

724. **माधवराव सिंधिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत—स्विस संयुक्त आयोग का दूसरा अधिवेशन दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों पर विचार-विमर्श करने के लिए सितम्बर, 1980 के तीसरे सप्ताह में हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन प्रश्नों पर विचार किया गया तथा बातचीत का क्या निष्कर्ष निकला ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां। भारत-स्विस संयुक्त आयोग का दूसरा अधिवेशन 18-23 सितम्बर, 1980 तक बर्न में हुआ था।

(ख) वार्ताओं के दौरान व्यापार नीति, व्यापार संवर्धन, घड़ियों, मशीनों तथा रासायनिक उद्योगों के क्षेत्र में भारत में कार्य कर रही स्विस फर्मों की समस्याओं, भारत-स्विस सहयोग, जिसमें तीसरे देशों के संयुक्त उद्यम तथा जी० एस० पी० जैसे अन्य मामले भी शामिल हैं, निवेश नीति, दोहरे कराधान आदि संबंधी मामलों पर विचार विमर्श किया गया। दोनों पक्षकार इस पर सहमत हुए कि भारत-स्विस आर्थिक सहयोग, जिसमें भारत-स्विस व्यापार की मात्रा और भारत-स्विस औद्योगिक सहयोग की संभाव्यताओं तथा तीसरे देशों में संयुक्त उद्यम शामिल हैं, के लिए काफी गुंजाइश है।

अखबारी कागज की मांग और सप्लाई स्थिति

725. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी**
श्री आर० के० महालगी } : क्या वाणिज्य मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान प्रति माह अखबारी कागज की स्थिति मांग और सप्लाई क्या थी;

(ख) क्या इंडियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी ने अखबारी कागज की कमी के लिए राज्य व्यापार निगम को उत्तरदायी पाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है तथा उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(घ) आयात द्वारा कितने प्रतिशत अखबारी कागज की सप्लाई की पूर्ति की जाती है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) पिछले तीन महीनों के दौरान रजिस्ट्रार आफ न्यूजपेपर्स फार इंडिया द्वारा प्रस्तुत की गई आयातित अखबारी कागज की आवश्यकता तथा इसकी सप्लाई स्थिति निम्नोक्त प्रकार है :—

महीना	मांग	सप्लाई
अगस्त, 1980	26,000 मे० टन	26,144 मे० टन
सितम्बर, 80	26,000 मे० टन	26,349 मे० टन
अक्तूबर, 80	26,000 मे० टन	24,010 मे० टन

(ख) तथा (ग) इंडियन तथा ईस्टर्न न्यूज पेपर्स सोसाइटी (आई० ई० एन० एस०) समय-समय पर अखबारी कागज की सप्लाई के संबंध में अपने सदस्यों के सामने आने वाली कठिनाइयों को राज्य व्यापार निगम के ध्यान में लाती रहती है। जब कभी भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, राज्य व्यापार निगम इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उचित कदम उठाता है।

(घ) अखबारी कागज की 85% आवश्यकता आयात द्वारा पूरी की जाती है।

इरोज सिनेमा के परिसर में मारे गए आयकर छापे में प्राप्त लेखाबद्ध न की गई नकद राशि और आभूषण

726. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इरोज सिनेमा के मालिक श्री आर० एस० सूद के निवास स्थान और व्यापार परिसर में मारे गए हाल के आयकर छापे में लाखों रुपये की नकद राशि तथा आभूषण पाई गई;

(ख) यदि हां, तो पाई गई नकद राशि और आभूषणों का विवरण क्या है;

(ग) क्या सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध कोई मामला आरोपित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) से (घ), जी, हां। आयकर विभाग द्वारा 14 तथा 15 अक्तूबर 1980 को, श्री आर० एस० सूद तथा उनके परिवार के सदस्यों के रिहायशी तथा व्यापारिक परिसरों पर ली गई तलाशी के दौरान 4, 17, 210 रु० मूल्य की नकदी तथा 12,01, 883 रु० मूल्य के जवाहिरात पाये गये थे। उपर्युक्त में से 3,70,000 रु० मूल्य की नकदी तथा 12,01,883 रु० मूल्य के जवाहिरात आयकर विभाग द्वारा पकड़ लिए गए हैं।

इन मामलों में विस्तृत जांच-पड़ताल चल रही है और चूककर्ताओं के खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही की जायगी।

एकाधिकार घरानों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई राशि

727. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत औपचारिक रूप से पंजीकृत विभिन्न एकाधिकार घरानों द्वारा प्रवर्धित अथवा उनके स्वामित्वाधीन कम्पनियों को सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कितनी राशि उधार दी गई और उन घरानों ने स्वयं कुल कितनी राशि का निवेश किया है और विशिष्ट कम्पनियों में लगाई गई कुल राशि के मुकाबले उनके अपने हिस्से का अनुपात क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्तमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : 30 जून, 1980 तक सरकारी वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (एम० आर० टी० पी०) की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत एकाधिकारी व्यापारिक घरानों को संवितरित राशि 782·23 करोड़ रुपये थी।

जहां तक एकाधिकारी व्यापारिक घरानों द्वारा स्वयं निवेशित रकम का संबंध है, जिसमें कुल निवेशित राशि की तुलना में उनके हिस्सों की आनुपातिक राशि शामिल है, पहली फरवरी 1975 की स्थिति के अनुसार केवल शीर्षस्थ एकाधिकारी व्यापारिक घरानों अर्थात् बिड़ला, टाटा, मफतलाल, जे० के०, सिंघानिया, थापड़, इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज (आई० सी० आई०), बांगड़, श्रीराम, आयल इंडिया तथा सिंधिया के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध हे। अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

31 दिसम्बर, 1978 ती स्थिति के अनुसार कम्पनियों (शीर्षस्थ 10 एकाधिकारी व्यापारिक घरानों की) की कुल चुकता सामान्य शेयर पूंजी तथा व्यक्तियों के पास जो अलग-अलग परिवारों के प्रतीत होते हैं, तथा एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम (एम० आर० टी० पी०) की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत अलग-अलग समूहों की कंपनियों के पास सामान्य शेयर पूंजी का कुल मूल्य ।

(करोड़ रुपये)

पहली फरवरी, 1975 को स्थिति

क्रम संख्या	एकाधिकार व्यापारिक घरानों का नाम	प्रत्येक समूह की कम्पनियों की संख्या जिनके संबंध में सूचना उपलब्ध है	कालम (3) में दिखाई गई कम्पनियों की कुल चुकता सामान्य शेयर पूंजी	एकाधिकार व्यापारिक घरानों के पास सामान्य शेयर पूंजी	कालम 4 के अनुपात में कालम 5 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	विड़ला समूह	68	106.59	19.86	18.63
2.	टाटा समूह	35	115.54	19.88	17.21
3.	मफतलाल समूह	14	40.47	13.85	34.23
4.	जे० के० सिंघानिया समूह	28	24.06	20.14	42.14
5.	थापड़ समूह	29	28.10	11.60	41.30
6.	आई० सी० आई० समूह	7	41.87	2.10	5.00
7.	वांगड़ समूह	47	25.79	7.09	27.50
8.	श्रीराम समूह	13	23.77	1.26	5.30
9.	आयल इंडिया समूह	2	29.25	—	—
10.	सिंधिया हाउस	3	13.71	0.14	1.05

चासनाला कोयला खानों में कोकिंग कोयले की उपलब्धता

728. **श्री पी० राज गोपाल नायडू** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चासनाला कोयला खानों में कोकिंग कोयला उपलब्ध है; और

(ख) क्या उक्त कोयले को उपयोग में लाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) (क) जी, हां।

(ख) चासनाला की कोयला खान से विवृत खनन द्वारा कोककर कोयला पहले से निकाला जा रहा है। गहरी खान के विकास की योजना भी चल रही है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में शोध कार्य

726. **श्री राजगोपाल नायडू** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में शोध कार्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो शोध कार्य किन क्षेत्रों में किया जा रहा है; और

(ग) 1979-80 में शोध के सम्बन्ध में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के अनुसन्धान और विकास केन्द्र ने इस्पात उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रौद्योगिकीय अनुसन्धान करने का कार्य आरम्भ किया है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं :

1. कोयला और कोक
2. कच्ची सामग्री
3. लोहा बनाना
4. इस्पात बनाना
5. यान्त्रिक कार्यकरण
6. उत्पादों का विकास
7. ऊष्मसह
8. तापीय इंजीनियरी
9. सामग्री प्रौद्योगिकी
10. संक्षारण और विश्लेषण
11. संगणकीयकरण
12. यन्त्रीकरण और नियन्त्रण
13. सीधा अपचयन
14. संयन्त्र आधुनीकीकरण

(ग) वर्ष 1979-80 में शोध-कार्य की उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :

1. कोल्ड बोन्डेड पैलेट के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया गय ाहै जिससे ऊर्जा का संरक्षण और खानों तथा कारखानों की बेकार सामग्री के उपयोग में सहायता मिलेगी,

2. धमन भट्टियों में लाइम डस्ट का उपयोग करने के लिए डिजाइन और प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है और दुर्गापुर इस्पात कारखाने की एक धमन भट्टी में उपयोग करने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं,

3. नॉन-सिलिकन विद्युतीय इस्पात के उत्पादन, मिश्र-धातुकरण तत्वों के मिश्रण से एच० एस० एल० ए० अनुभागों के उत्पादन और सेमि-किल्ड नॉन-एजिंग डीप ड्राइंग क्वालिटी स्टील के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है और इनका वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन भी आरम्भ हो गया है।

4. तापलेखी सर्वेक्षण तकनीक का विकास किया गया है और इस्पात कारखानों में इसका उपयोग होने लगा है। इस तकनीक से धमन भट्टियों में निवारक संधारण, तप्त धातु मिश्रक, गैस पाइपलाइन आदि के कार्यों में मदद मिलती है।

सहकारिता के माध्यम से लोक वितरण व्यवस्था

730. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सहकारिता के माध्यम से लोक वितरण व्यवस्था बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब शुरू होगी ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) और (ख) सहकारी संगठनों को देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भाग लेने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया गया है। कई राज्य सरकारों ने सहकारी विपणन/सहकारी उपभोक्ता संघों को विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की वसूली करने तथा उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से बेचने के लिए सप्लाई करने हेतु नामित किया है। इस समय सहकारी क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लगभग 70,000 बिक्री केन्द्र हैं। सरकार की वर्तमान नीति भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ सहकारी संगठनों के सक्रिय सहयोग को प्रोत्साहित करने की है।

बैलाडिला लौह अयस्क खानें

731. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैलाडिला लौह अयस्क खानों को पहले पूरी तरह निर्यात प्रधान परियोजना के रूप में रखा गया था;

(ख) क्या अब लगभग 55 लाख टन लौह अयस्क को विशाखापत्तनम इस्पात सन्यन्त्र के लिए भेजने का निर्णय किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार के निर्णय के कारण पहली योजना बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त (ख) के कारण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने की 30 लाख टन उत्पादन अवस्था के लिए लगभग 52 लाख टन लौह-अयस्क (चूरा तथा डले) की आवश्यकता होगी, जिसकी पूर्ति बैलाडिला की उत्पादनरत खानों से की जाएगी। फालतू मात्रा का निर्यात जारी रहेगा।

(ग) और (घ) योजना बनाने का कार्य एक सतत प्रक्रिया है। विशाखापनत्तम के इस्पात कारखाने को बैलाडिला से लौह-अयस्क सप्लाई करने के बारे में निर्णय लेते समय भूत में लिए गए निर्णयों तथा विशाखापत्तनम में इस्पात का कारखाना लगाने से होने वाले लाभ जैसी बातों को ध्यान में रखा गया है।

10 वर्षीय पर्यटन योजना आरम्भ करना

732. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10-वर्षीय पर्यटन योजना के निकट भविष्य में चालू होने की सम्भावना नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) एक 10-वर्षीय परिप्रेक्ष्य पर्यटन योजना अभी भी विचाराधीन है। इस बीच, योजना आयोग से परामर्श करके छठी योजना (1980-85) के सन्दर्भ में एक पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड में हानि

733. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को 71.15 करोड़ रुपए की हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और देश में इस्पात का अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) को 1980-81 के चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 38 करोड़ रुपए की हानि हुई है।

(ख) हानि मुख्यत: इस्पात के उत्पादन में कमी होने के कारण हुई। इस्पात के उत्पादन में कमी मुख्य रूप से कोकिंग कोयले और बिजली की आपूर्ति की विकट कठिनाइयों के कारण हुई;

सेल के कारखानों में विक्रेय इस्पात का इष्टतम उत्पादन करने के लिए किए गए/किए जाने वाले कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं :—

1. कोककर कोयले की देशीय आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए वर्ष 1978-79 में 12 लाख टन कोककर कोयले का आयात किया गया था। कोयले की समस्त मात्रा अगस्त/सितम्बर, 1980 तक प्राप्त हो गई है। इस वर्ष के दौरान 5 लाख टन कोककर कोला और आयात करने के लिए सरकार ने स्वीकृति दे दी है तथा सप्लाई आनी शुरू हो गई है। 10 लाख टन कोककर कोयला और आयात करने के लिए विश्व आधार पर निविदाएं आमन्त्रित की गई हैं।

2. इस्पात कारखानों की अपनी खानों में अधिकाधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

3. इस्पात कारखानों की विद्युत-उत्पादन इकाइयों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा रही है।

4. दीर्घ कालिक उपाय के रूप में बोकारो तथा दुर्गापुर के इस्पात कारखानों की रक्षित विद्युत उत्पादन क्षमता में क्रमशः 180 मेगावाट तथा 120 मेगावाट की वृद्धि की जा रही है।

5. कोककर कोयले तथा बिजली की अधिकाधिक सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कोयला और बिजली सप्लाई करने वाले अभिकरणों और रेलवे से निकट तथा सतत सम्पर्क रखा जा रहा है। कोयले और बिजली की उपलब्धि की स्थिति के बारे में अन्तः मंत्रालय परामर्श के माध्यम से भी विभिन्न स्तरों पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है। औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं की मन्त्रिमण्डल की समिति नियमित रूप से स्थिति की समीक्षा करती है ताकि स्थिति में सुधार करने के लिए अधिक प्रभावी तथा समन्वित ढंग से आवश्यक उपाय किए जा सके।

परादीप बन्दरगाह में इस्पात संयन्त्र की स्थापना

734. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी ओर ब्रिटेन ने परादीप बन्दरगाह में इस्पात संयंत्र को लगाये जाने से सम्बन्धित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों द्वारा अधिकारियों को छुरा घोंपना

735. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों द्वारा अधिकारियों को छुरा घोंपने की घटनाओं की राज्यवार और बैंक वार संख्या क्या है; और

(ख) बैंक कर्मचारियों में पनपती जा रही अवांछनीय और समाज विरोधी प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पारादीप बन्दरगाह से क्रोम अयस्क का निर्यात

736. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारादीप बन्दरगाह के माध्यम से गत तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी और सरकारी दोनों खानों से क्रोम अयस्क की टनों में कितनी मात्रा निर्यात की गई;

(ख) उड़ीसा की विभिन्न खानों विशेषकर क्योंझर जिले की बाउला खानों से भेजी गई मात्रा का विवरण क्या है;

(ग) इन वर्षों में अर्जित कुल विदेशी मुद्रा रुपयों में कितनी है; और

(घ) क्या क्योंझर जिले की खानों (बाउला) से बन्दरगाह पर कम मात्रा में दुलाट्ट के कारण निर्यात में कमी हुई है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) क्रोम अयस्क का अधिकांश उत्पादन उड़ीसा के क्योंझर जिले की खानों में किया जाता है। खान-वार उत्पादन से सम्बन्धित ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पारादीप बन्दरगाह से क्रोम अयस्क के निर्यात से रुपये में अर्जित विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार है :

वर्ष	अर्जित विदेशी मुद्रा
1977-78	7.81
1978-79	5.48
1979-80	15.05

(घ) क्योंझर जिले की खानों से पारादीप बन्दरगाह को अयस्कों की कम ढुलाई के कारण गत तीन वर्षों के दौरान क्रोम अयस्क के निर्यात में कोई कमी नहीं आई है।

विवरण

पारादीप बन्दरगाह के माध्यम से गत तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी और सरकारी स्वामित्व वाली दोनों क्षेत्र की खानों से निर्यात किए गए क्रोम अयस्क की मात्रा निम्न प्रकार है :

(मात्रा मे० टन में)

वर्ष	निर्यातित मात्रा	सरकारी/गैर-सरकारी खानों का ब्यौरा	
1977-78	82,000	निर्यातों का ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है	47,000
1978-79	83,000	सरकारी स्वामित्व वाली खानें	36,000
		गैर-सरकारी खानें	83,000
1979-80	2,17,000	सरकारी स्वामित्व वाली खानें	1,14,000
		गैर-सरकारी खानें	1,03,000
			2,17,000

गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति पर बजट का प्रभाव

737. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष पेश किए गए बजट का जो प्रभाव देश के गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति पर पड़ा है, उसका अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) : चालू वर्ष का केन्द्रीय बजट पांच महीने पूर्व ही संसद में प्रस्तुत किया गया था। इसलिए गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति पर उसके प्रभाव का अध्ययन करना बहुत ही समय पूर्व होगा। वस्तुत: गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना आर्थिक नीति का एक सतत लक्ष्य है और इस लक्ष्य को एक सुस्पष्ट नीति सहित उत्तरोत्तर कई पंचवर्षीय विकास आयोजनाओं के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। गरीबी और असमानताओं को दूर करना छठी पंचवर्षीय आयोजना 1980-85 का एक प्रमुख लक्ष्य है जो पहले ही तैयार की जा चुकी है और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है।

वनस्पति 'खाद्य तेल, चीनी, कपास आदि के खुदरा मूल्य

738. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) 18 फरवरी, 1979, 25 जनवरी 1980, 1 जुलाई, 1990 1 अगस्त 1980, 1 सितम्बर 1980 1 अक्तूबर, 1980, 15 अक्तूबर 1980 को वनस्पति, खाद्य तेल, चीनी, सूती कपड़े, मछली, मांस, चाय, अण्डों के क्षेत्रवार खुले बाजार खुदरा मूल्य क्या हैं; और

(ख) मूल्य में वृद्धि अथवा कमी के कारण क्या हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) सूचना अनुबंध में दी गई है [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1380/80]

(ख) सामान्य स्फीतिकारी स्थिति के अलावा, कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि, उत्पादन में आई कमी, 1979 के व्यापक सूखे, पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हुई वृद्धि, बिजली की सप्लाई में आई कमी, संचलन संबंधी बाधाओं तथा मौसमजन्य कारणों की वजह से कही जा सकती है।

निर्यात संवर्धन पर व्यय और उसमें नगद सहायता का भाग

739. **श्री ज्योतिमय बसु**: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975-76 से 1980-81 तक वर्षवार निर्यात वृद्धि पर किया गया कुल व्यय कितना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कुल व्यय में नकद सहायता का वर्षवार भाग क्या है;

(ग) उक्त अवधि में व्यापार संवर्धन अथवा कमी के वर्षवार कुल आंकड़े क्या हैं; और

(घ) निर्यात संवर्धन पर हुए व्यय का देश के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) निर्यात संवर्धन पर होने वाले व्यय के फलस्वरूप, भारत से होने वाले निर्यातों में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है।

वर्ष	निर्यात संवर्धन पर कुल व्यय	दी गई नगद मुआवजा सहायता की राशि	(करोड़ रु० में) व्यापार शेष
1975-76	18.34	136.09	—1222.95
1976-77	239.64	226.62	+ 68.46
1977-78	324.36	311.34	— 621.03
1978-79	375.21	358.92	—1088.04
1979-80	360.96 (अनन्तिम)	344.16 (अनन्तिम)	—2356.69
1980-81	196.44 (अनन्तिम)	88.75 (अनन्तिम)	चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में मालूम होगा।

1अप्रैल, 1980 से
सित०, (1980)

आयकर विभाग द्वारा छापे

740. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करों से अपवंचित आय और सम्पत्ति की खोज में आयकर विभाग द्वारा गत तीन महीनों के दौरान कितने छापे मारे गए;

(ख) इस अवधि में जिन व्यक्तियों के घरों और व्यापार स्थलों पर छापे मारे गए उनके नाम, पते, पदनाम और विवरण क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक मामले में छिपाई गई कुल कितनी राशि नगद और अन्य रूप में पकड़ी गई; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई, यदि कोई हो, की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) पिछले तीन महीनों के दौरान अर्थात् अगस्त 1980 से अक्तूबर 1980 तक, आयकर विभाग ने छिपाई गई आय और धन का पता लगाने लिए 1321 तलाशियां ली हैं। इन तलाशियों में लगभग 4.54 करोड़ रुपये मूल्य की नकदी, सोना-चांदी, जवाहिरात तथा अन्य मूल्यवान वस्तुएं पकड़ी गई हैं।

(ख) तथा (ग) तलाशी के प्रत्येक मामले में नाम, पते तथा पकड़े गये सामान का ब्योरा देने में काफी समय और श्रम लगेगा। लेकिन, यदि माननीय सदस्य किसी तलाशी विशेष के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उन्हें वह जानकारी प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(घ) इन मामलों में विस्तृत जांच-पड़ताल की जा रही है और चूक-कर्ताओं /कर-अपवंचकों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

थोक मूल्यों को स्थिर रखना

741. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से अक्टूबर 1980 तक, महीनेवार, सभी वस्तुओं और खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में अलग से थोक मूल्यों सूचकांक में प्रतिशतता की दृष्टि से किस दर से वृद्धि या कमी हुई है;

(ख) उनके इस कथन का आधार क्या है कि थोक मूल्यों में स्थिरता आने लगी है; और

(ग) यह स्थिरता किस प्रकार की है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मगन भाई बरोत) : (क) समस्त वस्तुओं तथा खाद्य वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में 1970-71=100 को आधार मानते हुए, अप्रैल-अक्तूबर की अवधि के लिए, प्रतिशत मासिक घटबढ़ नीचे दी गई है :

	पिछले महीने की तुलना में प्रतिशत घटबढ़	
	समस्त वस्तु सूचक अंक	खाद्य वस्तु सूचक अंक
अप्रैल, 1980	+0·6	(—) 0.4
मई, 1980	+2·5	—3·1
जून, 1980	+3·0	—1·8
जुलाई, 1980	+4·1	—3·6
अगस्त, 1980	+1·0	—1·1
सितम्बर, 1980 (अ)	+1·0	(—) 1·4
अक्टूबर, 1980 (अ)	+0·6	—2 0

अ=अनन्तिम आंकड़े

(ख) तथा (ग) हाल के तीन महीनों अर्थात् अगस्त-अक्टूबर, 1980 में मुद्रास्फीति की दर, जैसा कि उसे थोक मूल्य सूचकांक से नापा गया है, पिछले 3 महीनों में 3·2 प्रतिशत से घटकर 1·1 प्रतिशत हो गई है। 25-10-1980 तथा 1·11·1980 को समाप्त हुए दो सप्ताहों के दौरान जिनकी नवीनतम सूचना उपलब्ध है, थोक मूल्यों के सामान्य सूचक अंक में 1·2 तथा 1·7 प्रतिशत की कमी हुई है।

मुद्रास्फीति दबावों में कमी मौसमी प्रभावों के कम होने तथा सरकार द्वारा पहले से किए जा रहे मुद्रास्फीति निरोधक उपायों के कारण हुई है। कृषि उत्पादन की सम्भावना अच्छी है तथा औद्योगिक उत्पादन में भी बढ़ोतरी शुरू हो गई है। यद्यपि अर्थव्यवस्था को आयातित मुद्रास्फीति तथा तेल और तेल उत्पादों में लगातार हो रही वृद्धि के प्रभाव से अलग रखना सम्भव नहीं है तथापि कीमतों के गिरने की प्रवृत्ति एक शुभ लक्षण है तथा आगामी महीनों में कीमतों की स्थिति में उचित रूप से स्थिरता रहने की आशा है।

कुद्रेमुख में "पैलेटाइजेशन" संयन्त्र की स्थापना करना

742. **श्री आर० वाई घोरपाडे :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो विदेशी सरकारों ने कुद्रेमुख में "पैलेटाइजेशन" संयन्त्र की स्थापना में रुचि दिखाई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या कद्रेमुख संयन्त्र को पूरी क्षमता के अनुसार न चलाये जाने की स्थिति में इसकी महंगी मशीनरी और कल-पुर्जों को जंग लग जायेगा;

(ग) क्या 2,000 श्रमिक लगभग बिना काम के हैं और इस परियोजना पर वार्षिक हानि 100 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है;

(घ) क्या वह अक्तूबर में रूमानिया में अपनी यात्रा में सफल हुए हैं और क्या रूमानिया की सरकार कुद्रेमुख परियोजना से उपलब्ध लौह अयस्क के साथ भारत में एक समेकित इस्पात संयन्त्र की स्थापना में शामिल होने के लिये सहमत हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) केवल रूमानिया की सरकार ने मंगलौर में पैलेट बनाने का ऐसा कारखाना लगाने में रुचि दिखाई है जिसमें कद्रेमुख से प्राप्त होने वाले सांद्रण का इस्तेमाल किया जाए। इस बारे में रूमानियां राज्य संगठन से कद्रेमुख लोह अयस्क कम्पनी लिमिटेड को एक पेशकश प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग) चार उत्पादन लाईनों में से अब तक केवल एक उत्पादन लाईन चालू हुई है। इस उपकरण को चलाने तथा इसका परीक्षण करने के लिए न्यूनतम कार्मिक रखे गए हैं। इस संयन्त्र

में अभी तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। इसीलिए मशीनरी और कल-पुर्जों को जंग लगने तथा परियोजना को हानि होने का प्रश्न इस समय पैदा नहीं होता।

(घ) तथा (ङ) रूमानिया सरकार ने भारत में कद्रेमुख लौह-अयस्क सांद्रण पर आधारित एक सर्वोतोमुखी इस्पात कारखाना लगाने के लिए कोई पेशकश नहीं की है।

दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा खाड़ी के देशों से आए हुए धन को भारतीय मुद्रा में बदलने से मनाही

743. **श्री आर वाई घोरपाडे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली हवाई अड्डे पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकारियों ने 20 अक्तूबर 1980 को खाड़ी के देशों से आए 600 यात्रियों के उनके धन को भारतीय मुद्रा में बदलने के अनुरोध को ठुकरा दिया था;

(ख) क्या इससे यात्रियों को अत्यधिक कठिनाई हुई थी तथा वे उत्तर भारत के विभिन्न भागों में स्थित अपने घरों तक नहीं जा पा रहे थे; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है तथा भविष्य में इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोत) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसे कुछ करेंसियों को भारतीय करेंसी में बदलने का काम अस्थायी तौर पर बन्द करना पड़ा लेकिन स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों को विशेषकर मध्य पूर्व से आने वालों की कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक ने कुछ मात्रा में इन में से कुछ करेंसियों की खरीद फिर से शुरू कर दी है। बैंक कुछ राशि से अधिक की रकमों के इन नोटों को संग्रह के आधार पर लेने और विदेशों से बिना किसी रुकावट के इन से वसूल रकम की अदायगी करने के लिए तैयार है।

इण्डियन एयरलाइन्स पर पर्यटकों की बुकिंग

744. **श्री आई० वाई० घोरपाडे** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो शीत ऋतु की तुलना में इस शीत ऋतु में इण्डियन एयरलाइन्स पर पर्यटकों की कितनी बुकिंग थी;

(ख) क्या इस वर्ष इण्डियन एयरलाइन्स पर पर्यटकों की बुकिंग में तेजी से कमी आई है जिससे इसमें 10 प्रतिशत की कमी हुई है और इण्डियन एयरलाइन्स को अपनी कुछ उड़ानें रद्द करनी पड़ीं;

(ग) क्या इसके कारण ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं और प्रस्तावित उपचारिक उपाय क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बीड़ी पर उत्पादन शुल्क

745. **श्री इ० के० इम्बीचीबावा**
श्री के० ए० राजन } : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बीड़ी पर उत्पादन शुल्क लगाये जाने के परिणाम स्वरूप सहकारी क्षेत्र में चल रहे केरल दिनेश बीड़ी में उत्पन्न संकट की जानकारी है जिसमें 25,000 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार सहकारी क्षेत्र में चल रहे बीड़ी उद्योग को उत्पादनशुल्क से मुक्त करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) सरकार को एक दरख्वास्त प्राप्त हुई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि केरल दिनेश बीड़ी कॉपरेटिव सोसाइटी को बिना ब्राण्ड वाली बीड़ियों के निर्माताओं के साथ होड़ का सामना करना पड़ रहा है और यह भी कि सहकारी क्षेत्र में उत्पादित ब्राण्डयुक्त बीड़ियों को उत्पादन शुल्क से मुक्त किया जाना चाहिए। सरकार उक्त दरख्वास्त की जांच कर रही है ।

जून 1980 में दिल्ली में हुई जहाज दुर्घटना की जांच का पूरा किया जाना

746. **श्री एन० के० शेजवलकर**
श्री सतीश अग्रवाल
डा० वसन्त कुमार पण्डित } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन के महानिदेशालय द्वारा उड़न-कला वाले उस जहाज दुर्घटना, जिसमें कि श्री संजय गांधी की मृत्यु हुई थी, के कारणों का पता लगाने के लिए गठित की जा रही जांच पूरी हो गई है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार भारत में उड़न-क्लबों को उड़न-कला वाले छोटे जहाजों को देने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट में ऐसे जहाजों के सम्बन्ध में किसी प्रकार के सुरक्षात्मक उपायों को अपनाने का उल्लेख किया गया है और क्या सरकार उड़न-क्लबों को ऐसे जहाज प्रदान करने से पहले इन उपायों का अनुपालन करेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि

747. श्री एन० के० शेजवलकार
श्री जी० एन० बनातवाला
श्री चन्द्रजीत यादव
श्री सतीश अग्रवाल
श्री पीयूष तिरकी
श्री वित्त बसु
श्री सुधीर गिरि
डा० वसन्त कुमार पंडित } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बजट पेश किए जाने के बाद से थोक मूल्य सूचकांक में लगातार वृद्धि हुई है ।

(ख) यदि हां, तो मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में माहवार कितनी वृद्धि हुई है,

(ग) मूल्यों में लगातार वृद्धि के क्या कारण हैं, और

(घ) इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भगतभाई बारोत) : (क) से (घ) जब से बजट पेश किया गया है तब से थोक कीमतों के सूचक अंक 1970-71 =100 में वृद्धि की मासिक दर जुलाई 1980 में 4.1 प्रतिशत, अगस्त में 1 प्रतिशत, सितम्बर में 1.7 प्रतिशत और अक्टूबर 1980 में 0.6 प्रतिशत की थी । इस प्रकार सूचक अंक में वृद्धि की दर नीचे आ गई है । वस्तुत: 25. 10. 1980 और 1. 11. 1980 को समाप्त हुए दो लगातार सप्ताहों में सूचक अंक में तेजी से क्रमश: 1.2 प्रतिशत और 1.7 प्रतिशत की कमी हुई है । कीमतों में लगातार वृद्धि होने के ये कारण हैं । आधारभूत ढांचे के असफल हो जाने से पूर्तिसम्बन्धी अड़चने, अन्तर्राष्ट्रीय कारक, कतिपय वस्तुओं की प्रशसित कीमतों में वृद्धि और 1979-80 के दौरान गम्भीर सूखा । सरकार ने कतिपय मुद्रा-स्फीति निरोधक उपाय किए हैं जिनमें कुछ ये हैं : (1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना (2) आयात द्वारा आन्तरिक पूर्ति में वृद्धि करना; (3) मुद्रा उपलब्धि के अनुचित विस्तार को रोकना; (4) समाज विरोधी कार्यों जैसे जमाखोरी और चोरबजारी पर अंकुश लगाना और (5) उत्पादन बढ़ाना । कीमतों की स्थिति पर बराबर नजर रखी जा रही है और जब भी आवश्यक होगा आगे और उपयुक्त उपाय किए जाएंगे ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अनुमानित हानि

748. श्री छांगुर राम
श्री रशीद रसूद
श्री राजेश कुमार सिंह
श्री राम विलास पासवान
प्रो० अजित कुमार मेहता } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पिछले वर्षों में उठायी गयी हानि की

तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारी हानि उठानी पड़ेगी ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान उठायी गई हानि की तुलना में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम बताते हुए द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में अनुमानित: कितनी हानि उठाये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के कार्यकरण के बारे में कोई मूल्यांकन किया है ; और

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो उसके क्या परिणाम निकले और हानि को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) 1980-81 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रचालन परिणामों के विश्वसनीय अनुमान सम्भवत: लगभग अक्तूबर 1981 तक प्राप्त हो सकेंगे। 1980-81 के बजट अनुमानों के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उर्वरक एवं कोयला समूह के उद्यमों के घाटे में और कमी है, जबकि इस्पात समूह के उद्यमों के 1979-80 को तुलना मुनाफा घट जाएगा। आशा है कि पेट्रोलियम, नौवहन समूह के उद्यमों में प्रचालन परिणामों में भी सुधार होगा। को समाप्त तिमाही के दौरान सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा पर किए गए सर्वेक्षण के आधार पर लाभ कमाने वाले उद्यमों द्वारा रुपये के आयकर की व्यवस्था करने के बाद कुल मिलाकर सभी सरकारी उद्यमों ने लगभग 6 करोड़ रुपये की अनुमानित निवल घाटा उठाया।

(ख) 1980-81 की पहली तिमाही तथा पिछले दो वर्षों में घाटा उठाने वाले उद्यमों के घाटे का विवरण संलग्न है। प्रथम तिमाही में हुए घाटे के आंकड़े अनन्तिम और अनुमानित हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1381/80]

(ग) और (घ) प्रशासनिक मंत्रालय यथावश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए अपने नियंत्रणाधीन उपक्रमों के कार्यनिष्पादन की निरन्तर समीक्षा करते हैं। हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भारी असर डालने वाले इस्पात, इंजीनियरी, कोयला, रसायन और उर्वरक तथा नौवहन क्षेत्रों के प्रमुख उद्यमों के कार्यनिष्पादन की जांच के लिए योजना आयोग के सदस्य श्री मोहम्मद फजल की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। समिति का कार्य चालू है।

सुपर बाजारों के उपाध्यक्षों के विशेषाधिकार तथा विशिष्ट सुविधायें

749. **श्री छांगुर राम** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सुपर बाजारों के उपाध्यक्षों को, सामान्य परिलब्धियों के अतिरिक्त विशेषाधिकारों तथा विशिष्ट सुविधाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन परिलब्धियों के बारे में कोई जांच की है जिनके अन्तर्गत सुपर बाजारों के अध्यक्षों को उक्त अतिरिक्त विशेष लाभ दिये जा रहे हैं; और

(ग) इन अतिरिक्त लाभों पर सुपर बाजार (सम्बन्धित प्राधिकरण) द्वारा कितनी राशि खर्च की जा रही है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) से (ग) यह समझा जाता है कि प्रश्न सुपर बाजार, दिल्ली के सम्बन्ध में है, जो इस मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में है। सुपर बाजार, दिल्ली के उपाध्यक्ष सामान्य हकदारी से अधिक किन्हीं भी विशेषाधिकारों और अनुलाभों का उपयोग नहीं कर रहे हैं।

विदेशी मुद्रा रिजर्व में वृद्धि करने के उपाय

750. **श्री विलास मुत्तेमवार**
श्रीमती कृष्णा साही
श्री जी० एम० बनातवाला } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक में कमी आने से सम्बन्धित समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों में क्या सच्चाई है;

(ख) सही स्थिति दर्शाने वाले वास्तविक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) विदेशी मुद्रा रिजर्व में कमी के क्या कारण हैं तथा उसमें वृद्धि करने के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मगन भाई बरोत) : (क) और (ख) मार्च 1980 के अन्त में सोने और एल० डी० आर० को छोड़कर भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार 5163.66 करोड़ रुपये का था जो 7 नवम्बर, 1980 को 4965.2 करोड़ रुपए का रह गया, अर्थात् इसमें 197.94 करोड़ रुपए की कमी हो गई। यह राशि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की न्यास निधि (ट्रस्ट फण्ड) और प्रतिपूरक वित्तपोषण सुविधा (कम्पेन्सेटरी फाइनेंसिंग फेसिलिटि) से की जाने वाली कुल मिलाकर लगभग 815 करोड़ रुपए की निराशियों को हिसाब में लेने के बाद आंकी गई है।

(ग) विदेशी मुद्रा भण्डार में होने वाले परिवर्तन अन्य देशों के साथ भारत के लेनदेनों का निवल परिणाम होते हैं, जिनका ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शोधन शेष के आंकड़ों का संकलन कर लिए जाने के बाद ही उपलब्ध होगा। किन्तु स्थूल संकेतों के अनुसार विदेशी मुद्रा भण्डार (सोने और एस० डी० आर० को छोड़कर) में कमी मुख्य रूप से बहुत बड़े व्यापारिक घाटे के कारण हुई है। यह घाटा एक ओर मध्यवर्ती वस्तुओं और कच्चे माल खाद्य तेलों जैसी आम उपयोगी की वस्तुओं के अधिक आयात, कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों, लोह और अलौह धातुओं आदि की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप आयात बिल के काफी बढ़ जाने और दूसरी निर्यातों के विकास की अपेक्षाकृत धीमी गति होने के कारण हुआ है।

सरकार विदेशी मुद्रा भण्डार पर दबाव को कम करने और उसके भावी विकास के मार्ग में आने वाली रूकावटों को दूर करने के लिए कई उपाय करती रही है जिनमें ये शामिल हैं :

1. कोयला, बिजली, रेल, पत्तन, जैसे मुख्य क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन और सामान्य मूलभूत

ढांचे में सुधार के उपाय करना ताकि औद्योगिक क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग सुनिश्चित हो सके और आन्तरिक उत्पादन में सुधार करना तथा आयात की आवश्यकताओं को भी यथासम्भव कम करना।

2. निर्यात की क्षमता वाली मदों के उत्पादन पर जोर देने जैसे निर्यात को बढ़ाने के प्रयत्न करना ताकि निर्यात के लिए बड़ी मात्रा में माल उपलब्ध हो सके; निर्धारित मूल्य (वेल्यू एडिड) की मदों और खासतौर से निर्मित और अर्धनिर्मित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देना; नौवहन की और पत्तनों पर भीड़ भाड़ की समस्याओं को हल करना और विदेशों में विपणन सम्बन्धी आसूचना का समन्वय करना और उसे सुदृढ़ बनाना।

3. चालू राजकोषीय वर्ष 1980-81 के लिए आयात नीति में निर्यात को प्रधानता दी गई है।

4. देश में भेजी जाने वाली राशियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने अन्य योजनाओं के साथ-साथ निम्नलिखित योजनाएं शुरू की हैं :—

1. अनिवासी (बाह्य) खाता योजना, जिसके अन्तर्गत विदेशों में रहने वाले भारतीयों को रुपए में विनिर्दिष्ट खाते खोलने की अनुमति दी गई है। ऐसे खातों की शेष राशि मुक्त रूप से प्रत्यावर्तित की जा सकती है और जमा राशि पर होने वाली आय भारतीय आयकर से मुक्त होती है।
2. विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना जिसके अन्तर्गत विदेशों में रहने वाले भारतीयों को विनिर्दिष्ट करेंसियों (पौंड स्टर्लिंग तथा अमेरिकी डालर) में खाते खोलने की अनुमति दी गई है और मूलधन और उनपर मिलने वाला ब्याज, जो आयकर से मुक्त होता है, उसी करेंसी में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।
3. कतिपय औद्योगिक उपक्रमों में निवेश की अनुमती की योजना जिस अन्तर्गत निवेश की गई 74 प्रतिशत राशि प्रत्यावर्तित की जा सकती है।
4. नई भारतीय कम्पनियों के नए इक्विटी शेयरों में 20 प्रतिशत तक पूंजी निवेश की अनुमति की योजना जिसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है; और
5. स्वदेश लौटने वाले भारतीयों के लिए विदेशी मुद्रा का हकदारी योजना (रिटर्निंग इंडियन्स फारेन एन्टाइटलमेंट स्कीम) जिसके अन्तर्गत अनिवासी भारतीयों को पहली नवम्बर, 1977 को अथवा उसके बाद भारत में अपने निवास का स्थानान्तरण करने पर, 10 वर्ष की अवधि तक देश में भेजी गई अथवा सामान्य बैंकों के माध्यम से लाई गई विदेशी मुद्रा के 25 प्रतिशत तक राशि विदेश यात्रा, डाक्टरी इलाज, विदेशों में बच्चों की शिक्षा, निकट सम्बन्धियों को उपहार व्यावसायिक उपयोग के लिए विशेष उपकरणों के आयात जैसे प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि आयात लाइसेंस सम्बन्धी औपचारिकताएं पूरी की गई हों,

देश में भेजी जाने वाली राशियों के सम्बन्ध में सुविधाओं और प्रक्रियाओं आदि की बराबर समीक्षा

की जाती है ताकि देश में भेजी जाने वाली राशियों को प्रोत्साहन दिया जा सके और विदेशी मुद्रा भण्डार में वृद्धि की जा सके।

आवश्यक वस्तुओं का अभाव

751. **श्री चित्त महाटा :** क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में आवश्यक वस्तुओं का कितना अभाव है और इस अभाव को दूर करने के लिये सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : मुख्यत: ढुलाई सम्बन्धी बाधाओं के कारण हुई अस्थायी स्वरूप की कुछ स्थानीय कमियों को छोड़कर, अधिकांश आवश्यक वस्तुओं की कुल उपलभ्यता काफी सन्तोषजनक प्रतीत होती है। खुले बाजार में बिकने वाली चीनी और सीमेंट की कम सप्लाई होने की सूचना मिली है।

आवश्यक वस्तुओं की उपलभ्यता में सुधार करने के लिए सरकार की नीति में मुख्यत: बल, विशेष रूप से कम मात्रा में उपलब्ध वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने पर दिया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करके उसे अर्थव्यवस्था का एक स्थायी अंग बनाया जा रहा है। प्राप्त सूचना के अनुसार उचित दर की दुकानों की संख्या जो जनवरी, 1980 में 2·35 लाख थी, अक्तूबर 81) में बढ़कर 2 66 लाख हो गई है। उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित करने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जरूरतों को पूरा करने हेतु राज्य सरकारों को केन्द्रीय पूल से उतनी मात्रा में खाद्यान्नों की सप्लाई की जाती है, जिनकी पूर्ति राज्य सरकारों के पास उपलब्ध स्टाक से नहीं हो पाती है। राज्य सरकारों को केन्द्रीय पूल से अनाज की सप्लाई राज सहायता प्राप्त दरों पर की जाती है। तेल वर्ष 1979-80 के दौरान राज्यों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बिक्री के लिये 3·55 लाख मी०टन आयातित तेलों की मात्रा उठाई गई जबकि पिछले तेल वर्ष के दौरान यह मात्रा 93,000 मी० टन थी। चालू तेल वर्ष के लिये खाद्य तेलों का आयात करने की व्यवस्था कर दी गई है, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इनकी पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। ऋण नीति अभी प्रतिबन्धात्मक ही चल रही है। आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को नियमित किया जा रहा है/प्रतिबन्धित किया गया है। कम मात्रा में उपलब्ध कुछ आवश्यक वस्तुओं का आयात किया जा रहा है। राज्य सरकारें, आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा उसके तहत जारी किये गये आदेशों और चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाये रखना अधिनियम, 1980 के उपबन्धों को सख्ती से लागू कर रही हैं।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि का आधार

752. **श्री चित्त महाटा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते में हाल की वृद्धि की घोषणा किस आधार पर की गई थी; और

(ख) क्या यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुपात में है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय

सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते की पिछली किस्त 1-7-80 से उस समय मंजूर की गई थी जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का 12 महीने का औसत जून, 1980 के अन्त में 368 अंकों को पार कर गया था और जिसके परिणामस्वरूप सूचकांक औसत 360 में जिस पर कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को इससे पहले मंहगाई भत्ता मंजूर किया गया था, 8 अंकों की वृद्धि हो गई। इस किश्त में, जो प्रवर्तमान मानक सूत्र के अनुसार है, 400 रु० प्रतिमास तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में जीवन निर्वाह की लागत में हुई वृद्धि के लिए 100% निराकरण और उस स्तर से ऊपर तथा 1000 रु० प्रतिमास तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में 75% निराकरण की व्यवस्था है। उसके बाद निराकरण की मात्रा वेतन स्तर में वृद्धि के अनुरूप कम होती चली जाती है।

समेकित इस्पात संयन्त्रों में इस्पात उत्पादन की भारी कमी

753. **श्री कमला मिश्र मधुकर**
श्री बी० बी० देसाई : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1980-81 के पूर्वार्द्ध में समेकित इस्पात संयन्त्रों में लक्ष्य की अपेक्षा इस्पात का उत्पादन काफी कम हुआ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन और लक्ष्य का संयन्त्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्पादन में कमी के कारण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) वर्ष 1980-81 की पहली छमाही में सर्वतोमुखी स्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात का उत्पादन-लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन निम्न सारणी में दिखाया गया है जिससे पता चलेगा कि लक्ष्य की तुलना में उत्पादन 78·4 प्रतिशत हुआ है :--

अप्रैल-सितम्बर, 1980

कारखाना	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	लक्ष्य की प्राप्ति
	(हजार टन)	(हजार टन)	(प्रतिशत)
भिलाई इस्पात कारखाना	875	825	94·3
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	417	238	57·1
राउरकेला इस्पात कारखाना	496	358	72·2
बोकारो इस्पात लि०	687	319	46·4
इस्को	243	239	98·4
टिस्को	731	706	96·6
कुल	3424*	2685	78·4

(ग) उत्पादन में गिरावट मुख्य रूप से बिजली तथा कोककर कोयले की सप्लाई में आई गम्भीर कठिनाइयों के कारण हुई है।

*बोकारो इस्पात लि० से राउरकेला इस्पात संयन्त्र को आन्तरित की गई गर्म बेलित ब्वायलों को छोड़कर।

आयात सूची में कमी करने का प्रस्ताव

754. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयात सूची में भारी कमी करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मदों के आयात पर अंकुश लगाया जा रहा है और किस सीमा तक; और

(ग) तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

कोकिंग कोयले का आयात

755. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोकिंग कोल का आयात स्थायी आधार पर करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण और अन्य ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सरकार ने अभी तक इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया है।

फ्रांस के सहयोग से उड़ीसा में एल्यूमिनियम कम्प्लेक्स स्थापित किया जाना

756. **श्री लक्ष्मण मलिक**
श्री के० प्रधानी } क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में फ्रांस सरकार के सहयोग से उड़ीसा में एक भारी एल्यूमिनियम कम्पलेक्स स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव की मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके स्थान सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने उड़ीसा में एल्यूमिना व एल्यूमिनियम कारखानों की स्थापना की स्वीकृति दी है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1. पंचपटमाली में 24 लाख टन वार्षिक उत्पादन क्षमता की एक बाक्साइट खान जो एल्यूमिना कारखाने की जरूरत को पूरा करने के लिए होगी;

2. दामन जोड़ी में 8 लाख टन वार्षिक उत्पादन क्षमता का एक एल्यूमिना कारखाना; और

3. तालचेर में 2·18 लाख टन वार्षिक धातु उत्पादन क्षमता का एक एल्यूमिनियम प्रद्रावक और उसके लिए समुचित क्षमता का गृहीत बिजली घर।

कुल अनुमानित लागत 1242·4 करोड़ रुपए होगी जिसमें 167·5 करोड रुपए का खर्च विदेशी मुद्रा के रूप में होगा। परियोजना से निम्नलिखित समयावधि में पूर्ण क्षमता से उत्पादन होने की आशा है। अवधि-गणना, सलाहकारों की नियुक्ति और उनके साथ करार के प्रभावी होने की तारीख से की गई है :—

वॉक्साइट खान	:	63 महीने
एल्यूमिना कारखाना	:	70 महीने
प्रद्रावक	:	81 महीने

परियोजना लागत व्यय का एक बड़ा हिस्सा विदेशी वित्त सहायता से पूरा किया जाएगा, जिसमें फ्रांस सरकार से विशेष ऋण, फ्रांसीसी पूर्तिकर्ताओं से ऋण और यूरेकरेंसी का कर्ज का समावेश होगा।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये ग्रुप बीमा योजना

757. श्री चिन्तामणि जेना
श्री के० प्रधानी
श्री छोटू भाई गामित } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये एक नई ग्रुप बीमा योजना बनाई है जो 1 नवम्बर, 1980 के बाद सरकारी सेवा में प्रवेश करने वाले सभी कर्मचारियों के लिये अनिवार्य होगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी ग्रुप बीमा योजना की मुख्य-मुख्य बातों का एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

नई ग्रुप बीमा योजना रेलवे, डाक-तार और रक्षा कर्मचारियों, सिवाए सेना और अर्द्ध-सैनिक संगठनों के सदस्यों के जिनके लिए पहले ही उनकी एक ही योजना है, सहित सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है। ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य स्वायत संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति, विदेशों में भारतीय मिशनों में स्थानीय तौर पर भर्ती किए गए कर्मचारी, दैनिक श्रमिक अंश कालिक और तदर्थ कर्मचारी इस योजना के अन्तर्गत नहीं आयेंगे। 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद जो व्यक्ति

केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत भर्ती किए गए हैं, उन पर भी यह योजना लागू नहीं होगी । यह पूर्णतः अंशदायी और स्वयं-वित्त पोषित होगी । यह 1-1-1982 से प्रभावी होगी । 1-11-1980 के बाद केन्द्रीय सरकार की सेवा में आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य होगी । 1-11-1980 को जो कर्मचारी पहले ही इस सेवा में थे उनके लिए यह वैकल्पिक होगी । अगर ऐसे कर्मचारी योजना से बाहर रहना पसन्द करें, तो वे इस बारे में 31-12-1980 तक वैकल्प दे सकते हैं, अन्यथा उनके लिए वैकल्प देना आवश्यक नहीं है । जो कर्मचारी नई योजना से बाहर रहना चाहते हैं वे सेवानिवृति, त्यागपत्र आदि के कारण सेवा से निकलने तक की अवधि के लिए विद्यमान बीमा योजना जो कि) 28 वर्ष की आयु तक 50 पैसे प्रतिमास और उसके बाद 5 रुपए प्रतिमास के एक समान अंशदान पर 5,000/—रुपए का संरक्षण प्रदान करती है) के अन्तर्गत बने रहेंगे ।

2. नई योजना के अन्तर्गत अंशदान की दर ग्रुप 'घ', ग्रुप 'ग', ग्रुप 'ख' और ग्रुप 'क' कर्मचारियों के लिए क्रमशः 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए और 80 रुपए प्रतिमास होगी । अंशदान को अंशतः एक बीमा निधि और अंशतः एक बचत निधि में जमा किया जाएगा । ग्रुप 'घ', ग्रुप 'ग', ग्रुप 'ख', और ग्रुप 'क' के कर्मचारियों की अगर सेवा में रहते हुए किसी कारण से दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाए तो उनके परिवारों का बीमा संरक्षण देने के लिए क्रमशः 10,000/—रुपए, 20,000/—रुपए और 40,000/—रुपए और 80,000/—रुपए की बीमा निधि से अदायगी की जाएगी । बचत निधि में से इस निधि में जमा किए गए अंशदान और उस पर ब्याज की रकम के बराबर रकम कर्मचारियों को उनकी सेवा की समाप्ति पर अथवा कर्मचारी की सेवा में रहते हुए ही दुर्भाग्यवश मृत्यु होने पर उनके परिवारों को लौटा दी जाएगी । ब्याज की वर्तमान दर के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि 35 वर्ष की सेवा पूरी होने पर ग्रुप 'घ' कर्मचारी को लगभग 23,460/—रुपए, ग्रुप 'ग' कर्मचारी को 46,920/—रुपए, ग्रुप 'ख' कर्मचारी को 93,840/—रुपए और ग्रुप 'क' कर्मचारी को 1,87,680/—रुपए इस बचत निधि से प्राप्त होगे ।

3. नई योजना लागू होने के बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों की योजना की अगली वर्षगांठ पर सदस्य बनाया जाएगा । लेकिन उन्हें उनकी सेवा में भर्ती की तारीख से उनके योजना के सदस्य बनने की तारीख तक प्रत्येक 10,000/—रुपए की बीमा सुरक्षा के लिए 3/—रुपए प्रति मास के अल्प प्रीमियम की अदायगी पर समुचित बीमा सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा ।

4. किसी कर्मचारी की एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नियमित पदोन्नति होने की स्थिति में योजना की अगली वर्षगांठ से उसके अंशदान को उसकी पदोन्नति के ग्रुप के उचित स्तर तक बढा दिया जाएगा । योजना की अगली वर्षगांठ की तारीख तक वह उतनी ही राशि का बीमा संरक्षण प्राप्त करता रहेगा जिसके लिए वह ऐसी पदोन्नति से पहले पात्र था ।

5. योजना के किसी सदस्य अथवा अन्य हित भोगी को बीमा निधि/बचत निधि में उसकी जमा राशि में से अथवा उसके नाम पर किसी ऋण अथवा अग्रिम की अदायगी नहीं की जाएगी ।

6. साधारणतः सामान्य/अंशदायी भविष्य निधि से योजना को वित्त पोषित करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी । किन्तु यदि किसी स्तर पर किसी व्यक्तिगत सदस्य की ऐसी स्थिति हो कि वह इस योजना में और उसके साथ-साथ सामान्य/अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान नहीं कर

सकता हो तो उसे 'योजना' के लिए एक वर्ष में अदा किए गए अंशदान के बराबर की राशि को एक भिन्न लेन-देन के रूप में सामान्य अंशदायी भविष्य निधि से वापिस न किए जाने योग्य निकासी के रूप में स्वीकृति दी जा सकती है।

7. इस योजना में किए जाने वाले अंशदान को आय कर के प्रयोजन के लिए अंशदाता की कुल आय का हिसाब लगाने में, जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अंशदान आदि के सम्बन्ध में स्वीकार्य छूट में शामिल किया जाएगा किन्तु इसमें वह रकम शामिल नहीं होगी जो ऐसे अंशदान के कारण सामान्य/अंशदायी भविष्य निधि से अन्तिम रूप से निकाल ली गई हो।

8. योजना प्रति हजार पर 3·75 की मृत्यु दर पर आधारित है। अगर किसी समय ब्याज की दर अथवा/बीमा की लागत परिवर्तित हो जाती है तो बचत निधि से उपलब्ध लाभों में तद्नुरूपी परिवर्तन भी हो जाएगा।

9. यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना स्वयं वित्त-पोषित और स्वयं समर्थित रहे इसके कार्यकरण की प्रति तीन वर्ष समीक्षा की जाएगी।

पालम में पूछ-ताछ बूथ

758. **श्री चिन्तामणि जैना**
श्री छीतू भाई गामित } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालम हवाई अड्डे पर देशी उड़ानों के आगमन-समय के बारे में पूछ-ताछ करने के लिए तीन रुपये देने पड़ते हैं क्योंकि पूछ-ताछ बूथ मुख्य हाल के भीतर है और गेट पर तैनात व्यक्ति किसी को भी तब तक भीतर नहीं जाने देता जब तक वह तीन रुपए का टिकट नहीं खरीदता;

(ख) क्या यह भी सच है कि जनता की सुविधा के लिए हाल के बाहर कोई आगमन समय-सारणी बोर्ड नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइन्स का विचार बाहर एक साझे पूछताछ बूथ की व्यवस्था करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) उड़ानों के आगमन, प्रस्थान तथा सम्भावित विलम्ब के समयों को भवन के अन्दर स्थित एक बोर्ड पर दर्शाया जाता है परन्तु यह बाहर से भी दिखाई देता है। इसके अलावा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम तथा क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन जो दोनों ही आगमन कक्ष के अन्दर तथा बाहर दोनों जगह स्थित हैं, के माध्यम से बार-बार घोषणाएं भी की जाती हैं। और आगे जांच करने के लिए, प्रवेश शुल्क देकर टर्मीनल भवन में प्रवेश करना आवश्यक है। परन्तु टर्मीनल के बाहर एक जांच बूथ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बम्बई में स्लम मकान मालिकों के परिसरों पर आय-कर के छापे

759. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आय-कर प्राधिकारियों ने बम्बई में स्लम मकान मालिकों के परि-

सरों पर छापे मारे हैं जैसा कि हिन्दुस्तान टाइम्स (27 अक्तूबर, 1980 में छपा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों के परिसरों पर छापे मारे गए और छापों में कुल कितना माल मिला; और

(ग) सरकार का क्या अनुवर्ती कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) उपर्युक्त तलाशी की कार्यवाही के दौरान 16-10-1980 को जिन व्यक्तियों की तलाशी ली गई उनके नाम निम्नानुसार हैं :—

1. श्री कमला शंकर शुक्ल
2. श्री अमरनाथ तिवाडी
3. श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल
4. श्री आर० एन० कादरी
5. श्री गिलवर्ट मिसक्विटा
6. मोहम्मद सलीम शेख।

प्रारम्भिक जांच के आधार पर उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा जो आय और धन छिपाया गया था उसका अनुमान लगभग 75 लाख रु० है।

इन मामलों में विस्तृत एवं पूरा जांच-पड़ताल की जा रही है और चूककर्ताओं के खिलाफ यथोचित कानूनी कार्यवाही की जायगी।

तकनीकी कर्मचारियों के अभाव में एयर इण्डिया को हुआ घाटा

760. **श्री रशीद मसूद** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत एक वर्ष के दौरान एयर इण्डिया के तकनीकी कार्मिकों ने बड़ी संख्या में एयर इण्डिया की सेवाएं छोड़ी ;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान जिन तकनीकी व्यक्तियों ने एयर इण्डिया की सेवाएं त्यागी, उनकी संख्या कितनी है और उनके द्वारा सेवाएं त्यागने का मुख्य कारण भी बताएं; और

(ग) तकनीकी कर्मचारियों के अभाव में रख-रखाव में कमी के कारण एयर इण्डिया को किस सीमा तक क्षति उठानी पड़ी और अन्तर में कमी के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) 1 जनवरी 1980 से 31 अक्तूबर, 1980 तक की अवधि में 17 इंजीनियरों तथा 42 तकनीशियनों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्त त्यागपत्र द्वारा एयर इंडिया की नौकरी छोड़ दी, जिनका मुख्य उद्देश्य अधिक पारिश्रमिक देने वाली विदेशी विमान-सेवाओं में जाना था।

(ग) इस कारण से कोई भी उड़ान रद्द नहीं करनी पड़ी है, अतः राजस्व में हानि का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, इस वजह से एयर इंडिया के इंजीनियरी विभाग में कुछ काम जमा हो गया है। स्थिति से निपटने के लिये एयर इंडिया ने वर्ष 1979 में 77 ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी भर्ती किए हैं तथा 50 और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी भर्ती करने की कार्यवाही की जा रही है।

कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम द्वारा कृषि निवेश कार्यक्रम आरम्भ किया जाना

761. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम भारतीय किसानों की सहायता के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन की सहायता से एक कृषि निवेश कार्यक्रम आरम्भ कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-वित्त मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने देश में कृषि क्षेत्र में लघु सिंचाई और अन्य कार्यकलापों के लिए कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम—कृ० पु० वि० नि० (आई० डी० बी० आई०) को अब तक तीन परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इन ऋण परियोजनाओं के अन्तर्गत, कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम उन क्षेत्रों में, जहां विकास की क्षमता मौजूद होती है, रकमें देने के लिए बचन देता है, परियोजना की प्रगति के अनुरूप रकमों का भुगतान करता है और अपनी संवितरित राशियों के सन्दर्भ में विनिर्दिष्ट प्रतिशतता के आधार पर, भारत सरकार के माध्यम से, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्रतिपूर्ति का दावा करता है। कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम की ऋण परियोजना 111 इस समय चालू हैं और उसकी समाप्ति की तारीख दिसम्बर, 1981 है।

सेलम इस्पात संयंत्र की प्रगति

762. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) सेलम इस्पात संयंत्र के प्रथम चरण में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) संयंत्र की निर्धारित क्षमता कितनी है तथा प्रथम चरण के कब तक पूरे होने की सम्भावना है ;

(ग) क्या परियोजना में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य चल रहा है, और

(घ) कितने तकनीकी कर्मचारियों को विदेश में प्रशिक्षण के लिये भेजा गया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अक्तूबर; 1980 के अन्त तक कंक्रीट डालने का कार्य 88 प्रतिशत, संरचनात्मक' की स्थापना का कार्य 92 प्रतिशत तथा उपस्करों की स्थापना का कार्य 13 प्रतिशत पूरा हो गया था।

(ख) परियोजना के प्रथम चरण में खरीदे गए क्वायलों से प्रतिवर्ष 32,000 टन ठंडी बेलित बेदाग इस्पात की चादरों तथा पत्तियों का उत्पादन करने की परिकल्पना की गई है। आशा है यह कार्य सितम्बर, 1981 तक पूरा हो जाएगा।

(ग) जी, हां।

(घ) 46

नये इस्पात संयंत्र आरम्भ करना

763. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू योजना के दौरान कौन-कौन से नये इस्पात संयंत्र आरम्भ किये जाने का विचार है तथा उनकी प्रस्तावित क्षमता क्या है, वे कितनी अवधि में तैयार हो जायेंगे और प्रत्येक मामले में विदेशों के साथ सहयोग करार क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : पारादीप में एक नया इस्पात कारखाना लगाने के लिए सिद्धान्त रूप में निर्णय ले लिया गया है बशर्ते कि मूल्य, वित्तीय सहायता की मात्रा तथा शर्तों, कार्यान्वयन की शर्तों और उत्पादित माल को खरीदने के बारे में विदेशी पार्टियों के साथ सन्तोषजनक समझौते हो जायं। प्रस्तावित संयंत्र की वार्षिक क्षमता 30 लाख टन होगी जिसका विकास लगभग दो समान चरणों में किया जायेगा। कारखाने का आगे और विस्तार करने के लिए गुंजाइश रखी जाऐगी। प्राप्त हुई पेशकशों के आधार पर प्रस्तावित कारखाना लगाने के बारे में पक्का निर्णय ले लिए जाने के पश्चात् कारखाने के प्रथम चरण, जिसके बारे में इस समय बातचीत करने का विचार है, के पूरा होने में लगभग 48 महीने लगने की सम्भावना है।

स्वर्ण आभूषणों का निर्यात सम्बन्धी नई नीति

794. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी**
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी
श्री के० कुन्हम्बु } : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वर्ण आभूषणों का निर्यात करने सम्बन्धी नई नीति को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) "विदेश क्रेता द्वारा सम्भरित किए गए स्वर्ण के मुद्दे स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के लिए योजना" नामक एक नई योजना दिनांक 14/10/80 की सार्वजनिक सूचना सं 39—आई. टी. सी. (पी. एन.).80 द्वारा अधिसूचित की गई है। योजना के ब्यौरे सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध में दिए गए हैं जिसकी एक प्रति संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1382/80]

सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, सीतापुर के कर्मचारियों के विरुद्ध जांच

765. **श्री रामलाल राही** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, सीतापुर के प्रबन्धक तथा दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच से सम्बन्धित रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (सी मगन भाई बारोत) : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गयी जांच के आधार पर सीतापुर स्थित सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की शाखा के कृषि सहायक श्री बृजभूषण तथा चार अन्य गैर सरकारी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467 के साथ पठित धारा 120 ख, 420,471 के अधीन विशेष दण्डाधिकारी, भ्रष्टाचार निरोध, लखनऊ के सामने अभियोग पत्र दाखिल किया गया है। मुकदमा चल रहा है और यह मामला न्यायाधीन है। सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की सीतापुर शाखा के प्रबन्धक और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त कतिपय अन्य शिकायतों की अभी जांच पड़ताल की जा रही है।

विभाजन-पूर्व की आस्थियों में हिस्सा

766. **श्री राम विलास पासवान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान सरकार से विभाजन-पूर्व आस्तियों में से यदि भारत को कोई हिस्सा देना बाकी है तो वह कितना है ;

(ख) दोनों देशों में अब तक हुए मुद्रा अवमूल्यनों में तथा मामलों के निपटार निपटाने में विलम्ब के फलस्वरूप उक्त आस्तियों का मूल्य किस सीमा तक बढ़ गया है ; और

(ग) इस मामले को निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (मगनभाई बारोत) : (क) से (ग) भारत के प्रति पाकिस्तान के विभाजन सम्बन्धी ऋण की राशि कोई 300 करोड़ रुपए की है, इस विषय में कई बार बातचीत हो जाने के बावजूद भी अभी तक इसकी निश्चित रकम के बारे में कोई सहमति नहीं हो सकी है। यह विभाजन सम्बन्धी ऋण भारतीय रुपयों में व्यक्त किया गया है और उसे पाकिस्तान द्वारा भारतीय रुपयों में ही चुकाया जाना है इस मामले के निपटारे में देरी हो जाने के कारण, पाकिस्तान द्वारा मूलधन की वापसी अदायगी या ब्याज की अदायगी के रूप में कोई भी किस्त नहीं चुकाई गई है। इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त ब्याज की सामान्य दर (2.7/8 प्रतिशत) पर ही संचित ब्याज की राशि अब, पाकिस्तान द्वारा देय कर्ज की रकम से ज्यादा हो गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग अधिनियम के उपबन्धों का अमरीका में कार्यरत भारतीय बैंकों पर प्रभाव

767. **श्री राम विलास पासवान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1978 में बनाये गये तथा चरणों में लागू किए जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग अधिनियम का अभिप्राय अमरीका में कार्यरत विदेशी बैंकों को, वहां के बैंकों के बराबर लाने के प्रयोजन से, कड़े अधिशासन में लाना है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिनियम के उपबन्धों को अमरीका में कार्यरत भारतीय बैंकों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने

सूचित किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग अधिनियम 1978 के अन्तर्गत अमरीका में कार्यरत विदेशी बैंकों और अमरीका के अपने बैंकों में एक समान परिस्थितियों में व्यावहारिक समानता के सिद्धान्त की स्थापना की गई है अर्थात अमरीका में कार्यरत विदेशी बैंकों को घरेलू चार्टर्ड बैंकों के समान ही प्रतिस्पर्द्धा का अवसर प्रदान किया हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत केवल एक उपवर्ग अब उसके अधीन बने नियम ही आपत्तिजनक पाये गये हैं और वह संयम प्रारक्षित प्रणाली (फैडरल रिजर्व सिस्टम) एवं संघीय निक्षेप बीमा निगम (फैडरल डिपाजिट इन्श्योरेंस कारपोरेशन) को सूचना प्रकट करने से सम्बन्धित है। यह विषय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सम्बद्ध अमरीकी अधिकारियों से उठाया जा चुका है और कहा गया है कि अमरीका में कार्यरत भारतीय बैंकों के लिये किसी ऐसी सूचना को प्रकट करना आवश्यक नहीं होना चाहिए जिसका कि भारत में प्रकटीकरण अपेक्षित न हो तथा ऐसी सूचना के अतिरिक्त जो कि बैंकों द्वारा स्वयं प्रकाशित की गई हो अन्य सूचनाएं गोपनीय समझी जाएं।

लघु क्षेत्र से बैंक अग्रिमो पर अधिक ब्याज वसूल किया जाना

768. **श्री राम विलास पासवान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे मामलों के सम्बन्ध में कोई जांच पड़ताल की है, जो लघु क्षेत्र से बैंक अग्रिमों पर अधिक ब्याज वसूल किए जाने से सम्बन्धित है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे और ब्याज की कितनी राशि अधिक वसूल की गई; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री भगतभाई बारोत) (क) से (ग) बैंक लघु औद्योगिक एककों को दिए जाने वाले अग्रिमों पर अपनी ब्याज दरों का विनियमन, रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज ढांचे की सीमाओं के भीतर करते हैं। रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के सावधिक निरीक्षणों के दौरान ब्याज दर के ढांचे के सम्बन्ध में अपनी हिदायतों अथवा मार्गदर्शी सिद्धान्तोके अनुपालन की जांच करता है। कुछ मामलों में, जहां नीचे के स्तर पर हिदायतों का गलत अर्थ लगाने अथवा असावधानी के कारण यह पाया जाता हैं कि हिदायतों मार्गदर्शी सिद्धान्तों का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है तो वहां उपचारात्मक कार्रवाई के लिए ये मामले सम्बन्धित बैंकों के साथ उठाये जाते हैं।

निर्यातोन्मुखी एककों को रियायतें

769. **श्री मती गीता मुखर्जी**
श्री वी० पी० वेसाई } : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सच है कि सरकार ने चालू वर्ष के दौरान 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों को अनेक रियायतें दी हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या-क्या रियायतें/सुविधाएं दी गई हैं; और

(ग) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार के समक्ष अन्य क्या प्रस्ताव हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1383/80]

"एयर-इण्डिया" के कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार कार्य करने का सत्याग्रह

770. श्री मती गीता मुखर्जी
श्री के० ए० राजन } क्या पर्यटन आर नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एयर इण्डिया" के कर्मचारियों ने दिनांक 28 दिसम्बर, 1980 से नियमानुसार कार्य करने (वर्क टू रूल) का सत्याग्रह शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं; और

(ग) उनकी मांगों का निपटान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विकानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, एयर कारपोरेशन्स एम्पलाईज़ यूनियन (ए० सी० ई० यू०) तथा इण्डियन एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन्स एसोसिएशन (आई० ए० टी० ए०) ने वर्ष 1979-80 के लिए 20% बोनस की मांग करते हुए क्रमशः 25 अक्तूबर, 1980 तथा 1 नवम्बर, 1980 से "नियमानुसार कार्य" आन्दोलन प्रारम्भ किया। क्षेत्रीय श्रमायुक्त (सी०) की उपस्थिति में हुई बातचीत के पश्चात् ए० सी० ई० यू० तथा आई० ए० टी० ए० द्वारा क्रमशः 3 तथा 6 नवम्बर, 1980 से अपना आन्दोलन वापिस ले लिया गया। बातचीत में यूनियनों ने विरोध प्रकट करते हुए 8.33 प्रतिशत बोनस लेने तथा उसके बाद विवाद को 14 अक्तूबर, 1979 के उत्पादकता से जुड़े हुए बोनस समझौते की शर्तों के अन्तर्गत क्षेत्रीय श्रमायुक्त (सी०) बम्बई को सौंपने, तथा साथ ही औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (1) के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद उठाने पर भी सहमती हो गयी।

दिल्ली के सार्वजनिक क्षेत्र के होटलों द्वारा नेत्रहीनों द्वारा बनाये गये उत्पादों की खरीद न किया जाना

771. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के सार्वजनिक क्षेत्र के होटल नेत्रहीनों द्वारा बनाये गये ऐसे उत्पादों की खरीद कर रहे हैं जो कि प्राइवेट (निजी) होटलों द्वारा खरीदा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

1980 में राज्य व्यापार निगम के माध्यम से खरीदी गयी चीनी

772. श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 में राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कितनी चीनी खरीदी गयी है ; और

(ख) इस कुल खरीद में से वास्तव में कितनी मात्रा भारत में आनी है और इस आयात की खेपें किन पत्तनों पर पहुंची ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी : (क) 1980 के दौरान सर्वोत्तम उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर 2 लाख मे० टन (+ 10 प्रतिशत) चीनी के आयात के लिए एक संविदा सम्पन्न की गई थी ।

(ख) वास्तविक पत्तनवार आयात निम्नोक्त प्रकार थे :—

	(मे० टन)
बम्बई	50,018
कांडला	47,274
तूतीकोरीन	34.939
विजाग	28.253
हल्दिया/ कलकत्ता	19,761
	1,80,245

उन देशों के नाम जहां से 1980 के दौरान चीनी का आयात किया गया और अदा किया गया मूल्य

773. श्री रवीन्द्र वर्मा
श्री नित्यानन्द मिश्र } : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 के दौरान कितनी चीनी का आयात किया गया ; और

(ख) कौन से देशों से चीनी खरीदी गई और चीनी के लिए अदा किया गया मूल्य कितना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा जुलाई—सितम्बर 1980 महीनों के दौरान अप्रैल, 80 में मैसर्स ई० डी० एफ० भान लन्दन के साथ की गई संविदा के अन्तर्गत ब्राजील की लदान बन्दरगाह की मार्फत 180,245 मे० टन की कुल मात्रा में परिष्कृत चीनी का आयात किया गया है। आयातित चीनी संविदा करने के समय प्रचलित सर्वोत्तम उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर अधिप्राप्त की गई थी ।

दाण्डेकर समिति का प्रतिवेदन

774. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु कराधान उपायों के बारे में दाण्डेकर समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी कौन-सी सिफारिशें अब तक स्वीकार कर ली गई हैं और कौन-सी स्वीकार करने का विचार है तथा उनसे रोजगार के अवसर किस प्रकार बढ़ेंगे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) तथा (ख) सरकार ने प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित दाण्डेकर समिति की सिफारिशों की जांच कर ली है और समिति की कर-छूट सम्बन्धी सिफारिश स्वीकार करके उसे (वित्त सं० 2 विधेयक, 1980 के जरिए संशोधित रूप में लागू भी कर दिया गया है। प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित समिति अन्य सिफारिशों को सरकार फिलहाल स्वीकार्य नहीं समझती। बाकी सिफारिशों की, विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों द्वारा जांच की जा रही है।

जहां तक रोजगार सम्बर्द्धन का प्रश्न है, तत्सम्बन्धी स्थिति इस प्रकार है। अब तक, आय कर अधिनियम की धारा 80 अ के अन्तर्गत, कर से छूट, भारत में नव स्थापित औद्योगिक उप-क्रमों (जिनमें कोल्ड स्टोरेज प्लाण्ट भी शामिल है) द्वारा अर्जित लाभों पर दी जाती रही है। यह रियायत किसी मंजूरशुदा होटल के कारोबार से अथवा समुद्री जहाज चलाने से किसी भारतीय कम्पनी को प्राप्त होने वाले लाभों के सम्बन्ध में भी दी जाती है। कर से छूट सम्बन्धी रियायत में उस पूंजी के एक विनिर्दिष्ट प्रतिशत अनुपात तक आयकर से छूट शामिल है, जो पूंजी उक्त उपक्रम होटल अथवा समुद्री जहाज में विनिर्दिष्ट निर्धारण वर्षों तक लगायी गयी हो। कर से छूट सम्बन्धी विद्यमान उपबन्ध, उस नये औद्योगिक उपक्रम के सम्बन्ध में लागू होते हैं, जो 1 अप्रैल, 1981 से पहले उत्पादन करना शुरू कर दे अथवा जो मंजूरशुदा होटल उक्त तारीख से पहले कार्य करना शुरू कर दे अथवा उन नये समुद्री जहाजों के सम्बन्ध में लागू होते हैं जिन्हें उक्त तारीख को अथवा उससे पहले प्रयोग में लाया जाय। इस कर रियायत की इस आधार पर आलोचना की गयी थी कि यह पूंजी प्रधान तकनीकों के प्रति पक्षपातपूर्ण था। वित्त (संख्या) 2 अधिनियम, 1980 द्वारा अन्तःस्थापित आयकर अधिनियम की धारा 80—झ के अन्तर्गत कर से छूट सम्बन्धी नयी योजना के अन्तर्गत औद्योगिक उपक्रम में इस पूंजी सम्बन्धी पूर्वग्रह को समाप्त कर दिया गया है और उस सीमा तक रोजगार में वृद्धि होने की आशा है।

काजू बोर्ड गठित करने के बारे में प्रस्ताव

775. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू उछोग के विकास के लिए रबड़ बोर्ड, इलायची बोर्ड आदि के आधार पर काजू बोर्ड गठित करने के बारे में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हों, यो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान : (क) तथा (ख) जी हां, मामला सरकार के विचाराधीन है।

विदेश को निर्यात किए जाने वाले कपड़ों तथा सिलेसिलाये वस्त्रों की खेपों की जांच

776. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की काड़ा समिति को विदेशों में निर्यात किये जाने वाले कपड़े तथा सिले-सिलाये वस्त्रों की खेपों की जांच का कार्य सौंपा गया है ;

(ख) क्या इस समिति ने बताया है कि निरीक्षकों द्वारा जांच किये जाने के पश्चात् आयातित माल पुनः भेजा जाता है, मुहरों तथा प्रमाणपत्रों में हेराफेरी की जाती हैं, अनेक डिब्बों को खोला जाता है तथा उनमें माल को बदल दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उक्त प्रतिवेदन के आधार पर निर्यातकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) जी हां।

(ख) वस्त्र समिति ने निरीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई खेपों के सम्बन्ध में कतिपय अनियमितताएं बताई हैं।

(ग) तथा (घ) 1975 से बाद के मामलों के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिय जाएंगे।

भारत के साथ वाणिज्यिक सम्बन्ध बढ़ाने के बारे में पश्चिम जर्मनी के व्यापारियों की रुचि

777. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी के व्यापारी भारत के साथ वाणिज्यिक सम्बन्ध बढ़ाने के बारे में रुचि प्रकट कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनसे कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) जर्मनी के वरिष्ठ उद्योग पतियों के एक 16 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने 2 से 11 नवम्बर, 1980 तक भारत की यात्रा की। वाणिज्य मन्त्रालय में अपने विचार विमर्श करने के दौरान, भारत तथा जर्मन संघीय गणराज्य के बीच व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। यह महसूस किया गया कि तीसरे देश की परियोजनाओं ने निर्यात अभिमुख उद्योगों तथा सहयोग स्थापित करने की सम्भाव्यता है। उत्पादन तथा विपणन सम्बन्धों के लिए भी रुचि दर्शाई गई। इस बात पर भी सहमति हुई कि भारत जर्मन संघीय गणराज्य व्यापार बढ़ाने और उसका विविधीकरण करने की दृष्टि से विद्यमान संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

पाकिस्तान को लौह अयस्क की सप्लाई के लिये करार

778. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान को लौह अयस्क की सप्लाई के लिये अक्तूबर, 1980 में भारत-पाकिस्तान के बीच करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) पाकिस्तान को लौह अयस्क सप्लाई करने के लिए खनिज एवं धातु व्यापार निगम और पाकिस्तान स्टील मिल्स कोरपोरेशन के बीच 21 मई, 1980 को एक करार किया गया था।

(ख) करार में सितम्बर, 1980 से मार्च, 1987 तक की 7 वर्ष की अवधि के बीच 1·93 मिलियन मैं० टन लोह अयस्क सप्लाई करने की व्यवस्था है।

छात्रों को आधे विमान किराये की रियायत

779. **श्री सुभाष चन्द्र अल्मूरी**: क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने निर्णय किया है कि मान्यता प्राप्त नियमित संस्थाओं के छात्र अब आधा किराया देकर भारत के किसी भाग की विमान यात्रा कर सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। इण्डियन एयरलाइन्स ने 50% विद्यार्थी रियायत को उदार बना दिया है और अब इसका विस्तार करके 1 अक्तूबर, 1980 से अन्तर्देशीय मार्ग तन्त्र पर किन्हीं भी स्थानों के बीच यात्रा करने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह रियायत पहले इसका लाभ उठाने वाले विद्यार्थियों के अध्ययन स्थल तथा निवास स्थान के बीच ही यात्रा करने के लिए उपलब्ध थी।

चालू वर्ष के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा अर्जित किया गया लाभ

780. **श्री फूलचन्द्र वर्मा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितना शुद्ध लाभ अर्जित किया गया ;

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किए गए माल पर कितने प्रतिशत लाभ वसूल किगा गया ;

(ग) राज्य व्यापार निगम के गोदामों में इस समय कितने करोड़ रुपए मूल्य का बिना बिका माल पड़ा हुआ है ; और

(घ) उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) अप्रैल-अक्तूबर, 1980 की अवधि के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा 12.50 करोड़ रु० का निवल लाभ अर्जित किया गया।

(ख) कोई लाभ वसूल नहीं किया जाता केवल सरकार द्वारा यथा निर्धारित सेवा प्रभार ही आयात लागत में जोड़े जाते हैं।

(ग) 30 सितम्बर 1980 के अनुसार सभी मदों का कुल स्टाक 145·0 करोड़ रु० का है।

(घ) स्टाक में रखा गया माल अधिकांशत: खाद्य तेल, अखबारी कागज, चर्बी रबड़ आदि जैसी कम सप्लाई वाली मदों की बेरोक सप्लाई बनाये रखने के लिए समीकरण भण्डार के रूप में रखना अपेक्षित होता है।

जीवन बीमा निगम द्वारा वसूल की जा रही प्रीमियम की राशि में कमी

781. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालिसी धारियों ने जीवन बीमा निगम द्वारा वसूल की जा रही प्रीमियम की राशि में कमी किए जाने की मांग है ;

(ख) यदि क्या यह भी सच है कि पालिसीधारियों को दिया गया बोनस का प्रतिशत जीवन बीमा निगम के लाभांश की तुलना में कम है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में सरकार को भी एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मंगनभाई बारोत) : (क) जीवन बीमा निगम ने प्रीमियमों की अपनी चालू दरों पर विचार करने तथा उन दरों में संशोधन करने के लिए बीमांकिक आधार सिफारिश करने के लिए बीमांककों की एक समिति नियुक्त की थी। बीमांककों की रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा निगम ने प्रीमियमों की अपनी दरों में 1-4-1980 से संशोधन कर दिया है। इन संशोधनों के परिणामस्वरूप अधिकतर योजनाओं के अधीन दरें कम कर दी गई हैं और मनी बैक योजना के अधीन दरें थोड़ी-सी बढ़ा दी गई हैं।

(ख) से (घ) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1958 की शर्तों के अनुसार द्विवार्षिक मूल्यांकन में दिखाए गए बीमांकिक अधिशेष का 95 प्रतिशत भाग जीवन बीमा पालिसी धारियों के लिए नियत अथवा आरक्षित कर दिया जाता है। 31-3-1979 को घोषित पिछले बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार बन्दोबस्ती बीमा पालिसियों के मामले में बीमे की प्रति एक हजार रुपए की राशि पर 24·80 रुपए वार्षिक तथा आजीवन बीमा पालिसियों के मामले में बीमे की प्रति एक हजार रुपए की राशि पर 31 रुपए वार्षिक के हिसाब से बोनस की घोषणा की गई थी जो 31-3-1977 के इससे पहले बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार घोषित बोनस के मुकाबले 24 प्रतिशत अधिक है। फिलहाल बोनस दरों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अफीम उत्पादकों द्वारा अफीम की कीमत निर्धारित किये जाने की मांग

782. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रासायनिक उर्वरकों, कृषि निवेश के मूल्यों तथा बिजली और श्रमिकों की दरों में हो रही वृद्धि को देखते हुए किसानों को अफीम का जो मूल्य दिया जा रहा है वह बहुत कम है और क्या किसानों ने अफीम की कीमतों में वृद्धि करने की मांग की है।

(ख) क्या यह सच है कि अफीम उत्पादकों ने अफीम का मूल्य 400 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किए जाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) काश्तकारों को अफीम का जो मूल्य अदा किया जा रहा है वह अन्य नकदी फसलों के मुकाबले काफी लाभप्रद है। अन्तर्गामी माल की लागत में हुई वृद्धि आदि को देखते हुए, पोस्त-काश्तकारों को देय अफीम के मूल्य को बढ़ाने के सिलसिले में कुछ दरख्वास्तें मिली हैं। लेकिन इस समय भारतीय अफीम को, कुछ अन्य देशों द्वारा उत्पादित पोस्त की भूसी और पोस्त की भूसी के सांद्रणों जैसी वैकल्पिक कच्ची सामग्री के साथ कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। विश्व में स्वापक पदार्थों की आपूर्ति मांग से कहीं अधिक बढ़ गई है जिसके परिणामतः स्वापक पदार्थों के मूल्यों में भारी गिरावट आई है। भारतीय अफीम के लिए निर्यात-बाजार की इन प्रतिकूल परिस्थितियों में काश्तकारों को देय अफीम के मूल्य में वृद्धि कर पाना मुमकिन नहीं है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना

783. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना करने के मामले का अध्ययन करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा गठित विशेषज्ञ: समिति ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है ;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों की विस्तृत रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) से (ग) जी, हां। ग्रामीण ऋण के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा श्री बी० शिवरामन की अध्यक्षता में नियुक्त की गई समिति से 29-11-1979 को भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें उसने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास स० एस० लि०) बैंक की स्थापना करने की सिफारिश की है। सरकार उक्त बैंक की स्थापना करने के लिए सिद्धान्ततः सहमत हो गई है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कानून सरकार के विचाराधीन है।

जाली करेंसी नोट बनाने वाले गिरोह

784. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जाली करेंसी नोट बनाने वाले गिरोहों की बढ़ती हुई संख्या की ओर दिलाया गया है और यदि हां तो ऐसे गिरोहों की गतिविधियां समाप्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ख) जनवरी 1980 से अक्तूबर, 1980 तक की अवधि में ऐसे कितने गिरोह पकड़े गए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार, जनवरी 1980 से अक्तूबर, 1980 की अवधि के दौरान जाली करेंसी नोट छापने का काम करने वाले केवल दो गैंगों की रिपोर्ट मिली है। इनमें से एक मामले

का पता पंजाब पुलिस ने लगाया था जिनमें छः व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और मामले को पुलिस स्टेशन सं० 3, लुधियाना में दर्ज किया गया है। दूसरे मामले का पता दिल्ली पुलिस ने लगाया था जिसमें दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और मामला दर्ज कर लिया गया है। इन दोनों मामलों की जांच में प्रगति हो रही है और अपराधियों के साथ देश के कानून के अन्तर्गत कार्यवाई की जाएगी।

उपर्युक्त दो मामले होने से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जालसाजी की घृणित और गैर-कानूनी गतिविधियों में वृद्धि हो रही है।

कानून में जालसाजी से सम्बन्धित अपराधों के लिए निवारक दण्ड की व्यवस्था है। राज्य के पुलिस अधिकारी इस सम्बन्ध में लगातार चौकसी रखते हैं और किसी व्यक्ति द्वारा जालसाजी के बारे में कोई सूचना मिलने पर छापे आयोजित करते हैं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के आर्थिक अपराध संघ में जालसाजी के गम्भीर अपराधों की जांच करने और राज्यों में की जा रही जांच के समन्वय के लिए एक 'सेल' बनाया गया है।

अरुणाचल प्रदेश में खनिज निक्षेप

785. श्री हीरालाल आर० परमार
श्री केशवराव पारधी } : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश में बहुत से खनिज निक्षेप सरकार के नोटिस में आए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से खनिजों का पता चला है, इन खनिजों की अनुमानित मात्रा क्या है और इन खनिजों के विभिन्न उपयोग क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) अरुणाचल प्रदेश में अब तक पाए जाने वाले मुख्य खनिज हैं--चूना-पत्थर, डोलोमाइट और कोयला। इसके अलावा ग्रेफाइट, ब्राइन और सल्फाइड के खनिजीकरण की भी जानकारी मिली है।

धमन भट्टी ग्रेड चूना-पत्थर का 500 लाख टन भण्डार होने का अनुमान है। चूना-पत्थर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक खनिज है जो सीमेंट बनाने के काम आता है। लोहा और इस्पात बनाने में तथा कागज, शक्कर, उर्वरक, कांच आदि अन्य अनेक बड़े उद्योगों में भी इसका इस्तेमाल होता है।

अवर्गीकृत ग्रेड डोलोमाइट के 1402·60 लाख टन भण्डार होने का अनुमान है। डोलोमाइट का उपयोग मुख्यतः इस्पात उद्योग में द्रावक तथा ऊष्मसह सामग्री के रूप में होता है। कांच उर्वरक और लोह मिश्र धातुओं आदि के निर्माण में भी डोलोमाइट का अल्प मात्रा में उपयोग होता है।

कोयले के लगभग 850 लाख टन भण्डार होने का अनुमान है। कोयला देश में ऊर्जा का प्रमुख स्त्रोत है।

अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट युक्त कुछ लाख टन चट्टानों के छोटे भण्डार होने का भी अनुमान है। ग्रेफाइट का उपयोग व्यापक रूप से कड़ा इस्पात, फाउंड्रीज और पेन्सिल निर्माण में होता है।

ब्राइन का इस्तेमाल स्थानीय रूप से खाद्य नमक बनाने में होता है।

पाकिस्तान को अफीम की तस्करी

786. श्री० जी० आई कृष्णन
श्री छीतू भाई गामित } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान की पश्चिमी सीमा से पाकिस्तान में बड़ी मात्रा में अफीम चोरी छिपे ले जाई जाती है ;

(ख) क्या यह सारा कार्य इतने अच्छे तरीके से किया जाता है कि इस अवैध व्यापार में अन्तर्ग्रस्तव्यक्ति ही समान पर लगे कूट चिह्नों को पढ़ सकते हैं ;

(ग) क्या हमारे सीमाशुल्क अधिकारियों को किसी ऐसे मामले की जानकारी मिली है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकार को प्राप्त रिपोर्टों से पता नहीं चलता कि अफीम राजस्थान की पश्चिमी सीमा से बड़े पैमाने पर चोरी छिपे पाकिस्तान ले जायी जा रही है।

(ख) से (घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान पकड़े गए मामलों के रिकार्ड से जैसा कि पता चला है सीमा शुल्क अधिकारियों की जानकारी में ऐसे कोई मामले नहीं आये हैं, जिनमें राजस्थान की पश्चिमी सीमा से अफीम को चोरी छिपे ले जाये जाने का प्रयास किया गया हो।

(ङ) इस क्षेत्र में तैनात सीमाशुल्क अधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने के लिए चौकस कर दिया गया है, ताकि भारत-पाकिस्तान सीमा पर तस्करी के किसी भी प्रयास को विफल किया जा सके।

सरकारी उपक्रमों में निदेशकों तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के रिक्त पद

787. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में निदेशकों तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लगभग 100 पद गत दो वर्षों से रिक्त पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपक्रमों का ब्यौरा क्या है और उसके विशेष कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) यह कहना ठीक नहीं है कि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लगभग 100 पद पिछले 2 वर्षों से खाली हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कोई भी पद 2 वर्षों तक

खाली नहीं रहा है। निदेशकों के केवल 3 पद विभिन्न कारणों से गत 2 वर्ष से खाली हैं जिनके कारण इस प्रकार हैं : —

(1) निदेशक (तकनीकी), ग्राम विद्युतीकरण निगम

इस पद पर नियुक्ति के लिए पहले किया गया चयन कार्यान्वित नहीं किया जा सका और उसके लिए दुबारा चयन करना पड़ा।

(2) निदेशक (तकनीकी), भारत अर्थमूवर्स लि०

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जो इस चयन समिति के अध्यक्ष थे, के अचानक निधन के कारण पिछली चयन समिति अपना काम पूरा नहीं कर सकी। नई चयन समिति का तब तक गठन नहीं हो सकता, जब तक कि इस कम्पनी का नया अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक नियुक्त न किया जाय।

(3) निदेशक (वित्त), रेल इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज

पिछले सरकारी उद्गम चयन मण्डल द्वारा गठित समिति इस चयन को अन्तिम रूप नहीं दे सकी। एक नई चयन समिति पुनः गठित करनी पड़ी। इस समिति ने अपनी सिफारिशें करदी हैं और उन्हें प्रशासनिक मन्त्रालय को भेज दिया गया है।

पारादीप पत्तन के जरिए फैरो क्रोम और क्रोम अयस्क का निर्यात

788. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी और सरकारी स्वामित्व वाली खानों से पारादीप पत्तन के जरिए कुल कितने टन फैरो क्रोम और क्रोम अयस्क का निर्यात किया गया ;

(ख) क्योंझार जिले की बौला खानों के विशेष उल्लेख सहित उड़ीसा की विभिन्न खानों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन वर्षों के दौरान कुल कितने रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(घ) क्या क्योंझर जिले की खानों (बौला) से पत्तन को अयस्क की कम मात्रा पहुंचने के कारण निर्यात में कमी हुई है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ग) फेरो-क्रोम का निर्यात स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड की मार्फत किया जाता है। गत तीन वर्षों में पारादीप बन्दरगाह से निर्यात किए गए फेरो-क्रोम की मात्रा तथा इसके निर्यात से कितने रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई, उसके बारे में नीचे बताया गया है :—

वर्ष	मात्रा (टनों में)	अर्जित विदेशी मुद्रा जहाज तक निष्प्रभार मूल्य (लाख रुपये)
1977-78	4092	158·28
1978-79	2888	149·78
1979-80	869	64·62

यह निर्यात केवल मैसर्स उड़ीसा इण्डस्ट्रिअल डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा ही किया गया था।

(ख) और (घ) : फेरो-क्रोम, क्रोम अयस्क से बनाया जाने वाला एक लोह-मिश्र उत्पाद है अतः इसके खनन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

मोहिनी मिल्स (संख्या-2) के मामलों के बारे में प्रतिनिधियों के साथ बैठक

789. **श्री नीरेन घोष** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोहिनी मिल्स (संख्या-2) के मामलों के बारे में कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों और पश्चिम बंगाल के उद्योग मन्त्री के बीच कोई बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में, क्या आम राय पाई गई ;

(ग) क्या उक्त आम राय को केन्द्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है ;

(घ) यदि हां, तो उक्त आम राय को कब क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) मोहिनी मिल्स संख्या-2 के कार्यों के विषय पर कतिपय विचार विनर्श किया गया । इस समय यह मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय में चल रहा है । विधि मन्त्रालय से परामर्श करने पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के अन्ति निर्णय लिए जाने तक कानूनी रूप से इस मामले में कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझा गया है ।

इस्पात आयात का मूल्य

790. **श्री निरेन घोष** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 2 वर्षों में कुल कितने मूल्य के इस्पात का आयात किया गया ;

(ख) चालू वर्ष में इस्पात के आयात का अनुमान क्या है और उसका मूल्य कितना है;

(ग) क्या आयातित वस्तुओं का उत्पादन इस्पात संयन्त्रों द्वारा किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो आयात के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) वर्ष 1978-79 की अवधि में देश में लगभग 357·55 करोड़ रुपये का इस्पात आयात किया गया । वर्ष 1979-80 की अवधि में इस्पात के कुल आयात के बारे में आंकड़े अभी संकलित नहीं किए गए हैं, लेकिन उस वर्ष स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० द्वारा लगभग 448·95 करोड़ रुपये का मूल्य का इस्पात आयात किया गया (ये आंकड़े विदेशों से पोत लदान सम्बन्धी प्रलेखों पर आधारित हैं) ।

(ख) वर्ष 1980-81 के लिए बफर कार्यक्रम के अन्तर्गत सेल 6·9 लाख टन इस्पात आयात करेगा । इसके अलावा वर्तमान आयात नीति के अधीन सेल अलग-अलग ग्राहकों की मांग के आधार पर "बैक टू बैक" आधार पर आयात करने का कार्य भी करेगी । वर्ष 1980-81 की अवधि में सेल द्वारा बफर तथा "बैक टू बैक" आधार पर किए जाने वाले कुल आयात की मात्रा 14·6 लाख टन होगी जिसकी लागत लगभग 550 करोड़ रुपये होगी । लेकिन यह बात उसके पास ग्राहकों द्वारा वास्तव में पंजीकृत कराई गई मांग पर निर्भर करेगी । इसके अलावा आयात की वर्तमान नीति के

अन्तर्गत वास्तविक उपयोक्ताओं, पंजीकृत निर्यातकों तथा निर्यात घरानों द्वारा भी इस्पात की कुछ मात्रा आयात की जायेगी। इस प्रकार किए जाने वाले आयात की मात्रा निश्चित रूप से बताना कठिन है।

(ग) और (घ) इस समय इस्पात की जिन मदों का आयात किया जा रहा है उनमें से अधिकांश का उत्पादन देश में हो रहा है। लेकिन मांग की तुलना में मात्रा, क्वालिटी, विशिष्टियों और साइज की दृष्टि से उनकी सप्लाई पर्याप्त नहीं है।

कुद्रेमुख परियोजना

791. **श्री निरेन घोष** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुद्रेमुख परियोजना को पूरा करने में सरकार द्वारा कितना धन खर्च किया गया है ;

(ख) क्या ईरान कुद्रेमुख के उत्पादों के कुछ भाग की खरीद करेगा ; यदि हां, तो कितनी ;

(ग) इसके शेष उत्पादकों को सरकार प्रतिवर्ष किस प्रकार से बेचेगी ;

(घ) क्या कुद्रेमुख के उत्पादों (मिल्स) को देश में ही उपभोग किया जा सकता है और यदि हां तो किस हद तक ; और

(ङ) क्या इस दिशा में कोई प्रयास किया गया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) सरकार कुद्रेमुख परियोजना पर अब लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है।

(ख) वर्तमान करार के अनुसार ईरान को लौह अयस्क सांद्रण की सप्लाई पहले वर्ष में 30 लाख टन, दूसरे वर्ष में 50 लाख टन और उसके बाद प्रतिवर्ष 75 लाख टन की जानी थी। इस वर्ष के आरम्भ में यह संकेत प्राप्त हुए थे कि ईरान प्रतिवर्ष 45 से 50 लाख टन से अधिक सांद्रण की खरीद नहीं कर सकेगा और यह खरीद भी अगले दो वर्ष तक शुरू नहीं होगी। करार से सम्बन्धित सभी पहलुओं के सम्बन्ध में ईरान सरकार के साथ शीघ्रातिशीघ्र बातचीत करने का विचार है।

(ग) से (ङ) : कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी सांद्रण के लिए वैकल्पिक बाजार ढूंढ़ने हेतु अथक प्रयास कर रही है। इसके साथ-साथ सरकार पैलेट बनाने का एक कारखाना लगाने की सम्भावनाओं का पता लगा रही है जिससे सांद्रण के कुछ भाग का इस्तेमाल हो सके।

कोरबा स्थित भारत एल्यूमिनियम संयन्त्र से कास्टिक का बहाव

792. **श्री समर मुखर्जी**
श्री ई० बालानन्दन : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कोरबा, मध्य प्रदेश स्थित भारत एल्यूमिनियम संयन्त्र में, 14 अगस्त, 1980 को कास्टिक का भारी बहाव हुआ जिसके कारण स्वास्थ्य सम्बन्धी गम्भीर खतरा पैदा हुआ था ;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि कास्टिक सोड़ा का बहाव रोकने के लिए

प्रबन्धकों ने बोरों में बन्द दो ट्रक एल्यूमिनियम पाउडर तथा 50 लाख रुपए से भी अधिक मूल्य का लगभग $1\frac{1}{2}$ टन एल्यूमिनियम आगे रख दिया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या-क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) हाइड्रेट थिकनर टैंक की तली में रिसाव हो जाने से 14 अगस्त, 1980 को कुछ कास्टिक सोडा बाहर बह गया लेकिन तत्काल कार्रवाई करके कुछ पम्प लगाकर बहे हुए कास्टिक सोडे की बहुत कुछ मात्रा टैंक में वापस पहुंचा दी गई और इस तरह स्थिति पर काबू पा लिया गया। कास्टिक की कुछ मात्रा संयन्त्र से बाहर बह कर पास के नाले में जा मिली। सावधानी के तौर पर इलाके के लोगों को चेतावनी दे दी गई कि वे एक दिन के लिए नाले का पानी इस्तेमाल में न लाएं। लगातार निगरानी से पता चला कि दो घंटे में ही पानी में कास्टिक की मात्रा घटकर ग्राह्य सीमा के अन्दर आ गई थी। अतः इस बहाव के कारण कोई स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरा पैदा नहीं हुआ।

(ख) बहाव को रोकने के लिए एल्यूमिनियम पाउडर या एल्यूमिनियम का इस्तेमाल नहीं किया गया।

(ग) से (ङ) सवाल नहीं उठते।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण की मंजूरी हेतु सम्पत्ति पर बन्धक पत्र का अंग्रेजी में होना

793. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम अपने स्थाई कर्मचारियों को भी आवास निर्माण ऋण की मंजूरी के लिए सम्पत्ति सम्बन्धी बन्धक पत्र में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने पर जोर देता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बाढ़-अग्रिम राशि

794. **रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन राज्यों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को बाढ़-अग्रिम राशि देने का विचार है जो बाढ़ से प्रभावित हैं जिसके परिणामस्वरूप जान माल की बहुत क्षति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक दे दिया जाएगा ; और

(ग) क्या सरकार का इस समय बढ़ी हुई कीमतों को देखते हुए बाढ़ अग्रिम राशि रु० 500/-से बढ़ाकर रु० 1000/-करने और उसके 50 किस्तों में वसूली के आदेश जारी करने का विचार है और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 247 के अन्तर्गत कार्यालयाध्यक्षों को अपने प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन उन अराजपत्रित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को, जिनकी चल अथवा अचल सम्पत्ति बाढ़ से प्रभावित अथवा क्षतिग्रस्त हो गई है, तीन महीने का अग्रिम वेतन अथवा 500/—रुपये, इनमें से जो भी कम हो, मंजूर करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है, बशर्ते कि सम्बन्धित राज्य की सरकार ने, जहां पर बाढ़ आई है, उन क्षेत्रों को बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया हो, तथा उसने अपने कर्मचारियों को वित्तीय सहायता भी दी हो। तदनुसार सरकार के कोई औपचारिक आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है फिर भी सम्बन्धित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया गया है कि वे बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों तथा उनके द्वारा अपने कर्मचारियों को दी गई वित्तीय सहायता की सूचना दें।

(ग) जी नहीं। चूंकि जहां पर बाढ़ आती है वहां के सम्बन्धित स्थानीय निकाय तथा राज्य सरकारें आम जनता को, जिनमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, सहायता देती हैं इसलिए अग्रिम की मात्रा में वृद्धि करना उचित नहीं समझा गया।

आयकर आयुक्तों द्वारा रखी जा रही चार्टर्ड अकाउन्टेन्टों की सूची

795. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142 की उपधारा 2 क के अन्तर्गत आयकर आयुक्तों को निर्धारितियों के लेखों की अनिवार्य लेखा परीक्षा कराने की शक्ति प्राप्त है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इस प्रकार की गई लेखा-परीक्षाओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या आयकर आयुक्त इस प्रयोजन के लिये चार्टर्ड अकाउन्टेन्टों की सूची रखते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो बिहार के ऐसे चार्टर्ड अकाउन्टेन्टों के नाम क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142 की उपधारा (2क) के उपबन्धों के अन्तर्गत, जो 1 अप्रैल 1976 से लागू की गई है, आयकर अधिकारियों को आयुक्त की पूर्व अनुमति से कर-निर्धारिती के खातों की लेखा-परीक्षा करवाने की शक्तियां प्राप्त हैं। इसमें उन्हें कर-निर्धारिती के खातों के स्वरूप तथा उनकी जटिलता और राजस्व के हित को ध्यान में रखना होता है।

(ख) यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और उसे सभी आयकर आयुक्तों से एकत्रित किया जा रहा है।

(ग) आयकर आयुक्तों को, आयकर अधिनियम की धारा 142 (2क) के अन्तर्गत विशेष लेखा परीक्षा के लिए सनदी लेखाकारों का एक पैनल तैयार करना होता है।

(घ) बिहार अधिकार-क्षेत्र में अभी तक इस प्रकार का कोई पैनल तैयार नहीं किया गया है।

गैर सरकारी कम्पनियों को बैंकिंग कार्य करने की अनुमति

796. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी बैंकिंग कम्पनियों को बैंकिंग कार्य करने की अनुमति देने के बारे में सरकार की नीति क्या है ;

(ख) गत पांच वर्षों में किन प्राइवेट बैंकों को बैंकिंग कार्य करने के लिए लाइसेन्स जारी किये हैं ; और

(ग) ऐसे लाइसेन्स जारी करने की क्या प्रक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22 के उपबन्धों के अन्तर्गत भारत में बैंकिंग कारबार करने के उद्देश्य से लाइसेन्स जारी करने का सक्षम प्राधिकरण भा तीय रिर्जव बैंक है। वर्तमान नीति के अनुसार भारतीय रिर्जव बैंक गैर सरकारी क्षेत्र में किसी नयें बैंक को कारबार करने की अनुमति देने के पक्ष में नहीं है।

(ख) पिछले पांच वर्षों में, बैंकिंग कारबार शुरू करने के लिए गैर सरकारी क्षेत्र की किसी नयी भारतीय कम्पनी को कोई लाइसेन्स नहीं दिया गया है।

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत किसी कम्पनी के निगमित हो जाने के ब्राद उसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अनुसार भारतीय रिर्जव बैंक से लाइसेन्स लेना जरूरी होता है। इस प्रयोजन के लिए बैंककारी विनियमन (कम्पनी नियम, 1949 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट पत्रमें III में भारतीय रिर्जव बैंक के पास प्रार्थना पत्र देना होता है। वशर्ते कि बैंककारी विनियमन अधिनिगम, 1949 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित कतिपय शर्तों को पूरा किया गया हो।

चाय उद्योग विषयक निर्यात समिति

797. **श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्तूरी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चाय उद्योग की वित्तीय समस्याओं की जांच करने और उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ; और

(ग) समिति के निदेश पद क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) भारतीय रिर्जव बैंक ने चाय उद्योग के वित्तपोषण से सम्बन्धित समस्याओं की जांच करने हेतु 9 सदस्यीय समिति गठित की है।

(ख) तथा (ग) भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा जारी किये गये ज्ञापन की एक प्रति अनुबन्ध के रूप में संलग्न है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समिति का गठन तथा इसके विचारार्थ विषय दिये गये हैं ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1384/80]

सरकार के व्यय पर प्रतिवेदन

798. **श्री रविन्द्र वर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अपने व्यय के पुनर्विलोकन और उस पर प्रतिवेदन देने का कार्य एक बाहरी एजन्सी को सौंपा है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के निदेशपद क्या है; और

(ग) इस योजना पर कितना व्यय होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते।

1980-81 के दौरान सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात के तथ्य

799. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान विभिन्न देशों को कितने मूल्य के सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) अब तक लक्ष्य की किस सीमा तक प्रगति हुई है और किस सीमा तक उसे अभी प्राप्त किया जाना है तथा निर्यातकों द्वारा सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात करने के नियमों, प्रक्रिया अथवा पद्धति का ब्यौरा क्या है तथा पंजीकृत अथवा मान्यताप्राप्त निर्यातकों की इस समय कितनी संख्या है ;

(ग) निर्यात सम्वर्धन परिषद् द्वारा निर्यात के सम्वर्धन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) कितने एवं किन-किन निर्यातकों के नाम काली सूची में है अथवा 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के दौरान जिनके विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान परिधानों के निर्यात के लिए 425 करोड़ रु० का कुछ लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कोटा तथा गैर-कोटा देशों के बीच इसका ब्यौरा है—कोटा देश—355 करोड़ रु० तथा गैर कोटा देश 70 करोड़ रु०।

(ख) भारत के कुल निर्यातों के बारे में प्रगामी आंकड़े अभी प्राप्त किये जाने हैं। जहां तक सिले-सिलाए परिधानों के निर्यात के लिए नियमों तथा क्रिया विधियों का सम्बन्ध है, वे अन्य निर्यातों की तरह उसी प्रकार हैं, सिवाय इसके कि कोटा देशों के मामले में निर्यातकों को यथा-निर्धारित कोटा पृष्ठांकन एवं आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। इस समय ए० ई० पी० सी० के साथ निर्यातक 2743 पंजीकृत हैं।

(ग) ए० ई० पी० सी० परिधानों के निर्यातों से सम्बन्धित संवर्धन सम्बन्धी कार्य को देखती है। यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेती है और बिक्री बढ़ाने, बाजार अध्ययन आदि के लिए प्रतिनिधिमण्डल प्रायोजित करती है।

(घ) इन वर्षों के दौरान परिधान निर्यात कोटा नीतियों के उल्लंघन के लिए किसी भी निर्यातक का पंजीकरण समाप्त नहीं किया गया है।

हाल ही में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना

800. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ मास पूर्व राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा किन कारणों से लघु उद्योगों को ऋण नहीं दिये जा रहे ;

(ख) क्या लघु उद्योगों ने इन बैंकों से उसी स्तर पर देने की मांग की है जिस स्तर पर अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को ऋण दिये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (ग) सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए तथा लघु उद्योगों के सुलभ शर्तों पर उत्तरोत्तर अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बैंकों से ऋण सुविधायें प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए लघु उद्योगों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में शामिल किया गया है। अभी हाल में राष्ट्रीयकृत छह नये बैंकों समेत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को परामर्श दिया गया है कि वे वर्ष 1985 तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये जाने वाले अग्रिम की मात्रा को बढ़ाकर अपने कुल अग्रिम के 40 प्रतिशत तक पहुंचा दें। इन बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि उन्हें यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष में, अतिरिक्त ऋण का कम से कम 40 प्रतिशत भाग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्राप्त हो। बैंकों को यह परामर्श भी दिया गया है कि जिन लघु उद्योगों की ऋण संस्थाएं 25,000 रुपये समेत इस राशि तक की हैं, उन्हें "कमजोर वर्गों" की श्रेणी में मान लिया जाए और वर्ष 1945 तक इस प्रकार के "कमजोर वर्गों" को दिये जाने वाले अग्रिमों का अंश लघु उद्योगों को दिये जाने वाले कुल अग्रिम के 12.5 प्रतिशत तक पहुंच जाना चाहिए। अभी हाल में जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है उनके द्वारा लघु उद्योगों को दिये जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़ों को देखने से यह पता चलता है कि सहायता प्राप्त एककों की संख्या और बकाया राशि दोनों में लगातार वृद्धि हो रही है।

बैंकों द्वारा ऋण नहीं दिये जाने के बारे में सरकार/रिजर्व बैंक के ध्यान में लाई गयी शिकायतों के सम्बन्ध में उपचारात्मक कार्यवाही करने के उद्देश्यों से सम्बन्धित बैंकों के साथ लिखापढ़ी की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को सावधिक निरीक्षण करते समय यह भी देखा जाता है कि प्रायमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में जारी की गयी हिदायतों का बैंकों द्वारा पालन किया जा रहा है या नहीं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली सावधिक विवरणियों के आधार पर अलग-अलग बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की जाती है।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, हमने एक एडजार्नमेंट मोशन दिया है किसान फायरिंग के बारे में। किसानो पर गोली चली है, दो किसान मारे गये हैं। (व्यवधान) रोज किसानों पर गोली चल रही है। (व्यवधान)

श्री घनिक लाल मंडल : यह किसान विरोधी सरकार है, आप इसको कब तक रहने देंगे ? कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र, महाराष्ट्र और गुजरात के मेहसाना वगैरा सभी जगह···

अध्यक्ष महोदय : 24 तारीख को कालिंग अटैंशन हो रहा है। (व्यवधान)

मेरी अनुमति बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं होगी (व्यवधान) × × ×

श्री धनिक लमल मंडल : हम लोगों की बात सुनेंगे कि नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं डिस्कशन करा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री धनिक लाल मंडल : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हूं। (व्यवधान) हमने कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। आप सुनेंगे नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : आप अपने साथियों में फैसला कर लें कि किस की बात सुनूं।

श्री धनिक लाल मंडल : आप सुन नहीं रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय। मैं तो सुन रहा हूं, यह सुनने दें तब न। कौन सी व्यवस्था है बताइये।

धनिक लाल मंडल : नियम 60 के अन्तर्गत परन्तुक 2 है, उसके अधीन कहना चाहता हूं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद का वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : मैं श्री प्रणब मुखर्जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

( )(एक) ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्या संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे।

(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1337/80]

(2) काफी बोर्ड बंगलौर के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1338/80]

(3) (एक) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण पर वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की प्रति।

(दो) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1339/80]

× × × कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

कोयला खान भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

ऊर्जा मंत्रालय में राज्यमंत्री(श्री विक्रम महाजन) : श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कोयला खान कुटुम्ब पेंशन (संशोधन) स्कीम, 1980 जो दिनांक 19 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 758 में प्रकाशित हुई थी।

(2) कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम 1980 जो दिनांक 6 सितम्बर 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 907 में प्रकाशित हुई थी।

(3) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम 1980 जो दिनांक 6 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1980 में प्रकाशित हुई थी।

(4) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1980 जो दिनांक 6 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 909 में प्रकाशित हुई थी।

(5) कोयला खान भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1980 जो दिनांक 27 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां नि० 991 में प्रकाशित हुई थी।

(6) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1980 जो दिनांक 27 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 992 में प्रकाशित हुई थी।

(7) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1980 जो दिनांक 27 सितम्बर 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचन संख्या सा० सां० नि० 993 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1340/80]

तम्बाकू बोर्ड (दूसरा संशोधन) नियम, 1980

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : मैं तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 32 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तम्बाकू बोर्ड (दूसरा संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 6 सितम्बर 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 902 में में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1341/80]

श्री घनिक लाल मंडल (झांझापुर) : मैंने आज आपकी सेवा में एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव

की सूचना दी है। आप उसे नियम 56 के अनुसार स्वीकार कर सकते हैं लेकिन आपने उसे अस्वीकार कर दिया है। परन्तुक 2 में यह लिखा है कि अगर आप डिसकशन न कराना चाहें तो हम लोगों के कार्य-स्थगन प्रस्ताव को पढ़ कर सुना दें और मंत्री महोदय से कम से कम एक बयान दिलवा दें। किसी भी कार्य-स्थगन प्रस्ताव के बारे में तीन विकल्प हैं। एक तो यह है कि आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। आपने उसे अस्वीकार कर दिया है। वह आपका अधिकार है, मैं इसको चुनौती नहीं देता हूं। दूसरा विकल्प यह है कि आप मंत्री महोदय से इस बारे में बयान दिलवा सकते हैं और तीसरा यह है कि आप कम से कम उसको पढ़ कर सुना दें। लेकिन आप इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग न कर के इस सरकार को बिल्कुल खुली छूट दे रहे हैं यह सरकार किसानों को कत्ल कर रही है। इसने उन्हें कर्नाटक में, तमिलनाडू में, आंध्र, महाराष्ट्र और गुजरात में कत्ल किया है। (व्यवधान) मेरी भावना इसलिए उद्वेलित हो गई है कि जब से किसान——

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है।

श्री रामावतार शास्त्री : औरों की भी सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप से अर्ज किया है कि इस प्रकार डिसक्शन करेंगे। हमने इस बात को महसूस किया है और बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी ने फैसला कर लिया है कि हम इस प्रश्न को डिसकस करेंगे। आपको डिसक्शन करने से मतलब है—इस समस्या का समाधान निकालने से मतलब है। मुझे और हाउस को भी इसमें इन्ट्रेस्ट है। मैंने 24 तारीख को नासिक के मसले पर कालिंग एटेन्शन नोटिस एडमिट कर लिया है। यही नहीं, हम किसानों के मसले पर भी डिसक्शन करना चाहते हैं और वह भी करेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जितना समय आप इस तरीके से खर्च करेंगे, उतना समय घट जायेगा। मैंने यह विश्वास दिला रखा है कि मैं हाउस में कोई भी बात छिपा कर नहीं रखना चाहता हूं। मैं डिसक्शन कराना चाहता हूं। श्री मगनभाई बारोत।

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

सिक्का निर्माण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें, (भारतीय सामान्य बीमा निगम तथा नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी कलकत्ता के वार्षिक प्रतिवेदन तथा इनके कार्यकरण पर समीक्षा

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सिक्का निर्माण "ग्रामीण महिलाओं की प्रगति" के लिये ढाले गये सौ रुपये और दस रुपये तथा 25 पैसे और दस पैसे के सिक्कों का वजन और उपचार नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो सिक्का निर्माण अधिनियम, 1907 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 25 अक्तूबर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या

सां० आ० 2876 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1342/80]

(2) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति :—

(क) (एक) भारतीय सामान्य बीमा निगम बम्बई के 31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण पर सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) सामान्य बीमा निगम बम्बई के 31 दिसम्बर 1979 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1343/80]

(ख) (एक) नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के 31 दिसम्बर 1979 को समाप्त हुए वर्ष के कार्य करण पर सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड; कलकत्ता के 31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1344/80]

(ग) (एक) यूनाइटिड इंडिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मद्रास के 31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण पर सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) यूनाइटिड इंडिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मद्रास के 31 दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1345/80]

(3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1979 की धारा 29 की उपधारा (3) के अन्तर्गत ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) संशोधन नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 20 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2429 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1346/80]

(4) दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975 की धारा 72 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) दिल्ली विक्रय कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1980 जो दिनांक 25 अगस्त, 1980 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4(68)/77—फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली विक्रय कर (चौथा संशोधन) नियम, 1980 जो दिनांक 4 सितम्बर, 1980 के

दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (17)/80—फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दिल्ली विक्रय कर (पांचवा संशोधन) नियम 1980 जो दिनांक 20 सितम्बर, 1980 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4/14/90—फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1348/80]

(5) केन्द्रीय-उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (दसवां संशोधन) नियम, 1980 जो दिनांक 4 अक्तूबर 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां नि० 1020 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1980 जो दिनांक 11 अक्तूबर 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1053 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (बारहवां संशोधन) नियम, 1980 जो दिनांक 11 अक्तूबर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1054 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (तेरहवां संशोधन) नियम, 1980 जो दिनांक 18 अक्तूबर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां नि० 1079 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (चौदहवां संशोधन) नियम, 1980 जो दिनांक 12 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा० सां० नि० 642 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1349/80]

(6) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 1^0 (23ग) (चार के अन्तर्गत कतिपय संगठनों की छूट देने के बारे में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2922 से 2944 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो दिनांक 1 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1350/80]

सामान्य बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिक वर्ग अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का युक्तिकरण और पुनरीक्षण) दूसरा संशोधन, स्कीम, 1980

अध्यक्ष महोदय : श्री सुनील मैत्रा ने सामानय बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिक और अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का युक्तिकरण और पुनरीक्षण) दूसरा संशोधन स्कीम, के सभा पटल पर रखने सम्बन्धी विरोध इस आधार पर करने के बारे नोटिस दिया है कि उच्चतम न्यायालय ने अधिसूचना की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका स्वीकार करली है।

सदस्य अपनी बात कह सकते हैं। उसके बाद मैं मंत्री को स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहूंगा। (व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : समाचार पत्रों की आजादी खतरे में है। मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाये। (व्यवधान) × ×,

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न हो। (व्यवधान) × ×

(इसके पश्चात् श्री हरिकेश बहादुर सभा से उठकर बाहर चले गये)

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट-आफ- आर्डर है। सदन की कार्यवाही नियमों के अन्तर्गत चलनी चाहिए। अगर सदन का समय हर रोज कानून को भंग करते हुए लोग लेते हैं, तो सदन का कीमती समय नष्ट होता है। इसलिए आप नियम 374 के नीचे इनके नाम लेकर बाहर निकाला जाए·····(व्यवधान)·····हल्ला गुल्ला नहीं होगा। आप सदन का समय नष्ट कर रहे हैं (व्यवधान) × ×

अध्यक्ष महोदय : आप मुझ से नियम का पालन करवायेंगे तब तो ठीक चलेगा। मैंने आप को पहले ही विश्वास दिलाया है कि इस हाउस में किसी मद में ऐसा नहीं होगा कि डिस्कशन न हो। मुझे एडजार्नमेन्ट मोशन के लिये न न-करने का प्यार है और न हां करने का प्यार है, जो हालात होंगे उस के मुताबिक फैसला दूंगा। यह स्टेट सब्जैक्ट था, इस लिये इस पर एडजार्नमेन्ट मोशन नहीं आ सकता···(व्यवधान)···हालांकि इस के मुताल्लिक एडजार्नमेन्ट मोशन नहीं ला सकते, लेकिन स्पेशल डिस्कशन करवा सकता हूं—वह तो मैं कर दूंगा। मैं उसके बारे में आप से कह चुका हूं।

श्री धनिक लाल मंडल : बयान तो दिलवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : इस के लिये सरकार बैठी है, उन को सोचना चाहिये।

श्री धनिक लाल मंडल : हाउस के मालिक तो आप हैं।

अध्यक्ष महोदय : सारा हाउस मालिक है। मैं सदस्यों के अधिकारों का संरक्षक हूं। आप लोग मुझे जैसे नियम देते हो या जिस रूप में वे मुझे मिलते हैं मैं केवल उनकी व्याख्या ही करता हूं। नियम तो आप लोग ही बनाते हैं। मैं जहां तक हो सकता है अपनी योग्यता के अनुसार बिल किसी प्रकार के भय या पक्षपात के उनकी व्याख्या करता हूं।

प्रो० मधुदण्डवते : कुशासन के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह आप लोगों पर निर्भर करता है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आप भी

× × कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

इसके लिए उत्तरदायी हैं। सभी लोगों के सहयोग से ही ऐसा हो सकता है। मैं आपको एक बात के लिए आश्वासन दे सकता हूँ कि कोई भी विषय ऐसा नहीं रह जायेगा जिस पर आपको चर्चा का अवसर न मिले।

श्री रामविलास पासवान : (हाजीपुर) अभी तो हो रहा है। आप किसानों के बारे में जवाब देने को कहिये।

श्री धनिक लाल मंडल : (झझारपुर) आप मेम्बर्स के राइट्स के कस्टोडियन हैं, हाउस के राइट्स के कस्टोडियन हैं। हाउस में अपोजीशन भी है, अपोजीशन के सारे लोग चाहते हैं कि इस पर सरकार बयान दे ...

अध्यक्ष महोदय : आप की बात उन तक पहुंच गई है। हम किसानों के हितों की रक्षा करेंगे।

श्री धनिक लाल मंडल : फिर आप हमारे राईट्स को क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हो गया है। मैंने आपको कुछ कहने की अनुमति दी थी। आप ने इतना कह लिया है, और क्या चाहते हैं ?

श्री धनिक लाल मंडल : परन्तु वह पर्याप्त नहीं है। सरकार को इसके बारे में बाद में वक्तव्य देना चाहिये।

श्री रामविलास पासवान : इतनी देर तक आवाज उठाते रहे हैं, इस का क्या रिजल्ट निकला ?

अध्यक्ष महोदय : सोमवार को हो जायगा, बयान दिलवायेंगे।

श्री राम विलास पासवान : मैंने काल-एटेन्शन को भी देखा है, वह दूसरा ईशू है। जिस पर गोली चली है, उस पर सरकार को स्टेटमेन्ट देने के लिए कहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक ही बात है। हम सभी इससे चिन्तित हैं। जब समय आयेगा हम इस पर भी विचार करेंगे।

श्री रसीद मसूद : (सहारनपुर) जितनी स्पेशल कमाडिटीज हैं उन सब के रास्ते ब्लाक हो गये हैं। सप्लाई नहीं आ रही है। इस में रेल्वेज इन्वाल्व्ड हैं, रोड-वेज इन्वाल्व्ड है...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है। मैं इसके लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकता।

रशीद मसूद : यह स्टेट सबजेक्ट नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप रूल मुझे समझा दीजिए, मैं समझ जाऊंगा।

श्री जगपाल सिंह : किसानों की जो मांगें हैं, वे सेन्टर से सम्बन्धित हैं। गन्ने का दाम है, चावल का दाम है...

अध्यक्ष महोदय : इस पर डिस्कशन होना है। आप ने फौन घंटा इस तरह से जाया कर दिया।

श्री रशीद मसूद : अगर स्टेट सब्जेक्ट है, तो फिर आप ने कालिंग स्टेन्शन क्यों एक्सेप्ट कर लिया'''(व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह : अगर कालिंग एटेन्शन एक्सेप्ट कर लिया है, तो उस आन्दोलन से सम्बन्धित जो आज की घटना है, उस पर एडजोर्नमैंट मोशन एक्सेप्ट कर लीजिए।'''(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : मामला यहां तक फंसा हुआ है और कार्यवाही रूकी हुई है। मैं आप से आग्रह करता हूं कि आप सरकार से कहिये कि वह इस सम्बन्ध में बयान दे। हम लोग पब्लिक के रेप्रेजेन्टेटिव हैं और हम लोगों का दायित्व है कि हम इन की बात हाउस में लाएं।

अध्यक्ष महोदय : आप ने कह तो दिया है।

श्री रामविलास पासवान : हमारे कहने से क्या होता है। हम कहते हैं कि इस पर एडजोर्नमैंट मोशन एलाऊ करो।'''(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप के पीछे लोगों की आवाज है।

श्री रशीद मसूद : आप आवाज उठाने नहीं दे रहे हैं।'''(व्यवधान)'''

अध्यक्ष महोदय : मित्रा जी, आप बोलिये।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हम लोगों की आवाज आप सुनेंगे, तो हम लोगों की आवाज आप के ग्रु पहुंचाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप बस कीजिए।

'अति सर्वत्र वज्यते'।

अति हर एक बात की ठीक नहीं होती है।

श्री घनिक लाल मंडल : किसानों की जानें जा रही हैं। केवल कायदे कानून से ही कुछ नहीं होता है। किसान आज आन्दोलन कर रहे हैं। खाद केन्द्र सरकार का विषय है और उस के लिए किसान आन्दोलन कर रहे हैं। सरकार उनको खाद नहीं दे रही है और खाद के दाम बढ़ा दिये हैं और उस के लिए आन्दोलन हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप कितनी दफ़ा बोलेंगे। इस तरह से गाड़ी नहीं चल सकती।

श्री रामविलास पासवान : आप इस पर स्टेटमैंट दिलवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकता।

श्री रसीद मसूद : हम वाक आऊट करते हैं।

(श्री रशीद मसूद तथा कुछ अन्य सदस्य सदन से बाहर चले गये)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : (सैदपुर) आप ने श्री मूलचन्द डागा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, तो हम को वाक आऊट करना पड़ रहा है।'''(व्यवधान)'''

श्री जगपाल सिंह : (हरिद्वार) आप फोर्स मत कीजिए लेकिन यह कह दीजिए। आप सिर्फ कह दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप ने कह तो दिया इतने भद्र सदस्यगण कह रहे हैं, तो मैं क्या कहूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप ने डागा साहब का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और हम लोगों की बात इसलिए स्वीकार नहीं की कि आप ने सोचा कि हम हाऊस से बाहर चले जाये।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं तो सिर पर बैठा कर रखता हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हम सदन से बाहर जा रहे है।...(व्यवधान)

(श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री तथा कुछ अन्य सदस्य सदन से बाहर चले गये)

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : श्रीमान, मन्त्री महोदय द्वारा निम्न पत्र सभा पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में मैं अपना विरोध प्रकट करने की सूचना पहले ही आपको दे चुका हूं :—

(7) सामान्य बीमा व्यापार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 की धारा 17 के अन्तर्गत सामान्य बीमा (पर्यवेक्षण) लिपिक और अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतन मानों और सेवा की अन्य शर्तों का यूक्तियुक्तकरण और पुनरीक्षण दूसरी, संशोधन स्कीम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 827 (ङ) में प्रकाशित हुई थी तथा उसका शुद्धिपत्र जो दिनांक 27 अक्तूबर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 893 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

मैं मन्त्री महोदय द्वारा इस अधिसूचना विशेष को सभापटल पर रखने का विरोध करता हूं। इसके ये कारण हैं : भारत सरकार की राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पहले ही उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। उच्चतम न्यायालय ने इसे केवल स्वीकार ही नहीं किया है अपितु न्यायालय ने इसके बारे में रोका-आदेश भी दिये हैं। इसलिए भारत सरकार तथा सामान्य बीमा निगम के प्रबन्धकों पर इस रोका-आदेश द्वारा रोक लग गई है कि वह इस विशेष राजपत्रित अधिसूचना को, जिसे कि मन्त्री महोदय द्वारा सभापटल पर रखा जा रहा है, क्रियान्वित न करें। मैं सम्माननीय सभा की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय के एक डिवीजन बैंच द्वारा 10 नवम्बर को इसी प्रकार के किसी मामले में निर्णय देते हुए कहा गया था : "कि जहां तक कर्मचारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करने का सम्बन्ध है, इस दृष्टि से जीवन बीमा निगम अधिनियम एक सामान्य अधिनियम है और औद्योगिक विवाद अधिनियम एक विशेष अधिनियम है।"

इसी प्रकार इस मामले में सामान्य बीमा (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम भी राष्ट्रीयकृत सामान्य बीमा का कार्यकरण चलाने के उद्देश्य से सामान्य अधिनियम के अन्तर्गत आता है। परन्तु जहां तक कर्मचारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करने का सम्बन्ध है, वह औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आता है और इस पर विशेष अधिनियम लागू होगा। इसीलिए तो उच्चतम न्यायालय ने रोका आदेश दे दिए हैं। अतः जब तक रोका आदेश लगा हुआ है तब तक सरकार द्वारा इस पर

[श्री सुनील मैत्रा]

कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। श्रीमान, उच्चतम न्यायालय के आदेश की एक प्रति मेरे पास भी है और मैं इसे सभापटल पर रखना चाहता हूं। इसीलिए अध्यक्ष महोदय मैं भारत सरकार की इस अधिसूचना को सभापटल पर रखने का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसकी जांच की जायेगी।

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन्) : श्रीमान, सामान्य बीमा व्यापार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत, भारत सरकार द्वारा बनाई गई प्रत्येक योजना को सभापटल पर रखा जाना चाहिये। इस समय जो योजना सभापटल पर रखी जा रही है उसका सम्बन्ध वेतन-मानों तथा कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तों का पुनरीक्षण करने तथा उन्हें अधिक युक्ति-संगत बनाने से है। यह खण्ड 16 (घ) में है। धारा 17 में कहा गया है :

> "इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई प्रत्येक योजना तथा संशोधन की एक प्रति उसके बनाये जाने के शीघ्र बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी।"

अतः ऐसा करके भारत सरकार द्वारा अपने दायित्व का निर्वाह ही किया जा रहा है। अधिसूचना को सभापटल पर रखने का दायित्व एक ऐसा संवैधानिक दायित्व है जिसका पालन भारत सरकार को करना ही है।

इसके उपरान्त मेरे मित्र ने कहा है इसकी वैधता को न्यायालय में चुनौती दी गई है। श्री मान, इन सभी अधिसूचनाओं में यदि किसी प्रकार की त्रुटि की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय का निर्णय हमारे लिए मान्य होगा। परन्तु इस आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि इससे भारत सरकार को अपने संवैधानिक दायित्व के निर्वाह करने अर्थात् उसे सभापटल पर रखने में किसी प्रकार की बाधा डाली जा सकती है। माननीय सदस्य ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने रोक-आदेश दे दिये हैं। हां, उनका यह कहना तो ठीक है। हम इसे स्वीकार करते हैं। हम उसे क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं परन्तु फिर भी हमें अपने संवैधानिक दायित्व का पालन करने के लिए इसे सभा-पटल पर रखना ही पड़ेगा। यह है स्थिति श्रीमान।

श्री सुनील मैत्रा : यह निष्फल तथा निष्क्रिय है।

अध्यक्ष महोदय : सामान्य बीमा व्यापार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 की धारा 17 के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी हर योजना तथा संशोधन की एक प्रति "इसके बनने के यथाशीघ्र संसद की प्रत्येक सभा के सभा पटल" पर रखी जायेगी।

मन्त्री द्वारा बतायी गयी स्थिति तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि योजना का वर्तमान संशोधन संसद द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत सभा पटल पर रखा जाता है। मेरे विचार में मन्त्री को पत्रों के सभा पटल पर रखने से रोकना अनुचित होगा। मन्त्री अब पत्र सभा पटल पर रखें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

सामान्य बीमा व्यापार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(7) सामान्य बीमा व्यापार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 की धारा 17 के अन्तर्गत सामान्य बीमा (पर्यवेक्षण) लिपिक और अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का युक्तियुक्तकरण और पुननीक्षण, दूसरी, संशोधन स्कीम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 827 (ङ) में प्रकाशित हुई थी तथा उसका शुद्धिपत्र जो दिनांक 27 अक्तूबर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 863 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1351/80]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम और सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

(8) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 499 (ङ) जो दिनांक 29 अगस्त 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, सा० सां० नि० 583 (ङ) जो दिनांक 15 अक्तूबर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और सा० सां० नि० 640 (ङ) जो दिनांक 12 अक्तूबर, 1980 के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और पोलियस्टर धागे पर उत्पाद शुल्क निश्चित करने तथा चांदी की स्ट्रिप, तार, चद्दर प्लेट और पन्नी तथा कम्पोस्ट खादों पर उत्पाद शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 957 जो दिनांक 20 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसमें अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 332 (ङ) दिनांक 19 जून, 1980 का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(तीन) सा० सां० नि० 956 जो दिनांक 20 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसमें दिनांक 1 मार्च, 1973 की अधिसूचना संख्या 38/73 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि मेथिल मैथाकराईलेट मोनोमर से निर्मित किये जाने पर एक्रेलिक प्लास्टिक बैंगल ट्यूबों को भी छूट का लाभ मिल सके।

(चार) सा० सां० नि० 982 जो दिनांक 27 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसमें भारतीय नौसैनिक जहाजों में वातानु-

कुलन यन्त्रों के लिए उपकरणों को उत्पाद शुल्क से वर्तमान आंशिक छूट दी गई हैं और उसका शुद्धि पत्र जो दिनांक 8 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) सा० सां० नि० 588 (ङ) से 591 (ङ) जो दिनांक 21 अक्तूबर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा खांडसारी चीनी पर पुनरीक्षित शुल्क के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा० सां० नि० 619 (ङ) और 620 (ङ) जो दिनांक 1 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा तांबे और उससे बने सामान को उत्पाद शुल्क से छूट जारी रखने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० सां० नि० 1136 जो दिनांक 1 नवम्बर, 1980 क भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा भारी जल संयन्त्र तूतीकोरिन में बने भारी जल बनाने के लिये भविष्य में उपयोग में लाये जाने वाले अमोनिया को शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० सां० नि० 628 (ङ) से 630 (ङ) जो दिनांक 4 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा देशी स्पंज लोहे से अथवा अन्य सामान के साथ बिजली भट्टी की सहायता से निर्मित इस्पाती छड़ों पर वर्तमान उत्पाद शुल्क में रियायत को जारी रखने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० सां० नि० 636 (ङ) जो दिनांक 10 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा पहले एक हजार टन संसेचित फिल्टर कागज को प्रति सन्तुलनकारी शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल टी 1352/80]

(9) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 547(ङ) जो दिनांक 24 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा 17 सितम्बर 1980 की अधिसूचना के अधिक्रमण में पौंड स्टर्लिंग को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को पौंड स्टर्लिंग में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 564 (ङ) जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की विनिमय दरों के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 584 (ङ) जो दिनांक 15 अक्तूबर; 1980 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुई थी तथा दिनांक 1 अक्तूबर, 1980 की अधिसूचना के अधिक्रमण में पौंड स्टर्लिंग को भारतीत मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को पौंड स्टर्लिंग में बदलने की विनिमय दर के बारे हैं व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० सां० नि० 598 (ङ) जो दिनांक 22 अक्तूबर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा 15 अक्तूबर 1980 की अधिसूचना के अतिक्रमण में पौंड स्टर्लिंग को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को पौंड स्टर्लिंग में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० सां० नि० 603 (ङ) जो दिनांक 25 अक्तूबर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा दिनांक 22 अक्तूबर, 1980 की अधिसूचना के अतिक्रमण में पौंड स्टर्लिंग को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को पौंड स्टर्लिंग में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) पर्यटन अस्बाब संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 28 अक्तूबर 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 613 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० सां० नि० 617 (ङ) और 618 (ङ) जो दिनांक 1 नवम्बर 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा बिना पिटे तांबे पर सीमा शुल्क में वृद्धि के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा० सां० नि० 639 (ङ) जो दिनांक 11 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा० सां० नि० 646 (ङ) और 647 (ङ) जो दिनांक 12 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तब खाद्य पदार्थों, चिकित्सा सामान, चिकित्सा उपकरण, वस्त्रों, कम्बलों, चादरों, कपड़े और रजाइयों को भारतीय रेडक्रास सोसाइटी द्वारा आयात करते समय आयात शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा० सां० नि० 648 (ङ) जो दिनांक 12 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा दिनांक 11 नवम्बर, 1980 की अधिसूचना के अधिक्रमण में पौंड स्टर्लिंग को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को पौंड स्टर्लिंग में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा० सां० नि० 649 (ङ) जो दिनांक 13 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा दिनांक 5 अप्रैल, 1980 की अधिसूचना के अधिक्रमण में रूसी

रूबल को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को रूसी रूबल में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा० सां० नि० 651 (ङ) जो दिनांक 14 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा हल्दी (पिसी हल्दी समेत) को समस्त निर्यात शुल्क से छूट के बारे में एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 13'/3ε]

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त संदेशों की सूचना देनी है।

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के अनुसार मुझे सभा को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा अपनी 18 नवम्बर, 1980 की बैठक में लोकसभा द्वारा 16 जून 1980 को पास किये गये अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1980 के बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के अनुसार मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा अपनी 20 नवम्बर, 1980 के बैठक में लोक सभा द्वारा 11 अगस्त, 1980 को पास किये गये गोदी कर्मकार (नियोजन का विनियम) संशोधक विधेयक, 1980 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।"

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश में सूखे की स्थिति

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश के कुछ भागों, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सूखे की स्थिति के समाचार तथा प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : मानसून से पूर्व की अवधि के दौरान अर्थात् मई, 1980 के अन्त तक आठ राज्य अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश,

मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सूखे से प्रभावित हुए थे। लगभग 2200 लाख लोग और 1270 लाख पशु सूखे के शिकार हुए थे और लगभग 380 लाख हैक्टार सस्यगत क्षेत्र प्रभावित हुआ था। केन्द्रीय सरकार ने इन राज्यों में दल भेजे और इन राज्यों के लिए 193.5 करोड़ रुपये के अधिकतम खर्च की स्वीकृति दी गई थी। इन राज्यों के लिए लगभग 12.75 लाख मीटरी टन खाद्यान्न से काम के बदले अनाज नामक एक विशेष कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। प्रधानमन्त्री ने सूखा प्रबन्ध के सम्बन्ध में एक 12-सूत्री कार्यक्रम जारी किया, जिसमें सूखे की स्थिति से निपटने के उद्देश्य से राज्यों के लिए मूल मार्गदर्शी सिद्धान्त दिए गए थे। भारत सरकार ने विभिन्न स्रोतों से रिगें जुटाई और पेय जल के अभाव की समस्या से निपटने के लिए इन्हें प्रभावित राज्यों को उपलब्ध कराया। 30 000 से अधिक गांवों में पेय जल की स्थायी व्यवस्था की गई थी। सशस्त्र सेनाओं तथा रेलवे ने भी सहायता की थी। खाद्यान्नों के आयात के बगैर और भुखमरी से बिना किसी मौत के जिस तरीके से सूखे से निपटा गया, उसकी विश्वभर में प्रशंसा की गई है।

इस वर्ष देश के अधिकांश भागों में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून से पर्याप्त वर्षा हुई है। किन्तु मौसम विज्ञान सम्बन्धी रिपोर्टों के अनुसार आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा तेलंगाना क्षेत्रों, कर्नाटक के दूर-दराज के इलाकों, हरियाणा के कुछ भागों और राजस्थान के बड़े क्षेत्रों में अपर्याप्त वर्षा हुई। महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति होने की सूचना नहीं मिली है।

राजस्थान सरकार ने बताया है कि अगस्त में अपर्याप्त वर्षा हुई तथा समग्र वर्षा सामान्य से कम रही। वास्तव में सूखे की स्थिति से 26 में से 25 जिलों में पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से प्रभावित होने की सूचना मिली है। आन्ध्र प्रदेश में 23 में से 11 जिलों के प्रभावित होने की सूचना मिली है। कर्नाटक में सूखे की स्थिति से 15 जिलों के आंशिक रूप से अथवा पूर्णत: प्रभावित होने की सूचना है। हरियाणा में सूखे की स्थिति से 11 में से 4 जिलों के आंशिक रूप से या पूर्णत: प्रभावित होने की सूचना है। प्रभावित जनसंख्या की सूचना इस प्रकार है—आन्ध्र प्रदेश में 14.10 लाख, कर्नाटक में 90 लाख, हरियाणा में 12.79 लाख और राजस्थान में 152 लाख। आन्ध्र प्रदेश में 10.42 लाख हेक्टार, कर्नाटक में 49.75 लाख हैक्टार, हरियाणा में 4.34 लाख हैक्टार और राजस्थान में 83.73 लाख हैक्टार सस्यगत क्षेत्र के प्रभावित होने की सूचना है।

आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और हरियाणा की राज्य सरकारों ने अभी हाल ही में ज्ञापन दिए हैं, जिसमें उन्होंने केन्द्रीय दलों के दौरे के लिए अनुरोध किये हैं। केन्द्रीय दलों द्वारा प्रभावित राज्यों का दौरा करने के लिए व्यवस्था की जा रही है और उनके द्वारा स्थिति का मौके पर मूल्यांकन कर लेने के पश्चात् इन राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जायेगी।

इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि चालू वर्ष के दौरान अप्रैल, 1980 में रोजगार तैयार करने के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए इन राज्यों को काम के बदले अनाज देने के सामान्य तथा विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुल 2,26,500 मीटरी टन खाद्यान्नों का आबन्टन किया गया है, जिसमें से आन्ध्रप्रदेश को 63,000 मीटरी टन, कर्नाटक को 13,500 मीटरी टन, हरियाणा

[श्री आर० वी० स्वामी नाथन]

को 20,000 मीटरी टन, राजस्थान को 1,30,000 मीटरी टन खाद्यान्नों का आबन्टन किया गया। इसके अतिरिक्त, हाल ही में अक्तूबर, 1980 में राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित रूप से कुल 74,400 मीटरी टन खाद्यान्न प्रदान किया गया :—

आन्ध्र प्रदेश	:	42,000 मीटरी टन
कर्नाटक	:	18,500 मीटरी टन
हरियाणा	:	3,500 मीटरी टन
राजस्थान	:	10,400 मीटरी टन

इसके अतितिक्त, इन राज्यों को 1,303.50 लाख रुपये की नकद सहायता भी स्वीकृत की गई, जो इस प्रकार है :—

आन्ध्र प्रदेश	:	739 लाख रुपये
कर्नाटक	:	326 लाख रुपये
हरियाणा	:	56.50 लाख रुपये
राजस्थान	:	182 लाख रुपये

खरीफ के मौसम के दौरान कृषि आदानों की खरीद तथा उनका वितरण करने के लिए आन्ध्र प्रदेश को कुल 20 करोड़ रुपये, हरियाणा को 9 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 8 करोड़ रुपये और राजस्थान को 12.50 करोड़ रुपये के अल्पावधि ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

पेय जल की सप्लाई की स्थिति का सामना करने के लिए, जो कि राजस्थान में काफी लम्बे समय से एक गम्भीर समस्या रही है, राज्य सरकार के पास 41 रिगें उपलब्ध हैं। इनके अतिरिक्त, अन्य 38 रिगें प्राप्त होने वाली हैं। अन्य तीन राज्यों के पास पहले ही कई रिगें उपलब्ध हैं।

उत्तरी-पूर्वी मानसून के बारे में, जिसका सम्बन्ध केवल केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडू चार दक्षिणी राज्यों से है, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 12 नवम्बर, 1980 से इन सभी राज्यों में काफी अच्छी वर्षा हुई है। इस सुखद वर्षा से सूखे की स्थिति समाप्त हो गई है और मृदा की नमी तथा जलाशयों, तालाबों और कुओं में पानी की उपलब्धि में पर्याप्त वृद्धि हो गई है।

हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमन्त्री के सफल नेतृत्व और सूखा प्रबन्ध के सम्बन्ध में उसके द्वारा तैयार किये गये 12-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हम वर्तमान सूखे से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला उतने ही कारगर ढंग से करने में सफल होंगे जिस तरह से खरीफ मौसम से पूर्व पड़े सूखे की स्थिति से निबटा गया था।

श्री नवल किशोर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में सदन के समक्ष आने वाला विषय अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। इस देश के एक बहुत बड़े भू-भाग पर कई सहस्र और

सैकड़ों लोग सूखे की चपेट में आकर कष्ट भोग रहे हैं। मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में स्वयं यह स्वीकार किया है कि राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और निस्सन्देह महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में सूखे की स्थिति रही है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

एक माननीय सदस्य : तमिलनाडु में भी।

श्री नवल किशोर शर्मा : निस्सन्देह, मैं उसे नहीं भूलूंगा क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय तथा मन्त्री महोदय उसी राज्य के रहने वाले हैं और मुझे आशा है कि दोनों ही इन राज्यों के हितैषी होंगे। मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे याद दिलाया। जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है वहां सूखे की स्थिति अत्यन्त ही गम्भीर है। लगातार पिछले तीन वर्षों से राजस्थान में सूखा पड़ रहा है। गत वर्ष तो स्थिति बहुत ही खराब थी। राजस्थान के कुल 36,000 गांवों में से 31,000 सूखा-ग्रस्त हैं। दुर्भाग्यवश राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो लम्बे अर्से से सूखा-ग्रस्त चला आ रहा है। इस सच्चाई के बावजूद कि हमें आज से 33 वर्ष पूर्व स्वतन्त्रता मिली थी, राजस्थान की जनता के कष्टों को कम करने की दिशा में कुछ भी तो ठोस काम नहीं हुआ है।

जब बरसात होती है तो पशुओं समेत पश्चिमी जिलों की समस्त जनसंख्या को अन्य स्थानों की ओर प्रस्थान करना पड़ता है, क्योंकि चारा तो मिलता ही नहीं है। उन्हें या तो गुजरात अथवा महाराष्ट्र में स्थानान्तरण करना पड़ता है। दुर्भाग्यवश, इस वर्ष स्थिति और अधिक बिगड़ गई है। यह सच है कि जुलाई में अच्छी वर्षा हुई थी, परन्तु जुलाई के बाद वर्षा नहीं हुई जिसके परिणामस्वरूप सारी फसल खराब हो गई। मैं मन्त्री महोदय के ही वक्तव्य से पढ़कर वहां से सुनाता हूं जहां वे कहते हैं : "राजस्थान सरकार ने बताया है कि अगस्त में अपर्याप्त वर्षा हुई थी।" वर्षा न होने की वजह से राजस्थान की सारी जनता को कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। मुझे यह कहने पर बाध्य होना पड़ रहा है कि मन्त्री महोदय का केवल यही कहना है कि क्षति का पता लगाने के लिए एक दल भेजा जाना चाहिये। यह नवम्बर का महीना है और अभी तक केन्द्रीय सरकार ने उन लोगों की स्थिति का पता लगाने के लिए कुछ भी पहल नहीं की है जो कि कष्ट झेल रहे हैं, दुःखी हैं। मन्त्री महोदय की इस बात को सुनकर मुझे वास्तव में ही हंसी आई जो कि सम्भवतः गलती को सही करके कही गई थी कि राजस्थान और हरियाणा से हाल ही में रिपोर्ट मिल गई है जबकि प्रश्न का उत्तर देते समय इन्हीं मन्त्री महोदय ने इस मास की 17 तारीख को कहा था कि राजस्थान की अकाल स्थिति के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

मैं 'राजस्थान-पत्रिका' नाम के एक स्थानीय दैनिक का उल्लेख कर रहा हूं जिसमें मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा है कि राजस्थान की अकाल स्थिति सम्बन्धी रिपोर्ट केन्द्र को भेज दी गई है। दैनिक पत्र 11 नवम्बर, 1980 का है। इस पत्र में एक और भी रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया है कि अकाल स्थिति के कारण मुख्य मन्त्री महोदय ने और अधिक गेहूं की मांग की है। इस तथ्य के बावजूद कि यह बताया गया है कि रिपोर्ट तैयार है, इस तथ्य के बावजूद कि इस सम्बन्ध में समाचार

[श्री नवल किशोर शर्मा]

प्रकाशित हुआ है मुझे आश्चर्य है कि आखिर रिपोर्ट कहां गई। मन्त्री महोदय ने अब बताया है कि रिपोर्ट मिल गई है। इससे यह पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार इस सारे मामले को कितनी गम्भीरता से ले रही है, क्योंकि जब मुख्य मन्त्री महोदय के निकट सूत्रों से एक वक्तव्य दिया गया है कि राज्य सरकार ने 168 करोड़ रुपये की राशि की मांग की है और फिर उस वक्तव्य के होते हुए मन्त्री महोदय ने मना करते हुए कहा है कि केन्द्र को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। यह तो एक गम्भीर प्रश्न है जिसकी जांच होनी ही चाहिये कि आया राज्य सरकार ने कोई रिपोर्ट भेजी भी है या नहीं और यदि राज्य सरकार ने इसे भेज दिया था तो इतने दिन यह पड़ी कहां रही। कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की गई ? मैं समझता हूं कि केवल रिपोर्ट मिलने पर ही कोई मन्त्री केन्द्रीय दल से राज्य का दौरा करने के लिए कह सकता है। मांग क्या थी ? राज्य सरकार की क्या आवश्यकता थी जिसे इस रिपोर्ट द्वारा रखा गया था ? क्या यह सच नहीं है कि राज्य सरकार ने राहत कार्य के लिये 168 करोड़ रुपए की राशि की मांग की थी। क्या यह भी सच नहीं है कि राज्य सरकार ने अपने स्मरण पत्र में सातवें वित्त आयोग का हवाला देते हुए कहा था कि यह राशि राहत के रूप ली जा सकती है क्योंकि वित्त आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है :

यदि किसी विशेष मामले में, केंद्रीय दल तथा उच्चस्तरीय समिति द्वारा आका गया आवश्यक व्यय, राज्य योजना के अंशदान को शामिल करने के पश्चात भी पूरा नहीं होता है, तो उस अतिरिक्त व्यय को आपत्ति की कठोरता का संकेत मानना चाहिये, जिसके आधार पर केन्द्रीय सरकार को, राज्य के लिये यह समस्त अतिरिक्त व्यय वहन करना चाहिये। यह सहायता आधी अनुदान के रूप में और आधी ऋण के रूप में दी जानी चाहिये।

अनुदान के लिये प्रतिवेदन में गिनाई गई परिस्थितियां इस मामले पर पूरी तरह लागू होती है क्योंकि जो कारण मैंने व्यक्त किए उनके आधार पर राजस्थान के मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये। यह गत तीन वर्ष से संकट से गुजर रहा है और यह चौथा वर्ष है और सूखे की स्थिति बिगड़ती ही रही है, फैलती ही रही है।

इसके दीर्घकालीन उपाय भी हो सकते हैं अल्पकालीन भी।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई चर्चा तो है नहीं और भी पांच सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। मैं चर्चा में ही नहीं जा रहा हूं। मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है। राजस्थान राज्य की क्या-क्या मांगे हैं, आवश्यकताएं हैं ? दूसरे, क्या केन्द्र सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करेगा ? चूंकि अब वे सिंचाई मन्त्री भी बन गये हैं तो वे दीर्घकालीन उपाय के रूप में यह देखेंगे कि राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का रूप दिया जाए और इसे शीघ्र पूरा किया जाए ? क्योंकि यदि राजस्थान नहर शीघ्र पूरा हो जाती है, यदि इसके लिए धन जुटाया जाए तो तब सम्भवत: न केवल राजस्थान, अपितु इससे समस्त देश लाभान्वित होगा। क्योंकि राजस्थान में बिजली का घोर अभाव है, कृषि-पम्पों तक के लिए बिजली नहीं है और जितने भी नलकूप और पम्प वहां पर हैं, उन्हें बिजली दी जानी चाहिये। क्या केन्द्रीय बिजली की अच्छी सप्लाई का प्रबन्ध करेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे ऊर्जा मन्त्री नहीं हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा : वे सिंचाई मन्त्री हैं और उन्हें पानी की व्यवस्था करनी ही है, स्थिति में सुधार लाने और अकाल-परिस्थितियों के संचित प्रभाव से होने वाले जनता के कष्टों को दूर करने क लिए समन्वित प्रयास किया जाना आवश्यक है, बिजली की सप्लाई में सुधार होना ही चाहिये। मेरा उनसे यह भी निवेदन है कि वे सिंचाई के लिए बीकानेर और गंगानगर में अपने प्रभाव का प्रयोग करके और अधिक पानी दिलवाएं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या डीजल की सप्लाई के लिए और अच्छे प्रबन्ध किए जाएंगे और कोटे में वृद्धि की जायेगी। अन्त में मुझे यह कहते हुए आश्चर्य हो रहा है कि राजस्थान में सूखे की स्थिति की प्रचण्डता के बावजूद केन्द्र ने राजस्थान के साथ भेद-भाव बरता है। यदि मैं अक्तूबर के लिए उनके काम के बदले अनाज कार्यक्रम के बारे में दिये गए वक्तव्य का हवाला दूं तो राजस्थान के लिए 10,400 मि० ट० अनाज आबंटित किया गया है। मैं आन्ध्र प्रदेश या अन्य किसी राज्य के विरुद्ध नहीं हूं, परन्तु आन्ध्र-प्रदेश को 42,000 मि० ट० अनाज आबंटित किया गया है। आन्ध्र-प्रदेश को 739 लाख रुपये की नकद सहायता दी गई है, कर्नाटक को 326 लाख रुपये की, परन्तु गरीब राजस्थान को केवल 182 लाख रुपये दिये गये हैं। ऐसा भेद-भाव क्यों है ? मैं नकद सहायता और काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत अनाज के आवंटन को नहीं समझ पाया हूं। मैं आन्ध्र-प्रदेश की अकाल स्थिति का भी जिक्र करना चाहूंगा। रायलसीमा भी ऐसा ही बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र है और वहां की हालत बहुत ही बिगड़ी हुई है। मेरा उनसे निवेदन है कि रायलसीमा के किसानों के लिए कृष्णा नदी का जल छुड़वा दें जिससे कि वे लाभान्वित हो सकें।

मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : माननीय सदस्य की प्रथम शिकायत यह है कि हमने राजस्थान सरकार के प्रतिवेदन के बारे में कुछ नहीं कहा है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन हमारी सरकार द्वारा 15 नवम्बर को प्राप्त हुआ था।

श्री नवल किशोर शर्मा : परन्तु आपके 17 नवम्बर के उत्तर में आपने बताया है कि कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। कृपया पता लगाइये। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी भी प्रकार से प्रतिवेदन प्राप्त किया जा चुका है। उद्देश्य पूरा कर लिया गया है। यह डाक विलम्ब भी हो सकता है।

श्री आर० वी स्वामीनाथन : राजस्थान सरकार ने सूखे की दशाओं में सुधार करने के लिए 173 करोड़ रुपये की मांग की है। यह सच है कि 26 जिलों में से 25 जिले ग्रस्त हुये हैं। इसलिये हमें राजस्थान के लिये कुछ करना पड़ेगा। हमारे केन्द्रीय दल थोड़े दिनों में सभी राज्यों में भेजे जा रहे हैं। इन्हें संगठित किया जा रहा है। एक दल अतिशीघ्र राजस्थान जा रहा है। उस सम्बन्ध में योजना शुरू करने के लिये प्रत्येक कार्यवाही की जा रही है क्योंकि वहां सूखे की स्थिति हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण योजना न केवल राजस्थान के लिये बल्कि देश के समस्त भागों के लिये है। उन्होंने कृष्णा जल के बारे में भी कहा। कृष्णा जल यहां नहीं लाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि इसका उपयोग रायलसीमा में किया जाना चाहिए।

श्री नवल किशोर शर्मा : ऐसा मत सोचिये कि मुझे केवल राजस्थान की बात करनी चाहिए। मैं संसद में सारे भारत का प्रतिनिधित्व करता हूं।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : सूखे की दशाओं का सामना करने के लिये व्यय किये जाने हेतु कुछ सीमान्त धन राशि उपलब्ध हैं। 7.74 करोड़ रुपये इस प्रकार की सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये राजस्थान सरकार के पास उपलब्ध हैं। केन्द्रीय दल से हमारा प्रतिवेदन जैसे ही मिलता है तो हम वे सभी कार्यवाही करेंगे जो इस मामले में केन्द्र कर सकता है।

श्री नवल किशोर शर्मा : मैंने सोचा कि श्री स्वामी नाथन थोड़ा उदार रहने का प्रयास करेंगे क्योंकि वे उस राज्य से आये हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश मैं समझता हूं वे अपने सिर पर कोई जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहां वरिष्ट मन्त्री महोदय नहीं हैं और इसलिये वे उत्तर नहीं दे सकते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि थोडे दिनों में एक समिति वहां जा रही है। सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित हुई।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 5 मिनट पर पुनः समवेत हुई।
(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम हुआ है कि मन्त्री महोदय पहले ही उत्तर दे चुके हैं। परन्तु शायद एक या दो प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री नवल किशोर शर्मा : मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया परन्तु बहुत से प्रश्न बिना उत्तर के छूट गये थे। इसलिये मैं समझता हूं कि वे उनका उत्तर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : यदि कुछ मुख्य प्रश्न छूट गये हैं तो वे उनका उत्तन दें।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : सबसे पहले मैं श्री शर्मा को बताना चाहता हूं कि 17 ता० को मेरे साथी द्वारा कुछ सदस्यों को दिया गया। उत्तर सही था कि राजस्थान सरकार से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ था। अब मैंने कार्यालय से चैक किया और मालूम हुआ कि राजस्थान से ज्ञापन केवल 18 ता० को प्राप्त हुआ था। और 15 तारीख को नहीं जैसा कि मैंने सुबह कहा। केवल 18 तारीख को प्राप्त हुआ था। इसलिये संशोधन नोट कर लिया जाए।

कृष्णा जल के सम्बन्ध में भी जिसका उल्लेख माननीय मन्त्री महोदय ने किया कि आन्ध्र प्रदेश के रायला सीमा क्षेत्र की 77,000 हेक्टेयर भूमि श्री सेलम राइट बैंक नहर परियोजना के पूरा हो जाने पर कृषि के अधीन लाई जानी है। यह केन्द्रीय जल आयोग की तकनीकी जांच के अधीन है और यह अति शीघ्र पूरी हो जायेगी। यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार इस बात पर बड़ी उत्सुक है कि कृष्णा जल रायलसीमा क्षेत्र को भी दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस परियोजना को शामिल नहीं किया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री नवल किशोर शर्मा : राजस्थान नहर के लिये पानी छोड़ने के बारे में क्या बात है। जबकि राजस्थान नहर डीजल, गेहूं तथा विद्युत की विशेष सप्लाई के साथ एक राष्ट्रीय परियोजना बनाई जा रही है। इस सम्बन्ध में आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : इस सम्बन्ध में सरकार बड़ी उत्सुक हैं और वह राजस्थान नहर परियोजना पर ध्यान देगी। यह अति शीघ्र किया जाएगा तथा मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि कार्य अति शीघ्र कर दिये जायेंगे।

सभापति महोदय : सरकार मामले पर गम्भीरता से तथा सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

एक माननीय सदस्य : और ईमानदारी से।

श्री सभापति महोदय : यदि सरकार इस मामले में गम्भीर है तो निसन्देह ईमानदार भी है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय की ओर से कथन एक निर्देश है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय काफी जिम्मेवार है और उनके आश्वासन पर अध्यक्ष के कथनों, अध्यक्ष की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, राजस्थान में जो अकाल की विषमता है वह मन्त्री महोदय ने जो बयान दिया है उस से भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। राजस्थान में अकाल तीन साल से पड़ रहा है और हमारे बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में जिनका कि मैं प्रतिनिधि हूं वहां तो चार साल से लगातार अकाल पड़ रहा है। प्रांतों के हिसाब से यदि सब से भयंकर सूखे की स्थिति कहीं है तो वह राजस्थान में है और जिलों के हिसाब से बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में सब से भयंकर सूखे की स्थिति है। इसकी जानकारी देकर मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा।

राजस्थान में, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के जिलों में 14 से 16 आने तक, 80 परसेंट से 100 परसेन्ट तक क्राप, फसल नष्ट हो गई है और वहां पीने के पानी का भी भयंकर संकट उपस्थित है। चारे और घास दोनों का भयंकर संकट है। वहां क्राप के हिसाब से, चारे के हिसाब से अकाल है। यह अकाल वहां इस शताब्दी का सबसे भयंकर अकाल है। और पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्रों में तो यह और भी भयंकर अकाल है। मेरे हिसाब से पहले के अकालों के समय में इतनी मंहगाई नहीं थी और आज की मंहगाई के कारण ही वहां इतनी विषमता बढ़ गयी है। राजस्थान सरकार की ऐसी स्थिति नहीं है कि वह इसका सामना कर सके और लोगों को पूरी राहत पहुंचा सके। इसलिए हमने ज्ञापन प्रस्तुत करके जो मांग की है वह राशि राज्य सरकार को दे दी जाए।

यहां पर स्टडी टीम के बारे में प्रश्न किया गया था। 14 नवम्बर को हमारी राजस्थान

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

गवर्नमेंन्ट ने मेमोरेण्डम लिख कर दिया है। यह तो राजस्थान सरकार की फेल्योर हुई कि उसने इतनी देर से आपको ज्ञापन दिया। मैं चाहता हूं कि आप स्टडी टीम के राजस्थान जाने के बारे में निश्चित तारीख बतायें कि वह कब वहां जा रही है ?

दूसरी बात में यह जानना चाहता हूं कि स्टडी टीम जो आती है उसके अन्दर जनता का कोई भी प्रतिनिधि नहीं होता, कोई एम० पी० या एम० एल० ए० नहीं होता। कोई भी गैर सरकारी व्यक्ति उसमें नहीं होता है। इन स्टडी टीम के लोगों को वहां की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, वहां की स्थिति से वे बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं। वहां जाकर वे स्थानीय आफिसर्स से कंसल्ट करते हैं। किसी भी एम० पी० या एम० एल० ए० से कंसल्ट नहीं करते। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय विश्वास दिलायेंगे कि जो स्टडी टीम वहां जाएगी उसका टूर कार्यक्रम एम० पी० को भेजा जाएगा, एम० एल० एज० को भेजा जाएगा ? जो वहां के एम० पी० और एम० एल० एज० हैं वे भी उसमें सम्मिलित हों और उनकी राय ले कर ही स्टडी टीम अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, उसके बिना स्टडी टीम अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत न करे। नहीं तो क्या होता है कि हमें प्रधानमन्त्री जी से, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से प्रार्थना करनी पड़ती है, आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है।

इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आप स्पष्टीकरण करें।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो वेजेज दिए जाते हैं, राजस्थान में या अन्य प्रांतों में, वे आज की मंहगाई को देखते हुए बहुत कम हैं। इसलिए उन्हें मिनिमम वेजेज मिलनी चाहिए केन्द्र सरकार इसकी गारन्टी दे और राज्य सरकारों को बाध्य करे कि जब उनको इतनी राशि देते हैं तब वे मिनिमम वेजेज पे क्यों नहीं करती ? होता यह है कि जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी मजदूरी में से 50 प्रतिशत, 70 प्रतिशत और कई बार 80 प्रतिशत तक डिडक्शंस कर लिए जाते हैं जिससे उनको एक, डेढ़ रुपया मजदूरी ही मिल पाती है। इस कारण उनमें बड़ा भारी असन्तोष व्याप्त है।

डिडक्शन्स के कारण क्या हैं। एक नार्म फिक्स होता है कि इतना कार्य करना चाहिए परन्तु गवर्नमेंन्ट की पर्याप्त मशीनरी जो लगनी चाहिए वह नहीं लगती, धूप की व्यवस्था नहीं होती, मेडिसन्स की व्यवस्था नहीं होती, जो इम्प्लीमेन्ट्स दिए जाने चाहिए, उनकी व्यवस्था नहीं होती जिसके कारण ये डिडक्शंस होते हैं।

शासकीय कर्मचारी चाहे दो घन्टे काम करे तब भी उसको पूरी सेलरी मिलती है, लेकिन बेचारा मजदूर गर्मी के दिनों में धूप में सारा दिन काम करता है लेकिन उसको पूरी मजदूरी नहीं दी जाती तब वह रोता चिल्लाता हमारे सामने आता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सभी राज्य सरकारों को बाध्य करें कि वे मिनिमम वेजेज पे करें। इस प्रकार मजदूरी न दें कि भूखों मरने की नौबत आ जाए। यदि आप इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करेंगे तो बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, और जालौर इत्यादि जिलों में लोग भूखों मरने की स्थिति में आ जाएंगे। पशु तो मरेंगे ही स्थिति इतनी भयंकर है कि उससे बचा नहीं जा सकता।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के पशु हैं, विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर जिले का पशुधन बहुत अच्छा है इसको बचाने के लिए जब तक राजस्थान सरकार को आप मदद नहीं देंगे तब तक उनके लिए संकट है। पशुओं के निष्क्रमण के लिए मध्यप्रदेश, गुजरात और आवश्यक हुआ तो महाराष्ट्र और यू. पी. में भिजवाने के लिए सहायता करें। अगर यह सहायता नहीं की तो ये बच नहीं सकते, क्योंकि पिछली बार इसी प्रकार हमारे तीन चौथाई पशु मारे गए थे। मैं नहीं चाहता कि यह स्थिति फिर आए। कृपया यह स्पष्ट करें कि पशुओं को बचाने के लिए दूसरे प्रांतों में निष्क्रमण के लिए केन्द्र सरकार क्या व्यवस्था करेगी ?

एक बात और है। जो पेमेंट होता है वह राज्य सरकारें समय पर नहीं करतीं। मई, जून, जुलाई 1980 का पेमेंट सितम्बर के लास्ट वीक में किया गया। 3-3 महीने बाद पेमेंट किया जाता है। मजदूरों को दो-दो महीने बाद पेमेंट किया जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्यसरकारों को बाध्य किया जाए कि जो मजदूरी करते हैं उनको समय पर मजदूरी मिलनी चाहिए। एक शासकीय कर्मचारी को जब एक तारीख को तनख्वाह मिल जाती है, एम० पी० तनख्वाह ले लेता है, एम० एल० ए० तनख्वाह ले लेता है तो गरीब मजदूर को तीन महीने तक अदायगी न की जाए, यह कैसी स्थिति है ? अतः राज्य सरकारों को बाध्य किया जाए कि 15 दिन के अन्दर उसका पेमेंट किया जाए, इसकी व्यवस्था करने की आपसे जानकारी चाहता हूं।

अकाल पीड़ित राजस्थान के क्षेत्र के लिए डैजर्ट डिवैलेपमेंट प्रोग्राम और ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम बनाए गए हैं। इन प्रोग्रामों के तहत जब से कांग्रेस सरकार आई है हमारी पूरी तरह से अवहेलना की गई है। जनता पार्टी की सरकार ने अवहेलना करनी शुरू कर दी थी और यह अवहेलना अभी भी चल रही है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी उसके अनुसार इन दोनों प्रोग्रामों के तहत राजस्थान सरकार को पूरी राशि मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली। 1971 से लेकर 1978 तक तो उसको पूरी राशि दी गई लेकिन बाद में 50:50 के आधार पर, पचास प्रतिशत कांट्रीब्यूशन स्टेट का और पचास प्रतिशत केन्द्र का, इस काम को चलाने की बात कही गई। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान इस प्रकार का अपना पचास प्रतिशत कांट्रीब्यूशन देने की स्थिति में नहीं है। इस कारण से वह इन दोनों प्रोग्रामों का लाभ नहीं उठा सकता है। इस वास्ते अकाल राहत कार्यक्रमों का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। ये बिल्कुल निष्फल हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि राशि जो इन कार्यक्रमों के लिए निर्धारित की जाती है उसको बढ़ाया जाए। आपने डैजर्ट डिवैलेपमेंट प्रोग्राम के लिए इस वर्ष आठ करोड़ की व्यवस्था की है। इस आठ करोड़ की राशि में क्या डैजर्ट डिवैलेपमेंट किया जा सकता है यह मेरी समझ में तो नहीं आया है। फारेस्ट लगाने का काम भी नहीं हो सकता है। इस वास्ते मेरी मांग है कि डैजर्ट डिवैलेपमेंट के लिए चालीस करोड़ की व्यवस्था की जाए और यह व्यवस्था सेंटर को ही करनी चाहिए। बार-बार अकाल पड़ते रहें और बार-बार हम आप से पैसा मांगते रहें, आपके सामने भीख मांगते रहें, आपके सामने चिल्लाते रहें। यह हमको अच्छा नहीं लगता है। इन दोनों प्रोग्रामों को वार फुटिंग पर लेकर और इनके लिए अधिक धन राशि का प्रावधान करके इनको हल करने की कोशिश की जानी चाहिए। प्लानिंग कमीशन में जो लोग बैठे हैं उनके सामने आप इस चीज को रखें, फाइनेन्स कमीशन में आप इसको रखें। कोशिश यह होनी चाहिए कि रेगिस्तानी जो क्षेत्र हैं

[श्री बृद्धि चन्द्र जैन]

उनका विकास जल्दी से जल्दी हो सके और वहां पर बार-बार जो सूखा पड़ता है वह न पड़े, रेगिस्तान का विस्तार न हो।

अब मैं पीने के पानी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह बहुत विकट समस्या है। हमारे यहां 804 गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी तक की बड़ी विकट समस्या है। वहां पर ट्रकों द्वारा, रेलवे की टंकियों द्वारा पानी पहुंचाया जाता है। इसमें बहुत ज्यादा खर्च आता है। पीने का पानी भी बहुत कम मिलता है। मैंने हिसाब लगाया है। एक व्यक्ति को 1.4 गैलन पानी ही मिलता है। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे कि जहां पर एक दिन में 1.4 गैलन पानी किसी को मिलता हो वहां स्नान करने की बात तो दूर रही पीने के वास्ते पानी भी पूरा नहीं होता है। पीने के पानी की वहां बहुत ही गम्भीर समस्या है। मेरा निवेदन है कि आप निर्माण और आवास मन्त्री से निवेदन करें इसके बारे में और वह इसका कुल हल निकालें। इन इलाकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। आपने दी भी है लेकिन उसके साथ-साथ आपको और भी कई इन्तजाम करने होंगे। जो समस्याप्रद ये गांव हैं उनके लिए रिग्ज, ड्रिलिंग मशीन्ज की भी अविलम्ब व्यवस्था होनी चाहिए। आपने टिगें भेजी हैं लेकिन बहुत कम भेजी है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में तो बहुत ही कम मिली हैं। ये जो रेगिस्तानी इलाके हैं इनको पूरा शेयर नहीं मिला है। आप स्पेसेफिकली राजस्थान सरकार को डायरेक्शन दें—आप उसको रुपया देते हैं मशीनें देते हैं—लेकिन साथ ही साथ डायरेक्शन भी दें कि रिग्ज को इन क्षेत्रों में जहां पीने के पानी का जबर्दस्त संकट है, जहां दस-दस और बारह-बारह मील दूर जाकर लोगों को पानी लाना पड़ता है और जो पश्चिमी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्र हैं, जो हिस्से हैं उनको वह प्राथमिकता दें।

मैं एक सुझाव दे रहा हूं कि यह जो विपदाएं हैं, जिनके लिए मार्जिनल मनी फिक्स किया गया है, राज्यों को क्लैमिटीज पर खर्च करने के लिए अधिकार दिया गया है, इसमें हमारे राजस्थान को 60वें फाइनेन्स कमीशन ने 10.90 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की राशि रिकमैंड की थी जिसको कि अब रिड्यूस करके 7-74 करोड़ कर दिया गया है। मेरा कहना यह है कि इस मार्जिनल मनी को जो सालों-साल फैमिन और फ्लड प्रोन एरिया के लिए रखा गया है, उस राशि को बढ़ाया जाए। मेरा सुझाव यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल कैलमिटी फण्ड स्थापित हो जिसका उपयोग बाढ़, अकाल, साइक्लोन तथा भूकम्प वाले क्षेत्र में किया जाए। इसमें हर स्टेट के बजट का एक या दो परसेंट शेयर लेकर और दूसरे भी किसी तरीके से सहायता लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट में इसका प्रोवीजन करके नेशनल क्लैमिटी फंड स्थापित कर सकते हैं और जब भी किसी प्रान्त में इस प्रकार की विपत्ति आए तो इस फंड से वहां के लिए राशि दी जाए ताकि उन स्टेटों को सहायता मिल सके। यह कार्य राष्ट्रीय स्तर पर करने की आवश्यकता है।

अभी जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, उससे बहुत ही अपर्याप्त राशि मिलती है जिससे कि कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए यहां पर बड़े स्तर के फंड की स्थापना करने की आवश्यकता है।

फूड फार वर्क का प्रोग्राम जो है, यह जुलाई 1980 के बाद बिल्कुल शिथिल पड़ गया है। इसमें कोई काम अब राजस्थान में चल नहीं रहा है। आपने अक्तूबर, 1980 में जो राशि इसके लिए

दी है, जो अनाज दिया है वह बहुत ही कम है, दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रोजगार कार्यक्रम को भी बढ़ाकर इसको कुछ आगे किया जाए।

राजस्थान कनाल के बारे में मेरे मित्र ने जिक्र कर दिया। हमारे यहां खरीफ की फसल अच्छी नहीं हुई और अक्तूबर-नवम्बर में बरसात भी नहीं हुई है। रबी की फसल भी बहुत कम होने की उम्मीद है।

सभापति महोदय : आप इतनी ही समस्याएं रखें जिनको कि मंत्री महोदय उठा सकें। अगर इन्हीं में मन्त्री जी दब जाएं तो मुश्किल होगा।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मैं डीजल और विद्युत के बारे में भी कहना चाहता हूं। विद्युत का हमारे यहां भयानक संकट है। आप सम्बन्धित मन्त्री से निवेदन करें कि वह अधिक से अधिक व्यवस्था राजस्थान के लिए करें जिससे रबी की फसल को हम लाभ दे सकें। यह मैं मन्त्री महोदय से जानकारी चाहता हूं।

सभापति महोदय : मंत्री जी, माननीय सदस्य ने इतनी समस्याएं आप पर रख दी हैं, आप कहीं दब न जाएं। आप धीरे-धीरे जहां तक हो डिटेल में जवाब दें जिससे लोग समझ सकें।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : मैं अपने माननीय मित्र की चिन्ता को समझता हूं। स्थिति बड़ी गम्भीर है, एक जिला भरतपुर को छोड़कर, प्राय: सारा राज्य सूखा ग्रस्त है। हम इस तथ्य से अवगत हैं, हम समस्या की गम्भीरता पर ध्यान दे चुके हैं। केवल 18 ता० को ही ज्ञापन आया है। राज्य सरकार ने वहां खर्च करने के लिए 173 करोड़ रुपए की मांग की है। किसी भी तरह से उन्हें केन्द्रीय योजना की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। वे तुरन्त कुछ कार्य शुरू कर सकते हैं क्योंकि उनके पास 7.74 करोड़ रुपये की सीमान्त धनराशि भी है जिसमें से वे कुछ छोटा कार्य शुरू कर सकते हैं।

माननीय सदस्य महोदय ने पशुओं के लिए पेय जल के बारे में भी उल्लेख किया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार इससे अवगत है। हम पेय जल पर बहुत ध्यान दे रहे हैं सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए हमारी प्रधान मंत्री महोदया के 12 सूत्री कार्यक्रम में पेय जल को अधिक महत्ता दी है। प्रधान मंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया है कि हम सभी राज्यों को विशेष रूप से सूखाग्रस्त राज्यों को यथासम्भव बोर वाले कुए खोदने के लिए साज सामान की सप्लाई करने के लिए हर प्रयास अवश्य करने चाहिए।

इसलिए हमारा ध्यान उस पर केन्द्रित है। हमारा केन्द्रीय दल अतिशीघ्र राजस्थान का दौरा करने के लिए जा रहा है। वह दल जनता के सभी लोगों से मिलेगा जब वह दल वहां दौरा करेगा। वे सभी विधायकों, राज्य के संसद सदस्यों तथा अधिकारियों से भी मिलेंगे। वे गांव वालों से भी मिलेंगे और वहां की स्थिति का अध्ययन करेंगे तथा उस आधार पर प्रतिवेदन भेजने का प्रयास करेंगे जिस पर हम राज्य की सहायता शुरू करेंगे।

सभापति महोदय : आप दल के सदस्यों को अनुदेश जारी कर रहे हो।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : मैं एक या दो बातें कह रहा हूं। माननीय सदस्य ने जो कहा है वह बहुत गम्भीर है। यह पशुओं के बारे में है। व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाने की व्यवस्था कर सकते हैं परन्तु पशु नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उस समय पर्याप्त व्यवस्था की जानी है जब हम पशुओं के मामले पर कार्यवाही करते हैं। हमारे पास उस उद्देश्य के लिए योजना है। हम जो सम्भव होगा करेंगे।

माननीय सदस्य ने गरीब लोगों को मजदूरी के भुगतान में विलम्ब के बारे में बात की। यह राज्य का विषय है। राज्य भी इस तथ्य से अवगत है। वे मामले में कार्यवाही करेंगे।

सभापति महोदय : परन्तु राज्यों को आप सहायता दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि मामला बड़ा गम्भीर है यदि मजदूरों को भुगतान देने में हफ्तों लगते है। उनका ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकर्षित किया जाए।

श्री आर० वी स्वामीनाथन : हम मामले पर कार्यवाही कर रहे हैं। मैं पहले ही विस्तृत रूप से स्पष्ट कर चुका हूं और मैंने अपने उत्तर ठीक दिए हैं। मैं समझता हूं कि सदस्य को उनसे सन्तुष्ट होना चाहिए। उन्हें इस पर अधिक चिन्ता व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। हम वह सब करेंगे जो हम राजस्थान की सहायता के लिए कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री चतुर्भुज। यहां नहीं हैं। श्री ए० टी० पाटिल।

श्री ए० टी० पाटिल (कोलाबा) : सभापति महोदय, राज्य मन्त्री महोदय ने महाराष्ट्र राज्य के सम्बन्ध में कहा है कि वहां पर सूखे की स्थिति का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। मौसम-विज्ञान की रिपोर्ट से पता चलता है कि महाराष्ट्र के किसी जिले में दक्षिण-पश्चिम मानसून से कम वर्षा नहीं हुई है। मैं मौलिक रूप से मुख्यत: महाराष्ट्र की परिस्थितियों के बारे में तथा उसके पश्चात् विभिन्न राज्यों की सामान्य स्थिति के बारे में चर्चा करूंगा।

जहां तक महाराष्ट्र की परिस्थितियों का संबंध है सरकारी सूत्रों से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि वहां पर जुलाई, 1980 में लम्बे सूखे के दौरे के कारण तथा सितम्बर 1980 के अन्तिम सप्ताह में मानसून के आकस्मिक चले जाने के कारण खरीफ की फसलों तथा बोई गई रबी की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अक्तूबर, 1980 में वहां पर बरसात नहीं हुई है। कुछ इलाकों में रबी की फसलों को बोने में देरी हुई है। विभिन्न राज्यों में फसलों को होने वाले नुकसान के बारे में प्राप्त प्रारम्भिक आंकड़ों के अनुसार सरकारी सूत्रों का कहना है कि जहां तक स्थानीय ज्वार का सम्बन्ध है इस फसल को 20% से 60 % तक की हानि होगी। यह स्थिति स्थान के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती है। प्रत्येक राज्य में इन दोनों सीमाओं की भिन्नता 20% से 60% तक और 15% से 50% तक है। देर से बोई गई कपास की किस्म को 30% से 60% तक की हानि होगी। मूंगफली के सम्बन्ध में यह 25% से 60% तक है। प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार समग्र रूप से यह अनुमान है कि कुल उत्पादन में 30% से

55% की हानि होगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार पांच जिलों को छोड़कर जिनमें से तीन जिल्ले अर्थात् रत्नागिरि, चन्द्रपुर, तथा भण्डारा जो कि चावल अथवा धान का उत्पादन करते हैं, बल्कि सभी जिले जो कि 25 जिलों में से 20 जिले हैं या तो आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः प्रभावित हैं। यद्यपि भारत सरकार के पास इसकी रिपोर्ट नहीं आई है, तो मुझे इसके लिए खेद है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए अपने तंत्र में सुधार किया है, और अपने विभिन्न विभागों अर्थात् ऊर्जा विभाग, सिंचाई विभाग तथा वन विभाग से अपने संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए अनुदेश जारी किये हैं।

25 अक्तूबर, 1980 को ई० जी० एस० में उपस्थिति 3,06,214 थी लेकिन इसकी मांग बढ़ रही है। 15 लाख कर्मकारों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने 15 लाख कर्मकारों के लिए कार्य रखा है। पर अभी भी ई० जी० एस० पर कर्मकारों की और अतिरिक्त मांग हो सकती है। और उसको पूरा किया जायेगा। यह प्राथमिक रिपोर्ट है। उनका कहना है कि विस्तृत जांच की जा रही है और एक सप्ताह के अन्दर रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी और इसको भारत सरकार को भेज दिया जायेगा।

महोदय, माननीय मंत्री महोदय की इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सूखे की स्थिति के बारे में कोई सूचना नहीं भेजी है और मौसम विज्ञान ने यह रिपोर्ट दी है कि महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां पर सामान्य से कम वर्षा हुई हो, मैं यह कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र राज्य में 10 प्रतिशत से 11 प्रतिशत तक सिंचित क्षेत्र है। इसका मतलब यह है कि भूमि का 90 प्रतिशत भाग सूखी फसल वाला क्षेत्र और सामान्य वर्षा सन्तोषजनक नहीं है। मौसम विज्ञान विभाग की इस बात को मानते हुए कि वर्षा सामान्य रूप से हुई थी, मैं यह कहना चाहता हूं कि सामान्य वर्षा से वहां की मांग पूरी नहीं हो सकती है। इसके लिए वहां पर लगातार वर्षा होनी चाहिए। यदि जुलाई, सितम्बर और अक्तूबर में वर्षा नहीं होती है तो देर से बोयी जाने वाली खरीफ फसलों का होना मुश्किल है।

महोदय, जहां तक चावल उत्पादन करने वाले क्षेत्रों का सम्बन्ध है, इसके बारे में मैं तीन तटीय जिलों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यद्यपि वहां पर सामान्य वर्षा हो सकती है फिर भी वहां पर नमी बनाए रखने की क्षमता बहुत ही कम है। इसका परिणाम यह होता है कि यदि वहां पर कुछ समय के लिए वर्षा नहीं होती है तो इसका फसल पर तुरन्त प्रभाव पड़ता है।

महोदय, प्राथमिक सर्वेक्षण करने पर सम्बन्धित अधिकारियों ने 25% से 30% की हानि होने का अनुमान लगाया है। जबकि वास्तविक सर्वेक्षण करने पर यह और भी अधिक हो सकती है। हम कामना करते हैं कि यह अधिक न हो लेकिन स्थिति यह है कि जब कटाई की जाएगी तो वास्तविक परिणाम भयानक होंगे। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र का दौरा करने के लिए कोई केन्द्रीय दल भेजने का विचार रखती है। यह मेरा पहला प्रश्न तथा निवेदन है।

सभापति महोदय : क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोई दल भेजने के लिए कहा है या यह आपका व्यक्तिगत सुझाव है ?

श्री ए० टी० पाटिल : जहां तक सरकारी सूत्रों का सम्बन्ध है वास्तव में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि राज्य सरकार ने भारत सरकार से कोई निवेदन किया है अथवा नहीं।

मेरे पास जो सरकारी जानकारी उपलब्ध है एवं मैंने जो जानकारी सभा को दी है उस पर ध्यान देते हुए मेरी यही मांग है। महाराष्ट्र में विद्यमान स्थिति को देखते हुए मेरा सरकार से निवेदन है कि वह वहां पर डाक अध्ययन दल भेजे। वे लोग महाराष्ट्र राज्य में संबद्ध स्थानों में जाये तथा उनका सर्वेक्षण करें तथा सही दिशा में निर्णय लें। इस बारे में मेरा यही सविनय निवेदन है।

जहां तक परिस्थिति के अन्य पहलुओं का प्रश्न है उन्हें अनाज के रूप में, नकद सहायता एवं अल्पकालीन ऋणों के रूप में सहायता करनी चाहिए। भारत सरकार चार राज्यों के बारे में यही उपाय बरत रही है। महाराष्ट्र सहित कुछ अन्य राज्य भी हैं जोकि उन चार राज्यों से भिन्न है जिन्हें बाढ़ से प्रभावित माना गया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इन तीन दिशाओं में अपने प्रयत्न जारी रखे, अर्थात् कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्ति अनाज भेजें, रोजगार की गारन्टी की योजना तथा नकद सहायता एवं अल्पकालीन ऋण दे, ताकि सूखा ग्रस्त लोगों की मांगें पूरी की जा सकें। सरकार के लिए आवश्यक है कि वह महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों में वर्तमान हालात के कारण ये प्रयत्न जारी रखे। जहां तक अभाव संबंधी कार्यों का सम्बन्ध है इन सभी दिशाओं में सहायता की जानी चाहिए। जहां तक पानी की सप्लाई का सम्बन्ध है उसकी रबी की फसल के लिए तुरन्त आवश्यकता है। इसके लिए कृषकों को बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसी प्रकार किसानों को हाई स्पीड डीजल की उपलब्धि भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। परकोलेशन टैंकों का कार्य हाथ में लिया जाना चाहिए तथा भूमिगत पानी के स्रोतों की और खोज की जानी चाहिए। जहां भी संभव हो सिंचाई योग्य पानी को सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में भेजा जाना चाहिए। यह दूसरा पहलू है जिस पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए।

तीसरा तथा महत्वपूर्ण पहलू है पीने के पानी के बारे में। डीजल की कमी के कारण महाराष्ट्र सरकार ने अनुदेश जारी किये हैं कि हाई स्पीड डीजल कोयले की कमी के कारण पीने के पानी के टैंकरों के स्थान पर बैलगाड़ियां उपयोग में लायी जायें। महाराष्ट्र सरकार ने यह भी अनुदेश दिये हैं कि जहां भी संभव हो अस्थाई पाईप लाईन बिछाई जाये। भारत सरकार को इस कार्य में पूरी सहायता देनी चाहिए।

इसके बाद में पशुओं के चारे की समस्या को लेता हूं। महाराष्ट्र सरकार ने वन-विभाग में घास के मैदानों से घास लेकर उसे पशुओं के लिए उपलब्ध किये जाने के अनुदेश दिये हैं। ऐसे किसानों को जो एक ही फसल अर्थात् खरीफ की फसल ले पाते हैं, सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह सहायता न केवल मार्च, 1981 तक अपितु उसके बाद भी सितम्बर-अक्तूबर, 1981 तक जारी रहनी चाहिए। भारत सरकार को इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिए।

मैं इस बारे में निम्न प्रश्न मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार महाराष्ट्र में अध्ययन दल भेज रहा है ?

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार इन तीन महत्वपूर्ण मामलों में, अर्थात् अनाज की सप्लाई, नकद सहायता और अल्पकालीन ऋणों के बारे में निदेश देगी ?

मैं जानना चाहता हूं क्या भारत सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि महाराष्ट्र राज्य को यह सहायता 1981 की खरीफ की फसल अर्थात् सितम्बर, अक्तूबर, 1981 तक उपलब्ध की जायेगी ?

इसके अलावा भारत सरकार को पशुओं के लिए चारे, पीने का पानी, उर्वरक, 1980-81 की रबर की फसल के लिए पानी इत्यादि ये सभी सुविधाएं किसानों को तुरन्त उपलब्ध करानी चाहिए।

श्री आर० वी० स्वामीनायन : श्रीमान, माननीय सदस्य अत्यन्त आतुर हैं कि एक अध्ययन दल महाराष्ट्र भेजा जाए। हम क्या कार्यवाही कर सकते हैं जबकि हमें महाराष्ट्र सरकार से अभी तक भी सूखे के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। राज्य सरकार से अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। यदि राज्य सरकार वर्तमान स्थिति के बारे में रिपोर्ट भेजती है तो केन्द्र मामले पर विचार कर सकता है। सरकार कार्यवाही करने को तैयार है।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे कि सभापति महोदय ने उनकी कठिनाई को समझा है।

श्री आर० वी० स्वामी नाथन : मेरा यह भी निवेदन है कि राज्य सरकार के पास कुछ धन-राशि उपलब्ध है जिसे प्राथमिक कार्यों के लिए व्यय किये जाने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती। मैं एक बार फिर माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार सभी सम्भव कार्यवाही करेगी। इस बारे में मैं सभा के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जहां तक कृषि उत्पादन का सम्बन्ध है हमारी स्थिति बेहतर है। मुझे सभा को यह बताने में खुशी है कि जहां तक खरीफ की फसल का प्रश्न है हम इस वर्ष अपने लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। हमने 8 करोड़ टन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। 1978-79 में 18.1 करोड़ टन के उत्पादन में से 7.8 करोड़ खरीफ फसल का था। अब हमारा उत्पादन उससे बढ़ गया है। जहां तक उक्त रबी की फसल का सम्बन्ध है उसमें हमें कुछ कठिनाई हुई है। परन्तु मुझे उम्मीद है कि प्रभु की कृपा से हम लक्ष्य प्राप्त कर पायेंगे तथा 13 करोड़ 50 लाख टन का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा।

सभापति महोदय : अब संसदीय कार्य मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

सभा का कार्य

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नरायण सिंह) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 24 नवम्बर, 1980 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्न-लिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. 1980-81 के लिए असम बजट पर सामान्य चर्चा;

   1980-81 के लिए अनुदानों की मांगों (असम) पर चर्चा और मतदान तथा असम विनियोग विधेयक, 1980 पर विचार और पारित करना।

2. आज की कार्यसूची के बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

3. कर्ण पटह तथा करणास्थि (चिकित्सीय कार्यों के उपयोग के लिए प्राधिकार) विधेयक, 1980 पर विचार तथा पारित करना।

4. निम्नलिखित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्पों तथा उनका स्थान लेने वाले विधेयकों पर साथ-साथ चर्चा तथा पारित करना :—

(1) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अध्यादेश, 1980

(2) ओरोविले (आपात उपबन्ध) अध्यादेश, 1980

(3) दि बर्ड एन्ड कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों तथा अन्य सम्पत्तियों का अर्जन तथा अन्तरण) अध्यादेश, 1980

5. सरकारी स्थान (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 1980 पर विचार तथा पारित करना।

6. चीनी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में हो रही लगातार वृद्धि के बारे में प्रो० मधु दंडवते और श्री बी० वी० देसाई के प्रस्तावों पर मंगलवार, 25 नवम्बर, 1980 को अपराह्न 2-00 बजे चर्चा।

सभापति महोदय : मेरा सदस्यों से निवेदन है कि अगले सप्ताह की कार्यवाही के बारे में अपनी बात संक्षेप में कहें, क्योंकि मेरे पास नौ सदस्यों के नाम हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं सरकार से एक बार फिर आग्रह करना चाहता हूं कि देश में साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा की जाये। सरकार ने पुनः हमें निराश किया है अगले सप्ताह का पूरा कार्यक्रम हमारे समक्ष है परन्तु सरकार ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए समय नहीं निकाल पाई है। मैं एक बार फिर इस मामले पर चर्चा का आग्रह करता हूं उस विकट परिस्थिति के विवरण तथा वहां की जाने वाली कार्यवाही का उल्लेख किये बिना कि उसकी शीघ्र चर्चा की जाये। मैं नहीं जानता सरकार इस विशेष मामले पर शीघ्र चर्चा करने में संकोच नहीं करती है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक आयोग का 31 दिसम्बर 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष के प्रथम प्रतिवेदन पर चर्चा की जाये। दो वर्ष व्यतीत हो गये परन्तु अभी उस पर चर्चा नहीं हुई है उक्त मूल्यवान प्रतिवेदन में वर्तमान परिस्थिति के लिए बहुत से महत्वपूर्ण, अति संगत तथा सामाजिक सुझाव निहित हैं। देश अल्प में संख्यकों के प्रति केवल मौखिक सहानुभूति ही व्यक्त की है कि खेद की बात है कि सरकार इन प्रतिवेदनों पर चर्चा भी नहीं करना चाहती।

सभापति महोदय : यह कब प्रस्तुत हुई थी।

श्री जी० एम० बनातवाला : यह सभा पटल पर रखी गई है।

श्रीमान, आपको यह जानकर दुःख होगा कि भषायी अल्प संख्यक आयुक्त के—[illegible] नहीं—पिछले दस वर्षों के प्रतिवेदनों पर चर्चा नहीं हुई। वे एक-एक करके सभा पटल पर रखे गये थे परन्तु उनपर सभा में चर्चा नहीं हुई। स्थति क्या है? साम्प्रदायिक स्थिति एवं अल्प संख्यक आयोग के प्रतिवेदनों पर चर्चा करने के लिए कोई समय नहीं है; लगभग दस वर्ष तक भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदनों पर चर्चा नहीं की गई। इस विषम परिस्थिति को हमें गम्भीरता से लेना चाहिए जिसमें कि वर्तमान सरकार तथा भूतपूर्व जनता सरकार कार्य करती रही। बार-बार सभा में यह मामला उठाना चाहा परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ। मैं सरकार से पुनः अनुरोध करता हूं कि इन प्रतिवेदनों पर चर्चा के लिए समय निकाला जाये।

अन्त में महाराष्ट्र के किसान बुरी तरह आन्दोलित हैं। उनका संघर्ष हिंसक रूप ले चुका है। उनकी मांगों पर चर्चा की जाने की आवश्यकता है। ऐसा पता चला है कि महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से लेवी की चीनी की कीमतें बढ़ाने की प्रार्थना की है। फिर, समाचार पत्रों में समाचार है कि हमारे कृषि मंत्री महोदय ने कांग्रेस (इ) के संसद सदस्यों को निजी रूप में यह आश्वासन दिया है कि चीनी, प्याज और कपास के खरीद-मूल्य में वृद्धि की जायेगी। इसकी क्या स्थिति है? फिर कम से कम इस बारे में इस सदन में तुरंत एक वक्तव्य दिया जाना चाहिए जिससे कि हम मामले की असल स्थिति को जान सकें।

अतः, मैं चाहता हूं कि इस मामले-विशेष पर सरकार तुरन्त एक वक्तव्य दे।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : हमारे देश में 20, 27 और 30 अक्तूबर को जबर्दस्त रेल दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें कई सौ लोगों का मरने का समाचार है। यह इतना बड़ा सवाल है कि इसको अध्यक्ष जी ने भी स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर लिया था। लेकिन उस पर अभी तक डिसकशन का भी कहीं अन्दाज नहीं लग रहा है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इन रेल दुर्घटनाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। आज भी गाड़ियां समय पर नहीं चलती हैं। आप तो सभापति जी स्वयं जानते हैं कि जब हम साथ-साथ एक बार आ रहे थे तो हमारी गाड़ी साढ़े तीन घंटे लेट आई।

सभापति महोदय : चूंकि आप साथ थे इसलिए शायद लेट हुई।

श्री रामावतार शास्त्री : यह हो सकता है। लेकिन गाड़ी का लेट होना सही नहीं है। इसलिए इन बातों पर सदन में विचार करने के लिए अगले सप्ताह समय निकाला जाना चाहिये। ऐसा हुआ तो हम बता सकेंगे कि ऐसी बातें क्यों हो रही हैं, इनके निदान का रास्ता क्या हो सकता।

सभापति महोदय, हम सब लोग टेलीफोन रखते हैं। यहां पर भी रखते हैं, अपने घरों में भी रखते है। दिल्ली में भी लाखों टेलीफोन हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई टेलीफोन ठीक से काम कर रहा है। अगर पटना करते हैं तो वहां की लाइन नहीं मिलती है, अगर मन्त्री जी को करते हैं तो उनकी लाइन नहीं मिलती है। कल शाम से मेरा टेलीफोन चुपचाप पागल हो गया है, चुप है। टेलीफोन की अराजक स्थिति पर भी विचार के लिए समय निकाला जाना चाहिये। रेल मन्त्री जी ने तो तरह-तरह के स्टेप्स लेने की घोषणा की है लेकिन हमारे स्टीफन साहब कान में तेल डालकर और चादर तान कर सोये हुए हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। यह केवल दिल्ली, पटना, बम्बई,

[श्री रामावतार शास्त्री]

कलकत्ता का ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है । इस पर भी सदन में गम्भीरता के साथ विचार होना चाहिए ।

भारत के विश्वविद्यालयों के कर्मचारी बहुत ही असन्तुष्ट हैं । आल इण्डिया यूनिवर्सिटी एम्पलायीज कनफैड्रेशन ने चार-पांच दिन पहले यहां प्रदर्शन किया था । वे पूरे देश में आन्दोलन कर रहे हैं । दिल्ली के नान टीचिंग एम्प्लायीज और दिल्ली की यूनिवर्सिटी के अध्यापकों ने मिलकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल की है । उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार के कान पर जूं नहीं रेगी तो फिर और कोई कदम उठाने के लिए उनको मजबूर होना पड़ेगा । इस सवाल पर भी सदन में विचार होना चाहिए ताकि हमारे देश में जो हजारों कर्मचारी फैले हुए हैं उनको सन्तोष हो सके कि संसद ने इस सवाल पर विचार किया है ।

हमारे बिहार में एक सिंहभूम जिला है । वहां पर आठ सितम्बर को आदिवासियों पर गोली चली थी । आदिवासी जंगल के सवाल को लेकर आन्दोलन कर रहे थे और उन पर गोली वर्षा हुई थी । हमारे बिहार में गुआ एक स्थान है जहां लोहे की खदान है । वहां मजदूरों पर गोली चार्ज की गई है । इससे 11 आदिवासी मारे गये हैं । 11 का तो सरकारी दावा है, मेरा ख्याल है मारे गये होंगे इससे ज्यादा ।

बिहार में यह आम बात है कि हरिजनों को कत्ल कर दिया जाता है । अभी कुछ दिन पहले नालन्दा जिले के महतो चक गांव में 4 हरिजनों की निर्मम हत्या कर दी गई । यह स्थिति आज भी चल रही है । हम चाहेंगे कि आदिवासी या हरिजनों की हत्या का जो सवाल है, गृह-मन्त्री जी यहां मौजूद हैं, वह सुन रहे हैं, तो इन सवालों पर यहां विचार होना चाहिये ताकि हम यह समझ सकें कि सरकार ने इस दिशा में कोई कदम उठाया है और पिछले सत्र के मुकाबले में अब इस स्थिति में सुधार हुआ है । इन बातों पर इस सदन में विचार किया जाना चाहिए और अगर किसी वजह से विचार सम्भव न हो तो सदन में वक्तव्य तो जरूर दिया जाना चाहिए ताकि हम यह सब समझ सकें ।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : सभापति जी मेरा भी सुझाव है कि अगले सप्ताह के लिए जो कार्य-सूची पेश की गई है, उसमें निम्नलिखित विषयों को भी जोड़ा जाये ।

पहला विषय जो मैं जुड़वाना चाहता हूं, वह यह है कि देश के अन्दर शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों की दशा दिनों-दिन खराब होती जा रही है और उनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी होती जा रही है । यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है और इस पर अगर विचार नहीं किया गया तो देश में जो स्थिति पैदा होती जा रही है इससे बड़ा विद्रोह होगा और वह इतना बड़ा होगा जिसमें मौजूदा सरकार का टिक सकना संभव नहीं होगा । इसलिए मैं चाहता हूं कि इनकी बेरोजगारी की स्थिति कैसे हल की जाये, इस पर ठोस कदम उठाने के प्रश्न को एजन्डे में जोड़ा जाये ।

दूसरा प्रश्न किसानों को उनकी पैदावार का लाभकारी मूल्य दिलाने का है । अभी एक माननीय सदस्य ने चर्चा की कि देश के कई राज्यों में किसान अपनी पैदावार के लाभकारी मूल्य के लिए उठ खड़े हुये हैं । आन्ध्र की बात आप जानते हैं, महाराष्ट्र और यू० पी० में भी आन्दोलन हुआ और

मुल्क के कई राज्यों में किसान इस बात की आज से नहीं, बहुत पहले से मांग कर रहे हैं कि पूंजीपति इस देश में बराबर उनका शोषण करते हैं उनकी पैदावार का मूल्य कम देकर और उन्हें बाकी सामान मंहगी कीमतों पर खरीदना पड़ता है।

मेरी यह सलाह और अनुरोध है कि सरकार इस सवाल को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में जोड़कर इस पर विचार करे और इस बात की गारन्टी की जाए कि देश के किसानों को, जो कि देश को अन्न खिला रहे हैं, पूरी सहूलियतें मिलेंगी।

श्री अराक्कल जेवियर (एरनाकुलम) : जब सदन में इस विषय पर कार्यवाही चल रही हो तो क्या उसका निरादर करने हेतु कोई सदस्य सभा में समाचार पत्र पढ़कर सुना सकता है?

श्री ए० नीलालोहियादसन (त्रिवेन्द्रम) : प्रतिदिन अधिकांश राज्यों और केन्द्र दोनों में ही सत्ताधारी दल के कुकर्मों के कारण कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं समाचार-पत्रों में उदघाटित हो रही हैं। कल ही तो मेहसाना में दो आदमी गोली से उड़ाये गए हैं। हम सुबह से ही उस मामले को उठा रहे हैं।

सभापति महोदय : यदि आपने इसे पढ़ भी लिया है तो और ध्यान से पढ़िये। (व्यवधान)

श्री ए० नीलालोहियादसन : कल ही तो दो आदमी मारे गये हैं।

सभापति महोदय : आप माननीय सदस्य की टिप्पणियां और सुझावों को सुन ही नहीं रहे हैं। आपका काम तो मुख्य रूप से विचार-विमर्श को सुनना और उसमें योगदान देना है।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : उन्हें इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि इस विषय विचार-विमर्श क्यों नहीं हुआ।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : तीसरा विषय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में है।

जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम, का सम्बन्ध है, सरकार उसके बारे में लगातार वादे कर रही है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि यह प्रणाली लगभग फेल हो चुकी है। सरकार ने जिन दुकानों को खोला है, वहां पर लोगों को आवश्यक वस्तुएं नहीं मिल पाती हैं। इस लिए यह जरूरी है कि सरकार तमाम आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार को अपने हाथ में ले, ताकि जनता को परेशानी से छुटकारा दिलाया जा सके। मैं चाहता हूं कि इस विषय को अगले सप्ताह के कार्य में जोड़ा जाए।

देश में लाखों बीड़ी मजदूर हैं, जिन्हें मुख्तलिफ सूबों में विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। उन्हें समान वेतन भी नहीं मिलता है। इसलिए अगले सप्ताह के कार्यक्रम में इस विषय को शामिल किया जाए कि तमाम बीड़ी मजदूरों के लिए अखिल-भारतीय पैमाने पर समान मजदूरी तय की जाए, सरकार उन्हें कम से कम साढ़े दस रुपये प्रति हजार की मजदूरी दिलाने की गारन्टी करे और उन्हें सेवा-कार्ड दिया जाए।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की ओर सभा का ध्यान आकर्षित

[श्री चित्त बसु]

करना चाहता हूं जिसकी पिछले कुछ वर्षों से उपेक्षा की जा रही है, नामश: भूमि सुधार। निस्सन्देह, योजना दस्तावेजों और मंत्री महोदय के भाषणों में प्राय: इसका जिक्र होता है, परन्तु जैसा कि आप जानते हैं देशभर में भूमि-सुधारों को लागू करने की गति बड़ी धीमी है। उनको प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने के लिए सरकार ने प्रभावकारी कदम नहीं उठाए हैं। यह केवल लागू न करने का ही प्रश्न नहीं है, यह तो कुछ सरकारों द्वारा भूमि वितरण की प्रक्रिया में रोड़े अटकाने का भी प्रश्न है। मैं यह बात कहता हूं कि हजारों ही खेतीहर मजदूरों, भूमि-विहीन किसानों और भूमि हीन गरीबों ने बौद्ध गया में भूमि की जुताई की है जिस पर महन्त और मठ अवैध समय से जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। बिहार सरकार ने एक सरकारी समिति का गठन किया था और उसने इस वर्ष 8 अक्तूबर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। समिति भी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि बौद्ध गया में भूमि के एक बड़े खण्ड पर महंत और मठ ने अवैध कब्जा किया है, लगभग 10,000 एकड़ भूमि पर। उसने इस सारी भूमि पर कुछ जाली तबादलों, द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है इस प्रकार समस्त भूमि वितरण प्रक्रिया को विफल किया जा रहा है। इससे भी कहीं अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि आज बिहार सरकार ने उस क्षेत्र में पुलिस भेज दी है जहां पर गत वर्ष भूमिहीन किसानों ने सामूहिक रूप से खेती की थी, जिससे कि वे किसान अपनी फसल न काट सकें। मेरे पास ऐसी भी रिपोर्ट आई है कि पुलिस की सहायता से अधपकी फसल तक को काटने के प्रयास में महन्त और मठ को बिहार सरकार सहायता, समर्थन प्रदान कर रही है। वहां बड़ा ही आक्रोश व्याप्त है। यह केवल विधि एवं व्यवस्था तथा आक्रोश का ही प्रश्न नहीं है यह तो राज्य सरकार द्वारा उस महन्त और मठ को भी समर्थन देने का प्रश्न है जिसने उन भूमि-हीन किसानों को बेदखल करने के लिए भूमि पर अवैधरूप से कब्जा जमा लिया है। उन्होंने खून-पसीना बहाकर उस भूमि की जुताई की और इस प्रकार उन्हें उनकी वैध फसलों को काटने से रोका जा रहा है।

मेरे विचार से सभा को इस बात पर ध्यान देकर इसे चर्चा का विषय बनाना चाहिये। जैसाकि सदन जानता है मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि जिस समुदाय में अनिश्चितता, आंतक और अभित्रास व्याप्त है। महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि गत 3 अक्तूबर को श्री नव किशोर महापात्र के साथ मार-पीट की गई और प्रशासन, सत्ताधारी दल, डाकुओं और गुण्डों की मिली भगत से उनको सताया गया। उनकी पत्नी की हत्या की गई और केवल हत्या ही नहीं मारने से पहले उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया और यह हम सबके लिए कलंक की बात है कि एक पत्रकार की पत्नी के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाए। (व्यवधान)

'प्रत्येक व्यक्ति' से आशय है कि देश का 'प्रत्येक नागरिक'। यह एक ऐसी घटना है जो बड़ी ही करुणाजनक और दुःखद है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसका जिक्र कर चुके हैं।

श्री चित्त बसु : उड़ीसा सरकार यह प्रयत्न कर रही है कि सभी साक्ष्य समाप्त कर दिये जाएं और वे पत्रकार श्री नव किशोर से दबाव डालकर, मजबूर करके वक्तव्य दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका अपहरण किया गया और यह आरोप है कि प्रेस वाले उनसे मिल नहीं सके, जिससे कि वे

न्यायालय में कोई वक्तव्य न दे सकें। ऐसा मामला नहीं, पर कोई केवल बलात्कार का ही मामला नहीं है, अपितु यह तो समग्रतः पत्रकार बन्धु समाज की सुरक्षा और बचाव से जुड़ा हुआ प्रश्न है और जो लोग यहां बैठे हुए हैं जिनका व्यावसायिक कर्त्तव्य यह मांग करता है कि वे निर्भय होकर रहें। उन्हें वस्तुपरक होना चाहिए और वस्तुगत दृष्टि से, निर्भय होकर सच्चाई से काम करना चाहिए। श्री नव किशोर महापात्र की गलती यह थी कि उन्होंने वस्तुपरक रिपोर्ट दी थी। उन्होंने कुछ ऐसी रिपोर्ट दी जो शासक दल और कुछ व्यापारियों के विरुद्ध जाती थी। अतः उस मामले पर इस सदन में बहस होनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : आप केवल एक या दो मिनट का समय ले सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के समय क्या हुआ था ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हां, श्री महालगी।

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे केवल एक बात का निवेदन करना है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चूंकि आप एक व्यवस्था का प्रश्न उठा चुके हैं। (व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री आर० के० महालगी : यह तो पक्षपाती विरोध है।

गृह-कार्य और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बैया) : हां, नियम 290 के अधीन.....

"...प्रस्ताव पर बहस के लिए डेढ़ घण्टे से अधिक समय नहीं दिया जायेगा और इस प्रकार के प्रस्ताव पर कोई भी सदस्य पांच मिनट से अधिक नहीं बोलेगा।"

एक माननीय सदस्य : यही नियम है। वे इसकी तुलना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से नहीं कर सकते।

श्री वेंकट सुब्बैया : सभापति महोदय ही समय प्रदान करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें गैर-सरकारी विधायकों पर भी विचार करना है।

श्री आर० के० महालगी : मैं केवल दो या तीन मिनट का समय लूंगा।

एक माननीय सदस्य : आप ज्यादा मिनट ले सकते हैं लेकिन आप नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते।

श्री आर० के० महालगी : कैन्टोन्मैन्ट अधिनियम, 1924 में कई सुधार करना परमावश्यक हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : विषय क्या है ? कौन-सी विषय वस्तु सम्मिलित की जानी है ?

श्री आर० के० महालगी : कैन्टोन्मैन्ट अधिनियम संशोधन विधेयक।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपका कहना है और वह एक वक्तव्य होगा।

श्री आर० के० महालगी : छावनी अधिनियम, 1924 के कई उपबन्ध बिल्कुल बेकार हो गए हैं। यह अधिनियम विदेशी ब्रिटिश शासन के समय पास किया गया था। आजादी के बाद, सम्बद्ध नागरिकों की ओर से इस कानून को संशोधित करने की लगातार मांग की जा रही है।

मैंने छठी लोकसभा में यह प्रश्न दो बार उठाया था और गत दस मास की अवधि में भी दो-तीन बार उठा चुका हूं। इस सदन में मुझे बताया गया था कि संशोधक विधेयक पुर:स्थापन के लिए बिल्कुल तैयार है। संसद के गत बजट सत्र में इस मांग में मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या 14 की पूछताछ के दौरान मुझे निम्नलिखित सूचना दी गई थी···

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस मद को सम्मिलित करना चाहते हैं। आप अपनी बात समाप्त करें। अभी और पांच सदस्यों को बुलाना बाकी है। जब विषय स्वीकृत हो जाता है तो आप बोल सकते हैं।

श्री आर० के० महालगी : मैं केवल दो मिनट और लूंगा। मुझे इसके लिए कारण बताने दो और यह भी बताने दो कि अगले सप्ताह ही क्यों पुर:स्थापित किया जाए। मुझे सूचित किया गया था :

> "कैन्टोन्मेंट अधिनियम 1924 को संशोधित करने के लिए सरकार के विचाराधीन बहुत समय से ही अनेक प्रस्ताव थे। यथाशीघ्र विधेयक को संसद में पुर:स्थापित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है···"

इसी प्रकार उक्त सत्र में सरकारी कार्य में भी अन्य के साथ-साथ कथित विधेयक को भी पुर:स्थापन के लिए दर्शाया गया था। परन्तु अन्तत: इसे पुर:स्थापित नहीं किया गया। अब सदस्यों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि विधेयक सरकारी कार्य तक में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि लोकसभा के वर्तमान सत्र में लिए जाने की आशा थी। इसकी पुष्टि दिनांक 6 नवम्बर, 1980 के बुलेटिन भाग-2 की मद संख्या 540 से की जा सकती है।सरकार का महत्वपूर्ण विषयों के प्रति गम्भीर रुख नहीं है। और यह सभा के लिए अपमानजनक भी है।

इसलिए मैं पुरजोर मांग करता हूं कि छावनी अधिनियम, 1924 संशोधी विधेयक को अगले सप्ताह पुर:स्थापित किया जाए और लोकसभा के चालू सत्र में पारित किया जाए।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि अगले सप्ताह के बिजनेस में इस बात को जोड़ा जाए और इस पर विचार होना चाहिए :

1. समग्र देश में आज किसानों का आन्दोलन एक नए स्तर पर पहुंच चुका है और वे अपनी फसल के लाभकारी मूल्य के लिए सारे देश में लड़ रहे हैं। इस पर बहस होनी चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप केवल मदों को पढ़िए। मैं आपको भाषण देने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। आपने कुछ मदों को शामिल किए जाने के लिए दिए हैं। आप केवल उन मदों को पढ़िए। तीन या चार सदस्य हैं और 3.30 बजे हमें गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य शुरू करना है (व्यवधान)। सदस्यों का अधिकार है परन्तु यह समय सीमा के अनुसार है।

श्री कमला मिश्र मधुकर : मेरा दूसरा प्वाइन्ट यह है कि देश में चीनी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और आज अखबारों में सुपर बाजार में भी 10 रुपये किलो चीनी बिकने की खबर छपी है। इसलिए चीनी की बढ़ती हुई कीमतों पर भी विचार होना चाहिए।

तीसरा विषय जिस पर मैं सदन में बहस चाहता हूं यह है कि सारे देश में रेल गाड़ियां बहुत विलम्ब से चल रही हैं। इससे माल की ढुलाई में तथा यात्रियों को असुविधा हो रही है। इसलिए सदन में गाड़ियों के विलम्ब से चलने की स्थिति पर विचार होना चाहिए। रेलवे की जो यह फंक्शनिंग है, उस पर विचार होना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार में गण्डक योजना और कोसी योजना चालू हैं उनकी कार्य प्रणाली पर विचार होना चाहिए ताकि किसानों को लाभ मिल सके और किसानों को सिंचाई की सुविधाएं मिल सकें। इस काम में बहुत त्रुटियां हैं। इस पर पूरे हाउस में विचार होना चाहिए ताकि किसानों को राहत मिल सके।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : दिल्ली पोलिटेकनिक के 300 छात्र 17-11-80 से हड़ताल कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उस करार को क्रियान्वित किया जाना चाहिए जो प्राधिकारियों ने उनके साथ 19-1-80 को किया था। पूसा पोलिटेकनिक के तीन छात्रों को भी निलम्बित कर दिया गया है और छात्र 3-11-80 से हड़ताल कर रहे हैं। इन बातों पर यहां चर्चा की जानी चाहिए।

किसान अखिल भारतीय स्तर पर छोटा विद्रोह कर रहे हैं। आज यह नासिक में है, कल यह महाराष्ट्र तथा देश के अन्य भागों में फैल सकता है। इसलिए इस पर चर्चा की जानी चाहिए।

सरकार चलचित्र पर एक विधेयक लाई थी। परन्तु हर बार विधेयक को देखते हैं और उसे पुन: वापस ले लेते हैं। मैं चाहता हूं कि चलचित्र पर एक विस्तृत विधेयक तुरन्त लाया जाना चाहिए।

आई० आई० टी०, खड़गपुर के कर्मचारी कुछ मांगों को लेकर 11-11-80 से हड़ताल पर हैं। आई० आई० टी० के निदेशक उनकी मांगों को गम्भीरतापूर्वक नहीं देख रहे हैं। कर्मचारियों के भवन-निर्माण के लिए उनके पास कोई धन नहीं है। परन्तु वे वातानुकूलित अतिथि गृह के निर्माण के लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं। इसलिए ये बातें तुरन्त रोक देनी चाहिए।

हाल में रेलवे सुरक्षा बल ने भूख हड़ताल की है। उन्होंने विभिन्न रेलवे के डिविजनल मैनेजर तथा जनरल मैनेजर के कार्यालयों के सामने प्रदर्शन भी किए हैं। वे इस महीने की 27 ता० को संसद भवन के सामने प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। उनकी मांग बड़ी साधारण है। उनका कहना है : "या तो हमें रेलवे कर्मचारी मानों या बल के कर्मचारी मानों। यदि आप हमें रेलवे के कर्मचारी मानते

[श्री नारायण चौबे]

हो तो हमें बोनस दो। यदि आप हमें बल के कर्मचारी मानते हो, तो बल वाली सुविधाएं प्रदान करो।" इसलिए इस पर भी यहां चर्चा होनी चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं तीन बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। एक राज्यपालों को हटाना और तबादला करना है। संवैधानिक उपबन्धों की भावना तथा लोकतान्त्रिक मानदण्डों तथा परम्पराओं का उल्लंघन करके तमिलनाडु के राज्यपाल को पद से हटाना और उनके स्थान पर महाराष्ट्र के राज्यपाल का तबादला करने के सरकार के मनमाने निर्णय के मामले को उठाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में दो मिसालें हैं। प० बंगाल के भूतपूर्व राज्यपाल की एस० एस० धवन के मामले में उनके हटाने का प्रश्न न्यायालय में पहुंच गया होगा परन्तु मामला ठंडा पड़ गया था, क्योंकि श्री धवन का विधि आयोग में समायोजित कर दिया गया था। इसी प्रकार से जब उपकुलपति श्री हरद्वारी लाल को उनके पद से हटाया गया था तो मामला हरियाणा-पंजाब उच्च न्यायालय तक गया जिसने उनके हटाने को गैर-कानूनी ठहराया।

दूसरी बात सत्याग्रह के बारे में है जो बोध गया के भूमिहीन व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा है। 1979 में बिहार सरकार द्वारा नियुक्त समिति द्वारा बनाए गए अधिकतम जोत सीमा कानून का स्पष्ट उल्लंघन करके बोध गया के महन्त द्वारा अकेले गया जिले में गैर-कानूनी रूप से कब्जे में ली गयी 10,000 एकड़ से अधिक भूमि के पुनर्वितरण के लिए भूमिहीन व्यक्तियों, अधिकांशत: अनुसूचित जातियों द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आन्दोलन पर चर्चा की जाए।

तीसरी बात प्रेस की स्वतन्त्रता के बारे में है। प्रेस के स्वतन्त्र कार्यकरण के हस्तक्षेप करने के सरकार के बढ़ते रुख, जैसाकि हैदराबाद से प्रकाशित लोकप्रिय तेलगु दैनिक 'ईनाडू' के मामले में दिखाया गया है, पर भी सभा में चर्चा किए जाने की आवश्यकता है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : हाल ही में मस्तिष्क ज्वर के कारण बहुत से लोग मर गए। सम्पूर्ण भारत में 700 से अधिक लोग मर चुके हैं और अकेले उत्तर प्रदेश में 500 से अधिक व्यक्ति इस रोग से मरे हैं। हमें इस प्रश्न पर चर्चा करनी चाहिए।

दूसरे उर्वरक संयंत्रों को महाराष्ट्र में थालवाई सेट में तथा गुजरात में हाजिरा में स्थापित करने जा रहे हैं। जो बम्बई हाई गैस पर आधारित है। नौसादर संयंत्र का ठेका दो विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के विरुद्ध दिया गया है। यह बहुत गम्भीर मामला है। हमने बहुत नोटिस दिए हैं कि मामले पर पूरी तरह से चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम राजकोष पर बुरा पड़ेगा।

तीसरे, प्रेस की स्वतन्त्रता बड़े खतरे में है जैसाकि श्री चित्त बसु ने जिक्र किया है। यद्यपि हमने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है, परन्तु वह स्वीकार नहीं हुआ है। इसलिए इस पर चर्चा की जानी चाहिए।

चौथे, रेलवे दुर्घटनाओं पर वाद-विवाद होना चाहिए।

अन्त में, चौगराम की हाल की बैठक महत्वपूर्ण थी। उस पर वाद-विवाद होना चाहिए।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बैया) : माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को सरकार के आदेश पर गम्भीरता के साथ नोट कर लिया गया है। श्री बनातवाला ने फिर साम्प्रदायिक हिंसा का प्रश्न उठाया है। इस पर ही कार्य मंत्रणा समिति द्वारा फैसला किया जा चुका है कि इसके लिए कुछ समय दिया जाएगा। श्री उन्नी कृष्णन तथा प्रो० दंडवते दोनों ही उस बैठक में उपस्थित थे। जहां तक मूल्य वृद्धि का सम्बन्ध है, इस पर 25 नवम्बर के लिए पहले ही चर्चा करना स्वीकार किया जा चुका है। रेल दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में विपक्ष स्थगन प्रस्ताव पर वाद-विवाद करना नहीं चाहते।

श्री चित्त बसु ने भूमि सुधारों का जिक्र किया। यह 20 सूत्री कार्यक्रम के महत्वपूर्ण सूत्रों में से एक सूत्र है। भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने भूमि सुधारों पर कार्यान्वयन समितियों को नियुक्त कर दिया है।

सारी बातों को, जिनका जिक्र किया गया है, आवश्यक कार्यवाही के लिए सम्बन्धित व्यक्तियों को बता दी जाएगी।

अब मैं यह अनुरोध करूंगा कि माननीय विधि मन्त्री महोदय को 3.30 म० प० से पूर्व अपने विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री के० शिव शंकर) : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री चित्त बसु : श्रीमान, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक 1980 के पुर:स्थापन का विरोध करता हूं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 39 (ग) में यह कहा गया है :

> "कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केन्द्रण न हो।"

प्रस्तावित विधेयक से धन का केन्द्रण होगा। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। यह सर्वसाधारण के लिए अहितकारी भी होगा। इसलिए यह विधेयक अनुच्छेद 39 (ग) की भावना का उल्लंघन करता है।

क्या कोई कम्पनी, कोई औद्योगिक घराना प्रभावी हो गया है इस बात की जांच करने और यदि ऐसा हो गया है तो उन पर कतिपय प्रतिबन्धों को लगाने के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक

[श्री चित्त बसु]

व्यापारिक व्यवहार आयोग एक महत्वपूर्ण साधन है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम धन के जमाव को रोकने के लिए एक साधन है और विधेयक में कहा गया है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को किसी फैसले में हिस्सा लेने या किसी औद्योगिक घराने के प्रस्ताव की जांच करने का अधिकार नहीं है, यदि किसी उपक्रम का विस्तार हो जाता है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : श्रीमान अब 3.30 बज गए हैं। आप गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को शुरू करें। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले ही पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव कर चुके हैं; इस पर केवल एक या दो मिनट और लगेंगी। (**व्यवधान**)। ठीक है। हम इसे बाद में जारी रखेंगे। हम अब गैर-सरकारों सदस्यों के कार्य को शुरू करेंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

9 वां प्रतिवेदन

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर): श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं, कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के नौवें प्रतिवेदन से, जो नवम्बर, 1980 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के नौवे प्रतिवेदन से, जो 20 नवम्बर, 1980 को सभा में प्रस्तुत किया गया था; सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संविधान (संशोधन) विधेयक)

(अनुच्छेद 102 तथा 191 का संशोधन)

श्री बापू साहिब परुलेकर : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बापू साहिब परुलेकर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(द्वितीय अनसूची का संशोधन)

श्री आर० के महालगी (ठाणे) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर० के० महालगी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

बेरोजगारी सहायता (आयु सीमा से छूट तथा अन्य सुविधाएं) विधेयक

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी सहायता, आयु सीमा से छूट, नौकरियों के लिए आवेदन फीस से छूट तथा उनके लिए अन्य अनेक सुविधाओं की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी सहायता, आयु सीमा छूट, नौकरियों के लिए आवेदन फीस से छूट तथा उनके लिए अन्य अनेक सुविधाओं की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मती गीता मुखर्जी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

छावनी (संशोधन) विधेयक

(धारा 15 आदि का संशोधन)

श्री वी०एन० गाडगिल (पुणे) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हू कि छावनी अधिनियम, 1924 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि छावनी अधिनियम, 1924 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

नागरिकता (बंगलादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा अर्जन) विधेयक

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : (मधेपुरा) महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पाकिस्तान के ऐसे राज्य क्षेत्र से जो अब बंगला देश के राज्यक्षेत्र में सम्मिलित है, भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवासित अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार के विनियमन और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पाकिस्तान के राज्यक्षेत्र से जो अब बंगला देश के राज्यक्षेत्र में सम्मिलित हैं, भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवासित धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों को नागरिकता अधिकार के विनियमन और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

मोटर यान (संशोधन) विधेयक

(धारा 95, आदि का संशोधन)

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे मोटर यान अधिनियम, 1939 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मोटर यान अधिनियम, 1939 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

समाचार पत्र (कीमत तथा पृष्ठ) विधेयक

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि समाचार पत्रों में परस्पर अनुचित

प्रतिस्पर्धा का निवारण करने के प्रयोजनार्थ समाचार पत्रों के लिए की जाने वाली कीमतों का उनके पृष्ठों के संदर्भ में तथा उनसे संसक्त विषयों का इस दृष्टि से कि समाचार-पत्रों को अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिक पूर्ण अवसर प्राप्त हो सकें, विनियमन करने हेतु उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि समाचारपत्रों में परस्पर अनुचित प्रतिस्पर्धा का निवारण करने के प्रयोजनार्थ समाचार-पत्रों के लिए ली जाने वाली कीमतों का पृष्ठों के संदर्भ में तथा उनसे संसक्त विषयों का इस दृष्टि से कि समाचारपत्रों को अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिक पूर्ण अवसर प्राप्त हो सकें, विनियमन करने हेतु उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

विस्थापित व्यक्ति (ऋण समायोजन) (संशोधन) विधेयक

(धारा 31 का संशोधन)

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विस्थापित व्यक्ति (ऋण समायोजन) अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विस्थापित व्यक्ति (ऋण समायोजन) अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अष्टम अनुसूची का संशोधन)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 15 आदि का संशोधन)

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री योगेन्द्र झा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय (मेरठ में एक स्थायी न्याय पीठ की स्थापना) विधेयक

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्याय पीठ की मेरठ में स्थापना करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की मेरठ में स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रशीद मसूद : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

बम्बई उच्च न्यायालय (औरंगाबाद में एक स्थायी न्याय पीठ की स्थापना) विधेयक

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बम्बई स्थित उच्च न्यायालय की एक

स्थायी न्याय-पीठ की औरंगाबाद में स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बम्बई स्थित उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्याय-पीठ की औरंगाबाद में स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उत्तम राठौर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

रोजगार विधेयक

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक व्यक्ति एक रोजगार के सिद्धान्त के आधार पर अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने और बेकारी को न्यूनतम स्तर पर लाने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि एक व्यक्ति-एक रोजगार के सिद्धान्त के आधार पर अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने और बेकारी को न्यूनतम स्तर पर लाने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

भूमि-अर्जन (संशोधन) विधेयक

(धारा 23 का संशोधन)

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उत्तम राठौर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

जाति-उपदर्शन उत्सादन विधेयक

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय समरसता, समता बंधुता एवं राष्ट्रीयता की भावना की अभिवृद्धि करने की दृष्टि से जाति-उपदर्शन के उत्सादन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि राष्ट्रीय समरसता, समता, बन्धुता एवं राष्ट्रीयता की भावना की अभिवृद्धि करने की दृष्टि से जाति-उपदर्शन के उत्सादन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

कर्मचारियों के उपनगरीय रेलवे या अन्य सार्वजनिक परिवहन व्ययों की प्रतिपूर्ति करने का (महानगर क्षेत्रों में) नियोजकों का दायित्व विधेयक

प्रो० मधु दण्डवते (राजपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि महानगर-क्षेत्रों में स्थित स्थापनों के कर्मचारियों द्वारा उप-नगरीय रेलवे या सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधनों द्वारा यात्रा करने के लिए किए गये परिवहन व्ययों की प्रतिपूर्ति करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि महानगर-क्षेत्रों में स्थित स्थापनों के कर्मचारियों द्वारा उप-नगरीय रेलवे या सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधनों द्वारा यात्रा करने के लिए किए गये परिवहन व्ययों की प्रतिपूर्ति करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक-जारी

(अनुच्छेद 19 और 41 का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : अब 25 जुलाई, 1980 को श्री बापूसाहिब परुलेकर द्वारा प्रस्तुत किये गये संविधान (संशोधन) विधेयक पर आगे विचार किया जाएगा।

श्री जेवियर अराक्कल अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री जेवियर अराक्कल (एर्णाकुलम) : 8 अगस्त, 1980 को बोलते हुए मैंने कारण बताये थे। विधेयक और उसके माध्यम से किये जाने वाले संशोधन को अस्वीकार करने के लिए मैंने यह बात कही थी कि भारत की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह असम्भव बात थी।

आज लगभग 2 करोड़ लोग हैं जो बेरोजगार हैं। हमारे देश में बेरोजगारों अथवा अर्द्ध-बेरोजगारों सम्बन्धी सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

मैंने इस बात का भी उल्लेख किया था कि जहां नौकरियों के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या में 9.7 प्रतिशत की गति से वृद्धि हो रही है वहां सरकारी क्षेत्रों में लिए जाने वाले व्यक्ति केवल 3.6% ही हैं और गैर-सरकारी क्षेत्र में तो यह बहुत ही कम अर्थात 2.6% ही है।

उद्देश्यों और कारणों सम्बन्धी विवरण में दिए गए दूसरे कारण के सम्बन्ध में मैंने संविधान की प्रस्तावना में वर्णित कल्याणकारी राज्य के सिद्धान्त का उल्लेख किया था। अन्त में अनुच्छेद 19 में प्रस्तावित संशोधन का भी उल्लेख करता हूं जिसमें मेरे माननीय मित्र ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है—

> "संविधान के अनुछेद 19 में खंड (1), उपखंड (छ) के पश्चात निम्नलिखित नया उप-खंड जोड़ा जाए, अर्थात :—
>
> (ज) कार्य के विषय में अर्थात कार्य की मात्रा और इसकी किस्म के अनुसार गारंटीशुदा रोजगार और उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए भुगतान का अधिकार मजदूरी, कार्य के घण्टों विश्राम तथा अन्य कार्य सम्बन्धी स्थितियों के लिए मानव कानून के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।"

इस संशोधन का उल्लेख करते हुए मैंने कहा कि यह बहुत ही अस्पष्ट संशोधन है और इसे मूल अधिकारों में शामिल नहीं किया जा सकता है। मैंने यह भी कहा था कि हमारे कानून में ऐसे अनेक उपबन्ध हैं जो इस संशोधन में उठाई गई बातों से सम्बन्धित है, उदाहरण के लिए भुगतान, मजूरी, विश्राम आदि का स्तर में इस बात को समझ नहीं सका हूं कि मेरे मित्र इसे अधिकारों में सम्मिलित कराने के लिए क्यों इच्छुक हैं। कृपया आप संविधान के अनुच्छेद 16 को पढ़िये—

> "16 (1) राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सब नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।"

हमारे संविधान-निर्माताओं की कानून सम्बन्धी दक्षता यहां अच्छी तरह अभिव्यक्ता हुई है। यदि आप अनुच्छेद 39 को देखें वहां भी यह देखा जा सकता है कि :—

> "राज्य विशेष रूप से अपनी नीति निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए बनायेगी :—
>
> (क) समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों की जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हों;

[श्री जेवियर अराक्कल]

(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियन्त्रण इस प्रकार बंटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हों;

मैं अब अनुच्छेद 41 का उल्लेख करता हूं :

राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंग-हानि तथा अनर्ह अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के, अधिकार को प्राप्त कराने का कार्यसाधक उपबन्ध करेगा।

परन्तु मैं इस सभा के समक्ष यह कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान में रोजगार उपलब्ध कराने और मनुष्य की अन्य इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपबन्ध हैं। यदि आप प्रस्तावित संशोधन (ज) को देखें जिसमें लिखा है 'कार्य पाने का'। मान लो मैं काम नहीं करना चाहता इसका क्या हल हो ? मुझे कार्य करने के लिए कौन विवश करने जा रहा है ? यदि कोई 'साधु' या 'संयासी' या कोई 'स्वामी' कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे कौन विवश कर सकता है।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : "काम पाने का अधिकार" से मेरी यह धारणा नहीं है।

श्री जेवियर अराक्कल (एर्णाकुलम) : यह "कार्य पाने के अधिकार" को मूलभूत अधिकार के रूप में सम्मिलित करना चाहते हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मेवलीकारा) : भाषण देने की स्वतन्त्रता एक मूल अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति भाषण नहीं देना चाहता तो क्या आप उसे बोलने के लिए विवश करेंगे ?

श्री जेवियर अराक्कल : मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि कोई नागरिक काम नहीं करना चाहता है तो क्या आप इस उपबन्ध द्वारा उसे कार्य करने के लिए बाध्य कर सकते हैं ? इस संशोधन में उनकी धारणा व्यावहारिक नहीं है। वे एक विशिष्ट एडवोकेट है और वे "काम पाने का" शब्द की व्याख्या जानते हैं।

आप "काम" का निर्धारण कैसे करेंगे ? मान लीजिए एक व्यक्ति कोई नौकरी प्राप्त करना चाहता है जिसका सामान्य ढंग से वह अधिकारी नहीं है और न ही उसके योग्य है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यदि कोई मंत्री यह कहता है कि मैं काम नहीं करना चाहता तो आप उसे इस विधेयक के अनुसार कार्य करने के लिए विवश नहीं कर सकते।

श्री जेवियर अराक्कल : यह उस पक्ष की ओर बैठे माननीय सदस्यों पर भी लागू होता है।

मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि यह संशोधन बहुत ही अस्पष्ट और अपूर्ण सा है और कानूनी दृष्टि से इसे लागू करना असम्भव है। इस विधेयक में उठाए गए अधिकांश मुद्दे वर्तमान कानून में विद्यमान हैं।

हमने "काम करने के अधिकार" पर काफी अधिक बात कर ली हैं। किस प्रकार का कार्य ? यह कहा जाता है कि एक बार किसी व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है, वह काम करना बन्द कर देता है। उससे होने वाले उत्पादन की तुलना उसकी योग्यता से नहीं की जाती। यह पर्याप्त नहीं है। अत:

'काम पाने के अधिकार' को मूल अधिकारों में सम्मिलित करना एक अच्छी बात है परन्तु व्यावहारिक नहीं है।

निस्सन्देह, हमारे देश के पास काफी संसाधन हैं, मानवीय संसाधन। यदि हम इन मानवीय संसाधनों को उपयुक्त उत्पादन द्वारा उपयोग करें तो निश्चय ही हमारा देश एक समृद्ध देश बन सकता है। आज से कहीं अच्छा बन सकता है ।इस सम्बन्ध में मैं वस्तुतः अपने मित्र का बेरोजगारी की वर्तमान समस्या, नौकरियों की उत्पादकता, नौकरियों में लगे है उनको और बेरोजगार लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भंडाफोड़ करने के लिए समर्थन करता हूं। दो वर्गों के लोग हैं एक तो वे जिनके पास नौकरियां हैं और दूसरे वर्ग में अधिकांश वे लोग हैं जो बेरोजगार हैं या अल्प रोजगार प्राप्त हैं। हमारे देश में रहन-सहन की बेहतर व्यवस्था रखने के लिए सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस मुद्दे पर मैं अपने मित्र को विधेयक की इन मुख्य बातों को प्रकाश में लाने के लिए बधाई देता हूं। परन्तु मैं इस संशोधन पर आपत्ति करता हूं कि "काम करने के अधिकार" मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित किया जाए। अभी कल ही सभा में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के संबंध में गम्भीर आरोप हमने सुने थे। अब मेरे मित्र ने स्वयं सविधान में संशोधन हेतु विधेयक रखा है। अतः यह कहना कि संविधान में संशोधनन ही करना चाहिए निष्ठायुक्त नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री बापू साहिब परुलेकर द्वारा रखे गए संविधान (संशोधन) विधेयक का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आर० के० महालगी।

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मराठी में बोलूंगा।

गृहमंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बैया) : इस विधेयक के लिए आबंटित समय कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाएगा। अभी आठ या नौ सदस्यों को इस पर बोलना है। आप सभा से यह जान सकते हैं कि क्या वह इस विधेयक के लिए आबंटित समय में वृद्धि करना चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय : आबंटित समय 4-11 बजे समाप्त हो जाएगा। अभी 12 सदस्यों ने इस पर बोलना है और यह एक महत्वपूर्ण विधेयक भी है क्या सभा समय में वृद्धि करना चाहती है।

श्री बापू साहिब परुलेकर : दो घंटे बढ़ाए जाएं।

प्रो० मधु दण्डवते : पहले श्रीमती गोपालन के विधेयक पर जो एक महत्वपूर्ण विधेयक था दोनों पक्षों की आम सहमति से, हमने तीन बैठकों में विचार किया था। यह भी एक महत्वपूर्ण विधेयक है और मेरे विचार में माननीय सदस्य का सुझाव स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की यह राय है कि समय दो घंटे और बढ़ा दिया जाये।

कई माननीय सदस्य : जी हां, ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः इस पर सब सहमत हैं। समय 4-11 बजे से 6-11 बजे तक बढ़ाया जाता है। श्री महालगी।

*श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : श्री बापू साहिब परुलेकर द्वारा रखे गए उपाध्यक्ष महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्य के विधेयक का दिल से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक पर सभी के सुझाव लेना आवश्यक है क्योंकि यह संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक है। ऐसे विधेयक पर न केवल इस सभा द्वारा भली भांति चर्चा होनी चाहिए बल्कि लोक सभा के सदस्यों से गठित प्रवर समिति द्वारा भी विचार होना चाहिए। प्रवर समिति को इस विधेयक के विस्तार में जाना चाहिए। समिति को निहित सिद्धान्तों पर चर्चा करनी चाहिए। मैं उन मुद्दों की भी पुनरीक्षा करना चाहता हूं जो इस विधेयक के गुण-अवगुण के संबंध में उठाए गए थे।

यह विधेयक छठी लोकसभा में माननीय सदस्य श्री शास्त्री द्वारा पुरःस्थापित किया गया था। इस विधेयक पर चर्चा की गई और यह संकल्प किया गया कि लोगों का मत जानने के लिए उसे परिचालित किया जाए। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि दोनों पक्षों के सदस्यों ने इसका समर्थन किया था। वर्तमान मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया। माननीय मंत्री श्री वसन्त साठे ने भी भाषण दिया जिसका इस सन्दर्भ में उल्लेख किया जा सकता है। कांग्रेस (इ) के सदस्यों ने सिद्धान्त रूप में इस विधेयक का समर्थन किया। यदि आज वे दो वर्ष पहले दिए गए अपने समर्थन को वापस लेते हैं तो इसका यह अर्थ होगा कि वह राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचते हैं और वे अपने सिद्धान्तों के प्रति निष्ठावान नहीं है। वे उसी प्रकार बोलना चाहते हैं जो उनके लिए सुविधाजनक हो। श्री साठे के साथ सत्तारूढ़ दल के कई सदस्य विधेयक के पक्ष में बोले थे। उनमें से कुछ आज चर्चा से बचना चाहते हैं, क्योंकि हम उनसे उस विधेयक का समर्थन करने के लिए कहेंगे जिसका कुछ समय पहले उन्होंने इन्हीं आधारों पर समर्थन किया था।

अतः यह आवश्यक है कि दल गत दृष्टिकोण से ऊपर उठ जाए। यदि हम राष्ट्र के निर्धनों से सहानुभूति दर्शाना चाहते हैं तो हमें इसविधेयक का समर्थन करना चाहिए। इस विधेयक से सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति आ जाएगी। जिन व्यक्तियों ने सामाजिक-आर्थिक क्रान्ति लाने का संकल्प लिया है और निर्धनों को ऊपर उठाना चाहते हैं उन व्यक्तियों को इस विधेयक के उपबन्धों को हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहिए। हम माननीय सदस्य श्री परुलेकर का ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक रखने के लिए धन्यवाद करते हैं।

इस स्थिति पर इस विधेयक को पारित करना संभव नहीं है। अतः बेहतर यह है कि इसे प्रवर समिति के पास भेज दिया जाए जो इस पर विचार करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। चूंकि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। इसके सभी पहलुओं की भली-भांति जांच होनी चाहिए।

भारत एक विकासशील राष्ट्र है। मानवीय अधिकारों की घोषणा पत्र के अनुच्छद 21 में यह स्पष्ट लिखा है कि विकासशील देशों के संविधान में काम पाने का अधिकार, मूल अधिकार के रूप में होना चाहिए। मानवीय अधिकार की घोषणा के निर्देशक सिद्धान्त में 'काम पाने के अधिकार' को मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। यह सभी विकासशील देशों के लिए निर्देशक सिद्धान्त है और भारत को इसे अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए। भारत 1947 में स्वतन्त्र हुआ। हमने 1950 में संविधान बनाया और अब 30 वर्ष बीत गए हैं। हमारी सरकार ने संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों को कार्यान्वित

*मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी रूपान्तर का हिन्दी अनुवाद

करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? कांग्रेस (इ) के कुछ सदस्य यह विश्वास करते हैं कि निर्देशक सिद्धान्त मूल अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं तथा उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यह आशा करना स्वाभाविक है कि 'काम पाने के अधिकार' के निर्देशक सिद्धान्त को अवश्य ही कार्यान्वित किया जाएगा। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि इसे कार्यान्वित करने के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है।

यह सिद्धान्त लगभग 20 देशों ने स्वीकार किया है। उनके संविधान में कार्य पाने के अधिकार को सम्मिलित कर लिया गया है। 25 से अधिक देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने संविधान में कार्य पाने के अधिकार के लिए उपबन्ध नहीं किए हैं। परन्तु उन्होंने इसे सिद्धान्ततः स्वीकार किया है और इसे लागू किया है यद्यपि यह उनके संविधान का मुख्य अंग नहीं है इस निर्देशक सिद्धान्त को कई बड़े और छोटे राष्ट्रों ने स्वीकार कर लिया है।

कई बार यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि भारत एक बड़ा राष्ट्र है और इसकी जन संख्या 60 करोड़ से अधिक है, इसलिए काम पाने के अधिकार के सिद्धान्त को क्रियान्वित करना सम्भव नहीं है। 60% से अधिक भारतीय गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। यदि काम पाने के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो वित्तीय दृष्टि कोण से इसे कार्यान्वित करना सम्भव नहीं होगा। हम बेरोजगारी भत्ता देने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसी योजनाओं को लागू करने के लिए हमारे पास धन की कमी है। मैं समझता हूं कि यह तर्क उचित नहीं है, क्योंकि चीन जैसे राष्ट्रों की जन संख्या भारत से भी अधिक है। और फिर भी उन्होंने काम पाने के अधिकार को स्वीकार कर लिया है। केवल साम्यवादी देशों ने ही इस अधिकार को स्वीकार नहीं किया है परन्तु विभिन्न राजनीतिक विचार धारा वाले राष्ट्रों ने भी इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है। एक व्यक्ति, जो शारीरिक दृष्टि से सक्षम है, और काम करना चाहता है उसे इन देशों में रोजगार प्रदान किया जाता है। कल्याणकारी राज्य का यह कर्त्तव्य है कि वह यह देखे कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो काम करना चाहता है काम मिले। यदि हम गरीबी हटाकर 'राम राज्य' की धारणा को सच करना चाहते हैं तो हमें काम पाने के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा और बेरोजगारी की समाप्ति हेतु इसे लागू करना होगा। अतः मेरी यह दृढ़ धारणा है कि यदि हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति है तो हम भी वह सब प्राप्त कर सकते हैं जो अन्य देशों ने अपने नागरिकों को यह मूल अधिकार देकर प्राप्त किया है।

मेरे विचार में यह केवल धन का मामला नहीं है। यह निर्धनों के प्रति, जो कि बेरोजगार है, न्याय करने की दृढ़ इच्छा का प्रश्न है। हमें सरकार से इस तथ्य को अवश्य ही स्वीकार करा लेना चाहिए कि बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना उनका नैतिक और सामाजिक दायित्व है। योजनाएं भी इस प्रकार बनानी चहिए जिससे यह लक्ष्य प्राप्त हो सके ताकि हम इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु स्वतः उत्पादन करने वाले तंत्र की स्थापना कर सकें। इस विधेयक के उपबन्ध सरकार को इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करेंगे जो इस लक्ष्य की प्राप्ति में उपयोगी हों।

सरकार प्रत्येक वर्ष बजट बनाती है। और पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित करती है परन्तु

[श्री आर० के० महालगी]

उनमें नागरिकों को मौलिक अधिकार देने के लिए बल नहीं दिया जाता। हम बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने हेतु विधिक उपलब्ध बनाने के लिए योजना नहीं बनाते।

यह सुखद बात है कि भारत के कुछ राज्यों ने इस मौलिक अधिकार को स्वीकार कर लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने अधिसूचना जारी करके उस मौलिक अधिकार को न केवल मान्यता दी है अपितु इस बारे में एक अधिनियम भी पारित कर दिया है। महाराष्ट्र का कोई भी ग्रामीण व्यक्ति, रोजगार प्राप्त कर सकता है। सरकार बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार अथवा रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता देने के लिए वचन बद्ध है। पश्चिम बंगाल और केरल जैसे कुछ अन्य राज्यों ने भी इसे स्वीकार किया है तथा इसे क्रियान्वित भी किया है। विश्व के अन्य देशों के साथ-साथ भारत के कुछ राज्यों ने भी यह मौलिक अधिकार दिया है। भारत सरकार को भी सभी नागरिकों को इस मौलिक अधिकार को देने के लिए दृढ़ एवं क्रान्तिकारी कार्यवाही करनी चाहिए। मैं सभा से अपील करता हूं कि श्री परूलेकर के इस विधेयक को पारित करें, यदि इसे अभी पारित नहीं किया जा सकता तो इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाये। इसे अन्तिम रूप देने के लिए हमें इस पर पुनः चर्चा करनी चाहिए तथा भारत के नागरिकों को 'कार्य का अधिकार' रूपी मौलिक अधिकार दिया जाये।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत गम्भीर है। करोड़ों लोग बेरोजगार हैं फिर चाहे वे पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो या अशिक्षित हों। हमारे गांव में कितने ही लोग बेरोजगार हैं यह सरकार के पक्ष के लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। सरकारी आंकड़े जो प्रकाशित होते हैं उनसे भी साफ जाहिर होता है कि बेरोजगारी हमारे देश में तेजी से बढ़ रही है उस अनुपात के रोजगार प्रदान करने के साधनों का विकास नहीं हो पा रहा है।

हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं उनसे जहां देश में तरक्की हुई है और लोगों को रोजगार भी मिला है वहां यह भी कहा जा सकता है कि जितनी उनसे आशा थी वह पूरी नहीं हुई है, उन योजनाओं के माध्यम से लोगों को रोजगार की मदद देने की जो अपेक्षायें थीं वे पूरी नहीं हुई हैं। कई लाख लोग जो ऊंची डिग्रियां हासिल किये हुए हैं, उंची तालीम हांसिल किये हुए हैं, बेरोजगार हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज देश में इन्जीनियर और डाक्टर तक बेरोजगार हैं। इन्जीनियर और डाक्टर जिनको देश में रोजगार नहीं मिलता और काफी योग्य भी होते हैं वे विदेशों में चले जाते हैं, दूसरे देशों की सेवा करते हैं। हमें अपने साधनों का विकास इस प्रकार से करना चाहिए, अपनी योजनाओं को इस प्रकार का रूप देना चाहिए जिससे कि कम से कम हम इन लोगों के अनुभव और उनकी योग्यता का लाभ उठाकर अपने देश की तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जा सकें और ऐसे लोगों को बाहर जाने से रोक सकें।

उनके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के बाद आज देश में रोजगार प्राप्त करने के कारण निराशा और बेचैनी के शिकार हो रहे हैं। इसी कारण देश में हिंसा और अराजकता का वातावरण फैल रहा है। अगर इसको समाप्त करना है तो हमें सबसे पहले देश की

बेरोजगारी दूर करने के लिये प्रभावशाली कदम उठाने पड़ेंगे। अगर बेरोजगारी खत्म करनी होती है तो उन तमाम युवकों को हम नहीं रोक पायेंगे जो आज गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इस दिशा में गम्भीरता से सोचे और रोजगार के साधनों का विकास बहुत ही मुस्तैदी के साथ करे।

एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह भी है कि हमारे देश में आज रोजगार प्राप्त करने के लिए लोगों को अपना शरीर बेचना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले बिहार की कुछ खबरें अखबारों में छपी थीं कि वहां के आदिवासी लोग दूसरे नगरों में जाते हैं, और उन्हें ठेकेदार लोग ले जाते हैं। यह स्थिति केवल बिहार की ही नहीं बल्कि दूसरे पिछड़े राज्यो की भी है जहां से लोगों को काम के लिये दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बहादुर आप प्रतिदिन कितने व्यक्तियों को मिलते हैं, जो कि नौकरी की तलाश में आते हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : श्रीमान मुझे पूरे वर्ष बहुत से लोग इस उद्देश्य के लिए मिलते हैं। यदि प्रतिदिन की औसत एक व्यक्ति भी माना जाये तो वर्ष में 365 व्यक्ति बनते हैं। इसी प्रकार अन्य सदस्यों से जो व्यक्ति इस उद्देश्य से मिलते हैं उनकी संख्या हजारों में पहुंच जाती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे प्रतिदिन सैकड़ों व्यक्ति मिलते हैं जो कि बेरोजगार हैं।

श्री हरीकेश बहादुर : क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण पद पर हैं बहुत से लोग इस उद्देश्य से आपको मिलते हैं। बिहार के आदिवासी लोगों की बात मैं कर रहा था कि उन्हें ही नहीं बल्कि वहां की महिलाओं तक को दूसरे राज्यों में ठेकेदार लोग ले जाते हैं और वहां पर उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता है। उनको वहां तरह-तरह से अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। आज अपने शरीर को बेचकर लोग रोजी कमाने के लिये मजबूर हो गये हैं। ऐसी स्थिति में सरकार की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। अगर सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देगी कि लोगों को रोजगार प्राप्त करने के लिये परेशानियां उठानी पड़ती हैं और रोजगार प्राप्त करने के लिये अपनी इज्जत और शरीर तक बेचना पड़ता है तो देश तरक्की की तरफ नहीं जा सकेगा।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान में राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार विशेष रूप से मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आना चाहिये। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आफ स्टेट पालिसी में इसका जिक्र किया गया है। जब तक इसको मौलिक अधिकारों में हम नहीं लाते और सरकार यह नहीं देखती कि यह अधिकार सबको प्राप्त हो गया है, तब तक न यह देश तरक्की कर सकता है और न इसमें अमन की स्थिति पैदा हो सकती है।

इसीलिये मैं परुलेकर साहब के विधेयक का समर्थन करता हूं और सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि वह उसका समर्थन ही न करे बल्कि इसे कार्यरूप में परिणत करे और इसे फंडामैंटल राइट में लायें, ताकि हरेक व्यक्ति को रोजगार मिल सके और सब सुख का जीवन जी सकें, अमन-चैन कायम हो सके।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। वास्तव में 'काम का अधिकार' हमारे युवकों की चिरकाल से मांग रही है। वास्तव में काम के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में दिए गए अन्य मौलिक अधिकारों से अधिक मौलिक है। जब तक संविधान में कार्य का अधिकार नहीं रख जाता अन्य मौलिक अधिकारों का विशेषतः अनुच्छेद में दिये गये अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। हम इस विधेयक को स्वीकार करते हैं तथा यदि यह विधेयक संविधान का अंग बन जाता है तो निश्चय ही रोजगार देना सरकार का दायित्व बन जाता है मेरे विद्वान मित्र जेवियर अराक्कल ने कहा कि सरकार के लिए सभी बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देना संभव नहीं है। मैं मानता हूं कि यह सही है। परन्तु मैं उनकी इस बात से समहत नहीं हूं कि इस विधेयक के संविधान का अंग बनने पर सरकार साधुओं सत्यवादियों को भी कार्य करने पर बाध्य करेगी। विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री जेवियर अराक्कल : मेरा यह आशय नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय : साधु तथा सन्यासी अपने मस्तिष्क से कार्य करते हैं।

श्री प्रो० पी० जे० कुरियन : यह सही है। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो रोजगार देना सरकार का दायित्व बन जाता है।

अब राज्य की संकल्पना क्या है। पहले राज्य की संकल्पना संरक्षण देने तथा कानून में ही व्यवस्था बनाये रखने के लिए थी। अब उस संकल्पना में परिवर्तन आ गया है। संरक्षण देने, तथा कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए थी। अब उस संकल्पना में पनिवर्तन आ गया है। संरक्षण देने के कानून और व्यवस्था बनाए रखने के अलावा अब हम कल्याणकारी राज्य बनाने की चेष्टा भी कर रहे हैं। यदि हम संविधान में दिये गये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखें तो उनमें स्पष्ट है कि राज्य की संकल्पना संरक्षण देने, कानून और व्यवस्था बनाये रखने से आगे बढ़ गयी है। सभी नागरिकों को रोजगार देना उसी दिशा में एक अगला कदम है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं समझता कि यह अपने ढंग का पहला विधेयक है, विश्व के कई देशों में काम का अधिकार संविधान में दिया गया है, उदाहरणार्थ, सोवियत रूस तथा अन्य समाजवादी देशों में यह व्यवस्था है।

एक माननीय सदस्य : साम्यवादी देश भी।

प्रो० पी० जे० कुरियन : और आप कांग्रेस (आई) के व्यक्ति सदा समाजवाद और समाजवादी समाज की बात करते हैं···(व्यवधान) यह खेद की बात है कि आप इस मौलिक मामले को जो (भाषण की स्वतन्त्रता, से भी महत्वपूर्ण है स्वीकार नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय : यदि श्री अराक्कल इस ओर बैठेंगे तो वह अन्यथा बात करें।

श्री चित्त बसु : जो कुछ आप कहते हैं वह इस बात पर निर्भर नहीं है, कि व्यक्ति सत्ता के पक्ष का है अथवा विपक्ष का।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मेरे मित्र ने निदेशक तत्वों की बात की है। वास्तव में निदेशक तत्व एवं मौलिक अधिकारों में प्राथमिकता के प्रश्न पर विवाद रहा है। निःसन्देह यह विवादास्पद रहा है कि क्या मौलिक अधिकारों को निदेशक तत्वों की तुलना में प्राथमिकता दी जाए अथवा निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की तुलना में प्राथमिकता दी जाए। इस अधिकार को निदेशक तत्वों से लेकर मौलिक अधिकारों में जोड़ने का क्या आशय है ? इसे स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि जब हम 'काम के अधिकार' को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित करने की बात करते हैं, तो यह भावना कि निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की तुलना में प्राथमिकता प्राप्त है तो वास्तव में हम इसे स्वीकार करते हैं। इसलिए मुझे अपने मित्र श्री अराक्कल तथा अन्य सदस्यों द्वारा इस विधेयक का विरोध किए जाने का कोई कारण नजर नहीं आता। उन्हें इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए और मुझे विश्वास है कि वह इसे स्वीकार कर लेंगे। मैं यही समझता हूं।

निस्सन्देह किसी सरकार के लिए विशेषतः हमारी सरकार के लिए वह संभव नहीं है कि वह सभी लोगों को रोजगार दे सके। परन्तु यह बात सरकार को यह तथ्य स्वीकार करने से नहीं रोकती कि रोजगार देना हमारा दायित्व है। यही अन्तर है, उदाहरणार्थ, केरल सरकार ने बेरोजगारी भत्ता दिया है। निःसन्देह कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है परन्तु इसके पीछे भावना क्या है ? केवल सरकार अपने सभी व्यक्तियों को रोजगार दे सकती है। परन्तु बेरोजगारी भत्ता देने से यह सिद्धान्त स्वीकार हो जाता है कि लोगों को रोजगार देना सरकार का दायित्व है। इस संविधान संशोधन को स्वीकार कर के इसी महत्वपूर्ण कार्य का निष्पादन होगा।

मैं नहीं समझता कि श्री अराक्कल अथवा कोई अन्य माननीय सदस्य सोच-विचार के बाद इस विधेयक का विरोध कर सकेगा। किसी भी सरकार का, चाहे वह कांग्रेस (आई) की सरकार हो अथवा किसी अन्य दल की सरकार हो, कर्त्तव्य है कि वह लोगों को रोजगार दे। इस संवैधानिक संशोधन का यही महान उद्देश्य है।

श्रीमान, मैं माननीय सदस्यों से तथा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस महत्वपूर्ण विधेयक को स्वीकार करें। अब यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे हमारी 'राज्य' की संकल्पना में परिवर्तन होगा। हम समाजवाद की बहुत अधिक बातें करते है परन्तु समाजवाद प्राप्त करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा क्योंकि हम समाजवादी संकल्पना को स्वीकार करते हैं ? और इसे कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी राज्य में लोगों को काम के अवसर देना राज्य का कर्त्तव्य है। जोकि पूंजीवादी देशों पर लागू नहीं होता।

इसलिए मैं विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं।

मैं माननीय सदस्य श्री परुलेकर को इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं और सदन तथा सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह इस का समर्थन करें और इसे पारित करवायें।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य काम करने के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल करना है। यह इस

[श्री चित्त बसु]

विधेयक का उद्देश्य है। सरकार अन्य कई अवसरों पर इस प्रकार के तर्क देती रही है कि देश की वर्तमान अवस्था को दृष्टिगत देखते हम देश के सभी नागरिकों को रोजगार उपलब्ध करवा पाना संभव नहीं है। इसलिए यदि काम करने के अधिकार को मौलिक अधिकार मान लिया जाए तो उसका कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि सरकार ऐसा करने की स्थिति में नहीं है। यह सत्य ही है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा पाना सम्भव नहीं है। परन्तु अब प्रश्न यह उठता है कि यदि काम करने के अधिकार को मौलिक अधिकार मान लिया जाए तो फिर सरकार को हमारे देश के लिए इस प्रकार की अर्थव्यवस्था तैयार करनी पड़ेगी जिसमें कि सभा को अनिवार्य रोजगार उपलब्ध करवाने की क्षमता हो।

विश्व में ऐसे देश हैं जहां कि लोगों को इस प्रकार मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। इस सन्दर्भ में सोवियत संघ के संविधान का उल्लेख किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को केवल कार्य करने या रोजगार प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं अपितु उसे उपयुक्त रोजगार उपलब्ध करवाने का अधिकार प्राप्त होता है, मैं यह मानता हूं कि सोवियत संघ के लोगों को यह संवैधानिक अधिकार इस लिए दिया गया था क्योंकि उनकी अर्थ-व्यवस्था ही समाजवादी ढांचे पर आधारित है। इसलिए हमें यह तो स्वीकार करना पड़ेगा कि इस प्रकार की गारन्टी केवल समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में दी जा सकती है तथा उसी के अन्तर्गत रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। परन्तु हमें इसके बारे में गलतफहमी नहीं होनी चाहिये कि कुछ पूंजीवादी देशों ने भी रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार मान रखा है। मैंने फ्रांस के संविधान का उल्लेख किया था। मैं समझता हूं कि मैंने जो कहा था वह ठीक ही कहा था। यदि आप चाहे तो मैं उसे उद्धृत कर सकता हूं। 1946 के फ्रांसीसी संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है :

> "कार्य करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य है और प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जो अपनी आयु, शारीरिक तथा मानसिक स्थिति या आर्थिक स्थिति के कारण कार्य करने में असमर्थ हैं, वह अच्छे-जीवन निर्वाह हेतु अपने समुदाय से उपयुक्त साधन प्राप्त कर सकता है। राष्ट्र द्वारा बच्चों तथा व्यस्कों को शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा संस्कृति सम्बन्धी साधन समान स्तर पर जुटाये जाते हैं।"

इसलिए मेरी बात से यह गलत परिणाम नहीं निकाला जाना चाहिए कि चूंकि हमारी अर्थ-व्यवस्था समाजवादी नहीं है इसलिए रोजगार प्राप्त करने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप से स्वीकार करना सम्भव नहीं है। इस प्रकार की गलतफहमी को दूर करने के लिए ही मैंने फ्रांस के संविधान का उल्लेख किया है। अतः इस प्रश्न को इस ढंग से ही टाला नहीं जा सकता। रोजगार प्राप्त करने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार करने पर विचार किया जाना चाहिये।

मान लो सदन के उस ओर बैठा हुआ प्रत्येक सदस्य मौलिक अधिकारों पर निदेशक तत्वों को प्रमुखता प्रदान करने का पक्षपाती है, तो ऐसे स्थिति में मैं यह तर्क देना चाहता हूं कि यदि हम निदेशक तत्वों को प्राथमिकता देने के इतने ही इच्छुक है तो क्या अनुच्छेद 41 में इस सम्बन्ध में कोई निदेश

नहीं मिलता है ? यदि आप निदेशक तत्वों को मौलिक सिद्धांतों की तुलना में प्रमुखता प्रदान करने के इच्छुक है तो कम से कम इस सम्बन्ध में अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन कीजिए। हमें इसके बारे पाखण्ड नहीं करना चाहिए। जब आप यह कहते हैं कि आप मौलिक सिद्धान्तों की तुलना में निदेशक तत्वों को प्रमुखता प्रदान करना चाहते हैं, तो आप केवल पाखण्ड करते हैं, यह मेरा आरोप है। यदि यह पाखण्ड नहीं है तो इन्हें इस विशिष्ट मामले में निदेशक तत्वों की प्रमुखता स्वीकार कर लेनी चाहिये और कहना चाहिए। हां निदेशक तत्व अधिक प्रमुख है और मौलिक अधिकारों से अधिक मान्य है और फिर उन्हें रोजगार प्राप्त करने सम्बन्धी निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों में शामिल कर लेना चाहिए। परन्तु ये सभी धर्मयोद्धा है। ये न्यायपालिका तथा उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध बहुत बड़े जिहाद में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि न्यायपालिका तथा उच्चतम न्यायालय निदेशक तत्वों की क्रियान्विति के रास्ते में आ रहे हैं। जब आप निदेशक तत्वों की प्रमुखता के लिए इतने चिन्तित हैं तो फिर भला आप एक निदेशक तत्व को मौलिक सिद्धान्त स्वीकार क्यों नहीं कर लेते। आपको ऐसा करने में क्या कठिनाई है। क्या आपके मार्ग में लोकदल, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या कोई अन्य दल रोड़े अटका रहा है ? क्या कोई विरोधी दल आपके रास्ते में आ रहा है ? परन्तु आप सदा ही यही नारा लगाते रहे हैं कि आप अपने कर्त्तव्यों तथा आश्वासनों को इसलिए पूरा नहीं कर पा रहे हैं कि हम यहां बैठे आपका विरोध करते हैं। आपकी सभी त्रुटियों तथा असफलताओं का कारण क्या आप यही नहीं बताते है कि हम यहां विरोध पक्ष में बैठे आपकी आलोचना करते हैं ? निसन्देह हमारी आलोचना रचनात्मक होती है। परन्तु आप हमारे सुझावों को धैर्यपूर्वक नहीं सुनते हैं। इसलिए यह और कुछ नहीं केवल पाखण्ड ही है। इसलिए सम्पूर्ण राष्ट्र को आपके पाखण्ड के बारे में जान लेना चाहिए कि आप निदेशक सिद्धान्तों की प्रमुखता के पक्ष में नहीं हैं। आप तो सत्ता से चिपके रहने तथा अधिनायकवाद सम्बन्धी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने तथा न्यायपालिका के महत्व को कम करने के लिए केवल इसे बहाना बना रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कुछ क्रोधित हो गये हैं और इसलिए विषय से हट कर बोल रहे हैं। हम आपसे विचाराधीन विषय के सम्बन्ध में अधिक कुछ सुनना चाहते हैं।

श्री चित्त बसु : मैं केवल यही कहना चाहता था कि यह केवल पाखण्ड है। अनुच्छेद 41 तथा 49 निर्देशक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में है। माननीय न्यायमूर्ति श्री एल० आर० खन्ना, अध्यक्ष विधि आयोग ने कहा है, अनुच्छेद 39 तथा 41 जिनका सम्बन्ध रोजगार के अधिकार से है, वह मौजूद बढ़ती हुई बेरोजगारी के सन्दर्भ में केवल एक विचित्र सी विडम्बना लगती है। उनकी इस टिप्पणी से यह स्पष्ट है कि बेरोजगारी के सम्बन्ध में अनुच्छेद 39 तथा 41 का कोई लाभ नहीं है और उनसे हमारे देश के नागरिकों को किसी प्रकार से रोजगार की गारंटी नहीं मिलती। श्री परुलेकर द्वारा यह विधेयक प्रस्तुत करने का एक उद्देश्य यह भी है कि यदि नागरिकों को रोजगार उपलब्ध नहीं होता हो वह सरकार या फिर न्यायपालिका से उसके समाधान की अपेक्षा कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं अपात्रता मांग के लिए हमारे निदेशक तत्वों में लोक सहायता का प्रावधान भी है। परन्तु वह कार्य करने के अधिकार के बराबर नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि निदेशक तत्व के इसी प्रावधान के अन्तर्गत कुछ राज्य सरकारों ने

[श्री चित्त बसु]

बेरोजगारी भत्ता देने का कार्यक्रम आरम्भ किया तो कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि धन को व्यर्थ गंवाया जा रहा है उन्होंने ऐसा केरल सरकार के बारे कहा था जिसने कि बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय किया था। इसी प्रकार की बात उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के बेरोजगारी भत्ता या पारिश्रमिक—चाहे इसे आप कुछ भी कहें या बेरोजगारों को राहत देने के बारे में कहे थे। अतः जब राज्य सरकारें निदेशक सिद्धान्तों को क्रियान्वित करने के लिए आगे आ रही है तो फिर केन्द्रीय सरकार को उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए आगे आना चाहिये ताकि उस योजना विशेष के लिए लोक सहायता प्राप्त की जा सके·····

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : केन्द्रीय सरकार ने स्वयं ही लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए बजट में प्रावधान किया है और केन्द्रीय सरकार यह नहीं कह रही है "कि लोगों को रोजगार उपलब्ध मत करवाईये।"

श्री चित्त बसु : परन्तु श्रीमानजी मेरा कहना है कि जब राज्य सरकारें केन्द्र सरकार से अनुरोध करती है कि लोक सहायता हेतु संविधान के अनुच्छेद 41 में किए गये प्रावधान सम्बन्धी योजना को क्रियान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान करे। आप निदेशक तत्वों के अन्तर्गत अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करना चाहते। निदेशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत जन सहायता का प्रावधान है और आप इस संवैधानिक प्रावधान के प्रति कटिबद्ध है। आप निदेशक तत्वों की प्रमुखता की बात करते हैं। यदि आप निदेशक तत्वों की प्रमुखता को स्वीकार करते हैं तो फिर उन निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में आप राज्य सरकारों को आवश्यक सहायता देने के लिए प्रावधान क्यों नहीं करते? मेरा कहने का तात्पर्य यही है। ऐसा करना न्यायोचित नहीं है। आप केवल पाखण्ड करते हैं। यह लोग न तो मौलिक सिद्धान्तों को क्रियान्वित करने के बारे में ही ईमानदार है और न ही निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में ईमानदार है। श्रीमानजी, जो सच्चाई थी, वह तो आपने कह ही दी है। मैं तो केवल इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं क्योंकि आप ही ने बेरोजगारी की समस्या का प्रश्न उठाया था। मैं 10 नवम्बर, 1980 के 'स्टेटसमेन' से उद्धृत करना चाहता हूं। जिसमें कहा गया है :

> "देश में कुल बेरोजगारों की संख्या का ठीक-ठीक अनुमान लगाने सम्बन्धी कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है परन्तु इसके सम्बन्ध में किए गये एक सर्वेक्षण के आधार पर पता चला है कि ऐसे लोगों की संख्या 250 लाख के करीब है और 1979 से इसमें 40 लाख की वृद्धि होती गई है, जबकि इस प्रकार का बेरोजगारी सम्बन्धी सर्वेक्षण किया गया था तो ऐसे लोगों की संख्या 220 लाख के करीब थी।"
>
> उसी में कुछ आगे जा कर कहा गया है :
>
> "····यदि हम इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगारों तथा अल्प बेरोजगार प्राप्त लोगों को भी शामिल कर लें तो फिर इनकी संख्या 10 करोड़ से भी अधिक दी जाएगी।"

श्रीमान यह बहुत ही व्यापक समस्या है। इसीलिए बेरोजगारी सम्बन्धी लाभ प्रदान करने की व्यवस्था का प्रश्न सामने आया है। आप अभी सबको रोजगार उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं। इसके

सम्बन्ध में आप तुरन्त कुछ नहीं कर सकते कि आप आपने यहां से कुछ उठायें और उन्हें दे दें। बेरोजगारी की समस्या का समाधान इस ढंग से नहीं किया जा सकता। मैं इससे सहमत हूं। इससे पूर्व कि सरकार बेरोजगारी को समाप्त करने या उससे निपटाने के बारे में कोई व्यापक कार्यक्रम आरम्भ करें सरकार को बेरोजगारी सम्बन्धी कुछ राहत तो देनी ही चाहिये।

यदि काम के अधिकार को एक मूलभूत अधिकार बनाया गया तो सरकार यह राहत देने के लिए मजबूर हो जायेगी। अतः इस विधेयक को पारित करना आवश्यक है।

अन्त में सरकार का कहना यह भी है कि सरकार ने रोजगार के बारे एक नीति बना रखी है। मैंने योजना सम्बन्धी तथा सरकार के कुछ अन्य दस्तावेज देखे हैं। आप कहते हैं रोजगार नीति तीन मूलभूत बातों पर निर्भर है। रोजगार-उन्मुखी योजना लागू करना, रोजगार अवसरों की रक्षा करने एवं इसमें वृद्धि करने हेतु औद्योगिक परिवर्तन को नियमित करना और पूरे रोजगार के लिए क्षेत्रीय आयोजन को बढ़ावा देना; योजना दस्तावेज में रोजगार नीति के बारे यही कुछ कहा गया है। इस दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि आठवीं योजना के कार्यान्वित होने के बाद भी बेरोजगारी रहेगी जिसका अर्थ यह है कि यह हमारी एक स्थायी समस्या बनी रहेगी। जब तक योजना नीति में परिवर्तन न हो उस समय तक यह समस्या बनी ही रहेगी। योजना नीति को इस ढंग से परिवर्तित किया जाना है जिससे हमारे देश में आर्थिक ढांचे को उदारता से पुनः गठित किया जा सके। योजना पूर्व स्थिति को बनाये रखना चाहती है—कोई भी संस्थागत परिवर्तन, कोई अन्य उदार परिवर्तन तथा आय और सम्पत्ति के साधनों का पुनर्वितरण नहीं चाहती। जब तक आप आय और सम्पत्ति का पुनर्वितरण नहीं करते तब तक योजना में ऐसी अर्थव्यवस्था की व्यवस्था नहीं की जा सकती जो अनिवार्य रोजगार की व्यवस्था करने में समर्थ हो। हमारे देश ने पूंजीवादी आधार को अपनाया है। वे विकास के पूंजीवादी मार्ग पर चल रहे हैं जिसमें ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण नहीं हो सकता जो रोजगार की व्यवस्था कर सके। वह मार्ग केवल संकट और अधिक संकट में ही बनेगा। अधिक संकट होगा तो जनविरोध भी होगा। इस विरोध का सामना करने के लिए सरकार अधिनायकवाद का तरीका अपनाना चाहती है। सरकार की नीति यही है और मैं इसका विरोध करता हूं। मेरे विचार में आगामी खतरे पर विचार करने और श्री परुलेकर के विधेयक को स्वीकार करने का सभा के लिए यह एक उचित अवसर है ताकि इस प्रवृति को बदला जा सके और सरकार की आर्थिक नीतियों का भी संशोधन किया जा सके।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : संविधान में संशोधन करने सम्बन्धी श्री परुलेकर जी के इस बिल का मैं जोरदार समर्थन करता हूं। यह बिल यहां और पहले आ जाना चाहिये था। काम पाने का अधिकार मेरी समझ में सबसे बड़ा फंडामेंटल अधिकार होना चाहिये। अगर हमें काम ही नहीं मिलेगा तो जिस तरह के समाज निर्माण की परिकल्पना हिन्दुस्तान की जनता करती है, उस समाज को हम स्थापित करने में कभी भी सफल नहीं हो सकेंगे।

आश्चर्य की बात है कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने इस बात की चर्चा निदेशक सिद्धान्तों में तो की लेकिन बुनियादी अधिकारों में इसको शामिल नहीं किया। लगता है, उस समय उन लोगों ने आज की बेकारी की जो विभीषिका है, उसका अन्दाजा नहीं लगाया होगा। अगर उन्हें यह अन्दाजा

[श्री रामावतार शास्त्री]

होता और सचमुच में देश की गरीबी को मिटाने की प्रखर भावना उनमें होती तो निश्चय ही काम पाने के अधिकार को मौलिक अधिकारों में जोड़ा जाता, रखा जाता। खैर, यह बात हुई नहीं।

जो सरकार अभी शासन कर रही है, यह 30, 31 सालों तक देश में शासन करती रही, लेकिन इसके दिमाग में भी आज तक यह बात नहीं आई कि हम इस अधिकार को संविधान के बुनियादी अधिकारों में शामिल कर लें।

सरकार ने जो 42वां संविधान संशोधन विधेयक इस सदन में पास किया था, उसमें जनतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी समाज की स्थापना की कल्पना की गई थी, उसी समय इस सवाल को भी उसमें जोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से यह बात उस समय जोड़ी नहीं गई। बेकारी भी साथ-साथ चले, लाखों करोड़ों लोगों को काम न मिले, लोग भुखमरी के शिकार हों, देश की आबादी की आधी संख्या गरीबी की रेखा से नीचे हो, ऐसी स्थिति में केवल संविधान में समाजवाद को जोड़ने मात्र से काम चलने वाला नहीं है। वह उसमें जोड़ा गया, वह तो ठीक किया गया, लेकिन उसके साथ-साथ इस काम के अधिकार को भी संविधान में मौलिक अधिकारों में जोड़ा जाना चाहिए था।

अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें तो परुलेकर साहब ने नौजवानों का ध्यान अपनी ओर खींचा है कि वह लोग बाहर लड़ें काम पाने के अधिकार के लिए और हम इस बात के समर्थक यहां सदन में भी चुप नहीं बैठे हुए हैं, हम उनके साथ हैं। वे लोग बाहर आन्दोलन करें और हम यहां आन्दोलन करें और सरकार को मजबूर करें कि वह इस काम पाने के अधिकार को संविधान में जोड़े। इस तरह से परुलेकर साहब सभी के धन्यवाद के पात्र हैं।

कई सदस्यों ने इस बात की चर्चा की है कि बहुत तेजी से बेकारी बढ़ रही है और सरकार इसका जिम्मा नहीं नहीं ले रही है कि बेकारों को कुछ काम दे या दाम दे यानी बेकारी भत्ता दे। आज नौजवान चाहे किसी भी दल के पीछे चलने वाले क्यों न हो, मांग कर रहे हैं कि हमें काम दो, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दो। उनका आन्दोलन शनैः-शनैः तीव्र से तीव्रतर होता जा रहा है। सरकार को दीवारों पर लिखी बातों को देख लेना चाहिए और समय रहते संभल जाना चाहिए, ताकि नौजवानों की आकांक्षाएं पूरी हो सकें।

जब इन्दिरा जी 1977 में गद्दी से उतारी गईं, तो वह 1.02 करोड़ रजिस्टर्ड बेकार छोड़ गईं। जनता पार्टी के प्रधानमन्त्री, श्री मोरारजी देसाई, ने कहा कि हम दस सालों में बेकारी मिटा देंगे। अच्छा होता कि वह उसके अनुपात में कुछ बेकारी को मिटा देते, लेकिन जाते वक्त वह 42 लाख और बेकारों को जोड़ गए। इस सरकार को बने हुए अभी एक साल भी नहीं हुआ है, लेकिन बेकारों की संख्या में दस लाख और बढ़ गए हैं। और आज 1.54 करोड़ पढ़े-लिखे और अनपढ़ लोग बेकार हैं, दर दर के भिखारी बने हुए हैं। अनपढ़ लोगों के साथ-साथ लोग पढ़-लिखकर, अध्यापक, डाक्टर या इंजीनियर बनकर भी काम की तलाश में मारे-मारे फिर रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि रोजगार के अधिकार को संविधान में जोड़ो, हमें नौकरी दो, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दो।

मुल्क की इस भयावह स्थिति को देखते हुए इस विधेयक का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। नौजवानों को काम नहीं मिलता है। उनके अभिभावकों ने घर की सम्पत्ति बेच कर उन्हें इस आशा में लिखाया पढ़ाया कि वे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन आज नौजवान हतोत्साहित है, डेस्पीरेट होकर गलत रास्ते पर जा रहे हैं। उनमें से कुछ नक्सलवाद का आश्रय ले रहे हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि उसी रास्ते पर चलकर इस समस्या का समाधान होगा। कई लोग डकैतियों और लूट-पाट करने में लगे हुए हैं। डेस्पीरेशन में नौजवान तरह-तरह के गलत रास्तों पर जा रहे हैं। जो नौजवान हमारे देश की आशा है, भविष्य हैं, क्या हम उन्हें इसी तरह से गलत रास्ते पर जाने के लिए छोड़ देंगे ? नहीं। समय रहते उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए सरकार को स्वयं एक सही रास्ता अपनाना होगा, उनके लिए काम की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि वे महसूस करें कि यह देश हमारा है, हमारा भविष्य अन्धकारमय नहीं है, प्रकाशमय है। आज उनमें डेस्पीरेशन है। वे आन्दोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, घेराव, सत्याग्रह और पिकेटिंग कर रहे हैं। वे तरह-तरह के आन्दोलन करके सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं।

अगर सरकार ने उनकी तरफ ध्यान न दिया, तो फिर 24 तारीख आ रही है। आल-इंडिया यूथ फेडरेशन और आल-इण्डिया स्टूडेंट्स फ़ेडरेशन ने फैसला किया है कि वे दोनों मिलकर 'जाब ऑर जेल" के नारे के आधार पर आन्दोलन करेंगे और इन दोनों संगठनों के पीछे चलने वाले नौजवान लाखों की तादाद में 24 से 28 तारीख तक पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि काम के अधिकार को संविधान में शामिल करो, नहीं तो हमें जेलखाने में ले जाकर खाना खिलाओ। गद्दी छोड़ो, हम आ रहे हैं, अब आपकी जरूरत नहीं है क्योंकि आप इतना सा काम भी नहीं कर सकते हैं। यह होने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, आप इन्हें जेल पहुंचाएंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : और मैं भी जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें जेल में छोड़ जाइए और लोगों को कहें कि आपने बेरोजगारी की समस्या हल कर ली है।

श्री रामावतार शास्त्री : यह इतना आसान नहीं है।

इसलिए यह सवाल इतना गम्भीर बन गया है और नौजवानों को इस पार्लमेंट को घेरने का कार्यक्रम बनाना पड़ रहा है। वे लड़ेंगे और आपको चैन से नहीं रहने देंगे। इधर के हम सभी लोग उनकी मदद करेंगे। उधर के भी बहुत से लोग उनकी मदद करेंगे—मैं इस बात को जानता हूं। अगर शरीर से नहीं तो दिल से उनकी मदद करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : विद्यार्थियों से कहें कि इसे एक अहिंसात्मक आन्दोलन बने रहने दें।

श्री रामावतार शास्त्री : हां, ऐसा नहीं होगा।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह चर्चा संविधान संशोधन के बारे में है, न कि बाहर हो रहे आन्दोलन के बारे में ।

श्री रामावतार शास्त्री : आन्दोलन के बारे नहीं । लेकिन आप उनको एजिटेशन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं । इसलिए मैं कहता हूं कि आप उनको मजबूर मत कीजिए, आप श्री परुलेकर जी के विधेयक पर ध्यान दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाटिल आप को जान लेना चाहिए कि श्री रामवतार शास्त्री सभी आन्दोलनों के जनक हैं ।

श्री बापू साहिब पारुलेकर : उपाध्यक्ष महोदय, श्री रामावतार शास्त्री का तात्पर्य यह है कि यदि इस अधिकार को शामिल न किया जाए तो अब ऐसा ही होगा । आपको कानून का ध्यान रखना है, उन्होंने इसी उद्देश्य से ऐसा कहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक चेतावनी है । लेकिन यदि आप सरकार का समर्थन चाहते हैं तो आपको उनकी सद्भावनायें प्राप्त करनी हैं और उन्हें नाराज नहीं करना है ।

श्री रामावतार शास्त्री : यह प्रश्न सद्भावना का नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुस्कराएं और बोलें । हर व्यक्ति को राष्ट्रीय समस्या हल करनी है । सरकार को दोषी नहीं ठहराना चाहिए ।

श्री रामावतार शास्त्री : इसलिए मैं यह कह रहा हूं । वे तो सुनेंगे नहीं जब तक कि उन पर आन्दोलन का डण्डा नहीं लगाया जाएगा ।

यहां पर यह ठीक चर्चा की गई कि समाजवादी मुल्कों में और कुछ पूंजीवादी मुल्कों में भी वहां के संविधानों में काम पाने का अधिकार दिया गया है तो फिर आप उनका अनुसरण क्यों नहीं करते ? इसमें आपको क्या कठिनाई है ? आप निदेशक सिद्धान्त में रखते हैं लेकिन फंडामेण्डल राइट्स में नहीं रखते हैं । क्यों, क्या कठिनाई है ? जब आप समाजवाद का मुलम्मा लगाकर चल रहे हैं तब समाजवाद को पूरा पूरा मानिए । तभी आप समाज को परिवर्तित कर सकते हैं, इस देश में गरीबी, बेकारी की समस्या का समाधान निकाल सकते हैं । आज करोड़ों हाथ चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमें काम दो, हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं । उनको आप केवल नारा लगाकर सन्तुष्ट नहीं कर सकते हैं । श्रीमती इन्दिरा गांधी बड़ी-बड़ी सभाओं में भाषण करके सन्तुष्ट नहीं कर सकती हैं । इसके लिए उन्हें देश में उद्योग-धन्धे बढ़ाने होंगे, जमीन का बटवारा करना होगा, भूमि सुधार कानूनों को लागू करना होगा, इजारेदारी को तोड़ना होगा, वह चाहे देशी इजारेदारी हो या विदेशी इजारेदारी हो या बहुराष्ट्रीय इजारेदारी हो । यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो इस समाज को बदल नहीं सकेंगे । आपको इसके लिए बुनियादी रास्ता निकालना होगा । इन समस्याओं का समाधान पूंजीवादी घेरे में नहीं हो सकता है । इस पूंजीवादी घेरे को तोड़ना होगा । टाटा और बिड़ला से आपको क्यों मोहब्बत है ? आप कसम तो किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए खाते हैं फिर शासन सूत्र में इजारेदारों का दबदबा क्यों रहता है और क्यों वे आपके सिर पर सवार हैं ? आप उनको खत्म कीजिए, आप इस

व्यवस्था को बदलिए और समाजवादी व्यवस्था को लाइए। तमाम कठिनाइयां हो सकती हैं। वहां भी हो सकती हैं और हैं लेकिन आप की तरह कायरता के साथ कठिनाइयों से वे भागते नहीं और केवल 'बात बहादुर' नहीं बल्कि 'काम बहादुर' बनते हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि अगर आप सचमुच में समाजवादी व्यवस्था को लाना चाहते हैं, तो अपनी पूंजीवादी नीतियों को छोड़िए।

उपाध्यक्ष महोदय : 'वे' कौन हैं?

श्री रामावतर शास्त्री : वे समाजवादी मुल्क हैं, सोवियत यूनियन। वह सबसे बड़ा समाजवादी मुल्क है, जहां से यह सरकार बहुत कुछ ले आती है। इसके अलावा चीन भी है लेकिन वहां की समाजवादी व्यवस्था अलग है। चेकोस्लोवाकिया है, जहां का प्रतिनिधि मंडल अभी आया था। पोलैंड है और यूगोस्लाविया है और कम्पूचिया है, जिसको आपने मान्यता दी है।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोडा) : भारत है?

श्री रामावतार शास्त्री : भारत को मैं उन देशों में नहीं मानता, क्योंकि सदन में यह कुछ बोलते हैं और करते कुछ और हैं।

इसलिए मेरा कहना है कि इस बिल को आप स्वीकार कीजिए। तब हम समझेंगे कि सचमुच में आप बेकारी की समस्या को मिटाना चाहते हैं। बेगारी की समस्या पर बहस हो रही है और सरकारी बेंचों का नजारा देखिए।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : और अपना देखिए।

श्री रामावतार शास्त्री : आप से ज्यादा हैं।

इतने गम्भीर मसले पर बहस हो रही है और कोई केबिनेट मिनिस्टर नहीं है। कितने शर्म की बात है। इन्दिरा जी को नोट करना चाहिए कि उनका कोई केबिनेट मिनिस्टर नहीं है। देश की बेकारी की समस्या का समाधान निकालने के लिए संविधान में काम देने के अधिकार को हम जुड़वाना चाहते हैं और संसद सदस्यों की स्थिति देख लीजिए और सरकार की स्थिति देख लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बिलकुल मालूम नहीं था कि आप बोलेंगे। उन्हें मालूम होता तो वे आते।

श्री रामवतार शास्त्री : मेरे बोलने का कोई प्रश्न नहीं है। आप उन्हें प्रताड़ित करें। यहां कोई केबिनेट स्तर का मंत्री नहीं है। यह क्या है? क्या वे चिन्तित हैं? वे कभी भी चिन्तित नहीं रहते। वे अधिक गम्भीर होने चाहिए।

श्री शिवराज वी पाटिल : केबिनेट मंत्री राज्य सभा में हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : अगर यही स्थिति रही, तो वे डिजर्व करते हैं कि नौजवान उठें और उठकर अपना संगठन बना कर इनको गंगा नदी या यमुना नदी में प्रवाहित कर दें। एक नए समाज की रचना उनको करनी चाहिए। तब हम बेकारी की समस्या को दूर कर सकते हैं और गरीबी को

[श्री रामावतार शास्त्री]

मिटा सकते हैं और सबको रोजी, रोटी, मकान और कपड़ा दे सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक हम लड़ते रहेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं श्री परुलेकर के इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं और मुझे उम्मीद है कि सरकार इसको बिना शर्त स्वीकार कर लेगी।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और श्री बापूसाहिब परुलेकर को इसे लाने के लिए बधाई देता हूं।

मुझे यह देखकर दुख हुआ कि सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य इसका विरोध करने के लिए खड़े हुए। यह सचमुच दुख की बात है। उन्हें स्वयं ही यह विधेयक लाना चाहिए था क्योंकि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र तथा चुनाव भाषणों में सबको रोजगार दिलाने का वचन दिया था। उनका नारा गरीबी हटाओ का था। यह बात विचित्र है कि जब विरोधी दल के सदस्य सरकार पर गरीबी और बेरोजगारी हटाने सम्बन्धी इस विधेयक को स्वीकार करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, तो गरीबी हटाने का नारा लगाने वाले सत्तारुढ़ दल के सदस्य ही इसका विरोध कर रहे हैं।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : आप नारे दे रहे हैं और हम इन्हें कार्यान्वित कर रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपके पास इसे कार्यान्वित करने का अवसर है। आपके पास एक ऐसे विधेयक का समर्थन करने का अवसर है जिसके द्वारा हमारे लोगों की दयनीय दशा में सुधार किया जा सकता है। लेकिन यह बात विचित्र है कि आप इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों ? आप कहते हैं कि सबको रोजगार देना सम्भव नहीं है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्यों नहीं ?

हमें 1947 में आजादी मिली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बेरोजगारी दूर करने की शपथ ली थी। यह कहा गया था कि गरीबी बेरोजगारी आदि का कारण साम्राज्यवादी शोषण है। आपने लोगों से कहा था कि बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ और समय दें। आपको काफी समय मिल चुका है। आजादी के बाद आपने लोगों को आयोजन के नाम पर लूटा। आपने कर लगाए। जरा देखिए कि अप्रत्यक्ष करों की राशि कितनी है और इसकी वृद्धि की दर क्या है ? पंचवर्षीय योजनाओं के बाद आपने लोगों को बहुत से वायदे किए हैं। आप जरा कागजात देखें। आपने वायदा किया था कि अपनी अर्थव्यवस्था के मामले में हम आत्म निर्भर होंगे। आप सहायता के लिए लोगों से बलिदान चाहते थे। लोगों ने आपकी सहायता की। लेकिन अब क्या स्थिति है ? कर लगाने के बाद, यह भार डालने के बाद, घाटे की अर्थव्यवस्था के बाद और कई देशों से ऋण लेने के बाद, क्या हुआ है आप भीख मांगने के लिए वाशिंगटन, पेरिस, लन्दन गए। आपको अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक से भी सहायता मिली। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं ? भारत गरीबी, निरक्षरता, अस्वस्थता का एक बड़ा मरुस्थल है। मैं भारत सरकार के आंकड़े उद्धृत कर सकता हूं। (व्यवधान)

हम भारत पर राज नहीं कर रहे हैं। जब हम राज करेंगे तो आप परिणाम देखेंगे। वे हमारे देश को गरीबी, निरक्षरता और अप्रतिष्ठा की भूमि बनाने में सफल हुए हैं।

हमारा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। हमने उसके सिद्धान्तों को स्वीकार किया है। मैं चाहूंगा कि सत्तारुढ़ दल के सदस्य उस दस्तावेज को देखें। उस दस्तावेज में कहा गया है कि आदमी को पैदा होने के बाद ही रोटी का अधिकार है। उसे शिक्षा का अधिकार भी है। यह जिन्दा रहने की पहली शर्त है। क्या आपने सरकार चलाते हुए लोगों को पालने की जिम्मेवारी स्वीकार नहीं की है? यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार हो, तो वह रोटी कैसे कमाएगा। आदमी दो हाथों के साथ पैदा होता है। वह काम करना चाहता है। लेकिन आपने एक ऐसे समाज का गठन किया है कि जिसमें काम करने के इच्छुक युवकों को काम करने का अवसर नहीं मिलता है। क्यों? आप अपने दिल से पूछिए। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? एक समय था जब लोग कहते थे कि गरीबी प्राकृतिक है। श्वेत लोग कहा करते थे कि अल्पविकसित देश अल्पविकसित ही रहेंगे, श्वेत लोग ही समृद्ध होंगे। लेकिन रूस और चीन के लोगों ने दिखा दिया कि गरीबी, निरक्षरता और अल्प विकास एशिया और अफ्रीका के ही लोगों तक समिति नहीं रह सकता। मैं आपसे प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। साम्यवादी पार्टी की सरकार बनने पर वे बेरोजगारी को समाप्त करने में सफल हुए हैं? उन्होंने रोजगार के अधिकार का आश्वासन दिया है। कैसे? उनकी जनसंख्या अब 100 करोड़ है। जापानी फैक्ट्रियां नष्ट हुई। उन्होंने साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। उस देश का विकास हमारी अपेक्षा कम हुआ था। वे बेरोजगारी को किस प्रकार समाप्त कर पाये? मैं यह नहीं कहता कि चीनी लोग समृद्ध हैं। परन्तु मैं बलपूर्वक कह सकता हूं कि उन्हें दो वक्त की रोटी उपलब्ध है। उन्हें शिक्षा का लाभ मिल रहा है। सत्ता में आने के बाद उन्होंने सभी विदेशी सम्पत्तियों का तथा एकाधिकार गृहों का राष्ट्रीयकरण किया और सही मायनो में भूमि में सुधार किया उन्होंने भूमि किसानों को दे दी। इन तीन क्रान्तिकारी परिवर्तनों के साथ उन्होंने अपनी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की।

आज मैं आपसे कहना चाहता हूं—आप सभी जानकार हैं—कि इस्पात, सीमेंट, रसायनों, अनाज आदि, के चीन के उत्पादनों की साथ अपने उत्पादनों की तुलना करके देखें! इसका कारण यह है कि जिन क्रान्तिकारी परिवर्तनों को, आप लोगों को धोखा देने के लिए वर्षों से चर्चा करते रहे हैं, उन्हें, उन्होंने क्रियान्वित किया है। जब वास्तव में कहीं पर भूमि सुधार होता है जैसा कि पच्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया गया है, वहां पर कांग्रेस पार्टी बड़े-बड़े जमींदारों को शस्त्र लेकर निर्धन लोगों के साथ लड़ने का आह्वान करती है। आपकी कथनी और करनी में यही अन्तर है।

वे गरीब लोगों की बात करते हैं। वे व्यापारियों, चोर बाजार करने वालों, एकाधिकार गृहों तथा पूंजीपतियों के साथ अपवित्र गठजोड़ करते हैं। वोटें प्राप्त करने के लिए वे लोगों के पास जाकर 'गरीबी हटाओ' का नारा बुलन्द करते हैं परन्तु व्यवहार में कुछ लोगों के हाथ में पूरी पूंजी जमा है। मैं एकाधिकार समिति की रिपोर्ट को उद्धृत कर सकता हूं। 75 परिवार, नहीं केवल 15 से 20 परिवार आज भारत की पूंजी पर अधिकार जमाए हुए हैं। यह कैसे संभव हुआ? 8000 करोड़ रुपये ने किस प्रकार समानान्तर अर्थ-व्यवस्था चला रखी है। यह आपका कृत्य है। आप जनता पार्टी के तीन वर्ष के शासन को बदनाम करते हैं। पूरे समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है। मैं जानता हूं कि आप इन शब्दों द्वारा 'हम नये सिरे से प्रारम्भ करते हैं' अपने भूतकाल ही की निन्दा करते हैं। आप अपनी राजनीतिक इच्छा के कारण वास्तविक भूमि सुधार, एकाधिकार गृहों का तथा विदेशी सम्पत्तियों का

[श्री सत्य साधन चक्रवर्ती]

राष्ट्रीयकरण नहीं करते। वे लोग हमारी सम्पत्तियों को लूट रहे हैं। एकाधिकार गृह तथा पूंजीपति लोग जनता की क्रयशक्ति को समाप्त कर रहे हैं। भूमि स्वामी श्रमिकों का शोषण करके उनका हनन कर रहे हैं। कांग्रेस शासन में इतनी अधिक भूमि कुछ ही जमींदारों के हाथ गई, जो कि पूरे ब्रटिश राज की तुलना में अधिक है। मैं आपसे इसका कारण जानना चाहता हूं।

विधेयक का समर्थन करते हुए मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि कार्य के सिद्धान्त को मौलिक सिद्धान्त के रूप में संविधान में प्रविष्ट किया जाना चाहिए क्योंकि मानव जीवन के बने रहने की यह प्राथमिक आवश्यकता है। आप सभी धनी, व्यक्ति नहीं हैं। मान लीजिए आपका लड़का इंजीनियर है—आपने उस पर धन लगाकर शिक्षा दी है—और वह बेरोजगार है। तब आप कैसे अनुभव करेंगे ?

स्वभावतः आप अनुभव करेंगे कि उसका जीवन व्यर्थ जा रहा है। क्यों ? यह केवल इसी कारण से है कि आप-अपनी अर्थ-व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने को तैयार नहीं हैं। मैं एक बार फिर आग्रह करता हूं कि इस मौलिक अधिकार को अपनाया जाये। मौलिक अधिकारों को छोड़ने की न सोचें। जीने का अधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार और रोजगार का अधिकार एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। आप बिना मौलिक अधिकारों को कम किये तथा न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को छीने निदेशक सिद्धान्तों को क्रियान्वित कर सकते हैं। आप निजी सम्पत्ति को लें; जो कि शोषण का स्रोत है, तब आप पायेंगे कि न्यायपालिका की स्वतन्त्रता पर आघात किए बिना तथा लोगों के अधिकारों को कम किये बिना यह कार्य किया जा सकता है। क्या आप यह समझते हैं कि यदि आप यह महान परिवर्तन लाते हैं तो न्यायपालिका बाधा बनेगी। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। राष्ट्रपति रुजवेल्ट अधिक संकट के समय कुछ कार्यवाही करना चाहता था। क्या उच्चतम न्यायालय उसमें हस्ताक्षेप कर पायी ? यह संभव नहीं है (व्यवधान) मैं सभी देशों के उदाहरण दूंगा···

एक माननीय सदस्य : क्या चीन के बारे में बताएंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इसके लिए आपको चीन जाने की आवश्यकता नहीं है। आप विद्वान सदस्य हैं। काल्पनिक दुनिया में न रहे। चीन के बारे में पुस्तकें उपलब्ध हैं उन्हें पढ़िए।

जब आप संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन की बात करते हैं, मैं आपको याद दिला सकता हूं : (व्यवधान) एक व्यक्ति समाजवाद की बात किया करता था, निर्धनता के बारे में बातें किया करता था, संविधान को बदलने की बात किया करता था और समाजवाद के नाम पर लोकतन्त्री ढांचे पर आक्रमण किया करता था। उसका नाम अडोल्फ हिटलर था। एक और व्यक्ति मुसोलिनी था जो कि 'सामाज्यवाद' पत्र का सम्पादक था। और आप भी यही कर रहे हैं। निदेशक सिद्धान्तों के नाम पर, 'गरीबी हटाओ' के नाम पर आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, आप संविधान को समाप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। आप ग्रामीण कुलकों, भूमिपतियों, पूजीपतियों का पक्ष स्वतन्त्रता के बाद से ही लेते रहे हैं; आपातकाल के दौरान, आपने लोगों पर आघात तीव्र कर दिये थे। क्या आप इन्हें पुनः दुहरा रहे हैं ? क्या आप उसकी योजना बना रहे हैं। यदि आप पुनः वही करना चाहते हैं, तो आप नष्ट हो जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप विधेयक का समर्थन करते हैं ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। प्रारम्भ में ही मैंने इसका समर्थन किया है।

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : श्री बापूसाहिब परुलेकर जी ने जो बिल पेश किया है उसका समर्थन तो किया ही जाना चाहिए लेकिन उनकी नीयत पर जरूर शक किया जा सकता है और वह इसलिए कि आज जिस दल से वह आते हैं, पिछले दिनों जब उनकी सरकार थी, उनके दल की हकूमत थी, जनता पार्टी की सरकार थी तब ऐसा बिल नहीं लाया गया सरकार की ओर से और उसका नतीजा यह हुआ कि आज फिर से उनको यह बिल सदन में पेश करना पड़ा है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि बिल पास करने के पीछे जो नीयत होनी चाहिये, वह नहीं है बल्कि राजनीति से प्रेरित होकर यह बिल यहां पेश किया गया है।

अभी हमारे बुजुर्ग साथी शास्त्री जी ने बड़े जोरदार लफ्जों में यह कहा कि उनके युवा संगठन द्वारा आन्दोलन छेड़ा जाएगा और सारे हिन्दुस्तान के नौजवान बेरोजगारी के खिलाफ जेलों को भरेंगे। आज से कुछ दिनों पहले की बात मैं याद दिलाना चाहता हूं जबकि 1974 में बिहार के अन्दर जयप्रकाश बाबू के नेतृत्व में एक ऐसा ही मूवमेंट नौजवानों की ओर से कुछ राजनीतिक दलों के उकसावे में वहां के नौजवानों ने किया था जो कि आज भी जे० पी० मूवमैंट के नाम से जाना जाता है। उस समय वहां के नौजवानों को यह सुनहरा सपना दिखाया गया कि अगर तुम इस वर्तमान सरकार के खिलाफ लड़ोगे, जेलों में जाओगे, लाठियां खाओगे तो हम तुम्हारी बेरोजगारी की समस्या का समाधान करेंगे, सरकार बदलते ही हर नौजवान को रोजगार मिलेगा और हर हाथ को काम मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार सरकार बदलने के बाद 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो आपने देखा कि कुछ लोगों की बेरोजगारी जरूर दूर हो गई, कुछ लोग मंत्री बन गए, कुछ संसद-सदस्य बन गए और कुछ लोग विधान-सभा में चले गए, लेकिन वह बेरोजगार नौजवान जो कल भी बेरोजगार था वह जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भी बेरोजगार ही रहा और वह बड़ी आशा और निराशा के बीच में लटकता रहा और उसकी समस्या ज्यों-की-त्यों बनी रही।

यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर नीयत ठीक हो, सही मायनों में नौजवानों की समस्या को सुलझाना है तो इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को अपने दलों को संगठित करना होगा तभी इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकेगा। तभी जो बिल हम यहां पेश कर रहे हैं, उसको सही ढंग से रखा जा सकता है।

बेरोजगारी का यह सवाल केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं है, यह सारे विश्व के लिए समस्या बनती जा रही है। हिन्दुस्तान तो गरीब मुल्क है, अमेरिका, ब्रिटेनिया जैसे मुल्कों में भी आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और आज वे भी इस समस्या से वंचित नहीं हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि हम इस बेरोजगारी को कैसे दूर करें ? कैसे इस समस्या का समाधान करें ? क्या सिर्फ बिल पेश कर देने से ही बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो जाएगा ? अगर यह ठीक है तो यह बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन इसके पीछे हमें देखना होगा कि इस बिल को पास करने के साथ-साथ बेरोजगारी दूर करने के ठोस सुझाव भी आयें।

[श्री तारिक अनवर]

अभी और लोगों ने जैसे बताया कि 1 करोड़ 54 लाख पढ़े-लिखे नौजवान इस देश में बेरोजगार हैं। गांव, विलेज में जो बेकार लोग हैं, उनको छोड़कर यह आंकड़े हैं, जिन्होंने कभी स्कूल या कालेज देखा तक नहीं। वैसे लोगों को भी अगर जोड़ा जाये तो यह एक बहुत बड़ी संख्या हो सकती है। ऐसी हालत में हमें यह देखना होगा कि कैसे हम बेरोजगारी को दूर करें।

जहां तक इसे दूर करने का सवाल उठता है, उसके लिए जरूरी है कि हमने और हमारी सरकार ने जो कदम उठाये हैं, उनका ठीक ढंग से इम्प्लीमैंटेशन किया जाये। हमने जमींदारी खत्म की, जमीन का बंटवारा किया। इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि अभी भी जो बड़े-बड़े भूमिपति हैं, जो बड़े-बड़े लोग हैं जो इस देश का शोषण कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि इस देश में उनकी ही जेब भरी रहे, उनकी जेब खाली करनी होगी और धन का बंटवारा करना होगा और सही मायनों में जिस समाजवादी समाज की कल्पना हम करते हैं, उसको यदि पूरा करना है तो उसके लिए आवश्यक है कि सही दिशा में हम आगे बढ़ें।

आज नौजवानों में एक गलत भावना पैदा हो गई है कि बेकारी दूर करने का रास्ता सिर्फ सरकारी नौकरी हासिल करना है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि सरकारी नौकरियों के साथ-साथ नौजवानों को खेतों और खलिहानों में, कल-कारखानों और छोटे काम-धंधों में लगाया जाये, ताकि अनएम्लायमेंट की समस्या का समाधान हो सके।

यह सही है कि इन्सान की मूल समस्या रोटी, कपड़ा और मकान है। इसके लिए जरूरी है कि हर आदमी को रोजगार मिले, ताकि वह अपने खानदान, परिवार, का पालन-पोषण कर सके।

जो बिल पेश हुआ है, अगर इसकी नीयत ठीक हो, अगर इसको सच्चे दिल से रखा गया हो, तो जरूर इसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन हमें यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि जब लोग आपोजीशन में बैठते हैं, तो लम्बी-लम्बी बातें करते हैं, लेकिन जब कुछ करने का मौका मिलता है, जब वे सत्ता में आते हैं, तो नौजवानों को भूल जाते हैं, जो सही मायनों में इस देश का भविष्य हैं। अगर नौजवान बेकार हों, डाक्टर और इन्जीनियर बेकार हों, तो देश कभी भी मजबूत नहीं हो सकता है, वह कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। अगर देश को तरक्की की ओर ले जाना है, तो यह जरूरी है कि हर एक नौजवान को रोजगार मिले। उसे सरकार की ओर से सब तरह की सुविधा और समर्थन मिलना चाहिए, ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपने परिवार का पालन-पोषण कर सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन तो जरूर करता हूं, लेकिन इनकी नीयत पर शक भी जरूर करता हूं। (इति)

श्री रामावतार शास्त्री : वैस्ट बंगाल और केरल में बेकार लोगों को भत्ता देने की व्यवस्था की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शास्त्री, आपको उस आजादी की सराहना करनी चाहिए जो कि कांग्रेस (इ) दल के सदस्यों को दी गई है।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लोर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जिस ढंग से काम मांगा जा रहा है, वह गलत है। महात्मा गांधी ने कहा है कि अगर कोई एबल-बाडिड आदमी बेकार है और हम उसको काम नहीं दे सकते हैं, तो हमें खाना नहीं खाना चाहिए, हमें सोना नहीं चाहिए। इन लोगों का काम है दिन-रात हड़तालें करना और धरना देना और तरह-तरह के हुकूक मांगना। जो आदमी काम नहीं करता है, उसको रोटी मांगने का क्या हक है ? जो आदमी एबल-बाडिड है, एजूकेटिड है, उसे कोई भी काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो आदमी बिना काम किये खाता है, वह चोर है। आज तो हमारे मुल्क में एक तमाशा बना हुआ है। भूख-हड़ताल की जाती है, धरना दिया जाता है। लोग रोटी तो सोसायटी की खाते हैं, लेकिन सोसायटी के लिए कोई काम नहीं करते हैं।

आज दफ्तरों में क्लर्कों के पास कोई काम नहीं है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं। मैं 33, फिरोजशाह रोड पर रहता हूं। मेरे पास एक सूट-बूट पहने हुए माली आया। मैंने उसे कहा कि मैं खुद यह काम करूंगा। आज महात्मा गांधी के उसूलों पर कोई नहीं चलता है। आज पढ़े-लिखे लोग अनएजूकेटिड लोगों की कास्ट पर पनप रहे हैं। हर एक आदमी का फर्ज है कि पहले वह लेबर का काम करे और फिर दूसरा काम करे। अगर किसी को काम नहीं मिलता है, तो यह सोसायटी और गवर्नमेंट का कुसूर हैं। आपोजिशन वाले भी गवर्नमेंट को काम नहीं करने देते हैं। मैंने कई हरिजन भाइयों को बैठे हुए देखा, तो पूछा कि वे काम क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी मांगें मनवाने के लिए धरना दे रहे हैं।

जहां तक हरेक को काम देने का अधिकार देने की बात है, कोई भी गवर्नमेंट बन जाए, कोई भी एबल-बाडीड है वह अगर खाली रहकर, निकम्मा रहकर खाता है और कोई काम नहीं करता है तो वह चोर है, उसको जो भी काम मिल जाए वह काम करना चाहिए। ये इंजीनियर किसकी कास्ट पर बने हैं ? अनपढ़, हरिजन और मजदूरों की कास्ट पर ये इंजीनियर बने हैं। इसलिए किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं पढ़ा-लिखा हूं, इंजीनियर हूं इसलिए मुझे कोई बड़ा काम दिया जाए। गांव के जो लोग पढ़-लिखकर शहरों में आ जाते हैं वे आराम की जिंदगी बसर करने लग जाते हैं। वे गरीब और अनपढ़ लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। हर एक आदमी का फर्ज है कि काम चाहे किसी किस्म का हो, उसको वह करे। जो बड़े-बड़े लीडर बने हैं वे हाथ से काम करने वाले थे। आज अगर अपोजीशन का ही बट्टा बैठा हो तो गवर्नमेंट कैसे ठीक रह सकती है? अगर आप मजबूत हैं तो हम भी मजबूत हो जाएंगे। अगर आप ही निकम्मे होंगे तो हम कैसे ठीक हो सकते हैं ?

जहां तक काम का ताल्लुक है जो भी एबल-बाडीड हैं उनको हर एक काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पहले वे लेबर हैं, उसके बाद कुछ और। हम में से जो लोग एजूकेटेड हो गए हैं उन्हें यह नहीं कहना चाहिए कि हम फलां काम नहीं करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो जैसी मर्जी करते रहो। गवर्नमेंट हर एक को मर्जी के मुताबिक काम कैसे दे सकती है? पढ़े-लिखे लोग गरीबों और अनपढ़ों की कीमत पर ऊंचे उठे हैं और अब वे शानदार कपड़े पहनते हैं। यहां पर जो लोग रोज लेक्चर देते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ लेक्चर देने से काम नहीं चलेगा। आज मुल्क के गरीब लोग यह समझ गए हैं कि अपोजीशन वाले खामखाह वक्त जाया करते हैं। ये बात इनकी समझ में आ गई है कि हमें किसको वोट देना है।

[श्री सुन्दर सिंह]

सत्य, प्रेम और ईमानदारी का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। यदि आप जीवन पर्यन्त ईमानदार और निस्वार्थी रहें तो फिर डरना क्या, मृत्यु तक से डरना नहीं।

मैं 1927 से पब्लिक में काम कर रहा हूं और हमेशा गरीबों की मदद करता रहा हूं। परमात्मा की दया से मैं हमेशा जीतता आया हूं। मैं शास्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वे यहां पर लंबी-चौड़ी तकरीरें न किया करें और हरिजनों की बातें न कहा करें, क्योंकि सिर्फ ऊपर से ही वे ऐसी बातें कहते हैं, उनके दिल में कुछ नहीं है। अगर आप लोग गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं तो कुछ काम करें, ताकि लोग महसूस कर सकें कि ये लोग काम करने वाले हैं।

निर्मल और पवित्र बनिए।

प्रेम के वास्ते करो प्रेम।

गरीब, दुःखीजन और दलितजन से तैयार करके तो देखिए परमपिता आपका भला करेगा।

इसलिए मैं समझता हूं कि बिल गलत है। हमें गवर्नमेंट पर ही सब नहीं छोड़ना चाहिए। पमें खुद काम करना चाहिए। हम खुद काम करेंगे तो गवर्नमेंट भी अपने-आप ठीक हो जाएगी।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं हैरान हूं कि सदन में इतने संजीदा आदमी बैठे हुए हैं और कहते हैं कि एम्पलायमेन्ट फण्डामेन्टल राइट होना चाहिये। फण्डामेन्टल राइट कोर्ट के जरिये एन्फोर्स कर सकते हैं और इसके इस प्रकार एन्फोर्स करने से बेकारी दूर हो जायगी। जहां तक डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्ज का ताल्लुक है—वह आपकी इकानामी उन पर बेस करता है हमारी इकानामी बनेगी, वह सुपीरियर होनी चाहिये, सैकिण्ड्री नहीं होनी चाहिये। अगर आप फण्डामेन्टल राइट बना देंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। आप कोर्ट में जा सकेंगे, डिग्री ले सकेंगे, लेकिन नतीजा क्या होगा। हमको तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिये, जिससे ज्यादा से ज्यादा एम्पलायमेन्ट जैनरेट हो और इसके लिये हम सबको मिलकर काम करना चाहिये। यह कोई जन्तर-मन्तर तो है नहीं, जन्तर लिखा और उसको कहीं रख दिया, जिससे उसका असर हो गया। इसको फण्डामेन्टल राइट बना देने से— किसको लाभ होगा ? हो सकता है कुछ बेकार लोग कोर्ट में चले जायं और डिग्री ले लें इससे कुछ वकीलों को काम मिल जाय, लेकिन आम आदमी को इससे फायदा होने वाला नहीं है।हमें अपने बेकार लोगों को फायदे पहुंचाने के लिये जरूरी है कि अपनी इकानामी को दुरुस्त करें, उसको ठीक ढंग से चलायें उसको सोशलिस्ट पैटर्न पर लायें। इस काम को करने के लिये हमारे पास जितने सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, पैट्रियोटिक एलीमेन्ट्स हैं—उन सबको इसमें काम पर लगायें, तभी एम्पलामेन्ट जैनरेट हो सकता है।

चौधरी साहब ने ठीक ही कहा है कि जब एक आदमी मैट्रिक पास कर लेता है, पतलून और कोट पहन लेता है, तो वह काम नहीं करना चाहता, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता है, जोर देने से तो उसमें काम करने की भावना पैदा नहीं होगी। मैं तो यह समझता हूं कि डोल देने वाले हमारी सोसायटी के दुश्मन हैं। हिन्दुस्तान में जो अनपढ़ हैं, आज वे बेकार नहीं हैं, लेकिन जो पढ़े-लिखे हैं, वे ही बेकार हैं, जो कि काम करने और जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं। यह भी ठीक है कि जो फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिये, वह हम नहीं दे पा रहे हैं। हमें अपने बैंकिंग सिस्टम को रि-

ओरिएन्ट करना होगा, जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करना होगा, उनमें लार्ज-स्केल इण्डस्ट्रीज, स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज, टाइनी इण्डस्ट्रीज इन सबको डोव-टेल करना होगा।

जहां तक एग्रीकल्चर का ताल्लुक है उसे भी विज्ञानिक ढंग से चलाना होगा। एग्रीकल्चर से मेरा मतलब कोआपरेटिव से है। जब तक कोआपरेटिव्ज ठीक नहीं होंगी तब तक एग्रीकल्चर ठीक नहीं होगा और एग्रो-इण्डस्ट्रीज ठीक नहीं हो सकती। हमारे सदन में पढ़े-लिखे लोग और प्रोफेसर्ज बैठे हुए हैं जो इस बात को जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की स्थिरता अत्यन्त अनिवार्य है यहां तक कि मौलिक अधिकारों की तुलना में भी। फण्डामेन्टल राइट की बात तो कन्फयूज करने वाली है, इस आधार पर आप चाहे नौजवानों को कन्फयूज कर दें, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप उनको सही रास्ता नहीं दिखलायेंगे तब तक काम नहीं चल सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह बिल इल-कन्सीव्ड है, इससे कुछ नहीं बनेगा। डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्ज को मौलिक अधिकारों से भी अधिक महत्व दीजिए। तब जाकर इकानमी को बिल्ड करने में मदद मिल सकेगी। जैसा चौधरी साहब ने कहा है—जितनी विजिलेन्ट अपोजीशन होगी, उतनी विजिलेन्ट गवर्नमेन्ट होगी। जितनी इफेक्टिव अपोजीशन होगी, उतनी सी इफेक्टिव गवर्नमेन्ट होगी। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे जिसका न सिर होगा और न पैर होगा तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि सुन्दर साहब इस नजरिये से इस पर गौर करें। मैं समझता हूं यह बिल बिलकुल फिजूल किस्म का बिल है, इससे कुछ नहीं बनेगा, सिवाय मुकदमे बाजी बढ़ने के।

रक्षा मन्त्रालय में राज मन्त्री (श्री शिवराज्य वी० पाटिल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय, इस विधेयक के प्रस्तुत कर्त्ता माननीय सदस्य श्री बापू साहेब परूलेकर ने विभिन्न संविधानों का हवाला दिया था। मैं माननीय सदस्य का ध्यान विभिन्न देशों के संविधानों के उपबन्धों की ओर दिलाना चाहूंगा।

आज विश्व में समाजवादी और गैर समाजवादी दोनों ही प्रकार के देश हैं। ऐसे भी देश है जिनके संविधान में काम करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है और ये देश समाजवादी खेमे के हैं तथा इनके नाम हैं रोमानिया, बलगेरिया, चैकोस्लाविकिया, हंगरी, पोलैण्ड, क्यूबा, वियतनाम, चीन, जर्मन जनवादी गणतन्त्र, सोवियत रूस और युगोस्लाविया।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : और कोरिया जनवादी गणतन्त्र में भी।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं तो केवल कुछ महत्वपूर्ण देशों के नाम गिना रहा हूं, सभी देशों के नहीं।

बलगेरिया, रोमानिया, हंगरी, पौलैण्ड, चीन, क्यूबा, युगोस्लाविया और वियतनाम में काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार है और अन्य देशों में काम करने के अधिकार को मौलिक अधिकारों में तो नहीं रखा जाता है, परन्तु इसे सामान्य रूप से काम करने का अधिकार कहकर छोड़ दिया जाता है। कुछ ऐसे गैर-समाजवादी देश भी हैं जिनका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विश्वास है अथवा किसी भिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्था में विश्वास है जो कि समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। जिन देशों ने अपने संविधानों में काम करने के अधिकार का प्रावधान रखा है और जो गैर-समाजवादी खेमे के

[श्री शिवराज वी० पाटिल]

हैं वे हैं—जापान, आयरलैण्ड, पुर्तगाल, इटली, लक्समबर्ग, फ्रान्स और डेनमार्क ? जिन पूंजीवादी देशों ने अपने संविधान में काम करने के अधिकार को स्वीकृत नहीं किया है, वे हैं—आस्ट्रेलिया, अर्जेन्टीना, बेल्जियम, फिनलैण्ड, अमरीका, ब्रिटेन, स्वीडन, केन्या, मिश्र, ब्राजील, नार्वे, अस्ट्रीया, कनाडा, लाओस, और ऊरूगुआई। मैं केवल उन देशों के नाम बता रहा हूं जिनके संविधान मैंने पढ़े हैं और मुझे कुछ सूचना मिल सकी है, परन्तु ये गैर-समाजवानी खेमे के महत्वपूर्ण देश हैं और उन्होंने अपने संविधान में काम करने के अधिकार का जिक्र नहीं किया है।

श्री बापूसाहिब परूलेकर (रत्नगिरी) : परन्तु वे बेगोजगारी भत्ता देते हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं अभी तो वर्गीकरण ही कर रहा हूं। कृपया कुछ समय तक प्रतीक्षा कीजिए।

जो देश समाजवादी खेमे के हैं और जिन्होंने काम करने के अधिकार को अपने संविधान में सामान्य अधिकार या मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा है उन्होंने अपने संविधान में जिक्र किया है। लगभग सभी देशों ने अपने संविधान में काम करने के कर्त्तव्य का जिक्र किया है।

दूसरी ओर बैठे मेरे विद्वान मित्र ने अभी-अभी फ्रान्स के संविधान का हवाला दिया है। फ्रान्स के संविधान में काम करने के अधिकार का हवाला तो दिया गया है, परन्तु उसके साथ-साथ चलते हैं। वे अलग नहीं हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप काम करने के कर्त्तव्य के बिना काम करने के अधिकार की बात नहीं कर सकते। काम करने के अधिकार और काम करने के कर्त्तव्य साथ-साथ रहने चाहिये। और यहां एक ऐसा विधेयक आया है जो काम करने की अधिकार की ही बात करता है काम करने के कर्त्तव्य की कतई बात नहीं करता। मैं विश्लेषण कर रहा हूं और मेरा भाषण समाप्त होने के बाद ही आपको बोलने का अधिकार है। मैं तो अभी विश्लेषण कर देता हूं। यदि आप इतने ही अधीर हैं तो मुझे माफ कीजिए। मैं विश्लेषण कर रहा हूं और मैं आपको भी समय दूंगा तब आप उत्तर दे सकते है। मैं कह रहा हूं कि काम करने के अधिकार और काम करने के कर्त्तव्य दोनों साथ-साथ चलने चाहियें। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम एक पहलू की उपेक्षा करके केवल एक पहलू को ही नहीं रख सकते। हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। परन्तु यह एक ऐसा विधेयक है जिसमें केवल काम करने के अधिकार का ही जिक्र किया गया है। इसके अब उल्लेख का कारण इस प्रकार है।

इसका हवाला मैं अपने भाषण में बाद में दूंगा। अत: यह तो स्थिति है।

महोदय इन समाजवादी देशों ने काम करने के अधिकार का उल्लेख तो किया है परन्तु उन्होंने एक और बात का जिक्र नहीं किया। उन्होंने किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया कि जिससे वह उन अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण ले सके। यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण उपबन्ध है। यदि हम अपने संविधान के मौलिक अधिकारों के अध्याय में अनुच्छेद 32 और 226 कि अन्तर्गत काम करने के अधिकार को भी जोड़ दें तो प्रत्येक नागरिक को उस मौलिक अधिकार की प्राप्ति के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार होगा। हमें इस मौलिक अन्तर को ध्यान में रखना होगा। मैं तो विश्लेषण करके आपके सामने रख रहा हूं। मैं कोई बात आरोपित नहीं कर रहा हूं।

मैं कोई राजनैतिक भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं तो तथ्यों को विश्लेषित करके आपके समक्ष रख रहा हूं। यही तो एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण भेद है, अन्तर है।

महोदय, यह बात ध्यान में रखनी होगी। पूंजीवादी देशों को ही देखिए। मेरे विद्वान मित्र ने बताया कि 32, 33 या 34 वर्ष बीत चुके हैं परन्तु काम करने के अधिकार को संविधान में जोड़ने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया है। संविधान के लागू होने के बाद अमरीका में कितने वर्ष का समय बीत चुका है? उन्होंने उस बात को अपने संविधान में सम्मिलित नहीं किया है। क्या यह सच नहीं है कि अमरीका में भी जहां पर सब कुछ ठीक-ठीक चल रहा है, अपने संविधान में काम करने के अधिकार को सम्मिलित नहीं किया गया है और न ही वे बेरोजगारी की समस्या को पूर्णरूप से हल करने में सफल हुए हैं। मुझे उनकी शासन प्रणाली के बारे में कुछ नहीं कहना है, परन्तु वहां पर भी जो कि एक बहुत ही भाग्यशाली देश हैं, जिसकी भूमि बेदाग है और जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि में सबसे आगे है, जो समृद्ध और प्रभावशाली देश है, उस देश में भी ऐसा अधिकार नहीं है। यह बात भी हमें ध्यान में रखनी होगी। वे अभी तक इसे अपने संविधान में जगह नहीं दे सके हैं और यदि कोई यह सोचता है कि केवल संविधान में काम करने के अधिकार का उल्लेख कर देने मात्र से, बेरोजगारी की समस्या हल की जा सकती है तो मेरा विनम्र निवेदन है कि यह बात सही नहीं है।

अब, मैं चीन की बात लेता हूं। महोदय यह बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है कि हम चीन के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करें, क्योंकि चीन और हमारे देश की जनसंख्या की समस्याएं एक समान हैं। अतः हम चीन के संविधान में किए गये उपबन्धों को भी देख लें।

महोदय, मैं चीन के संविधान के अनुच्छेद 10 का उल्लेख करता हूं। चीन के संविधान का अनुच्छेद 10 क्या कहता है? यह काम के अधिकार और कर्त्तव्य से सम्बद्ध है। इसमें कहा गया है 66 राज्य ने समाजवादी सिद्धान्त लागू किए हैं। जो कोई भी काम नहीं करता वह खा नहीं सकता है। प्रत्येक को अपनी योग्यतानुसार काम मिलेगा और काम के अनुरूप भोजन। प्रत्येक काम करने योग्य नागरिक के लिए काम एक पवित्र कर्त्तव्य है। राज्य में समाजवादी श्रम प्रति स्पर्धा को बढ़ावा दिया जाता है। और श्रमजीवी पद्धति का बोलबाला है। नागरिक समाजवादी प्रोत्साहन और काम में रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने के लिए यह नैतिक प्रोत्साहन को भौतिक पुरस्कार के साथ जोड़ने की नीति पर लागू होता है जिसमें अधिक बल नैतिक प्रोत्साहन पर दिया जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 48 भी है जो कि इस बात से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध है। "नागरिकों को काम का अधिकार है, यह देखने के लिए कि नागरिकों को यह अधिकार उपलब्ध है···" महोदय, इसका विश्लेषण करना होगा, इस उपबन्ध का विश्लेषण करना होगा, क्योंकि इन दोनों देशों की परिस्थितियां एक-सी हैं।

"यह सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों को काम करने का अधिकार है कि नागरिक अपने इस अधिकार का कि उनका काम करने का अधिकार है, उपयोग कर सकें, राज्य समय बातों के विचार के सिद्धान्तानुसार तथा अधिक उत्पादन के आधार पर रोजगार की व्यवस्था करता है। राज्य धीरे-धीरे श्रमिकों की मजूरी को बढ़ाता है कार्य-दशाओं में सुधार करता है, श्रमिकों की सुरक्षा को सुदृढ़ करता है और सामूहिक धन को बढ़ाता है।" अब प्रश्न क्या है जिस पर इस अनुच्छेद में बल दिया गया है? जिस बात पर जोर दिया गया वह उत्पादन है। क्या उन्होंने उत्पादन में वृद्धि की है

[श्री शिवराज वी० पाटिल]

और उत्पादन के फल को सभी में वितरित किया है। क्या उन्होंने उनकी मजूरी बढ़ायी है और उनकी कार्य करने की दशाओं में सुधार किया है ? इन बातों पर ध्यान रखते हुए आप उन्हें अधिकार दो। इसी तरह उन्होंने चीन में अपने संविधान में उपबन्ध किए हैं। इसी तरह वे चीन में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं।

यदि कोई इस सभा में और बाहर यह कहता है कि चीन ने बेरोजगारी की समस्या का पूर्ण रूप से समाधान कर लिया है तो मैं यह कहूंगा कि यह सही नहीं है। वे बेरोजगारी की समस्या का पूर्ण रूप से समाधान नहीं कर सके हैं। उनके पास उनकी बेरोजगारी की समस्या अन्य देशों की बेरोजगारी की समस्या की अपेक्षा कम हो सकती है, परन्तु वे भी अपने देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर सके हैं।

श्री समर मुखर्जी : मैं केवल दो सप्ताह पहले ही चीन से वापस आया हूं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : हमें यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। समाजवादी देश में उत्पादन के साधनों का स्वामी राज्य होता है और धन पर भी राज्य का ही अधिकार होता है। हमारे जैसे समाजवादी देश में उत्पादन के साधन, भारी अर्थव्यवस्था को राज्य द्वारा नियन्त्रित किया जाता है, परन्तु प्रत्येक वस्तु जो समाज में है, उसका स्वामित्व राज्य के हाथ में नहीं होता है। हमारे यहां परिवार के पास सम्पत्ति है। हमारा समाज है जिसके पास सम्पत्ति है। हमारा राज्य है, उसके पास भी सम्पत्ति है। परन्तु हमारे देश में राज्य के स्वामित्व में जो सम्पत्ति है वह निश्चित रूप से उस सम्पत्ति व धन से कम है जिस पर सारे समाज तथा परिवार का स्वामित्व है। इस बात को कहते समय इस तथ्य को ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या हम संविधान में इस प्रकार का उपबन्ध कर सकते हैं, क्या उस उपबन्ध का कार्यान्वयन करना हमारे लिए व्यावहारिक होगा।

हमारे संविधान में क्या स्थिति है ? यदि हम इस उपबन्ध को निदेशक सिद्धान्तों से निकालकर मौलिक अधिकारों में शामिल कर देते हैं, तो हर नागरिक को उस मामले के लिए न केवल निम्न न्यायालय या उच्च न्यायालय या दीवानी न्यायालय या न्यायिक मेजिस्ट्रेट के न्यायालय या दीवानी न्यायालय में ले जाने का अधिकार है बल्कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में भी ले जाने का अधिकार है। हम सबको मिलकर न कि केवल सिद्धान्त बनाकर, इस समस्या का समाधान करना है। मेरी लड़ाई सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं है। मैं तो इस माननीय सभा के समक्ष उन कठिनाइयों तथा समस्याओं को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं जिनका समाधान किया जाना है। यदि इस समस्या को मूलभूत अधिकारों के अध्याय में लेते हो, यदि इसे संविधान के भाग 3 में लेते हो, तो आप इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे ? यदि सभी नागरिक उच्च न्यायालय में चले जाते हैं तो इन न्यायालयों में अत्याधिक रिट याचिकाएं हो जाएंगी। क्या इससे बेरोजगारी समस्या का समाधान होने वाला है ? क्या इससे शिक्षित लोगों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार मिलने वाला है ? यदि आप बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो मैं यह नहीं कहूंगा कि ऐसा उपबन्ध नहीं किया जाना चाहिए अथवा वैसा नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु जो करना है वह तो ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस तरह से हम इस समस्या का निदान कर सकते हैं और साथ ही हमारे पास इस प्रकार की समस्याएं भी रहेंगी।

मैंने विश्व के समाजवादी देशों के संविधानों का विश्लेषण इस कारण किया है कि वहां काम करने का अधिकार तो है परन्तु न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं है। पूंजीवादी देशों में, जहां बेरोजगारी है, वहां उन्हें न तो कोई अधिकार है और न यह करने के लिए नागरिकों को न्यायालय में जाने का अधिकार दिया जाता है। कुछ अन्य देशों के अपने कानून हैं और उन कानूनों के अनुसार वे न्यायालयों में जा सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे कानून हमारे पास नहीं हैं। महाराष्ट्र ने एक कानून बनाया है। केन्द्रीय सरकार यह नहीं कह रही है कि राज्य सरकारों को कानून नहीं बनाना चाहिए और इसे क्रियान्वित नहीं करना चाहिए। जो हम कह रहे हैं वह यह है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जहां संविधान के इस उपबन्ध को क्रियान्वित करना हमारे लिए सम्भव होगा, तो यह दूसरी बात है। परन्तु आज इसे मूलभूत अधिकारों के अध्याय में रखने मात्र से ही हम समस्या का समाधान नहीं कर सकेंगे। व्यावहारिक कठिनाई क्या है ? मैंने व्यावहारिक कठिनाई को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। एक माननीय मित्र ने मजाक में कहा है कि यदि आप इसे मूलभूत अधिकारों के अध्याय में शामिल करते हैं तो वकीलों की समस्या का समाधान हो सकता है। हम उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में रिट याचिकायें दायर कर सकते हैं। तथापि इस समय इसका कोई अर्थ नहीं होता है। भले ही हमारे पास अधिक मुकद्दमे हों परन्तु इसे निदेशक सिद्धान्तों से निकालकर मूलभूत अधिकारों में शामिल करने से समस्या का कतई समाधान नहीं होगा।

मेरे माननीय मित्र श्री चित्तबसु करते हैं; आप कहते हैं कि निदेशक सिद्धान्त का स्थान मूलभूत अधिकारों से ऊंचा है। अब हम निदेशक सिद्धान्तों को मूलभूत सिद्धान्तों के अध्याय में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं; आप आपत्ति व्यक्त कर रहे थे। वह तर्क बहुत ही युक्ति संगत है। मुझे इसकी अवश्य प्रशंसा करनी चाहिए। परन्तु इसको निदेशक सिद्धान्तों में रखने में क्या आपत्ति है। इसे मूलभूत सिद्धान्तों से अधिक महत्व दिया जा रहा है। उस समय आप क्या आपत्ति उठा सकते हो जब यह कहा जाता है कि निदेशक सिद्धान्तों को क्रियान्वित करने वाले कानून को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जानी चाहिए कि यह मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध जाता है। यह वह बात थी जिसे करने का प्रयास किया गया। अब यदि आप इसे निदेशक सिद्धान्तों के अध्याय से मूलभूत अधिकारों में बदलवाते हैं और इसके बाद निदेशक सिद्धान्तों का कार्यान्वयन करने का प्रयास करते हो तो यह संभव होने वाला नहीं है।

विपक्ष के एक माननीय मित्र ने कहा कि स्वतन्त्रता के अधिकार में टकराव नहीं है। परन्तु यह टकराव है। यदि आप उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के फैसलों की बारीकी से जांच करें तो ऐसे कई मामले दिखाई देंगे। वस्तुतः यह बात देखने के लिए कानूनों में संशोधन तथा परिवर्तन करने पड़े कि सामाजिक न्याय देने के लिए नागरिकों को दिये गये अधिकारों का कार्यान्वयन किया जाये। कानूनों को न्यायालय में चुनौती दी गई और कई कानूनों को संविधान के अधिकार के परे कहा गया। फलस्वरूप इस बात को सुनिश्चित करने के लिये संविधान में संशोधन किए गये कि उन उपबंधों का कार्यान्वयन हो। यह पिछले दिनों में किया गया था। यदि आप चाहते हैं कि मैं उन फैसलों का विस्तारपूर्वक उल्लेख करूं तो वह मैं कर सकता हूं। परन्तु वह यहां पर ऐसा काम संगत नहीं है।

मेरा मतलब यह है कि निदेशक सिद्धान्त सामाजिक न्याय करने का प्रयास करते हैं और -मूल

[श्री शिवराज वी० पाटिल]

भूत अधिकार व्यक्ति को न्याय देने का प्रयास करते हैं। हमारे पास यहां संविधान में उपबंध है। जिसमें व्यक्ति के साथ न्याय करने का प्रयास किया गया है। और हमारे संविधान में ऐसा भी उपबन्ध है जिसमें सम्पूर्ण समाज के लिये न्याय करने का प्रयास किया गया है। जो अधिक महत्वपूर्ण है। सम्पूर्ण समाज के लिये न्याय अधिक महत्वपूर्ण है। मेरी विनम्र राय के अनुसार समाज या समाज में अधिकांश लोगों के लिये न्याय को अकेले व्यक्ति के प्रति न्याय की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए। यही बात रा॰सी पौंड जैसे विधि शास्त्री ने अपनी पुस्तकों में लिखी हैं। जब कभी व्यक्ति के हित तथा सम्पूर्ण समाज के हित के बीच हितों का टकराव होता है। यह संतुलन समाज के पक्ष में तय करना पड़ेगा अथवा इसका ऐसे ढंग से संतुलन करना होगा कि व्यक्ति या सम्पूर्ण समाज दोनों के प्रति अन्याय न हो। यही उन्होंने कहा है। जब हमने निदेशक सिद्धान्तों और मूलभूत अधिकारों की संवैधिक स्थिति पर ध्यान देने का प्रयास किया और जब हमने यह कहने का प्रयास किया कि निदेशक सिद्धान्त कम से कम उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने मूलभूत अधिकार, उसमें कुछ कठिनाइयां पैदा हुईं और हमने उन कठिनाइयों का समाधान करने का प्रयास किया। परन्तु दुर्भाग्यवश, कुछ और ही हो गया, मैं इसके उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं समझता हूं।

प्रश्न यह है कि बेरोजगारी की इस समस्या का निदान कैसे किया जाये। यदि हम इसका समाधान इसको मूलभूत अधिकारों के अध्याय में अंतरित करके ही कर सकते तो हम सब ऐसा करने के लिये तैयार है। परन्तु यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं बल्कि अधिक कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं तो वैसा करना इस सम्मानीय सभा की ओर से बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। श्रीमान वैसा करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। श्रीमान यदि आप बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना चाहते हो तो·····

मैं पांच या छः मिनट का समय और लेना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं। हम 6 बजे के बाद नहीं बैठे रह सकते हैं।

6.01 म० प० :

तत्पश्चात, लोक सभा सोमवार, 24 नवम्बर, 1980/3 अग्रहायण, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

मुद्रक : आकाशदीप प्रिन्टर्स, 20 दरियागंज, दिल्ली-110002.